ISSN 2456–4583
Impact Factor: 5.982

A peer Reviewed/Refereed Biannual Research Journal of Multi disciplinary Researches

Volume-4 Issue-2 March 2020

Global Development Society, Firozabad

GMRJ

GLOBAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL

Editor
Dr. Pankaj Kumar Mishra

GLORIOUS AND MEMORABLE MOMENT

Releasing the Global Multidisciplinary Research Journal

Volume 1 Issue 1 September 2016

Smt. Archana Pandey
State Minister, Uttar Pradesh Government (Right) &
***Dr. Pankaj Kumar Mishra**,*
Editor, GMRJ (Left)

Volume 1 Issue 2 March 2017

Dr. Arvind Kumar Dixit
Vice Chancellor,
Dr. BR Ambedkar University, Agra (Right) &
***Dr. Pankaj Kumar Mishra**,*
Editor, GMRJ (Left)

Volume 2 Issue 1 September 2017

Dr. Nisha Agarwal
Ex-CEO Oxfam India, Ex-World Bank (Center)
***Mrs. Mala Rastogi**,*
President, Dau Dayal Mahila (PG) College (Right) &
***Dr. Pankaj Kumar Mishra**,*
Editor, GMRJ (Right)

Volume 2 Issue 2 March 2018

Inauguration of 4th edition by International Delegates
***Mr. Eddie Maguire** (UK), **Ms. Rosie Miller** (UK),*
***Ms. Julie Hodgson** (UK), **Ms. Mala Rastogi** (UK)*
*and **Dr. GC Rastogi** (LONDON, UK)*
on the occasion of International Workshop on
Communication & Leadership at Firozabad.

Volume 3 Issue 1 September 2018

Inauguration of 5th edition by
***Dr. Arvind Kumar Padhak,** BSA*
*and **Dr. Arzoo Mishra.***

Volume 3 Issue 2 March 2019

Inauguration of 6th edition by
***Suman Chaturvedi,** Member of the*
Uttar Pradesh State Commission for Women.

Volume 4 Issue 1 September 2019

Inauguration of 7th edition by
***Shri Pramod**, Vibhag Pracharak, RSS*

INVITATION for Intelligentsia having rich experience and expertise in the various disciplines be a part of our system. To be the part of Editorial Board, send your resume at email or call us at 09412883495.

ISSN: 2456-4583
Volume 4 Issue 2 March 2020
Global Multidisciplinary Research Journal – A Peer Reviewed/Refereed
Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Indexed: SJIR & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

Global Multidisciplinary Research Journal

A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 2 March 2020

Editor
Dr. Pankaj Kumar Mishra

GLOBAL DEVELOPMENT SOCIETY

(Reg. No. 347/2011-12, Registration under Society Registration Act 21, 1860).
6, New Tilak Nagar, Firozabad – 283203 (UP)
Contact: 09412883495; 08077700262
Website: www.gdsfzd.org
E-mail: journal@ gdsfzd.org; dr.mishrapkgds@gmail.com

ISSN: 2456-4583
Volume 4 Issue 2 March 2020
Indexed: SJIR & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

The responsibility for the facts or opinions expressed in the papers in entirely of the author. Neither the Editorial Board nor the publishers are responsible for the same. Reproduction for resale is prohibited.

© Copyright: Global Development Society, 6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP), India

Global Multidisciplinary Research Journal – A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches

Editor
Dr. Pankaj Kumar Mishra

ISSN: 2456-4583

Indexed: SJIR & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

PUBLISHER

GLOBAL DEVELOPMENT SOCIETY
(Reg. No. 347/2011-12, Registration under Society Registration Act 21, 1860).
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)
Mob. No. 09412883495/08077700262
Website: www.gdsfzd.org
E-mail: journal@ gdsfzd.org; dr.mishrapkgds@gmail.com

PRINTED BY:
Victorious Publishers (India)
D-5, Ground Floor,
Pandav Nagar, Near Shanti Nursing Home
(Opposite Mother Dairy), Delhi-110092
E-mail: victoriouspublishers13@gmail.com
Mob.: +91 8826941497; 7042439222

ISSN: 2456-4583
Volume 4 Issue 2 March 2020
Global Multidisciplinary Research Journal – A Peer Reviewed/Refereed Indexed: SJIR & I2OR
Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches SJIF Impact Factor: 5.982

Guidelines for the Submission of Research Paper/Manuscript

1. Article must be original and not published anywhere from (full/part).
2. **Membership:** Each and every Author must be the member of the Journal.
3. **Script:** All the Manuscript (Paper) should be sent by E-mail to the Editor (dr.mishrapkgds@gmail.com) for its publication in Times New Roman, Font Size 12 and Space – 1.5 in Sentence case and a hard copy by post/courier along with CD.
   For Hindi Manuscript (Paper) should be sent by E-mail to the Editor (dr.mishrapkgds@gmail.com) for its publication in Walkman-Chanakya-905, Font Size 13 and Space – 2, a hard copy by post/courier along with CD.
4. **Number:** Only one paper of any Author will be published (in each issue).
5. **Length:** Minimum – 2 and maximum 5-6 pages.
6. **Title:** It should not exceed more than 2 (two) lines. (Bold in CAPITAL Letters).
7. **Author(s):** Minimum 1 (one) and Maximum 5 (five) Authors (only in exceptional case) will be permissible in a paper along with full address (Designation, Dept., College/University and State) with E-mail and Contact number.
8. **Article:** Article must contain an Abstract (not more than 100 words, in italic form).
9. **Keywords:** Minimum 4 and maximum 10 key words (italic form) are required.
10. **Introduction:** Not more than 250 words.
11. **Materials and Methods:** Not more than 250 words.
12. **Results & Discussion:** Not more than 300 words.
13. **Table/Graph/Chart/Figure:** Not more than 2 (two).
14. **Conclusion:** Not more than 150 words.
15. **Acknowledgements:** Not more than 50 words.
16. **References:** Not more than 10 in number in alphabetical series or according to number which must be depicted in the text like – 1, 2, 3, 4 …..containing Author(s) Name, Year, Title, Book, Journal, Volume, Page number. Please never write Websites/Google/Google scholar/Facebook/E-mails/Links/Ibid/Do/So etc.

Note: it is mandatory to follow all the above mentioned instruction, failing which the Manuscript/Article/Research paper will be automatically be rejected. No any argument will be entertained.

All the comments and suggestions are most welcome for the betterment of the Journal.

ISSN: 2456-4583
Volume 4 Issue 2 March 2020
Global Multidisciplinary Research Journal – A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Indexed: SJIR & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

Editor's Message

I hope that you all are safe and healthy in this Covid pandemic situation. To make this critical time at present we are passing through a very grave scenario in our human and social life. Some all great rishis and incarnations exhorted us to be our own lamp. Jesus Christ, Lord Rama, Lord Krishna, and rishi Valmiki in the remote past and sages like Dayanand Saraswati, Swami Vivekananda and a whole galaxy of spiritual personages that adorned the firmament of human history in the recent past enjoined on us the duty to peep into the inside of our spiritual being and seek help for our progress.

Every human being has unlimited potential for greatness, if only he would rivet his attention to his inner strength which lies dormant inside. We have to awaken that source of power and potential with our constant Endeavour by moving on the spiritual path. Rishi Valmiki was earlier a robber, but once he was guided to explore his hidden potential, and he moved in that direction, he came out as the greatest poet of the world. Similar was the case with Kalidas who became a man of literature par excellence when he was advised to understand his potential that was lying within him. Examples of such great personalities induce us to chart our search for our inner light since that alone will bring true bliss and usher in true progress which life has to offer. 'Be your own lamp' should thus be the eternal guiding principle for every one of us.

It is hoped that the journal will be of immense help, inter alia, to the teachers, researchers, planners, teacher educators and educational managers to improve their practices.

GMRJ Journal gives you the best guidance and reading material. It is up to you to make the best use of it for a bright success in any Research Work. Your positive response in t his regard and share it among your fraternity.

With best wishes for your brilliant success and bright future.

Sincerely Yours
Dr. Pankaj Kumar Mishra, Editor
Global Multidisciplinary Research Journal

ISSN: 2456-4583
Volume 4 Issue 2 March 2020
Global Multidisciplinary Research Journal – A Peer Reviewed/Refereed **Indexed: SJIR &** I2OR
Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches **SJIF Impact Factor:** 5.982

Advisory Board

Dr. S.R. Arya, Ex-Chairman, UPPSC, Allahabad (UP)
Dr. Anjuli Suhane, Assistant Director, IGNOU, New Delhi
Dr. Ajeet K. Rai, Department of Education, Banaras Hindu University, Varanasi (UP)
Dr. Ramesh Mishra, Associate Professor, Department of Political Science, Shyam Lal College, University of Delhi, Delhi
Dr. Rajshree, Associate Professor, Department of Education, D.D.M. (PG) College, Firozabad (UP)
Dr. Vinita Gupta, Principal, D.D.M. (PG) College, Firozabad (UP)
Dr. Shaharyar Ali, Associate Professor, Department of History, S.R.K. (PG) College, Firozabad (UP)
Dr. U.S. Pandey, Associate Professor, Department of Sociology, S.R.K. (PG) College, Firozabad (UP)
Dr. Rachna Sharma, Managing Editor, Utopia of Global Education an International Journal
Mr. Shabbir Umar, D.D.M. (PG) College, Firozabad

Editorial Board

Dr. Alok Kumar Pandey, Assistant Professor, Department of Education, AK College, Shikohabad, Firozabad (UP)
Dr. Saurabh Kumar, Assistant Professor, Department of Education, Regional Institute of Education, NCERT, Bhopal (MP)
Dr. Sasmita Kar, Assistant Professor, School of Education, Rama Devi Women's University, Bhuvneshwar, Odisha
Dr. S.B. Sharma, Dean, Faculty of Science, Motherhood University, Roorkee, Haridwar, Uttrakhand
Prof. Ashok Kumar Mishra, H.O.D., Department of Commerce, Mahatma Gandhi Kashi Vidhyapeeth University, Varanasi
Dr. Anita Sharma, H.O.D., Teacher Training Department, Atarra PG College, Atarra, District: Banda (UP)
Dr. Snehlata Chaturvedi, Associate Professor, Department of Education, A.K. College, Shikohabad, Firozabad (UP)
Dr. K.K. Bhardwaj, Department of Chemistry, Govt. (PG) College, Fatehabad, Agra (UP)
Dr. Anuroday Bajpai, Associate Professor & Head, Department of Political Science, Agra College, Agra
Dr. Sanjeev Kumar, Department of Mathematics, Dr. B.R. Ambedkar University, Agra (UP)
Dr. Sapna Sharma, Department of Education, Banasthali University, Banasthali, Rajasthan
Dr. Geeta Yadav, Assistant Professor, A.K. College, Shikohabad, Firozabad
Dr. Sanjay Kumar Upadhyay, Professor & Head, Department of Education, Maharana Pratap College, Mohania, Kaimur, Bihar 821101
Dr. Asha Singh, Assistant Professor, Department of Sanskrit, Govt. (PG) College, Fatehabad, Agra (UP)

ISSN: 2456-4583
Volume 4 Issue 2 March 2020
Indexed: SJIR & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP & OTHER PARTICULARS ABOUT JOURNAL

PLACE OF PUBLICATION	:	6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP), India
PERIODICITY OF PUBLICATION	:	Bi-Annual
PRINTER'S NATIONALITY & ADDRESS	:	**Victorious Publishers India** D-5, Ground Floor, Pandav Nagar, Near Shanti Nursing Home (Opposite Mother Dairy), Delhi-110092, India E-mail: victoriouspublishers12@gmail.com
EDITOR & PUBLISHER	:	Dr. Pankaj Kumar Mishra
NATIONALITY	:	Indian
ADDRESS	:	6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP), India

I, Pankaj Kumar Mishra, hereby declare that the particulars given above are true to the best of your knowledge and belief.

Sd. Dr. Pankaj Kumar Mishra
Editor

The view expressed by individual authors are their own and do not necessarily reflect the policies of the Advisory Committee, or the views of the editor.
No part of this publication may be reproduced, transmitted or disseminated; in amy form or by any means, without prior permission from the publisher.

ISSN: 2456-4583
Volume 4 Issue 2 March 2020
Global Multidisciplinary Research Journal – A Peer Reviewed/Refereed
Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Indexed: SJIR & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

Contents

Editor's Message **iv**

1. Dietary Pattern and Nutritional Status of School Going Children (5-12 Years) **1-7**
Dr. Kiran Singh

2. नागरिकता कानून पर गांधीवादी नजरिया **8–14**
डॉ. रमेश कुमार

3. प्राचीन भारतीय धर्मग्रंथ भागवतपुराण में पर्यावरण चेतना – एक ऐतिहासिक अध्ययन **15–18**
अविनाश कुमार

4. उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के मानक एवं उनकी सापेक्षिक क्रियाशीलता **19–25**
डॉ. कुसुम शर्मा

5. राष्ट्रीय एकीकरण में विभिन्न संगठनों की भूमिका **26–31**
डॉ. शुभलेश कुमारी

6. जानकी हरणम् महाकाव्य में प्रकृति चित्रण – एक परिशीलन **32–37**
डॉ. (श्रीमती) अनुपम शैरी

7. उच्च शिक्षा में समान शिक्षा के अवसरों की पहल **38–40**
डॉ. प्रदीप कुमार गुप्त

8. Artistic Representation of Folk and Tribal Art Elements by Indian Painters **41-47**
Dr. Jyoti Agnihotri

9. शिक्षा में अधिस्नातकोत्तर पर अनुसंधान की पद्धतियां विषय में दत्त विश्लेषण की सांख्यिकीय तकनीकों पर शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की प्रभावशीलता का अध्ययन **48–52**
डॉ. अशोक कुमार मोदी एवं पूजा रनकवात

10. आगरा जिले के परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का अध्ययन **53–59**
पूजा शर्मा

11. Mahasweta Devi's Draupadi: Voice of the Voiceless **60-63**
Dr. Neelam Srivastava

12. वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में समावेशी शिक्षा – महत्व एवं चुनौतियाँ **64–69**
डॉ. सरोज यादव

ISSN: 2456-4583
Volume 4 Issue 2 March 2020
Indexed: SJIR & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

13. हृदय के स्वास्थ्य में योग का योगदान **70–73**
डॉ. संगीता सिरोही

14. Nutritional Status of Adolescent Girls of Rural Areas of Mainpuri District **74-79**
Dr. Anita Singh

15. गाँधी और स्वदेशी **80–85**
डॉ. विभ्राट चन्द कौशिक

16. बिजनौर जनपद के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों का अध्ययन **86–92**
डॉ. सरोज बाला एवं ओमप्रकाश सिंह

17. माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन **93–99**
डॉ. कौशलेन्द्र कुमार

18. माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के फलस्वरूप शिक्षण कौशल पर प्रभाव का समीक्षात्मक अध्ययन (इटावा जिला के विशेष सन्दर्भ में) **100–106**
डॉ. फतेह बहादुर सिंह यादव

19. श्रीरामचरितमानस में निहित शैक्षिक विचारों का अध्ययन तथा वर्तमान शिक्षा में उसकी प्रासंगिकता **107–111**
डॉ. सरोज बाला एवं मनोज कुमार

20. Women Education **112-116**
Dr. Saroj Kumari

21. हाईस्कूल स्तर की छात्राओं की गणित के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन **117–124**
डॉ. सरोज बाला एवं धर्मपाल सिंह

22. सार्वभौमिक शिक्षा के सन्दर्भ में बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा की स्थिति **125–132**
डॉ. नीति

23. Metacognition VS. Cognition: An Analytical Study **133-140**
Dr. Sasmita Kar and Sukirti Kar

Subscription Page **141**

Global Multidisciplinary Research Journal
A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 2 March 2020 pp. 1-7

ISSN: 2456-4583
Indexed: SJIF & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

DIETARY PATTERN AND NUTRITIONAL STATUS OF SCHOOL GOING CHILDREN (5-12 YEARS)

Dr. Kiran Singh

Associate Professor, Faculty of Home Science, Smt. B.D. Jain Girls P.G. College, Agra

Received: 03 February 2020, **Revised:** 22 February 2020, **Accepted:** 24 February 2020

Abstract

Prosperity or poverty strength or weakness of our nation depend on the case with which children future citizens are brought up – Dr. Radhakrishnan. The school age period has been called the time the latent time of growth. The rate of growth slows and body changes occur gradually. Girls usually out distance boys by the latter part of this period. The slowed rate of growth during this period results in a gradual decline in the food requirement per unit of body weight. The present study was carried out in the Agra district due to easy accessibility were selected in the calories and school.

Keywords: *School going children, dietary guideline, BMI.*

INTRODUCTION

Protein energy malnutrition (PEM)is the most common nutritional problem in our country judged by growth failure almost 80% of rural children of poor socio-economic group are suffering from PEM (Gopalan et al., 1984) and the situation is not better in urban slums. These malnourished children have higher risk of mortality and those who survive have poor chances of optimum growth and development. Although by school age, children have established a particular pattern of meal intake. They continue to be affected by the influences of the peers and mass media. A proper well balanced diet, good eating habits, a good school lunch programmed combined with some amount of nutrition awareness goes a long way in improving the nutritional status. School days are among the most eventful periods in life. During the years from 7 to 10, boys and girls grow mature, become socially independent and expand their contracts and interests the kind of food children have during this period can do much to increase the quality of their living in general, as well their life expectancies. School children are better fed then pre-school children or adolescents because

group acceptance is present in them, the child needs to be able to keep up with his classmates have the sense of accomplishment. At the same time they are burdened by the heavy school work class competition and proneness to communicable disease. Nutrition during the ages of 5 to 12 is obviously and important component of child's growth and development. Getting your children to eat and select healthy foods is not a easy task, but the good news is that many children often mimie what their parents eat. The key is to become a role model for your children by adopting healthy eating habits yourself. If fruits, vegetables and unprocessed grains are a regular part of your diet, their children will fare more willing to select and eat those food willingly, particularly as they get older. School children are subject to many stresses which affect the appetite. Communicable diseases occur often in this age group. They reduce the appetite on the one hand, but the increase body needs on the other. School work, class competitions and emotional stresses in getting along with many children may have adverse effects on appetite, as may also an unbalanced program of activity and rest. School children have relatively few dislikes for food. By the time they reach 8 to 10 years of age. They develop a good appetite. Most children of this age are in a hurry and don't like to spend time for meals. Breakfast, especially, is skipped off by them, so parents should take care that a certain time be spent at the table say 15 to 20 minutes so that the child may take time to eat. Children learn good manners by imitation of adults and not by continuous correction at the table. If over emphasis is given on manners the food intake may be adversely affected.

Many of our school children consume inadequate diet and so they are malnourished. Malnutrition can due to poverty. When the child is in hurry to go to school, he may miss breakfast or may not carry proper lunch to school or may become too tired after school activities and sleep of without taking night meal and thus skip the meals. Emotional disturbance at school due to poor academic performance or problems with siblings at home many reflect on the consumption of food.

NUTRITIONAL REQUIREMENTS

The RDA of school children aged 6-12 years is given in Table 1.

Table 1: Recommended dietary allowances of school children

Years			
7-9	*10-12*		
Boys			*Girls*
Weight kg	26.9	35.4	31.5
Energy kcal	1950	2190	1970
Protein gm	41	54	57
Fat gm	25	22	22
Calcium mg	400	600	600
Iron mg	26	34	19
Vitamin A mcg	600	600	600

B carotene mcg	2400	2400	2400
Thiamine mg	1.0	1.1	1.0
Riboflavin mg	1.2	1.3	1.2
Nicotinic acid m	13	15	13
Pyridoxine mg	1.6	1.6	1.6
Ascorbic acid mg	40	40	40
Folic acid mcg	60	70	70
Vitamin B12 mcg	0.2-1	0.2-1	0.2-1

Nutritional requirements of boys and girls are more or less the same till the first 9 years. After that, there is a variation in some nutrients.

DIETARY GUIDELINES

1. Nutrition requirement should meet their increasing activity and growth and special requirement because of sickness or injury.
2. Children are generally restless and do not like to spend too much time at the table for eating. Besides, they feel rushed in the morning because they must reach their classes on time. So menus have to provide dishes that are quick to eat and yet satisfying nutritionally.
3. Children also tend to bored with foods easily. So menus need to provide variety in colour, texture, taste and flavor.
4. The climatic and weather extra liquids and salts are to be given because children do not like to drink plain water.
5. Children have varying appetites and often prefer snacky meals at frequent intervals to a few large ones.
6. New foods are likely to be accepted if it is given in a form which cab ne easily handled and they should be offered at regular intervals until the child learns to accept it.
7. The young child should be encouraged to eat with the rest of the family as he is ready to take the family meals and also because the interactions between family members are a part of normal development.
8. If the child does not like salads, they can be incorporated, in recipes like sandwiches.

OBJECT AND AIMS

A study to assess the nutritional status of school going children's (5-12 years).

To assess the dietary pattern of school going children's (5-12 years).

REVIEW OF LITERATURE

Vazir, et al. (1998), showed that the malnourished children attained developmental milestones at a later page. Development delay among the malnourished was especially observed in areas like

vision and fine motor activities, language and comprehension and personal social area. The delay was to extent of 7-11 months in these areas in different age groups. Paternal involvement with child cares especially, father spending time, telling stories and taking child for outing was found to be important for positive physiological development. Child's appetite, absence of health problems parental age and family having own house and electricity were the factors significantly related to better nutritional status of children. According to Vijayraghavan and Rao (1998), surveys indicate that the diets of the children's are inadequate and deficient in most of the nutrients. There is a widespread energy deficiency in the households and there were no perceptual changes in the diet and nutrient intakes during the past 20 years.

In a study of "risk factors in the occurrence of short stature of preschool children." Guimareaes et al. (1999), found the following variables are associated with preschool's children short stature, Mother's educational level, per capital family income, number of persons in the house, number of domestic equipment, birth length, mother's stature and father's stature.

Abidoye et al. (2000), in their study named "Health status of public primary school in Lagos state Nigeria "suggested that to address the malnutrition problem in these populations efforts should be aimed at increasing food availability and quality, personal and environmental hygienic, supply of basic amenities, prevention and treatment of infection and general living conditions of these populations."

Chunming (2000), in his study of "fat intake and nutritional status in China" indicated that the average fat intake of rural boys and girls aged 2-25 years was insufficient to meet the growth needs early childhood, ranging from approximately 16 per cent to 20 per cent of their total energy intake. In a 1991 dietary survey of Chinese boys < 6 years, stunting appeared to be linked with a low intake of protein and fat.

Urkiza et al. (2001), concluded that a poor diet affects the child population's nutritional status. Nutritional deficit favours the prevalence of childhood diseases that could be avoided by suitable feeding and hygienic. Because of lack of economic and health resources, prevention is the fundamental weapon for maintaining health in underdeveloped countries. Childhood nutritional status is influenced by diet, which in turn is influenced by physical, climatic, cultural and political factors and by stress, which is provoked by inflectional and parents behaviour. Nutritional status is clear reflection of the socioeconomic status of a given population.

METHODOLOGY

The present study of school going children 5-12 years of Agra district due to easy accessibility were selected in the colonies and school (New St. Stephen's Public School). To get information regarding the dietary pattern and nutritional status of 150 student were selected randomly from two school and colonies of Agra district 75 Boys and 75 Girls out of 150 sample were taken out randomly. Dependent variable like age of the subject were recorded as it was mentioned in their birth certificates. Both girls and boys were selected for study. Height were measured by using inches tape and weight were measured by weighing machine. BMI was calculated by using following formula. $BMI = Wt. (kg)/Ht.(m)^2$.

Independent variables like dietary pattern and nutritional status of school going children were taken as independent variables. A per forma was made together the informations by observed the sample to check children are getting proper nutrition or not. Finding were analyzed qualitatively in percentage and quantitatively whenever required.

RESULT AND DISCUSSIONS

The aim of study was to provide proper nutrition to school going children (5-12 years). The sample were selected from school going children among 3 age groups, i.e. 5-6 years, 7-9 years and 10-12 years total 150 sample were selected in which 50 per cent boys and 50 per cent girls.

22 per cent children were taking calories less than 1,000 kcal per day which is less than RDa, 73 per cent children were taking calories between 1000-1500 kcal per day which is also less than RDA while only 5 per cent children were taking calories between 1,500-2,000 kcal per day which almost similar to RDA.

21.33 per cent children were taking less than 30 gm protein per day, 75.33 children were taking protein between 30-50 gm. So protein intake of school going children were normal because they include protein and fat rich food in their diet.

7 per cent children were taking less than 20 gm fat per day which is less than RDA, 65 per cent childrenswere taking fat between 20-30 gm per day which similar to RDA and 28 per cent children were taking fat more than 30 gm which is higher than RDA.

8 per cent children were taking calcium less than 200 mg per day which is less than RDA and 86 per cent children were taking calcium between 200-800 mg per day which is almost similar to RDA and only 6 per cent children were taking higher calcium intake than RDA.

39 per cent Children were taking Vitamin A less than 200 mg per day which is less than RDA, 26 per cent children were taking Vitamin A between 200-800 mg per day which is almost similar RDA and 15 per cent children were taking Vitamin A more than 800 mg per day which is higher than RDA.

PERCENTAGE DISTRIBUTION OF CHILDREN'S ACCORDING TO HEIGHT

Height in cm	*No. of Children*	*Percentage*
91-100	11	7.3%
100-110	48	32%
111-120	22	14.9%
121-130	25	16.6%
131-140	25	16.6%
141-150	19	12.6%
Total	**150**	**100%**

47.33 per cent children wee having the weight between 11-20 kg 43.33 per cent children were having the weight between 21-30 kg 6.67 per cent children were having the weight between 31-40 kg 2.67 per cent children between 41-50 kg Distribution of children to body mass index was found 40 per cent children had less than 13.52 per cent 14-17 BMI were 52 per cent and 8 per cent children had more than 18 body mass index.

66 per cent of children were taking milk per day and 2 per cent children were taking milk alternate day and 10 per cent children were taking milk weekly and 12 per cent of children did not take milk. 15 per cent children were consume daily and 75 per cent children were consume pulses on alternate days and 10 per cent children were consume pulses weekly. 16 per cent children were consume green leafy vegetables daily. 72 per cent children were consume green leafy vegetables on alternate days and 12 per cent children were consume green leafy vegetables weekly. 13 per cent children were taking fruits daily and 20 per cent children were taking fruits on alternate days and 54 per cent children were taking fruits weekly and 10 per cent children were taking fruits once in 15 days and 3 per cent children were taking fruits once in a month. 22 per cent children were taking less than 1,000 kcal per day, 73 per cent children were taking calories between 1000-1500 kcal per day and about 5 per cent children were taking calories between 1500-2000 kcal per day. 21.33 per cent children were taking less than 30 gm protein per day, 75.33 per cent children were taking protein between 30-50 gm protein per day and 3.34 per cent of children were taking protein more than 50 gm per day.

It is advisable that these children should be provided energy rich (rich in carbohydrate and fat) mid day meal in their school so that the deficiency of energy in the diet may be corrected and protein may be spared and thus be available to fulfil growth needs of these children.

REFERENCES

Andrews, Helen Guthrie, *Introductory Nutrition*, 4th Edition, 1979, the C.V. Mosby Company.

Corinne H. Robinson, et al.; *Normal and Therapeutic Nutrition*; 16th Edition; Macmillan publishing company New York, Collier Macmillan Canada Inc. Toronto, Collier Macmillan Publisher, London.

Gosh, S. (1989). *Feeding and Care of Infant and Young Children*, 5th Edition Voluntary Health Association of India, New Delhi.

Khanna Kumud, *Textbook of Nutrition and Deities*, Phonix Publication House Pvt. Ltd,. New Delhi.

Moorthy, Gayatri, (1980). *Food and Nutrition*, Arya Publishing House, Karol Bagh, New Delhi.

Mohan, L.A. and Arlin, M.T. (1992). *Krause's Food, Nutrition and Diet Therapy*, 8th edition.

Mehrotra, Usha and Mrs. Baizal, Neeta, *Basics of Deities and Therapeutic Nutrition*, Published by Star Publication, Roadways Colony, Lohamandi, Agra.

Swaminathan, M., (1974). *Food and Nutrition*, Vol. I, Bangalore Printing Publishing Co. Ltd. No. 88 Mysore Road, Bangalore.

Williams, S.R., (1989), *Nutrition and Diet Therapy*, 6th ed. Times Mirror/Mosby College Publishing.

Yadav R. Jand & Sing P., (1999). *Nutritional Status and Dietary Intake in Childrens of Bihar*, Indian Predator 36 (1) pp. 37-42.

Gnana Sundram, S., (1999). *Formulation of Diet and Nutritious Recipes for Children*, 43, 4th Main Road, H.B. Colony, Kottugardens, Chennai.

Proc. Nutr, Soc., India, National Institute of Nutrition, Hyderabad.

Vijayraghavan, K., National Nutrition Programmes – Current Status, *Proc. Nutr. Soc.*, India.

Sri Lakshmi B., (2005). *Deities*, Fifth Edition, Anna Adarsh College for Women, Chennai.

ISSN: 2456-4583
Indexed: SJIF & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

Global Multidisciplinary Research Journal
A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 2 March 2020, pp. 8-14

Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

नागरिकता कानून पर गांधीवादी नजरिया

डॉ. रमेश कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र, श्यामलाल कॉलेज (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्राप्ति - 07 फरवरी 2020, **संशोधन** - 22 फरवरी 2020, **स्वीकृति** - 26 फरवरी 2020

सारांश

भारत का नागरिकता कानून 2019 सुर्खियों में है। नागरिकता के सिद्धान्त और विश्व तथा भारत में इसके विकास की एक अद्भुत कहानी है। इस कानून को लेकर लोगों का अलग-अलग नजरिया है। सत्ताधारी, विरोधी, बुद्धिजीवी, युवक, छात्र और अल्पसंख्यकों का विभिन्न दृष्टिकोण है। देश के महानगर से लेकर छोटे कस्बों तक इसके विरोध और समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। यह एक स्वत: स्फुटित और बहुत हद तक अहिंसक एवं एक गैर राजनीतिक आंदोलन है। यह लेख इसी पूरे प्रकरण को गांधीवादी नजरिए से लेखांकित करने का एक लघु अकादमिक प्रयास है।

मूल शब्द: नागरिकता, सी.ए.ए.-2019, एन.आर.सी., एन.पी.आर. शाहिनबाग

पिछले वर्ष, यानी 2019 के दौरान, समस्त भारत आन्दोलन ग्रस्त रहा। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में स्थित सभी राज्य और उनके अधिकांश शहर यहाँ तक कि कुछ कस्बे भी छोटे-बड़े अन्दोलन के केन्द्र बने रहे। यह आन्दोलन कभी मंदी, कभी महंगाई, कभी बेरोजगारी, कभी तीन तलाक, कभी कश्मीर से धारा 370, 35ए की समाप्ति तो कभी नागरिकता संशोधन कानून (सी.ए.ए., सी.ए.बी.), राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण (एन.आर.सी.) और फिर राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण यानी (एन.पी.आर.) को लेकर चलता रहा और बरकरार रहा। एक बार को तो ऐसा लगा कि नागरिकता संशोधन कानून ने लोगों को जैसे घर से बाहर निकलकर आंदोलन करने को मजबूर कर दिया। देश के अधिकतर अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, विश्वविद्यालयों, आई.आई.टी., आई.आई.एम. जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्र-छात्राएं विश्वविद्यालय के प्रांगणों में तथा उसके बाहर निकलकर कानून के खिलाफ अपना आक्रोश और आवेश व्यक्त करने लगे। अनेक शहरों और कस्बों में युवा आंदोलनकारियों का जनसैलाब देखने को मिला। इसका राष्ट्रीय समर्थन इतना व्यापक हो गया कि सभी सरकारी-गैरसरकारी मीडिया चैनलों पर दिखाया जाने लगा। राष्ट्रीय

नागरिकता विधेयक (सी.ए.बी.), राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन अधिनियम (सी.ए.ए.) राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण (एन.आर.सी.) और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण (एन.पी.आर.) इत्यादि पर जोर-जोर से चर्चा होने लगी। अखबारों में लेख और संपादकीय छपने लगे। इस नागरिकता कानून के विरुद्ध आंदोलन जोर पकड़ने लगा। इस छात्र के जन आन्दोलन में राजनेता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, रंगकर्मी और आमजन की भागीदारी भी बढ़ने लगी। इस आन्दोलन की सबसे बडी विशेषता रही कि यह कोई दलगत, जातिगत, भाषागत या क्षेत्रवत नहीं रहा।

नागरिकता कानून और नजरिया

यह अलग बात है कि नागरिकता कानून को लोगों ने अलग-अलग अपने सुविधाजनक नजरिए से देखने और व्याख्या करने की कोशिश की। उदाहरण के तौर पर सत्ताधारी और इनके समर्थक इस जन-आंदोलन को विपक्षी द्वारा उकसाया और उन्हीं लोगों के द्वारा निर्देशित आन्दोलन मानते हैं। इस आन्दोलन को मुसलमानों की ज्यादा भागेदारी के कारण इसे अल्पसंख्यक आन्दोलन भी बताया जाता है। प्रशासकगण इसे कानून व्यवस्था के कमी के कारण उपजी समस्या और इसका विकृत रूप बताने का प्रयास करते हैं। विपक्षी पार्टियाँ इसे सत्ताधारी पक्ष खासकर भाजपा के मोदी-अमित शाह की मुस्लिम विरोधी व हिन्दू राष्ट्र की स्थापना के लिए उठाया गया कानूनी कदम मानते हैं। धर्मनिरपेक्ष समूह इसे राष्ट्रीय जनआक्रोश की संज्ञा देते हैं। कानून विश्लेषक, संविधानविद और बुद्धिजीवीगण इस नागरिकता कानून को गैर-संवैधानिक और संविधान की बुनियादी ढाँचा के प्रतिकूल मानते हैं और इस आन्दोलन को संविधान की रक्षार्थ और राष्ट्रीय हित के सेवार्थ होने की दुहाई देते हैं। दक्षिणपंथी सत्ता पक्ष इस कानून को राष्ट्रहित में अवैध रूप से घुसकर रहने वाले घुसपैठिओं को निकलने वाले कानून के पक्ष में वकालत करते हैं। इसे आतंकवाद की समाप्ति, जनसंख्या का बोझ कम और रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी करने वाला कदम बताते हैं। तर्क जो भी हो और जितने भी हों लेकिन अधिनियम के प्रावधानों से एक बात तो स्पष्ट लगता है कि ये भेदभाव पूर्ण है। देश में रहने वाले सबसे बड़े अल्पसंख्यक और इस्लाम के अनुयायी के लिए यह कानून राजनीति अधिकारों से वंचित करने का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रयास है। विदेश यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थी हिन्दू, बुद्ध, जैन, सिख, पारसी और इसाई के लिए तो भारत में जगह बताई गई है, लेकिन मुसलमानों को इस सुविधा से वंचित रखा गया चाहे सताया गया अहमदिया ही क्यों न हो। इन्हीं और अन्य कारणों से पूर्वोत्तर के जनजाति और गैर जनजाति भी इस कानून से परेशान है। इनके अलावा भी नागरिकता कानून संबंधित विवाद के कई बड़े-बड़े मुद्दे भी हैं।

उदाहरण के तौर पर इस कानून में कोई साल, महीना तथा तिथि भी तय नहीं की गई है। प्रामाणिक और गैर प्रामाणिक दस्तावेज की सूची की भी घोषणा नहीं की गई है। अब तक के माने जानेवाली सरकारी दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, और वोटर पहचान पत्र को भी प्रामाणिक दस्तावेज की मान्यता नहीं दी गई है। इस पर कोई अंतिम निर्णय की घोषणा भी नहीं की गई है। दस जनवरी 2020 से सी.ए.ए. लागू भी कर दिया गया है। पूरा देश इस कानून पर सवाल खड़ा कर रहा है। इसकी कमियों को उजागर कर रहा है। पूर्वोत्तर राज्य के हिन्दू, मुसलमान और सभी संप्रदाय में गांधी के अंतिम जनआंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि यह उनके लिए एक यक्ष प्रश्न है। हर सम्प्रदाय का ग्रामीण व शहरी गरीब के पास दस्तावेज का सर्वथा अभाव है। न जमीन है, न जायदाद, न खाता, न खतिआन, न पूर्वजों का कोई घर और नहीं कोई प्रामाणिक पहचान है। पुराने दस्तावेज अमान्य हो गए। नए बनने मुश्किल हो गए। बेचारे दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। बाबू घुमा रहे हैं। अफसर काम नहीं कर रहे। भारी

अफरा–तफरी है। इससे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इस नए कानून के प्रावधान से नए प्रकार के भ्रष्टाचार को पनपने का अवसर पैदा हो रहा है। संक्षेप में व्यापक अराजकता है। यह एक राष्ट्रीय विपदा से कम नहीं। गरीब, ग्रामीण और गाँधी के अंतिम जन के लिए तो जीवन–मरण का प्रश्न है। बहुत ही पीड़ादायक है। लेकिन दूसरा पक्ष है कि दुनिया का कोई भी देश नागरिकता कानून के बगैर नहीं है। इतिहास कहता है कि किसी भी संगठित समूह के लिए नागरिकता आवश्यक है। सभी देशों में इस पर कानून बनाए जाते हैं और उसमें समय–समय पर संशोधन भी किए जाते हैं। भारत के वर्तमान संशोधित नागिरकता कानून भी उसी कड़ी का हिस्सा है। हाँ, यह दूसरी बात है कि इसमें विसंगितियाँ हैं, कमियां हैं, खामियां हैं। हो सकता है कि एक हद तक भेदभावपूर्ण भी हो, लेकिन सुधार की गुंजाइस है। न्यायालय में इसमें सुधार के लिए याचिका भी विचाराधीन है। न्यायालय का निर्णय अति प्रतिक्षित है। सरकार को भी खुले मंच से इस विधान में सुधार के विचार को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए ताकि इस कानून को अधिक से अधिक सहज और जन स्वीकार्य बनाया जा सके। विरोध का स्वर भी कम हो। लोग इसे सहज और सहर्ष स्वीकार कर सकें और कम से कम पीड़ादायक हो। इस नए नागरिकता कानून 2019 (सी.ए.ए. 2019) से जुड़े इन्हीं बिन्दुओं का विश्लेषण और सैद्धांतिक विवेचना ही इस लेख का मूल उद्देश्य है।

नागरिकता का सैद्धांतिक संदर्भ

नागरिकता राजनीतिशास्त्र और राजनीति का सदा से ही केन्द्रबिन्दु रहा है। नागरिकता का महत्व इतना है कि राजनीतिशास्त्र को नागरिकशास्त्र के नाम से भी जाना जाता रहा है। राजनीतिशास्त्र के जनक अरस्तू द्वारा रचित पुस्तक पॉलिटिक्स के बुक III (बॉक्रर द्वारा अनुवादित, 1958) में यूनान के नगर राज्यों में नागरिकता के सिद्धांत और व्यवहार का विस्तृत वर्णन है। यूनान के नगर राज्यों के शासन प्रशासन में केवल नागरिक ही भाग लेते थे। वे नीति निर्माण करते थे। नीतियों का कार्यान्वयन करते थे। न्याय करते थे। देश अथवा राज्यों की सेना पुलिस अथवा असैनिक सेवा में नागरिक ही भर्ती होते थे। नागरिकता एक प्रकार का विशेषाधिकार था। यूनान के नगर राज्यों में इसी वर्ग का प्रभाव था। वे पुरुष धनवान, विद्वान और बलवान वर्ग से थे। शेष दूसरे वर्ग के लोग मात्र दास थे, जो ज्यादातर सेवक थे और सभी अधिकारों से वंचित थे। नारी समाज भी सत्ता से दूर और नागरिकता के अधिकार से वंचित थी। विदेशियों को भी नागरिकता के दायरे से बाहर रखा गया था। संक्षेप में, ग्रीक यूनान के नगर राज्यों में नागरिकता बहुत थोड़े से धनवान, शिक्षित और कुलीन लोगों को ही प्राप्त था। यूनानी नगर राज्य में समाज असमानता पर आधारित था। उसके बाद रोमन साम्राज्य का युग आया। इस काल में सभी नगर राज्यों को मिलाकर एक विशाल रोमन साम्राज्य की स्थापना की गई। नागरिकता के क्षेत्र में बदलाव आया। नागरिकता के दायरे का भी थोड़ा विस्तार हुआ। विदेशी, दासों और महिलाओं को भी नागरिकता का दर्जा मिला। लेकिन ग्रीक रोमन युग के बाद नागरिकता की बात और अधिकार का प्रचलन विलुप्त–सा होने लगा। पूरे मध्य काल में सामंत, पोप और राज तंत्र के युग में नागरिकता जैसे समाप्त–सी ही हो चली। आधुनिक उदारवादी लोकतांत्रिका युग में इस अवधारणा का पुनर्उदय और नए सिरे से विकास हुआ। टी.एच. मार्शल ने अपनी पुस्तक सिटीजेनशिप एंड द सोशल क्लास (1965) में आधुनिक युग में नागरिकता के विकास को क्लास से जोड़ा है। मार्शल ने बताया है कि अठारहवीं शताब्दी में सबसे पहले सिविल राइट्स यानी नागरिकी अधिकार के रूप में नागरिकता के अधिकारों की शुरूआत हुई, फिर उन्नीसवीं शताब्दी में राजनीतिक और बीसवीं शताब्दी में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का विकास हुआ। यद्यपि उनके आलोचक अन्थोनी गिड्स ने मार्शल के नागरिकता सम्बन्धी विकास के तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। गिड्ज़ का मानना है कि नागरिकता का इतिहास इतना सरल और सीधा नहीं है जैसा कि मार्शल ने

प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इन पाश्चात्य विमर्श के साथ-साथ नागरिकता के विकास का भारतीय संदर्भ भी है। संक्षेप में इसका वर्णन भी आवश्यक है।

भारतीय संविधान और नागरिकता

भारत का संविधान एक लिखित, निर्मित और विकसित संविधान है। ग्रैनविल ऑस्टिन एक अमेरिकन इतिहासकार हैं जिन्होंने भारत के संविधान निर्माण और उसके कार्यान्वयन पर पुस्तकों की रचना की है। इनकी नजर में भारत का संविधान राष्ट्र की बुनियाद (Cornerstone) है। इसके पिछले पचास साल के कार्यान्वयन का अनुभव बताता है कि यह उत्तम ढंग से काम किया है। उम्मीद है आगे भी करता रहेगा। भारतीय संविधान इतना उत्तम है कि ऑस्टिन की नजर में दूसरा संविधान बनाने अथवा इस पर विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे विचार पर विराम लगाने की आवश्यकता है। नागरिकता का कानून भी तभी यानी संविधान लागू होने से अबतक यानी 71-72 वर्षों से सही काम कर रहा। यह दूसरी बात है कि इसमें यदा-कदा सामजिक और सामुदायिक हित में संवैधानिक सशोधन करने पड़े हैं। भारतीय संविधान में अब तक सैकडों से अधिक बार संशोधन हो चुके हैं और इसमें बदलाव लाए गए हैं। इन्हीं बदलाव और विकास के कारण प्रोफेसर निवेदिता मेनन ने भारतीय नागरिकता को एक सतत शांतिपूर्ण बदलाव (Passive Revolution) का परिणाम मानती हैं। शिवानी किंकर चौबे द्वारा रचित और के.बी सिंह द्वारा अनुवादित पुस्तक *भारतीय संविधान रचना एवं कार्य* में हमारे संविधान में नागरिकता के प्रावधानों का सिलसिलेवार वर्णन है। पुस्तक के अनुसार नागरिकता प्रदान करने के आमतौर पर दो तरीके होते हैं - (1) जांससौली यानी देश का कानून और (2) जोंस सैन्जयुनिस अर्थात रक्त संबंध मतलब स्वयं या बाप-माँ, दादा-दादी का जन्म इत्यादि। अमेरिका में कानून यानी जांसौली और इंग्लैंड में रक्त संबंध यानी जोंस सैन्जयुनिस नागरिकता का आधार है। जबकि भारत में नागरिकता देने में दोनों प्रकार के प्रावधान हैं। इतना ही नहीं भारत में नागरिकता के अनेकों प्रकार हैं, जो कि व्यक्ति, समुदाय, धार्मिक अल्पसंख्यक, जाति, जनजाति तथा वर्ग विशेष को है। भारत को विभाजन का सामना करना पड़ा और अफरातफरी में काफी बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान गए, वापस आए और फिर चले गए और उनके लिए कानून बने। इसके अलावा लोगों के जन्म तथा अन्य परिस्थितियों को देखते हुए विशेष देशी संदर्भ में नागरिकता सम्बन्धी कानून को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

भारत के संविधान के अनुसार सभी भारतीयों को एकल यानी सिंगल सिटीजनशिप का अधिकार मिला है। सभी केवल देश के नागरिक हैं, अपने प्रदेश के नहीं। संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 यानी 7 धाराओं में नागरिकता पाने और खोने की परिस्थितियों से जुड़े कानून का प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद 5 चार प्रकार के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है, जैसे - (क) जो संविधान लागू होते समय भारत के भू-भाग में निवास करता हो, (ख) भारत के राज्य सीमा में पैदा हुआ हो, (ग) जिसके माता-पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो और (घ) जो संविधान लागू होने से कम से कम पांच साल पहले से भारत के भू-भाग का सामान्य लगातार वासिन्दा हो। इस धारा में तो भूभागीय और रियासत को नागरिकता का आधार माना गया। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आए-गए लोगों के नागरिकता से जुड़े कानून की बात की गई है। इसके अनुसार पाकिस्तान से आने वाले उन तमाम लोगों को भारत का नागरिकता प्रदान करना अथवा मान लेना था। जिसके माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी 1935 के परिभाषित ब्रिटिश इंडिया और रियासत के भूभागीय क्षेत्र में पैदा हुए हों। इन प्रवासियों को दो भागों में बांटा गया था। पहला वे प्रवासी थे, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आ चुके थे। दूसरे वे लोग

थे जो 19 जुलाई 1948 के बाद लेकिन संविधान लागू होने से पहले भारत आ गए थे और 6 महीने से रह रहे थे। लेकिन ऐसे प्रवासियों को नागरिकता प्राप्त करने के लिए लिखित रूप में आवेदन करना था। अनुच्छेद 7 में भी पाकिस्तान से आए हुए लोगों के नागरिकता से ही संबंधित प्रावधान है। उदाहरण के तौर पर 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जा चुके लोगों को नागरिकता का अधिकार नहीं था, लेकिन वे स्थायी रूप से रहने के इरादे के साथ वापस अनुमति लेकर भारत लौट सकते थे और अपना पंजीकरण नागरिकता प्राप्ति के लिए करा सकते थे। इस विधि से भी नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। आगे अनुच्छेद 8 में विदेश में बस रहे भारतीयों के नागरिकता का कानून है। इस प्रावधान के अनुसार विदेश में रहने वाले उन समस्त भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता मिलने की बात है जिनके माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत परिभाषित क्षेत्र में जन्म लिए हों। लेकिन प्रवासियों के नागरिकता का तरीका अलग था। इन लोगों को उस देश के भारतीय दूतावास में राजदूत को आवेदन कर पंजीकरण करना पड़ता था। अनुच्छेद 9 में तो बस इतना ही है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश से नागरिकता ले लेते हैं, तो उनकी भारत की नागरिकता स्वत: और संविधानत: समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 10-11 में भारतीय नागरिकता के अधिनियम 1944 के संशोधन की बात भी है। इन धाराओं में (1) 26 जनवरी 1950 या उसके बाद पैदा होने वाले को जन्म के आधार पर नागरिकता, (2) 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर पैदा होने वाले को वंश के आधार पर नागरिकता, (3) प्रार्थना पंजीकरण द्वारा नागरिकता और (4) गोवा, पांडिचेरी और सिक्किम तथा अन्य क्षेत्रों के समाहित के कारण नागरिकता इत्यादि।

भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान और 1955 के अधिनियम को देखने से लगता है कि प्रावधान परिस्थितिमूलक है और समय-समय पर बदलता और विकसित होता रहता है। देश में विभाजन और पाकिस्तान निर्माण के बाद नागरिकता का कानून बना। फिर असम समझौता के पृष्टभूमि में 1966 और 1971 के दौरान भी बांग्लादेश बनने के बाद 1966-1971 के बीच असम में रहने और आने वाले के नागरिकता से जुड़े नए प्रावधान जोड़े गए। 1986 में नागरिकता कानून में संशोधन हुआ। फिर इक्कीसवीं सदी में नागरिकता कानून में बदलाव के प्रयास किए गए और खासकर तब जब देश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली पहली बार केंद्र में सरकार बनी और माननीय नरेन्द्र दामोदरदास मोदी प्रधान मंत्री बने। पहली पारी यानी 2014-19 के दौरान 2016 के जुलाई से ही 1955 वाले नागरिकता कानून में संशोधन विधेयक प्रस्ताव संसद में रखा जाने लगा। इस विधेयक पर विचार विमर्श होने लगा। तमाम संसदीय प्रक्रिया से गुजरने के बाद संयोगवश 16वीं लोक सभा भंग कर दिया गया। क्योंकि सोलहवीं लोक सभा का कार्यकाल समाप्त हो गया था। अब यह विधेयक लैप्स कर गया और इसे कानून का रूप देने के लिए दुबारा से प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत आ पड़ी। 2019 में सत्रहवीं लोक सभा का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी बार बनी। मोदी पुन: प्रधान मंत्री बने। पहले से चले आ रहे पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह को इस बार गृह मंत्री बनाया गया। अमित शाह ने अपना पद संभालते ही नागरिकता संशोधन बिल की कबायद शुरू कर दी। यह बिल 10 दिसम्बर 2019 को लोक सभा से पारित हुआ, 11 दिसम्बर 2019 को राज्य सभा से पास हुआ और 12 दिसम्बर 2019 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का इस पर दस्तखत भी हो गया। इस नागरिकता विधेयक को कानून अथवा अधिनियम का दर्जा प्रदान किया गया। इसी को देश और दुनिया में भारतीय नागरिकता अधिनियम, 2019 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के मुख्य-मुख्य प्रावधानों की चर्चा भी वांछनीय है।

इस अधिनियम के माध्यम से नागरिकता संशोधन कानून, 1955 में भी बदलाव लाया गया है। सर्वप्रथम तो इस 2019 के नागरिकता अधिनियम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 प्रकार के धर्मावलंवियों

(हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई) को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। दूसरी बात है की एक तिथि भी तय की गई है। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि जो 31 दिसम्बर 2014 से पूर्व या तक उपरोक्त वर्णित बाग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, इसाई या पारसी भारत भूमि पर आकर बस गए हैं, उन्हें बिना भेदभाव के भारत की नागरिकता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। तीसरी बात है कि रहने की समय सीमा भी घटाई गई है। पहले 11 वर्ष थी अब नए अधिनियम में इसे मात्र 5 वर्ष रखा गया है। यानी यदि इस श्रेणी के शरणार्थी यदि पांच वर्ष अर्थात मोदी जी के प्रधानमन्त्री बनने के बाद आए हैं, तो नागरिक बनने के योग्य हैं। चाहे उसके पास कोई कागजात हो या नहीं। चौथी बात है कि यह पूरे देश पर लागू नहीं होता। उत्तर-पूर्व के राज्य में खासकर असम के आदिवासी क्षेत्र, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और अरूणाचल प्रदेश में प्रभावी नहीं है। उत्तर-पूर्व के कुछ राज्यों में तो इनर लाइन परमिट का प्रावधान किया गया है। ताकि जनजाति समुदाय को संतुष्ट किया जा सके। उनके आदिवासी रिहायसी या कब्जे वाले इलाके में बगैर परमिट के कोई बाहरी लोग न आ सके। उनको रोकने का प्रावधान है। आगे घुसपैठियों की बात है। नागरिकता अधिनियम 2009 के अनुसार घुसपैठिए वे लोग हैं जो हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई के अलावा कहीं से भारत में आकर बगैर किसी सरकारी कागजात या डॉक्यूमेंट के बिना रह रहे हैं। ये लोग अवैध हैं। ऐसे लोग घुसपैठियों की श्रेणी में गिने जाएंगे। जरूरत पड़ने पर इनकी पहचान करने के लिए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एन.आर.सी.) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर) बनाया जाएगा। इसके बाद इन घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया सख्ती से शुरू की जाएगी।

इस नागरिकता कानून 2019 को एक ऐतिहासिक कानून माना जाता है। इसे एक क्रांतिकारी कानून भी कहा जाए तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। आधुनिक काल में उपजे आतंकवाद और गैरकानूनी रूप से देश में रहकर नुकसान पहुँचाने वाले घुसपैठियों को निष्कासित करने में यह कानून सहायक सिद्ध हो सकता है। यह भी संभव है कि असली भारतीय नागरिकों के लिए नौकरी और अन्य आय के अवसर में बढ़ोतरी हो जाए। गैर नागरिकों को बाहर निकल जाने से देश विरोधी गतिविधियाँ में कमी आ जाए। कानून व्यवस्था की चुनौतियाँ भी थोड़ी कम और हल्का हो सकता है। इन सब सकारात्मक परिणाम से संभव है कि भारत एक ज्यादा एकीकृत, ज्यादा मजबूत और ज्यादा शसक्त बनकर उभरे। यदि ऐसा हो, तो अति सुन्दर और अति सु:खद है।

लेकिन ऐसा होते दिखाई नहीं दे रहा। असम में इसके कार्यान्वयन का अनुभव खर्चीला रहा। फिर भी समुचित और समतामूलक साबित नहीं हो पाया। श्रीलंका से आए हिन्दू, तमिलियन और इसाइयों का भी ध्यान नहीं रखा गया। मुस्लिम और गैर मुस्लिम देशों से प्रताड़ित मुस्लिम और गैर मुस्लिम का भी ध्यान नहीं रखा गया। एक्ट के प्रावधानों से संभवत: लगता है कि यह केवल और केवल मुस्लिम विरोधी है। गरीब और अमीर मुसलमानों को येन केन प्रकारेण वंचित करने के लिए कानूनी पहल है। यही कारण रहा होगा कि एक्ट बनने के अगले दिन यानी 13 दिसम्बर 2019 से ही विश्वविद्यालयों में वैचारिक विरोध होने लगा। दिल्ली के जे.एन.यू. और जामिया-मिलिया में तो आन्दोलन का रूप लेने लगा। प्रगतिशील समाज, छात्र और बुद्धिजीवी इस आन्दोलन में कूद पड़े। तेजी से पूरे देश में फैल गया। अन्ना हजारे और निर्भया के समय के बाद यह एक नया सामाजिक और स्वस्फुटित आन्दोलन था। कोई नेता नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं और कोई क्षेत्र भी नहीं। यह एक अखिल भारतीय स्तर का आन्दोलन था, एक अहिंसक आन्दोलन। सरकार के एक कानून के खिलाफ सविनय अवज्ञा प्रकार का आन्दोलन था। यह एक अलग बात है कि सरकार और कुछ मीडिया ने इसे मुसलमानों का मुस्लिम के द्वारा और मुस्लिम हित के लिए चलाया गया आन्दोलन बताने का प्रयास किया। क्योंकि पूरे देश में ज्यादातर मुस्लिम

महिलाएं और बच्चों ने इसमें भाग लिया। कहीं सड़क, कहीं पार्क, कहीं प्रांगन, कहीं मस्जिद तो कहीं आन्दोलन के अधिकृत स्थानों पर आन्दोलनकारियों का जमावड़ा रहा। पुलिस प्रशासन का कड़ा रवैया और कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी आंदोलनकारी खुले मैदान में डटे रहे। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने भी आन्दोलन के मौलिक अधिकार को स्वीकार किया। लेकिन रास्ते से अलग हटकर आन्दोलन करने की बात कही। शाहीन बाग खाली करने की बात कही, हालांकि ऐसे-ऐसे कई शहरों के बाग में आन्दोलन चल रहा था। कोर्ट में तारीख पर तारीख मिल रही थी। सरकार और आन्दोलनकारी आमने-सामने थे। डोनाल्ड ट्रम्प के आने तक नागरिकता कानून विरोधी आन्दोलन अपने सबाब पर था। सरकार भी अपनी तरफ से सफाई पेश कर रही थी। मुद्दा इतना गरम था कि ट्रम्प को भी अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और मोदी सरकार को इस समस्या के समाधान निकालने की सलाह दी गई। शायद सरकार कोर्ट और आन्दोलनकारी के बीच कोई रास्ता निकालता कि अचानक कोरोनावायरस का संकट आ गया। सभी मुद्दे गौण पड़ गए। करीब तीन महीने (15 दिसम्बर 2019 से 20 मार्च 2020) से मजबूती से चल रहा नागरिकता विरोधी आन्दोलन का कोरोना के कारण अंत हो गया। यह भी हो सकता है कि विराम हो। कोरोना संकट के अंत होने के बाद यह आन्दोलन का अंत होता है या इसका पुनः शुरुआत होता है, यह तो वक्त ही बता पाएगा। इस आन्दोलन पर कोई निष्कर्ष निकालना शायद अभी जल्दबाजी होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. आस्टिन, ग्रैनविल, (1999). *वार्किंग ए डेमोक्रेटिक कांस्टीट्यूशन द इंडियन एक्सपिरियंश*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
2. बार्कर, अर्नेस्ट, (1958). द *पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू यार्क।
3. चौबे, शिवानी किंकर, (2011). *भारतीय संविधान रचना एवं कार्य*, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली।
4. जयाल, नीरजा गोपाल (2013). *सिटीजनशिप एंड इट्स डिस्कंटेंटस*, हावर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन।
5. मार्शल, टी.एच. (1965). *सिटीजनशिप एंड शोसल क्लास*, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज।
6. मेनन, निवेदिता, (1958). सिटीजनशिप एंड द पेसिव रिवोल्यूशन, राजीव भार्गव द्वारा संपादित *पॉलिटिक्स एंड एथिक्स ऑफ द इंडियन कांस्टीट्यूशन* नामक पुस्तक में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
7. रोद्रिगुएस, वेलेरियन उपरोक्त, वही (2008). *सिटीजनशिप एंड द इंडियन कांस्टीट्यूशन।*

ISSN: 2456-4583
Indexed: SJIR & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.892

Global Multidisciplinary Research Journal
A Peer ReviewedèRefereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 2 March 2020, pp. 15-18

Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

प्राचीन भारतीय धर्मग्रंथ भागवतपुराण में पर्यावरण चेतना - एक ऐतिहासिक अध्ययन

अविनाश कुमार
शोधार्थी (इतिहास विभाग), बी.आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार

प्राप्ति - 01 फरवरी, 2020; **संशोधन** - 12 फरवरी, 2020; **स्वीकृति** - 21 फरवरी, 2020

सारांश

आदिकाल से ही मानव अन्य जीव-जन्तुओं की अपेक्षा अपनी प्राकृतिक शक्ति एवं विशिष्टता को समझने में लगा है। वह अपने उत्पत्ति के रहस्यों के साथ-ही-साथ प्राकृतिक रहस्यों को जानने का भी प्रयास करता आ रहा है। विश्व के समस्त धर्मो में ही नहीं, अपितु विज्ञान, कला एवं साहित्य आदि विधाओं में भी जीव, जगत् और मानव की उत्पत्ति एवं विकास पर प्रारम्भ से ही गहन चिन्तन, मनन एवं अध्ययन किया जा रहा है। इतिहास को समस्त विषयों का 'सार' कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें समस्त विधायें समाहित हैं। लगभग विश्व के सभी धर्म जीव की उत्पत्ति का मूल कारण ईश्वर को मानते हैं, जो मूलतः कोई अदृश्य पारलौकिक सत्ता न होकर प्रकृति ही है। प्रकृति ही समस्त भौतिक जगत की उत्पत्ति का मूल कारण है। इतिहास का मूल विषय इन्हीं भौतिक कारकों में उत्पन्न हुए मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इस प्रकार इतिहास अतीत के कृत्यों का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन है। साथ-ही-साथ प्रकृति प्रदत्त सर्वाधिक अमूल्य निधि मानव के उत्पत्ति, विकास, क्रियाकलाप, उत्थान एवं पतन का क्रमबद्ध अध्ययन भी करता है। भारतीय धर्मग्रंथों में प्रत्यक्षतः पर्यावरण चेतना पर विशेष ध्यान दिया गया है।

मूल शब्दः प्रकृति, पर्यावरण चेतना, सजीव एवं निर्जीव

प्रस्तावना

इतिहास निरन्तर चलने वाली वह अनवरत प्रक्रिया है, जिसमें वर्तमान में घटित समस्त घटनाएँ भूतकाल में पहुँचते ही इतिहास की विषयवस्तु बन जाती है। इतिहास देश और काल की सीमा में आबद्ध होता है तथा देश एवं काल का एक प्राकृतिक परिवेश होता है। प्रकृति एवं पर्यावरण के दायरे में सिमटकर ही घटनाएँ निरन्तर इतिहास की विषयवस्तु बनती रहती है। अतः यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, जो प्रकृति एवं पर्यावरण से इतर नहीं

होती है। विकास–ह्रास, उन्नत–अवनत, उत्थान–पतन, प्रकृति के शाश्वत नियम हैं, जिसमें निहित तथ्य ही इतिहास के निर्माण में सहायक होती है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक महत्वपूर्ण घटना है। प्रकृति एवं पर्यावरण ही इसका मुख्य उत्तरदायी कारक है। मानव समस्त प्राणियों में सर्वाधिक बुद्धिजीवी के रूप में स्वीकार किया गया है। बुद्धिमता से उसने अपनी भूतकालीन घटित घटनाओं को पिरोने के लिए इतिहास रूपी वृक्ष को रोपण करने हेतु उत्प्रेरित किया है, किन्तु कालान्तर में इसी बुद्धिमता ने पर्यावरण संबंधी तत्वों के अतिशय दोहन एवं विदोहन से उसे क्षत–विक्षत कर दिया, जिसका परिणाम वर्तमान समय में पर्यावरणीय समस्याओं के रूप में परिलक्षित होता है।

'पर्यावरण' शब्द 'परि' उपसर्ग के साथ 'आवरण' शब्द के संयोग से बना है। 'परि' का अर्थ चारों ओर और आवरण का अर्थ आच्छादन या घेरा है। इस प्रकार पर्यावरण (आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, वनस्पति, पेड़–पौधे, वन्यजीव, प्रकाश, नदी, तालाब, झील, समुद्र, पशु–पक्षी, पर्वत, पहाड़, जीव–जन्तु, मनुष्य आदि) का समुच्चय है। ए.एन. पुरोहित के अनुसार "पर्यावरण विभिन्न आत्मनिर्भर घटकों – सजीव एवं निर्जीव के मध्य सामंजस्य एवं पूर्णता (प्रकृति) की अवधारणा है।" मनुष्य अन्य जीव–जन्तुओं की अपेक्षा सर्वाधिक सजग एवं चिन्तनशील प्राणी है। इस चिन्तनशीलता ने मानव को पर्यावरण की सुरक्षा हेतु उत्प्रेरित किया।

जब मानव ने प्रकृति के उपादानों का अन्धाधुन्ध शोषण प्रारम्भ कर दिया, तब प्रकृति भी क्षुब्ध होकर अनेक रूपों में मानव को दण्ड देने लगी। पर्यावरण चेतना ही प्रकृति पूजा का स्थायी भाव है। जब पर्यावरण चेतना विकसित रहेगी तब मानव जीवन प्राकृतिक होगा, जो स्वास्थ्य का मूल आधार है। पुराण और पर्यावरण में निकट का संबंध है। पुराणों में प्राकृतिक उपादान के अनेकों वर्णन प्राप्त होते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि जब हम विपत्ति में पड़ते हैं, तब हम अपने वरिष्ठों/पुराणकथाओं/प्राचीन ग्रन्थों से समाधान का मार्ग जानने का प्रयास करते हैं। दूषित पर्यावरण आज मानव एवं पृथ्वी के अन्य जीव–जन्तु, पादप के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जिस पर्यावरण संरक्षण के लिए आज का आधुनिक मानव जागरूक हो रहा है, उस पर्यावरण को दूषित करने का कार्य भी उसी ने किया। पर्यावरण संरक्षण की भावना तो हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों में आदि काल से ही चली आ रही है। पर्यावरण संरक्षण में मुख्य रूप से प्रकृति प्राकृतिक संसाधन आते हैं, जो धीरे–धीरे हमारे अज्ञान और उपयोग के कारण दुर्लभ होते जा रहे हैं अथवा जिन्हें हम असभ्य क्रियाकलापों से दूषित करते जा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों के क्षय की प्रक्रिया यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब उनका संरक्षण मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक हो गया है।

भारतीय इतिहास के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परम्पराओं की जानकारी के लिए पुराणों का अध्ययन–अनुशीलन आवश्यक है। भारतीय ज्ञान–विज्ञान के अध्ययन हेतु वेद, ब्राह्मण ग्रन्थों आरण्यकों, उपनिषदों एवं महाकाव्यों का जितना महत्व है, उतना ही पुराणों का भी है। पुराण तो एक प्रकार से ज्ञान–विज्ञान के कोश हैं। इन्हें प्राचीन इतिहास का भण्डार कहा जा सकता है। मानव समाज का इतिहास तभी सम्पूर्ण माना जा सकता है, जब इसकी कहानी सृष्टि के आरम्भ से लेकर वर्तमान काल तक क्रमबद्ध रूप से दी जाए, जो पुराणों में उपलब्ध है। पुराण का प्रारम्भ होता है सर्ग (सृष्टि) से और अन्त होता है प्रतिसर्ग (प्रलय) से।

पर्यावरण की मूल इकाई प्रकृति है। जब मानव ने प्रकृति के उपादानों का अन्धाधुन्ध शोषण प्रारम्भ कर दिया, तब प्रकृति भी क्षुब्ध होकर अनेक रूपों में मानव को दण्ड देने लगी। पुराण और पर्यावरण का निकट का संबंध है। पुराणों में प्राकृतिक उपादान भरे पड़े हैं। भगवान विष्णु को जलशाही कहा गया है। जल भगवान विष्णु का मूर्तरूप है। जल से ही पर्वत और समुद्रादि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई है। जल की शुचिता बहुत आवश्यक है, क्योंकि वह विष्णु स्वरूप है। भगवान विष्णु ने यमुना को कालिया नाग की विषाग्नि से प्रदूषित देखा। इस प्रदूषण का प्रभाव था कि यमुना दूषित हो गई और इनका जल, मनुष्यों और पशुओं के पीने

योग्य नहीं रह गया। भगवान श्रीकृष्ण के प्रयासों से कालिया नाग यमुना छोड़ समुद्र में चला गया। पुराणों में वृक्ष मानव के रूप में वर्णित है। वृक्षों से उत्पन्न हुई सुन्दर वर्ण वाली मारिषा नाम की कन्या की चर्चा का उल्लेख हुआ है। विष्णु को ब्रह्मस्वरूप महावृक्ष कहा गया है। यहाँ पर वृक्ष हमारी पर्यावरण के सन्निकट है। पशुओं का शोषण कर मानव कभी सुख से नहीं रह सकता। भगवान कृष्ण गायों तथा बछड़ों का कष्ट सहन नहीं कर पाए। इन्द्र के कहने पर मेघों ने गोकुल पर मूसलाधार बारिश कर दी, जिससे गायें मुर्च्छित होने लगीं। वे अपने बछड़ों को किसी प्रकार छिपाए खड़ी रही। बछड़े कृष्ण से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर गोकुल की रक्षा की। यहाँ गौ माता का सुन्दर विवरण मिलता है। 'भागवतपुराण में वृक्षों, नदियों, पर्वतों का सुन्दर चित्रण किया गया है। भागवतपुराण में वर्णन है कि यह खण्ड अपने से दस गुने जल में आवृत्त है और जल का आवरण अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से और वायु, आकाश से परिवेष्ठित है। इससे स्पष्ट होता है कि जल, वायु व अग्नि का कितना महत्व मनुष्य के जीवन में है। स्वास्थ्य तथा प्रगति का मूलमंत्र मानकर इन्हें प्रदूषित न किया जाए।' भागवतपुराण प्रदूषण को समाप्त करने का अच्छा साधन है। भागवतपुराण में उल्लेख है कि, 'जो जितेन्द्रिय दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ, और काम की हानि नहीं होती। जो विद्या विनय-सम्पन्न, सदाचारी पुरुष पापी के प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अन्तःकरण मैत्री से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति को प्राप्त करता है।'

भागवतपुराण में प्रकृति के परमतत्व के दर्शन करते हैं। पृथ्वी, पर्वत, नदियाँ, नक्षत्र, वृक्ष व समस्त प्राणी ये सब विराट पुरुष के अंग ही हैं। कवि हृदय ने प्रकृति के रुद्र रूप में सर्वशक्तिमान की भू-भंगिता और पूर्ण प्रफुल्लित पुष्प में परमतत्व की मृदुमुस्कान के दर्शन किए हैं। प्रकृति विश्वात्मा के दर्शन का माध्यम बनकर मानव को उत्साहित व प्रभावित करती है। पूजा, अर्चना तथा तीर्थ-सेवन आदि का भी उद्देश्य यही है कि व्यक्ति चराचर जगत में आत्मा रूप में स्थित उस भगवान का ही दर्शन करे। नदी व तीर्थ के साथ आध्यात्म व ज्ञान का भाव जुड़ा हुआ है। यह भागवतपुराण में सर्वत्र परिलक्षित है। 'नदी-स्नान एवं तीर्थ-सेवन' अहं के विसर्जन तथा जन-मन के साथ जुड़ने के लिए बहुत ही आवश्यक है, ऐसा संदेश सर्वत्र मिलता है। नदियों को ही नहीं सागर को ही पर्याप्त गौरव दिया गया है। समुद्र में रसायन, औषधीय द्रव्य, धातुएं सभी कुछ निहित हैं, फिर भी उसका अभाव अथाह, अपार, असीम है। प्रत्येक परिस्थिति में वह सर्वदा प्रसन्न व गम्भीर है।

उपसंहार

भागवतपुराण में सन्निहित पर्यावरण चेतना की यथार्थ प्रतीति होती है। वस्तुतः पर्यावरण केवल आज के युग में ही प्रदूषित नहीं रहा है। अपितु प्राचीन काल में ही यह प्रदूषित होता रहा है। कालियामर्दन और समुद्रमंथन प्रभृति इसके निदर्शन हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि शुद्ध पर्यावरण अथवा दूषित पर्यावरण किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष को प्रभावित नहीं करता है। यही कारण है कि शत्रु-मित्र का भाव त्यागकर देवों और दैत्य-दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। श्रीमद्भागवत की पर्यावरण चेतना का संदेह है कि सबको मिलकर पर्यावरण प्रदूषण के निवारण का उद्योग करना चाहिए। यदि सभी स्तरों पर सबसे अन्दर यह भाव जागृत हो जाए, तो प्रथमतः पर्यावरण का प्रदूषण कम हो जाएगा और द्वितीयतः उस प्रदूषण का निवारण करना आसान हो जाएगा। पर्यावरण बोध को जन-जन तक पहुँचाने के लिए धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था सर्वाधिक सशक्त रहा है। भागवतपुराण में विष्णु को यज्ञपति, यज्ञ, पुरुष माना गया है। देवी-देवताओं के साथ अनेक पशु-पक्षियों को सम्बद्ध कर उनकी महिमा को उल्लेखनीय

वर्णन किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि पशु–पक्षी का पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। जीव–जन्तुओं को धार्मिक संरक्षण प्रदान किया गया है। विभिन्न पशु–पक्षियों एवं जीव–जन्तुओं को देवी–देवताओं का वाहन माना गया है, को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। भागवतपुराण में वर्णित परम्परागत संस्कार, व्रत, अनुष्ठान, पूजा पद्धति, विविध पर्व एवं लोकजीवन की समस्त क्रियाओं में पर्यावरण संरक्षण की व्यापक चेतना अन्तर्निहित है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

भागवतपुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर, 1969

पं. श्रीराम आचार्य, *भागवतपुराण,* शर्मा, संस्कृति संस्थान, बरेली

रामायण (वाल्मीकि), *गीता प्रेस,* गोरखपुर, 2003, सम्वत् 2060

दुबे डॉ. हरि नारायण, *भारतीय संस्कृति,* शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2004

रस्तोगी, डॉ. वन्दना, *प्राचीन भारत में पर्यावरण–चिन्तन,* पब्लिकेशन स्कीम, जयपुर, 2000

सिंह, डॉ. अमरनाथ एवं सिंह, डॉ. वन्दना, *पर्यावरण शिक्षा एवं पर्यावरण विधि,* अमर पब्लिकेशन्स, वाराणसी, प्र. सं. 2001, द्वि. सं. 2002

डॉ. हरिनारायण दूबे, *भारत की प्रारम्भिक संस्कृतियां एवं सभ्यताएं,* शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद, 2005, पृष्ठ 7

नित्यानन्द मिश्र, शिवचरण पाण्डेय, *पर्यावरण संस्कृति प्रदूषण एवं संरक्षण,* श्री अल्मोड़ा बुक डिपो, अल्मोड़ा, 1998, पृष्ठ 15

दिनेश चन्द्र, *प्राचीन भारतीय अभिलेख : ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष,* प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, 2007, पृष्ठ 14

रमेश चन्द्र मजूमदार, *प्राचीन भारत,* मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली, 2002, पृष्ठ 83

के.ए. नीलकण्ठ शास्त्री, *नन्द–मौर्य युगीन भारत,* मोतीलाल बनारसी दास दिल्ली, 2000, पृष्ठ 185

वासुदेव शरण अग्रवाल, *भारतीय कला,* पृथिवी प्रकाशन वाराणसी, पंचम पुनर्मुद्रण, 2007, पृष्ठ 116

राजवन्त राव ओम जी उपाध्याय, *भारत में कृषि एवं कृषक समुदाय : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य,* प्रतिभा प्रकाशन दिल्ली, 2010, पृष्ठ 202

कल्याण, गीताप्रेस, गोरखपुर

आस्था मासिक पत्रिका, कामर्शियल काम्पलेक्स, मुखर्जी नगर, दिल्ली, जुलाई, 2004

ISSN: 2456-4583
Indexed: SJIF & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

Global Multidisciplinary Research Journal
A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 2 March 2020, pp. 19-25

Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के मानक एवं उनकी सापेक्षिक क्रियाशीलता

डॉ. कुसुम शर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग (बी.एड.), श्रीमती बी.डी. जैन कन्या महाविद्यालय, आगरा

प्राप्ति - 12 जनवरी, 2020, **संशोधन** - 10 फरवरी 2020, **स्वीकृति** - 24 फरवरी 2020

सारांश

48 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 01 केन्द्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के 135 संस्थानों, 386 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित 5 संस्थानों, 14 राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों, 327 राज्य निजी विश्वविद्यालयों, 01 राज्य निजी मुक्त विश्वविद्यालयों 126 डीम्ड विश्वविद्यालयों, 42,343 महाविद्यालयों, 11,779 स्टैण्ड एलोन संस्थानों से मुक्त भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक है। 196 लाख छात्र तथा 189 लाख छात्राएं उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं। संख्यात्मक रूप से भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली ने नई ऊँचाइयों को छुआ है, लेकिन पहुँच, समता, गुणवत्ता और उत्कृष्टता जैसे मानकों पर भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली खरी नहीं उतरती। उच्च शिक्षा में पहुँच का आकलन सकल नामांकन अनुपात से होता है। वर्ष 2019-20 में भारत में नामांकन अनुपात 27.1 प्रतिशत है। सकल नामांकन अनुपात की गणना 18-23 वर्ष आयु वर्ग के उन व्यक्तियों के रूप में की जाती है, जो उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं। महिलाओं के मामले में सकल नामांकन अनुपात 27.3 प्रतिशत तथा पुरुषों के लिए 26.9 प्रतिशत है। भारतीय शिक्षा प्रणाली समतामूलक भी नहीं है। सभी वर्गों के लिए सकल नामांकन अनुपात जहाँ 27.1 प्रतिशत है, वहीं अनुसूचित जातियों के लिए 23.4 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 18.0 प्रतिशत ही है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए सकल नामांकन 27.3 प्रतिशत के सापेक्ष अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 24.1 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 17.7 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति के पुरुषों में सकल नामांकन अनुपात 22.8 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के पुरुषों में सकल नामांकन अनुपात 18.2 प्रतिशत है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली की एक प्रमुख समस्या गुणात्मक स्तर पर इसका स्तरहीन होना है। आई.आई.टी., आई.आई.एम., जैसे कतिपय प्रतिष्ठानों तथा निजी क्षेत्र के कतिपय अन्य संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को यदि छोड़ दिया जाए, तो अन्य शिक्षण संस्थान गुणवत्ता मुक्त शिक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की अवधारणा का सम्बन्ध एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के सृजन और विकास से है, जो देश की सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं के सन्दर्भ में ऐसी मानव शक्ति को सृजित कर सके, जो ज्ञान और कौशल से न केवल स्वयं का विकास करने में सहायक हो, वरन् सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षाओं पर खरी उतरे। इस दृष्टि से रोनाल्ड बर्नेट की निम्नलिखित कसौटियों पर विचार किया जाना प्रासंगिक है।[1]

योग्य मानव संसाधनों के सृजन के साधन के रूप में उच्च शिक्षा

इस दृष्टिकोण के अनुसार उच्च शिक्षा एक प्रक्रिया है, जिसमें विद्यार्थियों को श्रम बाजार में आत्मसात हो जाने वाले एक 'उत्पाद' के रूप में माना जाता है। इस प्रकार व्यवसाय एवं उद्योग की संवृद्धि और विकास के लिए उच्च शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत हो जाती है।

अनुसंधान जीवन-वृत्ति हेतु प्रशिक्षण के रूप में उच्च शिक्षा

इस दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान की विभिन्न सीमाओं के सतत् विकास में योगदान देने वाले योग्य वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्त्ताओं की तैयारी के रूप में उच्च शिक्षा को समझा जाता है। इस दृष्टिकोण में गुणवत्ता को गुणात्मक अनुसंधान करने के लिए अकादमिक कठिनाई, सम्प्रेषण और अनुसंधान प्रकाशन पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

शिक्षा प्रावधानों के दक्ष प्रबन्धन के रूप में उच्च शिक्षा

अधिकांश लोग दृढ़तापूर्वक यह विश्वास करते हैं कि शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण एक केन्द्रक है। इसलिए उच्च शिक्षा के संस्थानों को विद्यार्थियों के भीतर एक उच्च पूर्णता उत्पन्न करने के लिए शिक्षण की गुणवत्ता के प्रोन्नयन हेतु शिक्षण और सीखने के प्रावधानों के दक्ष प्रबन्धन पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए।

जीवन के अवसरों के विस्तार के रूप में उच्च शिक्षा

इस दृष्टिकोण के अनुसार एक लोचपूर्ण सतत् शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास प्रक्रिया में सहभागिता हेतु अवसर प्रदान करने वाले उपागम के रूप में उच्च शिक्षा को समझा जाता है।

उच्च शिक्षा की उपर्युक्त चारों अवधारणाएँ एकान्तिक नहीं है, वरन् समन्वित है और उच्च शिक्षा का ऐसा समग्र चित्रण प्रस्तुत करती है जो यह बताता है कि इसमें उच्च क्या है? महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की गतिविधियों पर दृष्टि डालें तो ज्ञात होता है कि शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार उच्च शिक्षा के तीन प्रमुख कार्य हैं। इन तीनों में से किसी एक या सभी में यदि गुणवत्ता पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता, तो ऐसी उच्च शिक्षा समाज और राष्ट्र के लिए हितकर नहीं होती। इक्कीसवीं शताब्दी में शिक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की (Learning: The treasure within" (जिसे डेलर्स आयोग के रूप में जाना जाता है) ने शिक्षा के चार स्तम्भों पर बल दिया है–[2]

1. जानने के लिए सीखना,
2. करने के लिए सीखना,
3. एक साथ रहने के लिए सीखना, और
4. होने के लिए सीखना।

उच्च शिक्षा व्यक्तियों और समाज में उपर्युक्त चारों को ही सिखाने का प्रयास करती है तथापि डेलर्स आयोग ने उच्च शिक्षा के निम्नलिखित चार कार्य बताए हैं।[3]

1. विद्यार्थियों को अनुसंधान एवं शिक्षण हेतु तैयार करना।

2. आर्थिक और सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च विशिष्टीकृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करना।
3. सभी के लिए उच्च शिक्षा के दरवाजे खोलना ताकि वृहत्तर रूप में जीवनपर्यन्त शिक्षा के अनेक पहलुओं पर ध्यान दिया जा सके।
4. अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, नेटवर्किंग के अन्तर्राष्ट्रीयकरण तथा व्यक्तियों और वैज्ञानिक विचारों के स्वतंत्र परिचालन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना।

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के सन्दर्भ में कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित विचारों पर दृष्टिपात करना समीचीन होगा।[4]

1. सत्य की खोज में प्रबल भयरहित तरीके से लगकर नए ज्ञान को प्राप्त और समवर्द्धित करना तथा नवीन आवश्यकताओं और खोजों के आलोक में पुरातन ज्ञान और विश्वासों की व्याख्या करना।
2. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उचित प्रकार का नेतृत्व प्रदान करना, प्रतिभाशाली युवाओं को चिह्नित करके उनमें भौतिक उपयुक्तता के परीक्षण द्वारा उनकी मानसिक शक्ति के विकास तथा उचित हितों – मनोवृत्तियों, नैतिकता और बौद्धिक मूल्यों द्वारा उनकी पूर्ण संभाव्यता विकसित करने के लिए सहायता करना।
3. कृषि, कला, चिकित्सा, विज्ञान और प्रौद्योगिक तथा अन्य पेशों में प्रशिक्षित, योग्य और दक्ष पुरुषों एवं महिलाओं को समाज को प्रदान करना ताकि वे सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने में अपना योगदान दे सकें।
4. शिक्षा के प्रसार और विस्तार द्वारा गुणवत्ता और सामाजिक न्याय के प्रोन्नयन हेतु प्रयास करना तथा सामाजिक और सांस्कृतिक मतभेदों को कम करना।
5. व्यक्तियों एवं समाज में एक अच्छा जीवन विकसित करने के लिए आवश्यक मनोवृत्तियों और मूल्यों को अध्यापकों और विद्यार्थियों में उत्पन्न करना।

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की अवधारणा

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता मूलक अवधारणा वाद–विवाद का एक प्रमुख केन्द्रक रही है। कुछ लोगों के लिए यह एक सुन्दरता है जो देखने वालों की आँखों में दृष्टिगोचर होती रहती है, जो इसमें विश्वास रखते हैं, वे यथार्थवादी हैं और जो यह विश्वास रखते हैं कि गुणवत्ता कतिपय लक्षणों जिन्हें पहचाना जा सकता है, से युक्त हो सकती है, वे वस्तुवादी हैं। गुणवत्ता अंग्रेजी भाषा के शब्द "Quality" का शब्दार्थ है। Quality लैटिन शब्द "Qualis" से बना है जिसका अर्थ है – "What kind of" अनेक अर्थों और स्वगुणार्थों के साथ इसे "Slippery concept" के रूप में व्यक्त किया जाता है।[5]

ब्रिटिज़ स्टैण्डर्ड इन्स्टीट्यूशन ने गुणवत्ता को "घोषित और अन्तर्निहित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता रखने वाले उत्पाद और सेवा के अभिलक्षणों और विशेषताओं को गुणवत्ता के रूप में परिभाषित किया है।"[6]

ग्रीन और हार्वे[7] ने गुणवत्ता को परिभाषित करते समय निम्नलिखित उपागमों को चिह्नित किया है –

1. असाधारण विचारणीय विषय के रूप में (उच्च मानकों से ऊपर तथा एक वांछित मानक प्राप्त करना)।
2. असाधारण विचारणीय विषय के रूप में अनवरतता ("शून्य दोष" द्वारा प्रदर्शित और "पहली बार में सही करना") गुणवत्ता को एक संस्कृति बनाना।

3. उद्देश्य के लिए उपयुक्तता (घोषित उद्देश्य, ग्राहक विशिष्टताओं और संतुष्टि को पूरा करने वाले उत्पाद और सेवा के अर्थ के रूप में)।
4. धन के लिए एक अर्ध्य के रूप में (दक्षता और प्रभावशीलता के द्वारा)।
5. रूपान्तरकारी के रूप में (गुणात्मक परिवर्तन)।

गुणवत्ता के इन विभिन्न रूपों पर रीव्स और वेदनर[8] इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं – "गुणवत्ता की एक सार्वभौमिक परिभाषा की खोज और सम्बन्ध जैसे नियम की खोज असफल रही है।" ड्यूनेसोन के अनुसार[9] गुणवत्ता को परिभाषित करने के बजाय सामाजिक मतैक्य के द्वारा गुणवत्ता के विभिन्न आयामों पर दृष्टिपात करना अधिक उचित होगा। गार्विन[10] ने गुणवत्ता की परिभाषाओं को पाँच बड़े समूहों में वर्गीकृत किया है।

1. उत्कृष्ट परिभाषाएँ – ये परिभाषाएँ विषयपरक और वैयक्तिक हैं। ये परिभाषाएँ शास्वत है और मापन तथा तार्किक विवेचना से परे हो जाती है। ये सुन्दरता और प्रेम जैसी अवधारणाओं से सम्बन्धित हैं।
2. उत्पाद आधारित परिभाषाएँ – गुणवत्ता को एक मापनीय चर के रूप में देखा जाता है। उत्पाद के वस्तुगत अभिलक्षण मापन के लिए आधार होते हैं।
3. प्रयुक्तकर्ता आधारित परिभाषाएँ – ग्राहक संतुष्टि के लिए गुणवत्ता एक साधन है। यह इन परिभाषाओं को व्यक्तिगत और आंशिक रूप से विषय परक बनाता है।
4. विनिर्माण आधारित परिभाषाएँ – गुणवत्ता को आवश्यकताओं और विशिष्टताओं को पूरा करने के रूप में देखा जाता है।
5. अर्ध्य आधारित परिभाषाएँ – ये परिभाषाएँ लागत के सन्दर्भ में गुणवत्ता को परिभाषित करती है। गुणवत्ता को लागत के लिए एक अच्छा अर्ध्य-प्रदान करने वाले कारक के रूप में देखा जाता है।[11]

ऐसे केन्द्रिक विचार कम ही हैं जिनके चारों ओर समस्त अवधारणाएँ घूमती हों – निरपेक्ष रूप में गुणवत्ता, सापेक्षिक रूप में गुणवत्ता, प्रक्रियात्मक रूप में गुणवत्ता और संस्कृति के रूप में गुणवत्ता।

जब गुणवत्ता को निरपेक्ष रूप में परखा जाता है, तो इसे सर्वाधिक संभव मानक प्रदान करते हैं और उसी रूप में विचार करते हैं। एक उत्पाद के रूप में गुणवत्ता को किसी ब्राण्ड की उच्च-स्तरीय स्वीकार्यता और प्रस्थिति के रूप में विचार करते हैं। उदाहरणार्थ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, केम्ब्रिज विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय को गुणवत्ता के उच्च मानक के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार भारत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, भारतीय प्रोद्यौगिकीय संस्थान तथा भारतीय प्रबन्ध संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आदि अपने आप में उच्च शिक्षा के उच्च स्तरीय ब्राण्ड बनकर उभरे हैं। सापेक्षिक रूप में गुणवत्ता इंगित करती है कि किसी उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता को सापेक्षिक रूप में कतिपय विशिष्टताओं के साथ मापा जा सकता है। मुखोपाध्याय गुणवत्ता के लिए उत्पादन विशिष्टता को एक न्यूनतम् शर्त के रूप में देखते हैं न कि एक पर्याप्त शर्त के रूप में। ग्राहक की संतुष्टि एक पर्याप्त शर्त है।[12] एक प्रक्रिया के रूप में गुणवत्ता इंगित करती है कि किसी उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इसे कतिपय प्रक्रियारत् आवश्यकताओं के अनुरूप सुनिश्चित प्रक्रियाओं से गुजरना चाहिए। इस प्रकार गुणवत्ता प्रक्रिया के लिए निर्धारित प्रणालियों और विभिन्न प्रक्रियाओं की उपलब्धि से सम्बन्धित है। संस्कृति के रूप में गुणवत्ता रूपान्तरण की प्रक्रिया को गुणवत्ता के रूप में किसी संगठन के महत्व को परखा जाता है, जहाँ प्रत्येक घटक गुणवत्ता के महत्व के प्रति जागरूक होता है और स्वीकार करता है।

सार रूप में वारनिट ने बेरो द्वारा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया – "शिक्षात्मक प्रक्रिया में एक उच्च मूल्यांकन को प्रधानता दी जाती है। जहाँ यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों का शैक्षणिक विकास प्रोन्नत हुआ है। उन्होंने न केवल किसी पाठ्यक्रम के लिए विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त किया है, बल्कि ऐसा करने के दौरान तार्किक विचार–विमर्श, क्रान्तिक स्व–मूल्यांकन तथा सभी विचारों और क्रियाओं के अन्तिम संभाव्यताओं के प्रति एक उचित जागरूकता तक आने के लिए आवश्यक सहभागिता की स्वायत्तता के सामान्य शैक्षणिक लक्ष्य को ही पूरा किया है।"[13]

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि गुणवत्ता की अवधारणाएं अनाकार और प्रसंगाधीन है, यह शाब्दिक रूप में मानक से लेकर उत्कृष्टता तक फैली हुई है। दोनों ही व्यक्तिगत संस्थानिक और राष्ट्रीय रूप में परिचालनात्मक मूल्यों के सन्दर्भ में समाहित है। मानकों को उपलब्धियों के मूल्यांकन किए जाने लायक न्यूनतम् अवसीमा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।[14] इस सन्दर्भ में मानकों के एक समुच्चय के रूप में गुणवत्ता एक मूल्यांकन है। ये मानक इस तथ्य को इंगित करते हैं कि किसी व्यक्ति या संस्था से कम से कम क्या अपेक्षा की जाती है। दूसरी ओर गुणवत्ता इस बात से भी सम्बन्धित है कि कोई व्यक्ति या संस्था अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट मानक को किस प्रकार प्राप्त करता है? उत्कृष्टता अनन्यता का एक उपलब्धि स्तर है जो अन्यों से विशिष्ट है और शून्य दोष तथा विभिन्न पण–धारियों की संतुष्टि के उच्च स्तर की ओर ले जाता है। उच्च शिक्षा में हमारा उद्देश्य मानक को प्राप्त करना तथा उत्कृष्टता की ओर बढ़ना है।

एक अभिभावक, विद्यार्थी, प्राध्यापक, प्राचार्य, विभागाध्यक्ष, नियोजक और शिक्षा में नीति–निर्धारिक के रूप में गुणवत्ता मानकीकृत शिक्षा विचार का एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। उच्च शिक्षा में किसी संस्थान की प्रतिष्ठा उसमें प्रदत्त शिक्षा, अनुसंधान और विकास तथा उस संस्थान से शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करके निकलने वाले विद्यार्थियों के रोजगार प्राप्त करने की संभावनाओं से परिलक्षित होती है। उच्च शिक्षा के बाजारीकरण में ऐसे संस्थानों की माँग सर्वाधिक है जिनसे उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आसन व्यवस्था प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं या जहाँ से उत्तीर्ण होकर वे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर देश और प्रदेश का प्रशासन चलाते हैं। भारत में निजी क्षेत्र में ऐसे अनेक शिक्षण संस्थान हैं, जिन्हें राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद से कोई ग्रेड प्राप्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनसे उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की माँग देश और विदेश में है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर इससे जुड़े समस्त पण–धारियों को निम्नलिखित कारणों से जागरूक होना चाहिए –

1. प्रतिस्पर्धा – भारत एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहाँ विद्यार्थियों और निधियों को आकर्षित करने के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रतिस्पर्धा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण और सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) के साथ शैक्षणिक वातावरण बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से प्रभावित है। ऐसी स्थिति में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं को अपनी गुणवत्ता के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है।
2. ग्राहक संतुष्टि – शैक्षणिक संस्थानों के ग्राहक के रूप में अभिभावक या प्रायोजित करने वाले निकाय अपने अधिकारों और खर्च किए गए धन का उचित मूल्य प्राप्त करने के प्रति जागरूक हैं। वे गुणात्मक शिक्षा और रोजगार पाने के लिए आवश्यक कौशल की माँग करने लगे हैं। इसीलिए श्रम बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों, उपादेयता और सार्थकता के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है।
3. मानकों को बनाए रखना – प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान अपने कुछ मानक निर्धारित करता है, देशकाल और परिस्थितियों के अनुरूप इन मानकों में परिवर्तन किया जाता है और इन्हें बनाए रखने का प्रयास किया जाता

है। इस प्रक्रिया में यह अधिक महत्वपूर्ण है कि शैक्षणिक प्रावधानों और सुविधाओं के साथ-साथ शैक्षणिक निष्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार हो।

4. जवाबदेही - प्रत्येक संस्थान इसमें प्रयुक्त सार्वजनिक और नीजि निधियों के रूप में विभिन्न पण-धाारियों के प्रति जवाबदेह है। गुणवत्ता के प्रति चिंता प्रयुक्त की गई निधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगी। यथोचित निर्णय लेने के लिए पणधारियों को सूचित करेंगी। इस तरह से गुणवत्ता को अनुश्रवण प्रक्रिया माना जाता है।
5. कर्मचारियों के आचरण और अभिप्रेरणा में सुधार - शिक्षण संस्थान की गुणवत्ता उसमें कार्यरत कर्मचारियों और प्राध्यापकों के आचरण और अभिप्रेरणा पर भी निर्भर करती है और इससे निर्धारित भी होती है। अपने कार्य और उत्तरदायित्वों के प्रति निष्ठावान संस्थान के कर्मचारी और प्राध्यापक गुणवत्ता युक्त उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के मामले में महत्वपूर्ण कारक होते हैं। यदि कोई गुणवत्तायुक्त प्रणाली कार्यरत हैं, तो सेवाप्रदान करने के मामले में तथा उच्च आचरण और अभिप्रेरणा के द्वारा ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए संस्थान के विभिन्न विभाग एक-दूसरे के पूरक होते हैं।
6. विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा और प्रस्थिति - यदि गुणवत्ता के उच्च स्तर को बनाए रखना है, तो यह एक सतत् प्रक्रिया मानी जाएगी। संस्थान की गुणवत्ता के लिए प्रयास प्रस्थिति और ब्राण्डबेल्यू एक सतत् प्रक्रिया होनी चाहिए।
7. प्रतिरूपण एवं दर्शनीयता - उच्च गुणवत्ता युक्त संस्थानों में अच्छे पणधारियों का समर्थन पाने की क्षमता होती है। संस्थान की प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर ही दूर-दराज के योग्यतम विद्यार्थी संस्थान में प्रवेश लेते हैं। दान दाताओं द्वारा संस्थान की गुणवत्ता के आधार पर ही संस्था के विकास हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। रोजगार प्रदान करने वाले निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान उच्च प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्यार्थियों को प्राथमिकता प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

शिक्षा प्रणाली की सार्थकता उसके गुणवत्ता के उच्च स्तर से होती है। यदि शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता मुक्त शिक्षा प्राप्त होगी, तो वे कुशल इंजीनियर, सक्षम चिकित्सक, बेहतरीन प्रबंधक, योग्य प्राध्यापक, तकनीशियन बनकर देश और समाज का अधिक हित कर सकेंगे।

सन्दर्भ

1. बर्नेट, रोनाल्ड (1992). इम्पूविंग हायर एजूकेशन, टोटल क्वालिटी केयर, बकिंघम, एस आर एच ई 2 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी
2. https://en.unesco.org
3. यूनेस्को (1996). *लर्निंग दी ट्रेजर विदिन, रिपोर्ट ऑफ दी नेशनल कमीशन ऑन एजूकेशन टु यूनेस्को फार दी 21स्ट सेंचुरी*, पेरिस
4. फेर, एन. एण्ड कूटे, ए. (1991). *इज क्वालिटी गुड फार यू? ए क्रिटीकल रिव्यू ऑफ क्वालिटी एश्योरेन्स इन दी वेल्फेयर सर्विस*, लन्दन इन्स्टीटयूट ऑफ पॉलिसी रिचर्स

5. टेलर एण्ड फ्रांसिस, क्वालिटि इन हाइयर एडुकेशन
6. बी.आई.एस. (1991). ग्रेडहैकर, द इम्पोर्टेन्स ऑफ हाइयर एडुकेशन
7. हार्वे, एल. एण्ड ग्रीन, डी. (1993). *डिफायनिंग क्वालिटी, एसेसमेन्ट एण्ड इवैलुएशन इन हायर एजूकेशन*, 18(1), 9-34
8. रीव्स, सी.ए. एण्ड डी.ए. वेदनर (1995). *डिफायनिंग क्वालिटी - आल्टरनेटिव्स एण्ड इम्पलीकेशन्स*, एकेडिमी ऑफ मैनेजमेन्ट रिव्यू, 19(3), 419-45
9. ग्यूमेसोन, ई. (1990). *सर्विस क्वालिटी ए होलिस्टिक व्यू*, कार्लसटाड, सी टी एफ
10. गार्विन, डी.एस. (1988). *मैनेजिंग क्वालिटी*, न्यूयार्क, दी फ्री प्रेस
11. लैग्रोसेन, एस., सैयद हाशिमी, आर. एण्ड लीटनेर, एम. (2004). *एग्जामिनेशन ऑफ दी डायमेंशन ऑफ क्वालिटी इन हायर एजूकेशन*, क्वालिटी एश्योरेन्स इन एजूकेशन, 12(2), 61-69
12. मुखोपाध्याय, एम. (2005). *टोटल क्वालिटी मैनेजमेन्ट इन एजूकेशन*, द्वितीय संस्करण, सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
13. बारनिट, आर. (1992). *इम्प्रूविंग हायर एजूकेशन - टोटल क्वालिटी केयर*, बकिंघम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 61
14. एश्क्रॉफ्ट, के. एण्ड फोरमैन, पीक (1996). *क्वालिटी स्टैण्डर्डस एण्ड दी रिफलेक्टिव टयूटर, क्वालिटी एश्योरेन्स इन एजूकेशन*, 4(4), 17-25

ISSN: 2456-4583

Global Multidisciplinary Research Journal
A Peer ReviewedèRefereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 2 March 2020, pp. 26-31

Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

राष्ट्रीय एकीकरण में विभिन्न संगठनों की भूमिका

डॉ. शुभलेश कुमारी
एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग (बी.एड.), श्रीमती बी.डी. जैन कन्या महाविद्यालय, आगरा

प्राप्ति - 11 जनवरी, 2020; **संशोधन** - 08 फरवरी, 2020; **स्वीकृति** - 20 फरवरी, 2020

सारांश

"किसी भी राष्ट्र की उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों की सोच किस प्रकार की है? यदि वह अपने देश की प्रगति एवं विकास के बारे में सोचते हैं, देशहित या राष्ट्रहित को स्वहित से ऊपर रखते हैं, अपने राष्ट्र के मान-सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तो निश्चित ही ऐसे राष्ट्र की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता।"

या हम कह सकते हैं - "जिस प्रकार इस शरीर को चलाने के लिए हमें भोजन, पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और इसके अभाव में हमारा शरीर निर्जीव होने लगता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी राष्ट्र को विकसित होने व फलने-फूलने के लिए वहाँ पर रहने वाले लोगों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म सम्प्रदाय, क्षेत्र आदि से सम्बन्ध रखते हों।" यदि सभी लोग मिलजुलकर राष्ट्रहित के बारे में सोचते हैं और साथ ही उस पर अमल भी करते हैं, तो देश की अखण्डता को दुनियां की कोई ताकत खण्डित नहीं कर सकती।

राष्ट्रीय एकता का अर्थ

साधारण अर्थ में राष्ट्रीयता का अर्थ अपने राष्ट्र से प्रेम करना तथा व्यक्तिगत, जातिगत, धार्मिक व क्षेत्रीय हितों की अपेक्षा राष्ट्रहित को महत्व देना है। राष्ट्रीय एकता किसी राष्ट्र के अन्दर निवास करने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों तथा उनकी अपने देश के प्रति निष्ठा को व्यक्त करती है। जब राष्ट्र के नागरिक सामूहिक भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं या हम कह सकते हैं - "राष्ट्रीय एकता की शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा हम राष्ट्र के समस्त नागरिकों को क्षेत्र, धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति आदि की भिन्नता होते हुए भी उन्हें राष्ट्रहित के आगे अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों का त्याग करके, राष्ट्र के लिए तैयार करते हैं।"

इस कथन के आधाार पर कहा जा सकता है कि "मैं" में स्वार्थ निहित होता है और "हम" में एकता निहित होती है। यही एकता किसी भी राष्ट्र की उन्नति का आधार बनती है।

विभिन्नता में एकता

क्योंकि हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। जितनी भाषाएँ, जितने रीति-रिवाज, धर्म तथा जातियाँ भारतवर्ष में मिलेंगी उतनी सम्भवत: संसार के किसी भी देश में नहीं। परन्तु इन विभिन्नताओं और विलक्षणताओं के होते हुए भी हमारे देश में एकता की भावना पाई जाती हैं। तभी तो इस गीत की पंक्तियों में भी एकता की भावना परिलक्षित होती है, यथा -

सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्ताँ हमारा,
हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा।

राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता

डॉ. राधाकृष्णन का कथन है - "राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है, जिससे सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का धनिष्ठ सम्बन्ध है।"

विश्व-पटल पर हमारे राष्ट्र की पहचान ही उसकी एकता के कारण हैं। यदि ऐसे में हमारे राष्ट्र की एकता को जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता आदि आन्तरिक संघर्ष खण्डित करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से इस एकता को बनाए रखने के लिए हमें कड़े प्रयास करने की आवश्यकता है।

वर्तमान में आज राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि हमारे कुछ नेता इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि वह अपने निजी एवं तुच्छ स्वार्थ के लिए देश की आम जनता को भी दांव पर लगाने से नहीं चुकते और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए विभिन्न धर्मों, जातियों, क्षेत्रों के लोगों के बीच भी फूट डलवा कर उनके बीच में वैचारिक मतभेद पैदा कर देते हैं। जिससे एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को, एक जाति के लोग को दूसरी जाति के लोगों व एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों को अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। तभी तो किसी ने ठीक ही कहा है -

यह क्या हुआ कि फासले इतने बढ़ा लिए,
इन दो घरों के बीच में दीवार ही तो हैं।

यदि देश को एकता के सूत्र में बांधे रखना है, तो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए दीवार को तोड़ना आवश्यक है और यह तभी सम्भव है जब हम निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर वैचारिक मतभेदों को त्यागकर राष्ट्रहित के बारे में सोचें।

राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व

हमारी राष्ट्रीय एकता को केवल बाहर से ही खतरा नहीं है, अपितु अन्दर से भी है। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात् हमने सोचा था कि पारस्परिक भेदभाव की खाई पट जाएगी, किन्तु साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, जातीयता, अज्ञानता

और भाषागत अनेकता ने अब तक पूरे देश को आक्रान्त कर रखा है। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक तत्वों को हम इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं।

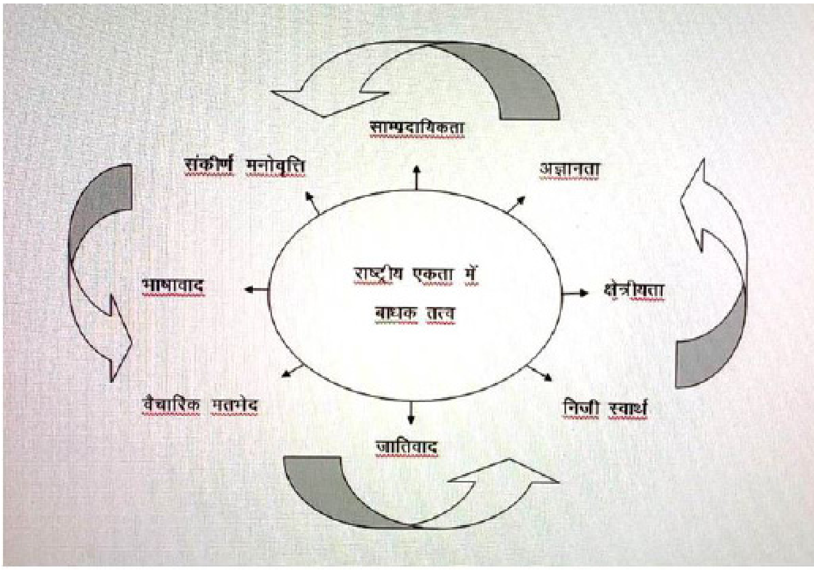

"इन सभी तत्वों को मुद्दा बनाकर हमारे नेता राष्ट्रीय एकता को जाने-अनजाने में नुकसान पहुँचाते रहते हैं।" जबकि जाने-अनजाने में हमारी संकीर्ण मनोवृत्ति, वैचारिक मतभेद, निजी स्वार्थ और हमारी अज्ञानता भी आग में घी का कार्य करती है।

राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में विभिन्न संगठनों की भूमिका

वैसे तो हमारे देश के विचारक, साहित्यकार, दार्शनिक और समाज-सुधारक अपनी-अपनी सीमाओं में रहकर इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि देश में भाई-चारे और सद्भावना का वातावरण बने, अलगाव, पारस्परिक तनाव और विद्वेष की दीवारें समाप्त हों। फिर भी इस आग में कभी पंजाब सुलग उठता है, तो कभी कश्मीर, कभी बिहार तो कभी महाराष्ट्र, कभी गुजरात तो कभी उत्तर प्रदेश।

इन समस्याओं का समाधान केवल नेताओं अथवा प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर नहीं हो सकता, इसके लिए हम सब को मिलजुल कर प्रयास करना होगा और यह प्रयास आम आदमी के माध्यम से ही हो सकता है। परन्तु फिर भी राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में विभिन्न संगठन महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, जैसे –

1. धार्मिक संगठन
2. सामाजिक संगठन
3. शैक्षिक संगठन
4. राजनीतिक संगठन
5. मीडिया

धार्मिक संगठन

मेरा यह मानना है कि कोई भी धर्म अपने आप में बुरा नहीं होता। सभी धर्मों में समाज कल्याण की बातें होती हैं। क्योंकि धार्मिक संगठनों को चलाने वाले धार्मिक नेताओं के अन्दर इतनी शक्ति होती है कि वह जैसे चाहें वैसे आम जनता की विचारधारा को बदल सकते हैं। इसलिए यदि धार्मिक नेता आम जनता तक यह संदेश पहुँचाएं कि पहला धर्म हम सभी "भारतीयों का राष्ट्रीय एकता है और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए हमें मिलजुल कर प्रयास करना है तत्पश्चात् ही हमें अपने धर्म का पालन करना है।"

इस प्रकार के विचार धार्मिक नेता ही आम जनता के मस्तिष्क में स्थापित कर सकते हैं। "इकबाल" के द्वारा कहा भी गया है –

"मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना।
हिन्दी हैं हम वतन है, हिन्दोस्ताँ हमारा।।"

सामाजिक संगठन

राष्ट्रीय एकता की भावना को जाग्रत करने में सामाजिक संगठन भी अहम् भूमिका निभा सकते हैं, यथा –

1. सभी वर्गों के व्यक्तियों की समस्याओं को सुलझाकर।
2. बिना किसी भेद–भाव के गरीबों के बच्चों को शिक्षा देकर व राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझाकर।
3. गरीब परिवार के बच्चों की नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर।

शैक्षिक संगठनों की भूमिका

राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में शैक्षिक संगठनों की अहम् भूमिका होती है। क्योंकि कक्षा में सभी धर्मों व जाति के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण एक साथ करते हैं और शिक्षक बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों, जातियों, क्षेत्र, भाषा आदि से जुड़े विद्यार्थियों को एकता के सूत्र में बांध देता है। मेरा मानना है कि शैक्षिक संगठनों की भूमिका राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने में पूर्णतया सक्षम होती है।

राजनीतिक संगठनों की भूमिका

राजनीतिक संगठनों को चलाने वाले नेता भी अपने तुच्छ व निजी स्वार्थ को त्यागकर राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में मदद करें, तो इस समस्या से आसानी से निबटा जा सकता है, यथा –

1. विवादित मुद्दों को हवा न देकर उनके लिए ऐसे समाधान प्रस्तुत करना जो सभी के हित में हो।
2. अपने धर्म, जाति, क्षेत्र में न पड़कर सभी की सहायता समान रूप से करना।
3. "संकट के समय" आपसी मनमुटाव भुलाकर देशहित को सर्वोपरि रखकर एक जुट हो जाना।
4. वोट के लिए किसी धर्म, जाति, क्षेत्र व भाषा आदि को महत्ता न देकर सभी को एक समान दृष्टि से देखना।

मीडिया की भूमिका

राष्टीय एकता के विकास में मीडिया भी अहम् भूमिका निभाता है, जैसे –

1. राष्ट्रीय एकता से सम्बन्धित कार्यक्रम जन–जन तक पहुँचाकर।
2. अपने गौरवशाली इतिहास पर बने कार्यक्रम दिखाकर क्योंकि आज टी.वी. घर–घर में है और दूर–दराज के गांव में बैठा व्यक्ति भी मीडिया के द्वारा देश –वदेश के समाचार सुनता व देखता है और क्या सही हो रहा है तथा क्या गलत, इस पर अपनी राय भी व्यक्त करता है।
3. विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखकर।
4. आज मीडिया के द्वारा ही स्वामी रामदेव जी घर–घर पहुँचकर राष्ट्रीय एकता की अलख भी जगा रहे हैं व लोगों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें प्राणायाम व आसन भी बताते हैं। उनका ये मानना है कि स्वस्थ शरीर में ही मन (मस्तिष्क) निवास करता है। यदि हमारा मन स्वस्थ होगा, तो विचार भी स्वस्थ होंगे और सभी व्यक्ति तभी, राष्ट्र की उन्नति में राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में सहयोग दे सकेंगे। इसलिए देश को रोगी व्यक्तियों की नहीं स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकता है, जो देश की एकता को मजबूत कर एक नई दिशा प्रदान कर सकें, न कि उसको बीमार बना दें।

निष्कर्ष

अन्त में मैं केवल यही कहना चाहूँगी कि "आम इंसान के मन में इस तरह की बातें नहीं आती, जैसे – मेरा धर्म श्रेष्ठ है दूसरे का नहीं, मेरी जाति उच्च है, मेरी भाषा श्रेष्ठ है, मेरा क्षेत्र अच्छा है, आदि। क्योंकि वह तो अपनी रोजी–रोटी की व्यवस्था करने व परिवार का पालन–पोषण करने में व्यस्त रहता है। उसके पास इस प्रकार की बातें सुनने या समझने का वक्त ही नहीं। इन सब बातों का अहसास तो हमारे देश के कर्णधार को होता है, जिन्हें हम नेता कहते हैं। अब यह नेता चाहे धार्मिक हों (जो धर्म के नाम पर आम जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करते हैं) या शैक्षिक नेता यदि ये सभी अपने–अपने कर्त्तव्यों का ठीक ढंग से पालन करें व जनता को सही दिशा दिखाएँ तो निश्चित ही राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए हमें बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा।"

क्योंकि, जैसा मैं महसूस करती हूँ जब हम ट्रेन, बस या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर होते हैं और सभी धर्मों, जाति, क्षेत्र विशेष के लोगों से बातें करते हैं, मिलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि हम सभी अलग–अलग हैं, बल्कि एक–दूसरे से मिलकर उनके धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि के बारे में जानकर मन में प्रसन्नता होती है। अफसोस तो तब होता है जब हम शिक्षित होकर भी लोगों के बहकावे में आकर दूरियाँ बना लेते हैं, जबकि वास्तविक स्थिति ठीक इसके विपरीत होती है।

"यह अज्ञानता ही है कि हम पढ़–लिखकर भी दूसरों के बहकावे में आकर अपने ही देश की एकता को विखण्डित करने पर तुले हुए हैं। आज आवश्यकता है कि हम जागें और स्वयं को पहचानें। भेदभाव में कुछ नहीं रखा है, यह मात्र छलावा है जो हमारी एकता को अजगर की भांति निगलने को तैयार खड़ा है।"

राष्ट्रीय एकता विकसित करने की प्रथम पाठशाला हमारा परिवार है, जहाँ माताएँ प्रारम्भ से ही अपने ही बच्चों को धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा आदि से ऊपर उठकर एक अच्छा इन्सान बनने की सीख देती है। द्वितीय पाठशाला हमारे विद्यालय, जहाँ शिक्षकों द्वारा उन्हें उत्तम नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है और तृतीय पाठशाला समाज है

जिनके बीच में रहकर उन्हें वैसा इन्सान बनना होता है जो उन्हें सिखाया गया। तभी राष्ट्रीय एकता स्थापित की जा सकती है।

सन्दर्भ पुस्तकों की सूची

1. सक्सेना, वन्दना (2016), "समकालीन भारत एवं शिक्षा।" त्यागी, गुरुसरन दास, (2012). *शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार*, आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन
2. पाण्डेय एवं त्रिपाठी (2008). *शिक्षा के दार्शनिक आधार*, इलाहाबाद: कैलाश प्रकाशन
3. वर्मा, वी.पी. (2000). *आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन*, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल
4. मित्तल, एम.एल. (2008). *उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक*, मेरठ, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस
5. डॉ. अमरेश्वर अवस्थी (1997). *आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन*, रिशर्च पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 418
6. राम सकल पाण्डेय (1996). *विश्व के श्रेष्ठ शिक्षाशास्त्री*, पृष्ठभूमि-25 विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, पृ. 281
7. डॉ. अमरेश्वर अवस्थी (1997). *आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन*, रिशर्च पब्लिकेशन, नई दिल्ली,
8. Gupta, B.D. (2008), "Philosophical & Sociological Foundation of Education."
9. दिनेशचन्द्र भारद्वाज, (1998). *आधुनिक भारतीय संस्कृति का इतिहास*, प्रकाशन केन्द्र, लखनऊ, पृ. 354
10. पी.एन. चोपड़ा, बी.एन. पुरी, एम.एन. दास, *भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक इतिहास*, मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 2001, पृ. 261

ISSN: 2456-4583
Indexed: SJIF & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

Global Multidisciplinary Research Journal
A Peer ReviewedèRefereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 2 March 2020, pp. 32-37

Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

जानकी हरणम् महाकाव्य में प्रकृति चित्रण - एक परिशीलन

डॉ. (श्रीमती) अनुपम शैरी

एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, श्रीमती बी.डी. जैन कन्या महाविद्यालय, आगरा

प्राप्ति - 17 जनवरी, 2020; **संशोधन** - 18 फरवरी, 2020; **स्वीकृति** - 22 फरवरी, 2020

प्रकृति और काव्य

मानव और प्रकृति के अटूट सम्बन्ध की अभिव्यक्ति धर्म, दर्शन, साहित्य और कला में चिरकाल से होती रही है। साहित्य जीवन का प्रतिबिम्ब है, अत: उस प्रतिबिम्ब से उसकी सहचरी प्रकृति का प्रतिबिम्बित होना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं, प्रकृति मानव-हृदय और काव्य के बीच संयोजक का कार्य भी करती रही है। न जाने हमारे कितने ही कवियों को अब तक प्रकृति से काव्य रचना की प्रेरणा मिलती रही है। यदि कवि ने प्रकृति के दो सजीव प्राणियों में से एक का वध देखकर इतने आँसू बहाये कि उनसे कितने ही भूर्जपत्र गीले हो गए और वे आज भी गीले ही हैं। आषाढ़ के प्रथम बादलों को देखकर कवि-कुल शिरोमणि कालिदास तो इतने भावाभिभूत हो गए कि उनकी अनुभूतियाँ 'मेघदूत' का रूप धारण करके बरस पड़ी। हमारे मध्यकालीन कवियों ने अपनी विरह-गाथा सुनाने के लिए प्रकृति की ओट बार-बार ली है जिसकी प्रेरणा प्रकृति से ही मिली है। प्रकृति हमारे कवियों के लिए केवल प्रेरणा का स्रोत ही नहीं है बल्कि अनुभूति का अगाध सागर और विचारों की अटूट श्रृंखला भी रही है। विश्व की प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य ऋग्वेद से ही हमें प्रकृति चित्रण की सुदृढ़ परम्परा प्राप्त होती है। इस ग्रन्थ में उषा, सूर्य, मारूत, इन्द्र आदि को अलौकिक शक्तियों के रूप में स्वीकार करते हुए उनके मानवी क्रिया-कलापों का चित्रण किया गया है। आदि-कवि वाल्मीकि-प्रकृति के रोमांचकारी प्रभाव से पूर्णत: परिचित थे। राजा कुशनाम की युवती कन्याओं के सौन्दर्य को प्राकृतिक वैभव से सम्पन्न करते हुए लिखा गया है - "रूप यौवन सम्पन्न से कन्यायें अलंकृत होकर उपवन में गई। वर्षा काल की विद्युत के समान वे प्रतीत होती थीं - अपने अपूर्व रूप से सजी हुई वे सर्वाङ्ग सुन्दरियाँ वाटिका में आकर ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो मेघ से छिपी हुई तारिकाएँ हों।

"महाभारत में आकर प्रकृति की अनुमप सौन्दर्य श्री में और भी अधिक अभिवृद्धि हुई है। परवर्ती संस्कृत साहित्य में तो प्रकृति का चित्रण इतना अधिक हुआ है कि हमें ग्रन्थों में आदि से अन्त तक प्रकृति-सौन्दर्य का निरूपण दृष्टिगोचर होता है। प्रकृति चित्रण का कोई ऐसा रूप नहीं, जो संस्कृत के काव्य भण्डार में उपलब्ध न

हो। आगे चलकर कालिदास, भारवि, माघ, श्री हर्ष आदि कवियों ने प्रकृति का चित्रण इतना अधिक किया है कि वह महाकाव्य के एक लक्षण जो आवश्यक है, के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। कुमारदास के काव्य में निःसंदेह ऐसे वर्णन स्थल हैं, जो उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व को प्रस्तुत करते हैं। वर्णनों में उन्हें कदाचित् सर्वाधिक सफलता प्रकृति वर्णन में मिली है। संस्कृत के कवि ने अपने को चारों ओर के प्राकृतिक परिवेश से गहराई से जोड़े रखा है। इसलिए उसके लिए प्रकृति जड़ दृश्यावली मात्र नहीं है, वह तो सर्वथा चेतन और उसकी भावनाओं की सहभोवत्री एवम् सहानुभवित्री है। कुमारदास की दृष्टि भी ऐसी है, किन्तु प्रकृति के प्रति उनकी दृष्टि में अनूठी कल्पना प्रवणता भी है। महाकवि कुमारदास ने प्रथम सर्ग के प्रारम्भिक ग्यारह श्लोकों में अयोध्या का सुन्दर वर्णन किया है। कवि की कल्पना है कि बादलों को छूते हुए अयोध्या के प्रसाद अतीव शोभायमान हो रहे थे। इन प्रसादों के श्रृंगों पर चीन के बने हुए शुभ वस्त्र से मढ़ी हुई कबूतरों की 'काबुक' रखा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे इन 'काबुकों' से टकराने से चन्द्रमा की ऊपरी खाल उधड़कर इन काबुकों में चिपक गई हो।

यथा –

"चीनांशुकैरभ्रलिहामुदग्रश्रृंडाग्रभागोपहितैर्गृहाणाम।
विटडकोटिस्खलितेन्द्रसृष्टनिर्मोकपट्टैरिव या बभासे।।"

बसन्त ऋतु का वर्णन

महाकवि कुमारदास ने अपने महाकाव्य "जानकीहरणम्" में बसन्त ऋतु का तृतीय अध्याय में तीसरे श्लोक से लेकर 13वें श्लोक तक सुन्दर एवं मनोरम वर्णन किया है। कवि का कथन है कि बसन्त के आविर्भाव पर प्रकृति में भी श्रृड्गार का आविर्भाव हो आता है। प्रकृति का प्रत्येक जीव बसन्त के आगमन से प्रसन्नता का अनुभव करने लगता है। कंटक से भरी हुई, खड़ी नाल के ऊपर अपनी पंखुड़ियों को समेटे हुए नव कमल ऐसा उठ खड़ा होता है जैसे जल के भीतर रहने के कारण रात्रि से भयभीत होकर बसन्त की गरमाहट पानी की इच्छा से बाहर निकल आया हो।[2] बसंत के आगमन से करवीर वृक्ष की नई-नई रक्त वर्ण की कलियाँ फूटने लगती है[3] तो अशोक वृक्ष भी उससे अछूता नहीं रहता, उसके तने में भी नए-नए अंकुर फूटने लगते हैं।[4] कवि का कथन है कि नई कलियों से लदे हुए मनोहर चम्पक वृक्ष ऐसे लगते हैं जैसे बसन्त की वनस्थली ने हजारों बस्तियों के दीपक वृक्ष लगा दिए हों।

यथा–

"वक्षा मनोज्ञद्युति चम्पकाख्या रूपं वितेनुर्नकुड्मलाढ्याः।
नयस्ता वसन्तस्य वनथलीलिः सहस्त्रदीप इन दीपवृक्षाः।।"[5]

बर्षा ऋतु का वर्णन

"जानकीहरणम्" महाकाव्य में ग्यारहवें सर्ग में श्लोक संख्या 38 से लेकर 16 तक वर्षा ऋतु का मनोहरी चित्र महाकवि कुमारदास ने खींचा है। वर्षा ऋतु के शुभागमन से पवन द्वारा फैलाया हुआ बादल, सूर्य मण्डल रूपी सिंह के पिंजड़े जैसा समर के लिए जाते राजहर्षकारी जयगज का मुकुट-सा प्रतीत होता है। बादलों के मृदड् के समान, हृदय को हरने वाले, गंभीर नाद से अहारित चमकीली भौं वाले मयूरों ने वृष्टि के भय से अपने ऊपर हिलती हुई

पूँछ के समूह का चँदौवा कर लिया था। कवि की कल्पना है कि समस्त लोक को सन्तप्त करने वाले ग्रीष्म पर विजय का उत्सव छाया है, 'नाचो' मयूरो नाचो'। मानो यह कहते हुए समय ने बिजलियों रूपी सैकड़ों कनकदण्डों से बादल रूपी नगाड़े बजा दिए।[8]

यथा –

"भूवनातपनधार्म्यजयोत्सवः समुदितः परिनृत्यत बर्हिणः।
इति जघान यथा समयस्तडिक्तनकदण्डशतैर्धानदुन्दुभिम्।।"

आकाश में मेघों के कारण सूर्य बिम्ब, क्रीड़ा कन्दुक के समान दिखने लगती है।

शरद ऋतु का वर्णन

बाहरवें सर्ग के प्रथम से बीसवें श्लोक तक शरद् ऋतु का मनोरम वर्णन "जानकीहरणम्" महाकाव्य में महाकवि कुमारदास के प्रकृति के प्रति चेतना को प्रस्फुटित करता है। यह महाकवि की अन्तर्दृष्टि ही है जो इस ऋतु में पर्वत के नीचे पानी के अभाव से चावल के खेतों का सूचनो का वर्णन करता है[10] वहीं दूसरी ओर सरोवर के हंस गान के समय का शास्त्र मतानुसार, लय के साथ अपने कमलहस्त की चमकती हुई पल्लव रूपी उंगलियों से मानो समपरिमित ताल देने का मनोरम वर्णन करता है।[11] शरद् ऋतु में शुक्रों की पंक्ति अपनी प्रभा से इन्द्रधनुष की प्रतिरूपता करती है,[12] तथा हंस वायु के सहारे दूर-दूर तक फैले नजर आते हैं।[13]

सूर्योदय का वर्णन

प्राकृतिक छटा का वर्णन करते हुए क्रम में कुमारदास ने सूर्योदय का वर्णन अत्यल्प किया है। उन्होनें प्रथम सर्ग के उनहत्तरवें, तृतीय सर्ग के अठहत्तरवें तथा सोलहवें के इकहत्तरवें श्लोक में सूर्योदय का वर्णन किया। "रीति समाप्त हो चुकी, चन्द्रदेव अस्ताचल को चले गए। हे मुकुलित मयलांक्षी तू क्या अब तक सो रही है।" यह कहकर क्रीड़ोद्यान तक फैली हुई सरसी को जगाने के लिए यह तरूण सूर्य अपने आताभ्रकरों से थपकियाँ दे रहा है।[14]

"विरामः शर्वर्या हिमरूचिरवाप्ताडस्ताशिखरं किमद्यापि स्वायस्तव मुकुलिताम्भोरूहदृशः।
इतीवायं भानुः प्रमदवनपर्यन्तसरसीं करेणातम्रेण प्रहरति विबोधय तरूणः।।"

सूर्यास्त वर्णन

जानकीहरणम् महाकाव्य में सूर्यास्त का वर्णन महाकवि 'कुमारदास' के अलौकिक प्रकृति सौन्दर्य को प्रस्फुटित करता है। इसका वर्णन भी विस्तार से किया गया है। उन्होंने महाकाव्य के तृतीय सर्ग के 64, 65, 66वें श्लोंकों में तथा 16वें सर्ग के दूसरे, तीसरे तथा छठवें श्लोक में किया है। कवि ने जहाँ एक ओर सूर्य को स्त्रियों के केसर से रंजित गोलस्तन के सदृश शोभायमान परदेशियों के चित में तपन छोड़कर, तरगों से आन्दोलित पश्चिमी समुद्रान्त में डूबते हुए चित्रित किया है[15] तो वहीं दूसरी ओर फूटे हुए मूँगे के सदृश लाल वह सूर्य कमल की पंखुड़ियों की तरह अपने कमल के समान हाथ सिकोड़ते हुए नजर आता है।[16]

सन्ध्या वर्णन

महाकवि कुमारदास ने 'जानकीहरणम्' महाकाव्य में आठवें सर्ग और सोलहवें सर्ग में सन्ध्या वर्णन किया है। समुद्र के बीच में स्थित सूर्य के बिम्ब को अन्धकार का जाल घेरता है,[17] तो पूर्ण चन्द्र के उदय होने पर अस्पताल पर अस्त होता हुआ सूर्य का बिम्ब, आकाश रूपी रथ का एक ऐसा पहिया लगता है जिसका घेरा धातुओं के चूर्ण से लिप्त हों।[18] सन्ध्या ने तो पहले अन्धकार का रूप ग्रहण किया, फिर अतिव पिंगल वर्ण तारिकाओं का सृजन किया तद्नन्तर अपनी कलाओं के द्वारा चन्द्रमा से सम्पूर्ण भवन का एकीकरण किया। इस प्रकार उसने त्रिनेत्र (शिव) का रूप धारण किया।

यथा –

"प्रथम गमितमन्थकारिभावं पुनरतिपिडलतारंक विधाय।
भुवनमथ कलात्मा समस्य त्रिनयनरूपलम्भयत्प्रदोषः।।"

चन्द्रोदय का वर्णन

चन्द्रमा का नामोल्लेख मात्र से ही श्रृंगार से सजी स्त्रियों की सम्पूर्ण सुन्दरता का भाव मन में रचने-बसने लगता है। कुमारदास ने "जानकीहरणम्" महाकाव्य में सोलहवें सर्ग के पन्द्रहवें, सत्रहवें, अठारहवें, उन्नीसवें, बीसवें, इक्कीसवें, बाइसवें, चौबीसवें तथा पच्चीसवें श्लोकों में चन्द्रोदय का अति मनोहर वर्णन किया है। चन्द्रमा अपने उदय के द्वारा न कवेल सुन्दर नितम्ब वाली स्त्रियों के हृदय में एक नए निर्झर की शंका उत्पन्न कर उनमें काम का भाव उत्पन्न करता है[20] अपितु पथिकों की विरहिणी की आँखें जो पहिले माणिक्य की प्रभा की तरह लाल थी, चन्द्रोदय होने पर उसकी किरणों से घिर जाने के कारण वे चन्द्रकान्तमणि के स्वाभाविक काम को दिखलाने लगती है।[21]

रात्रि वर्णन

"जानकीहरणम्" महाकाव्य में रात्रि का वर्णन महाकवि कुमारदास ने आठवें सर्ग के श्लोक संख्या 66 से लेकर 12 तक में अति मनोरम चित्र से चित्रित किया है। यहाँ कवि की कल्पनाशीलता की पराकाष्ठा उद्धत होती है। मत्त मयूर की कण्ठ की तरह रंग-बिरंगा आकाश[22] पूर्व दिशा में दमकते हुए चन्द्रमा का निकलना[23] तथा पश्चिम दिशा की ओर आकाश में लाल-लाल तारों का इस प्रकार लगना जैसे सूर्य के रथ की लोहे की पहिए की टक्कर से मेरू के श्रृंग से आग की चिनगारियाँ निकल रही हो।[24]

जलक्रीड़ा का वर्णन

जलक्रीड़ा भारत के प्राचीन मनोविनोद के साधनों में एक है। महाकवि कुमारदास ने "जानकीहरणम्" महाकाव्य में तृतीय सर्ग के बत्तीस से लेकर अट्ठावन श्लोकों तक जल विहार का सुन्दरतम् वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु में समागमोपरान्त विशेषतः जलक्रीड़ा का प्रचलन था। दुराध्य स्वभाव वाले रावण को सेवा से सन्तुष्ट करने की इच्छा से "ग्रीष्म" उसके "जलक्रीड़ा-दिन" की प्रतिज्ञा करता हुआ वर्णित है।[25] नव कमलों से भरा हुआ उस सरोवर का जल ऐसे चमकने लगा जैसे वह युवतियों की कुसुम्भी काञचुकी से निचोड़कर निकाला गया हो।[26]

यथा –

"क्रीड़ा परिक्षोभरयेण तासामुत्सरिते पंकजरेणुजाले।
कुसुम्भरक्तदिव काञचुकात् कृष्ट बाभासेडम्बुरूहाकाराम्भ्य:।।"

उद्यान विहार का वर्णन

महाकवि कुमारदास ने अपने महाकाव्य "जानकीहरणम्" में तृतीय सर्ग के चौदहवें से लेकर इक्कीसवें श्लोक तक उद्यान बिहार का अत्यन्त मनोहरी चित्र खींचा है। प्राय: प्रत्येक समृद्ध व्यक्ति के आवास गृह से संलग्न एक उद्यान हुआ करता था, जिसे कवि ने "गृहोद्यान" कहा है। इन वर्णनों के अतिरिक्त कवि ने सेतु बन्धन का वर्णन, तपोवन का वर्णन, आश्रय का वर्णन, पर्वत की शोभा का वर्णन, राक्षसियों के केलि का वर्णन आदि रूपों में भी प्रकृति चित्रण किया है। महाकवि कुमारदास ने मानवीय रूप में प्रकृति का उपयोग किया है। जो यह प्रमाणित कर देता है कि कवि ने प्रकृति को नजदीक से परखा है। कमनीय-कठोर, सरस-निरस, नवीन-प्राचीन सभी रूप कवि के मानस पटल पर अंकित है। वह भी मनुष्य की भाँति जीवन के लक्षणों से पूर्ण है, जड़ नहीं है। अस्तु कहा जा सकता है कि कवि का प्रकृति-चित्रण वैविध्यपूर्ण और भव्य है। प्राय: यह चित्रण सर्वत्र मधुर और सरस-भावसम्पृक्त है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जानकीहरणम् 1/4
2. वही; 3/4
3. जानकीहरणम् 3/6
4. वही; 3/7
5. वही; 3/3
6. वही; 11/41
7. वही; 11/48
8. वही; 11/43
9. वही; 11/68
10. वही; 12/5
11. वही; 12/7
12. वही; 12/14
13. जानकीहरणम् 12/16
14. वही; 12/10
15. वही; 3/77
16. जानकीहरणम् 3/64

17. वही; 7/51
18. जानकीहरणम् 7/60
19. वही; 16/4
20. जानकीहरणम् 16/11
21. वही; 16/24
22. जानकीहरणम् 7/66

GMRJ
ISSN: 2456-4583
Indexed: SJIR & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

Global Multidisciplinary Research Journal
A Peer ReviewedèRefereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 2 March 2020, pp. 38-40

Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

उच्च शिक्षा में समान शिक्षा के अवसरों की पहल

डॉ. प्रदीप कुमार गुप्त

एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षक-प्रशिक्षण विभाग, आदर्श कृष्ण महाविद्यालय, शिकोहाबाद (यू.पी.)

प्राप्ति - 18 जनवरी, 2020; **संशोधन** - 17 फरवरी, 2020; **स्वीकृति** - 25 फरवरी, 2020

प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता

भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक प्रवर्तनकारी परिवर्तन ने दस्तक दी है। इसके अन्तर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित देश के करीब 45 विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त परीक्षा (सी.यू.ई.टी.) आयोजित की जाएगी। इसके माध्यम से वर्तमान व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव होने जा रहा है। भारत में लम्बे समय से स्नातक प्रवेश प्रक्रिया अतार्किक हो चली थी। विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं की 12वीं कक्षा के प्राप्तांकों में अनवरत ऊँची बढ़ोत्तरी ने कॉलेजों में कट ऑफ को आसमानी स्तर पर पहुँचा दिया था। इस अनवरत ऊँची बढ़ोत्तरी के पीछे शिक्षा माफिया के प्रयास स्थान पा रहे थे। छात्रों की उपलब्धि के पीछे धन का प्रभाव भी स्थान पा रहा था। इस कारण कुछ प्रतिष्ठित कॉलेजों में सर्वाधिक वांछित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए शत-प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होने लगी। यह अतार्किक एवं अव्यवस्था का पोषक भी बना एवं त्रासद (दु:खद) भी रहा।

छात्रों को स्नातक स्तर पर बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए तन्त्र को नए सिरे से गठित करना अपरिहार्य हो चला है। कुछ तार्किक प्रश्न अच्छे समाधान की ओर ले जाने में सहायता कर सकेंगे।

(1) क्या संयुक्त प्रवेश परीक्षा सबको कहीं भी प्रवेश लेने का अवसर उपलब्ध कराएगी?

(2) क्या छात्रों की विभिन्नताओं के बावजूद समानता के अवसर उपलब्ध होंगे? यथा - भाषा, क्षेत्र, विभिन्न बोर्डों में निर्धारित पाठ्यक्रम की विविधता।

(3) क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों में समान पाठ्यक्रम की स्वीकार्यता सम्भव है?

(4) क्या छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के बाद एक विश्वविद्यालय-दूसरे विश्वविद्यालय में जाने की स्वतन्त्रता मिल सकेगी?

(5) क्या प्रवेश परीक्षा (चयनात्मक परीक्षा) उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार वाली व्यवस्था का त्रुटि मुक्त समाधान बन सकेगी?

उपर्युक्त प्रश्न हमें विचारण का अवसर देते हैं। व्यापक मंथन के अभाव में जटिल समस्याओं का समाधान नहीं खोजा जा सकता। स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए होने जा रही संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक क्रान्तिकारी कदम बन सकता है। योग्य छात्र जो किन्हीं कारणों से प्रतिभाशाली होते हुए भी अच्छे उपलब्धि प्राप्तांक नहीं ला सके, उन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। जो आर्थिक प्रभाव शैक्षिक तन्त्र को असफल बना रहे थे, उन पर अंकुश लग सकेगा। सबसे अच्छी व्यवस्था तो तब सम्भव होगी, जब राज्यों के विश्वविद्यालय, डीम्ड एवं निजी विश्वविद्यालय भी इसे अपनाने की पहल करें। राष्ट्रीय एकता के विभिन्न तत्वों के आधार पर यह व्यवस्था हमें एक-दूसरे को समझने के अवसर भी सुलभ कराएगी।

व्यवस्था विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि एक परीक्षा का किसी छात्र के कैरियर की दिशा निर्धारण में निर्णायक बनने के साथ उसके जीवन में महत्व असंगत रूप से बढ़ता गया। दबाव और तनाव इसकी स्वाभाविक परिणिति बन गए। परीक्षा का विकल्प परीक्षा अच्छे समाधान दे सकती है। यथा – छात्र को पुनः अपनी क्षमताओं के प्रयोग के अवसरों की उपलब्धता, जो छात्रों के तनाव को दूर करने के अवसर सुलभ करा सकेगी। प्रवेश परीक्षा की शुचिता राष्ट्र की प्रतिभा संरक्षण में सहायक हो सकती है। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा एवं माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा में अन्तर शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित अवश्य करेगा। विद्यालयीय व्यवस्था में ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं कौशलात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयास किया जाता है। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के उद्देश्यों में अन्तर भविष्य में समस्या पैदा कर सकता है। शिक्षाविदों, शिक्षा नीति निर्धारकों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों के उद्देश्यों में भारी अन्तर नहीं होना चाहिए। उच्च शिक्षा के उद्देश्यों में विमर्शी चिन्तन आवश्यक है, जबकि माध्यमिक स्तर पर व्यक्ति को व्यवहारिक रूप से ज्ञान का उपयोग करना सिखाया जाता है।

वर्तमान में हमारे शोधार्थी छात्र एवं शोध निर्देशक इस प्रकरण को चिन्तन का विषय बनाएं कि संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की उपादेयता किस-किस आधार पर जाननी चाहिए?

हमारे चिन्तन का विषय यह भी है कि छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में प्रवेश के अवसर कम हैं। ये कम अवसर तनाव का आधार है। क्यों न संघीय एवं राज्य सरकारें उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के अवसर बढ़ा दे। ऐसे में शिक्षा पर सरकारी व्यय में बढ़ोत्तरी, निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए अनुकूल परिवेश एवं ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा इस क्षेत्र का कायाकल्प करने वाले परिवर्तनों को साकार करने में सक्षम होंगे।

इस प्रवेश परीक्षा से शैक्षिक अवसरों की समानता छात्रों को सुलभ हो सकेगी, ऐसी कल्पना की जा सकती है।

चयन की विधि

संयुक्त विश्वविद्यालय (स्नातक पाठ्यक्रम) प्रवेश परीक्षा का पहला भाग सामान्य परीक्षा का होगा, दूसरा भाग सम्बन्धित विषय के ज्ञान का परीक्षण करेगा। परीक्षा का पहला भाग 13 भाषाओं का चयन कर सकेगा। भाषा के कारण जो छात्र पहले ऐसी परीक्षाओं में पिछड़ जाते थे, उन्हें अब अपनी मातृभाषा में प्रवेश परीक्षा देने का अवसर सुलभ हो जाएगा। राष्ट्रपिता ने मातृभाषा में शिक्षा का जो सपना देखा था, उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पूरा किया है। इस नीति में सबसे अधिक महत्व मातृभाषा में शिक्षा को दिया गया है। संविधान की आठवीं अनुसूची में अभिलिखित 22 भाषाओं के अतिरिक्त अनेकानेक अन्य भाषाएं भी हैं, जो सम्बन्धित भाषाई समुदाय की प्रतिदिन आवश्यकताओं को स्थानीय स्तर पर पूरा करती हैं, किन्तु शिक्षा और रोजगार की भाषा के तौर पर ये भाषाएँ विकसित और स्वीकृत

नहीं हो पाई हैं। विचारणीय है कि प्रवेश परीक्षा (संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा) माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले तन्त्र को प्रभावित कर सकती है। यह चिन्तन द्विमार्गीय हो सकता है। छात्र माध्यमिक स्तर पर कार्य करने वाले तन्त्र के प्रति उदासीन हो जाएं या प्रवेश परीक्षा के प्रति अति संवेदनशील हो जाएं। यहाँ यह भी विचारणीय है कि प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम से सह-सम्बन्धित रहे और माध्यमिक स्तर पर छात्र पाठ्यचर्या में सक्रिय सहभागिता प्रदर्शित करें। एक अच्छी परिकल्पना यह भी हो सकती है कि प्रवेश परीक्षा एक समान पाठ्यक्रम की धारणा को सशक्त बनाने में सहायता करे एवं भाषाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण को और अधिक सशक्त बना दे।

भारत बहुभाषिक, बहुलिपिक देश है, इस बहुलता के बावजूद भारतीयता की अंतर्धारा उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। भारतीयता की इस अंतर्धारा को और अधिक पुष्ट करने में हिन्दी की तरह ही देवनागरी लिपि की बड़ी भूमिका हो सकती है। तमाम विरोध और संकीर्ण राजनीति को पीछे छोड़ते हुए आज हिन्दी देश की स्वाभाविक सम्पर्क भाषा बन गई है।

राष्ट्रीय विकास के सार्वजनिक मार्ग (Public Path for National Development) के रूप में शिक्षा व्यवस्था का महत्व है। इसी के साथ शिक्षा प्राप्त करने में भाषा एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विभिन्न भाषाओं के माध्यम से राष्ट्र के जिज्ञासु लाभार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना अवसरों की समानता हेतु अच्छा प्रयास सिद्ध हो सकता है। भाषा के माध्यम से बाजार का विस्तार होता है और बाजार के द्वारा भाषा का प्रचार-प्रसार होता है। भाषाओं की समझ व्यक्ति के व्यक्तित्व को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बना देती है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा छात्रों को शैक्षिक अवसरों की समानता उपलब्ध कराने में सहायक होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

शेट्टी, जे.डी. (1992). *भारत में उच्चतर शिक्षा का संकट और विघटन*, विकास पब्लिकेशन, नई दिल्ली

भटनागर, सुरेश व कुमार, संजय (2005). *भारत में शिक्षा का विकास*, आर. लाल बुक डिपो, सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ

खण्डई, खान, जैन (2011). *नैतिक शिक्षा*, ए.वी.एच. पब्लिशिंग कार्पोरेशन, नई दिल्ली

कौल, लोकेश (1998). *शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली*, विकास पब्लिकेशन हाउस, प्रा. लि. नोएडा

पाण्डेय, रामशक्ल (2009). *शिक्षा की दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि*, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा

चतुर्वेदी, शिखा (2012). *उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा*, आरलाल बुक डिपो, मेरठ

अंशु माला, (2010). *भारत, पाठ्यपुस्तक विकास*, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रकाशन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली

कपिल, एच.के. (2007). *शैक्षिक अनुसंधान की विधियाँ*, एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा

एन.सी.ई.आर.टी., (2009). *पाठ्यचर्या बदलाव के लिए व्यवस्थागत सुधार, भारतीय आधुनिक शिक्षा*, अक्टूबर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली

ISSN: 2456-4583
Indexed: SJIF & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

Global Multidisciplinary Research Journal
A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 2 March 2020 pp. 41-47

Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

ARTISTIC REPRESENTATION OF FOLK AND TRIBAL ART ELEMENTS BY INDIAN PAINTERS

Dr. Jyoti Agnihotri

Printmaker, H.O.D. & Associate Prof. {Painting}, Juhari Devi Girl's P.G. College, Kanpur (UP)

Received: 03 January 2020, **Revised:** 22 January 2020, **Accepted:** 28 January 2020

Tribal art is the visual arts and material culture of indigenous people. The folk and tribal art come from the remote rural and tribal regions. Some time the artists of these rustic works are not even educated. They lack the basic means to attend schools, and as they are gifted with such beautiful means of expression by nature. The various painting forms coming from these regions began not just a painting but also as a religious and social rituals performed daily. In other words, we can say that it has mostly started for utility purpose or for rituals. It began with painting the wall and floor of mud house. They hide the belief that this purified the ambience and pleased the deities various religious and symbols were therefore seen within the painting. The paintings are made by both men and women. All works were produced in a variation of style and themes. It can be identified by the region by their style and quality, which depends on the material available in the place in which they were executed. Folk art tribal arts from all over the world are very simple and ethnic, and yet vibrant and colourful to present the country's rich heritage. Tribal art remained a source of simplicity, honesty and inventiveness can be seen in the work of contemporary urban and street artist. During early 1900s, In European modern art the aesthetics of traditional African masks and other sculptures had a powerful influence on European artists. They blended the highly stylised treatment of the human figure in African tribal sculpture with painting styles derived from the post-impressionist works. Pictorial flatness, vivid colour palette and fragmented cubist shapes helped to define early Modernism.[1] In folk art and tribal art customary rules of proportion and perspective are not employed. Other defining features of this art is that it is both decorative and utilitarian, and is of, by the people. The beauty of this art is that it reflects the traditional art forms of diverse community groups.

In India every region has its own style and pattern of Folk art and Tribal art. Some of most famous are – Kalamkari – Andhra Pradesh, Kalighat – Kolkata, Pithoro painting – Gujarat,Warli painting – Maharashtra, Pata chitra – Odessa, Madhubani – Bihar, Phad painting –Rajasthan, Gond & Mandna – Madhya Pradesh and many more.[2]

During the 19th century folk arts and tribal arts came to exercise with a great fascination for Indian artist. Artists started to adopt folk idioms in artworks and incorporate folk, tribal and cult motifs into their own contemporary styles.

One of the main Indian artists Jamini Roy who gave Indian art its own identity. Once he told Mrs Milford that "Peace is not good for artist. How can it be? The mind strives and burns all the time in the creative activity of art."[3] He realised that the rural folk art in Bengal had much in common with how modern European artist like Picasso, Paul Klee and many other painted. They learnt the use of bold forms found in American masks and sculpture. Roy took up simple angular forms, unique harsh line and pure colours from Kalighat paintings few of them resembles Bankura style of Pata paintings, terracotta, and clay toys. Like village artists, he also made his own colours from vegetables and minerals. He was known as an 'art-machine' as he created 20000 art works in his life time.[4]

Painting by Jamini Roy[8]

K.G. Subramanyam commonly known as Mani Da was also strongly influenced by Kerala folk art, kalighat paintings from Kolkata, pattachitra from Odessa & Bengal and other folk art forms. He deeply researched various Indian folk arts and crafts, and discussed about them, invoking contemporary artists and reinterpret them in their own visual language. He worked with murals, printmaking relief sculpture and paintings. While my stay in Baroda, I had a chance to see him working for fine art fare in our faculty. That was the time when I realised K.G. Subramanian sir was not obliged to have any medium to express his feelings. He use to express his feelings easily by any medium. For this art fair he worked on PVC sheets in the place of glass.

Painting by K.G. Suramanyam[9]

Artist Nand Lal Basu had inspiration from various indigenous folk art along with its underlying spirituality and symbolism. A golden feather in his hat was added when he was assigned to decorate every page of Indian constitution (original copy).

Contemporary artist Yashwant Singh is strongly influenced by Indian folk and tribal art. Using forms lines colours, indigenous motifs in his works, he explores the tribal and village life.

 Global Multidisciplinary Research Journal Volume 5 Issue 1 September 2020 **ISSN 2456-4583**
Indexed: SJIF & I2OR, **SJIF Impact Factor:** 5.982

Etching by Jyoti Bhat[10]

Contemporary artist Jyoti Bhatt who is mainly known for his modernist works. Earlier works had cubist influence but later works are carrying motifs and elements from Indian folk art designs which are colourful. This resulted after a photography project of disappearing Gujrati folk art. In his work a personal visual language of symbols developed that originates from Indian culture. In his own words: “I have photographed everything, from intricately carved doors to floors, pots, pans, walls, houses that is part of our folk art in rural India. My camera replaced my sketchbook.”[5]

J. Swaminathan as an artist was intent on establishing continuity between folk and tribal and urban contemporary art. His later works carries a distinct influence of the tribal arts and also he started to use his finger to apply the pigment in order to achieve the desired effect. His deep interest for exploring Indianesque idioms made him lean towards paradigms of purity. For him folk and tribal imagery were catalysts of cohesion and creativity. He was vested in creating a unique visual language.

Deorshi Ash[6a] belongs to Bengal school of art with charming subjects and fascinating figurative composition in pastel shades. The elements of various contrasting decorative designs are evident with in his style in the series called Bonolata.

Aparna Kaur artist as a sculptor and painter had a significant influence of folk and tribal art. Whenever she wants to bled some universal truths or a sense of wonder into her work she takes elements from Mithila tribal art, including tattoos (Godna).

Manoj Dutta is self taught artist whose work is reflective of the traditional folk art. The subtle texture and variation of tones and shades help to enhance the imagery.

Artist Sheela Gawda uses everyday materials to express her innermost feelings, including art, photography and sculpture depicting rural India and urban life.

Painting by Dhrubajyoti Baral[11]

Dhrubajyoti Baral's[6b] works are a lyrical fusion of indigenous traditions and contemporary sensibilities. In his paintings almond eyed women are squint blend of tribal and modern which is brewed in an unlikely cocktail of Bengali folk and western aesthetic

Work of KCS Panikar was basically based on abstraction there is an incorporation script, symbol, and geometry on colour divisions that functioned as the matrix or background.

Pratha Bhattachartjee[6c] portrays the rural Bengali folk elements who find their happiness in utmost simplicity.

S. Harshavardhana[6d] is deeply influenced by folk and tribal art symbols, creating abstract geometrical forms.

Mohammed Osman's[6e] paintings have a fresh approach to the rural life of south India and a very strong influence of Hyderabad culture.

Haku Shah[7] has endearingly smudged the boundaries between craft and art, between tribal art and 'modern' artists and between past and the present. His stylized paintings of pastoral scenes with their bold, defining contours on flat pictorial spaces are deceptively simple. His blue Sheppard, cows, birds and men with flutes have a sense of universality and timelessness about them. Often called a "global artist with an Indian touch", Shah's works reflect his close relation to tribal art and the simplicity of rural life.

Painting by Haku Shah[12]

Madhvi Parekh self taught artist was initially inspired by the folk traditions of picture making of Gujarat. The simplicity of her art, deeply rooted in rural India, has an international persona.

Painting by Madhvi Parekh[13]

REFERENCE

1. https://www.metmuseum.org/toah/hd/aima/hd_aima.htm
2. https://rspublication.com/ijca/2018/april18/3.pdf
3. https://poieinkaiprattein.org>poets>anjansen
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Jamini_Roy
5. saffronart.com/jyoti-bhatt
6. (a), (b), (c), (d), (e) verandahart.com/artist/artist
7. https://www.the houseofthings.com/flute-player-serigraphy-by-haku-shah-html
8. image.------- http://projectartworm.com/Selectedwork/details/947/jamini-roy-untitled
9. image---- https://www.seagullindia.com/exhibitions/portfolio/k-g-subramanyan-recent-works-2009/
10. image ---- https://www.sahapedia.org/jyoti-bhatt-quest-beyond-the-woven-culture-and-symbols-of-indian-heritage
11. image-----https://www.artisera.com/collections/dhrubajyoti-baral
12. image------- https://www.thehouseofthings.com/bago-ja-na-ja-serigraph-by-haku-shah.html
13. image----https://www.theindianpanorama.news/other-stories/reflecting-childhood-memories-on-canvas/.

ISSN: 2456-4583
Indexed: SJIF & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

Global Multidisciplinary Research Journal
A Peer ReviewedèRefereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 2 March 2020, pp. 48-52

Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

शिक्षा में अधिस्नातकोत्तर पर अनुसंधान की पद्धतियां विषय में दत्त विश्लेषण की सांख्यिकीय तकनीकों पर शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की प्रभावशीलता का अध्ययन

डॉ. अशोक कुमार मोदी* एवं **पूजा रनकवात****

*रीडर (एसोसिएट प्रोफेसर), शिक्षाशास्त्र विभाग, आई.ए.एस.ई., बीकानेर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर (राजस्थान)

**शोधार्थिनी, शिक्षाशास्त्र विभाग, आई.ए.एस.ई., बीकानेर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर (राजस्थान)

प्राप्ति – 12 जनवरी, 2020; **संशोधन** – 15 फरवरी, 2020; **स्वीकृति** – 20 फरवरी, 2020

सारांश

इस शोध में अधिस्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों में पारम्परिक शिक्षण विधि तथा अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि की प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। शोध अध्ययन को जयपुर, अजमेर तथा बीकानेर संभाग में स्थापित शिक्षा स्नातकोत्तर (एम.एड) महाविद्यालयों का चयन अर्द्ध-प्रसभ्याव्यता प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया। छात्र-छात्राओं के मानसिक योग्यता परीक्षण अन्तर्मुखी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व मापनों व उपलब्धि परीक्षण व इन्वैन्ट्री का उपयोग किया गया। प्रस्तुत शोध में स्वनिर्मित उपकरण सामाजिक आर्थिक स्तर मापनों व उपलब्धि उपकरण सामाजिक आर्थिक स्तर मापनों व उपलब्धि परीक्षण क्रमशः विषय-वस्तु विश्लेषण व समवर्ती वैधता द्वारा ज्ञात की गई। अधिस्नातकोत्तर महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में शिक्षण पद्धति के तुलनात्मक अध्ययन हेतु मध्यमान मानक विचलन सह-संबंध गुणांक, एकलमार्गीय प्रसरण विश्लेषण तथा टी-परीक्षण का प्रयोग किया गया। शास्त्रीय अभिक्रमित अनुदेशन द्वारा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि परम्परागत विधि की तुलना में सार्थक रूप से अधिक पाई गई। इसी अनुदेशन को अधिगम की परिस्थितियां शिक्षण विधि, व्यक्तित्व व सामाजिक आर्थिक स्तर की दशा में भी पारम्परिक शिक्षण विधि से प्रभावशाली पाया गया।

प्रस्तावना

शिक्षा मानवीय ज्ञान, शक्ति और जीवन में सफलता और उच्च स्तरीय जीवन प्राप्ति की एक प्रक्रिया है। जिसकी प्राप्ति हेतु शिक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कक्षागत शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में एक प्रमुख कमी छात्रों में वैयक्तिक विभिन्नताओं का होना है। जिसका सीखने की गति पर पर्याप्त प्रभाव पडता है। कोठारी कमीशन

ने भी कक्षागत शिक्षण को दोषपूर्ण पाया और इसमें सुधार हेतु सुझाव दिए हैं। जिसमें नवीन शिक्षण विधियों में अभिक्रमित अनुदेश भी है। यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा छात्र स्वयं के सीखने की रफ्तार से विषय-वस्तु को पढ़कर अधिगम कर सकता है।

प्रश्न है कि क्या यह विधि सभी को समान रूप से लाभ पहुंचाएगी? देसाई (1966), शर्मा (1963), शाह (1964) आदि ने भी अभिक्रमित अनुदेश व परम्परागत शिक्षण दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया, जिसके परिणामस्वरूप अभिक्रमित अनुदेश द्वारा स्व-अधिगम करने वाले समूह की उपलब्धि परीक्षा का माध्यम दूसरे समूह से अधिक पाया गया।

गौड (1983) व शर्मा (1981) ने स्पष्ट किया है कि परम्परागत विधि के रूप में व्याख्यान विधि बहुत अरुचिपूर्ण व अक्रियाशील है। अतः यह आवश्यक है कि परम्परागत शिक्षण विधि को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

अकसर ऐसा माना जाता है कि अभिक्रमित अनुदेशन सभी प्रकार के लिए अच्छा है। लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण क्या छात्र को उपलब्धि पर शिक्षण विधि का कोई भी प्रभाव पड़ सकता है। वर्तमान शोध इसी समस्या को लेकर किया जा रहा है। मनुष्यों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं उनके आसपास के वातावरण पर भी निर्भर करती है। किसी बालक को अच्छा वातावरण व साधन मिलते हैं, किसी को नहीं, जिससे उपलब्धि पर असर पड़ने की पूर्ण संभावना है। अतः आवश्यक है कि अनुदेश के द्वारा उपलब्धि का अध्ययन बालक के बौद्धिक सृजनशीलता व अन्य वैयक्तिक गुणों के आधार पर किया जाए।

डोटी व डोटी (1964) ने पाया कि अच्छी बुद्धि स्तर वाले बालकों की उपलब्धि अधिक व कम बौद्धिक स्तर वाले बालकों की उपलब्धि कम पाई गई है। लेकिन कुछ शोध कार्यों के निष्कर्ष भिन्न हैं, जिससे बौद्धिक स्तर व उपलब्धि में बहुत कम संबंध है। अतः इस महत्वपूर्ण समस्या का हल ज्ञात करने के लिए वर्तमान शोध किया जा रहा है।

नायडू, ऐरन (1969) ने सामाजिक-आर्थिक स्तर और शैक्षिक उपलब्धि में संबंध ज्ञात करने हेतु मैसूर के कक्षा 8 के छात्रों पर अध्ययन से पाया कि इनमें सार्थकता स्तर पर सार्थक सबंध है। सरकार यू (1983) ने पाया कि घरेलू वातावरण आय, माता-पिता का संबंध उच्च-निम्न सामाजिक स्तर का प्रभाव भी सार्थकता स्तर पर सार्थक संबंध है।

विभिन्न व्यक्तित्व के छात्रों पर भी उनकी शैक्षिक उपलब्धि अलग-अलग पाई जाती है, जैसे बहिर्मुखी छात्र कक्षा में शिक्षक व अन्य छात्रों से आसानी से अपनी समस्याओं को पूछकर हल कर लेता है, किंतु अन्तर्मुखी व्यक्तित्व वाले छात्र झिझक महसूसू करते हैं। इसलिए उनकी समस्याओं का निवारण नहीं होता और उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर नकारात्मक असर पड़ता है। लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन में प्रत्येक छात्र स्वयं की सीखने की गति से अधिगम प्राप्त करता है और मनन कर सकता है। अतः इस समस्या को भी शोध में लिया गया है। अधिकतर शोध देश-विदेश दोनों स्थानों पर विभिन्न विषयों पर हुए हैं। कुछ राजनीति छात्र, उच्च स्तरीय सांख्यिकीय व भाषा पर भी हुए हैं। कुछ में कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन प्रभावशाली पाया जाता है। कई ऐसे भी हैं जिनमें परम्परागत प्रणाली के समतुल्य या कम प्रभावशाली पाया गया है। शिक्षा में दक्ष विश्लेषण की सांख्यकीय तकनीकों पर शाखीय अधिक्रमित अनुदेशन की पुस्तकीय प्रणाली की प्रभावशीलता को जानने के लिए कोई शोध नहीं हुआ है। अतः शिक्षा के इस स्तर पर शोध की संभावनाओं को देखते हुए शिक्षा में अनुसंधान की पद्धतियां विषय में दत्त विश्लेषण

की सांख्यिकीय तकनीकों पर शाखीय अधिक्रमित अनुदेशन तैयार कर उसकी प्रभावशीलता का अध्ययन समस्या का चुनाव किया।

उद्देश्य

1. विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षण विधि, बुद्धि व्यक्तित्व तथा सामाजिक-आर्थिक स्तर के मुख्य प्रभाव का अध्ययन करना।
2. विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षण विधि, बुद्धि व्यक्तित्व तथा सामाजिक-आर्थिक स्तर के प्रथम व द्वितीय अन्तर्क्रिया प्रभाव का अध्ययन करना।
3. शिक्षा में अधिस्नातकोत्तर पर अनुसंधान की पद्धतियां विषय में दत्त विश्लेषण की सांख्यिकीय तकनीकें केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप (समान्तर माध्य, माध्यिका) मानक विचलन, सह-संबंध गुणांक तथा डी-सार्थकता परीक्षण का निर्माण करना।
4. विद्यार्थियों को बौद्धिक स्तर व्यक्तित्व प्रकार तथा सामाजिक-आर्थिक स्तर का अध्ययन करना।
5. सामाजिक-आर्थिक स्तर मापनी निर्माण करना।
6. शिक्षा में अधिस्नातकोत्तर पर अनुसंधान की पद्धतियां विषय में दत्त विश्लेषण की सांख्यिकीय तकनीकों के केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप (समान्तर माध्य, मध्यिका) मानक विचलन सह-संबंध गुणांक तथा सार्थकता परीक्षण पर शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन तैयार करना।

परिकल्पनाएं

1. छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षण पद्धति बुद्धि, व्यक्तित्व सामाजिक-आर्थिक स्तर आदि चरों का मुख्य प्रभाव 0.01 तथा 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं होता है।
2. छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षण विधि, बुद्धि व्यक्तित्व शिक्षण विधि व सामाजिक-आर्थिक स्तर बुद्धि व सामाजिक-आर्थिक स्तर, तथा व्यक्तित्त्व व सामाजिक-आर्थिक स्तर आदि चरों का प्रथम व द्वितीय अन्तर्क्रिया का प्रभाव 0.01 तथा 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं होता है।
3. छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षण विधि, बुद्धि एवं व्यक्तित्व शिक्षण विधि बुद्धि एवं सामाजिक-आर्थिक स्तर तथा बुद्धि व्यक्तित्व तथा सामाजिक-आर्थिक स्तर आदि चरों का मुख्य, प्रथम व द्वितीय अन्तर्क्रिया प्रभाव 0.01 तथा 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं होता है।
4. प्रयोगात्मक तथा नियंत्रित समूह में सम्मिलित छात्रों के बुद्धि व्यक्तित्व तथा सामाजिक-आर्थिक स्तर प्राप्तांकों के माध्यों में 0.05 सार्थकता स्तर पर अन्तर सार्थक नहीं होता।
5. प्रयोगात्मक व नियंत्रित समूह में सम्मिलित छात्राओं के बुद्धि व्यक्तित्व तथा सामाजिक आर्थिक स्तर प्राप्तांकों के माध्यों में 0.05 सार्थकता स्तर पर अन्तर सार्थक नहीं होगा।

सीमांकन

प्रस्तुत शोध अध्ययन को जयपुर, अजमेर व बीकानेर के शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को चयनित किया गया।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध अध्ययन में 160 विद्यार्थियों जिनमें 30 छात्र 80 छात्राओं से सम्मिलित किया गया है। इनका चुनाव महाविद्यालयों में पढ रहे प्रथम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों से किया गया। प्रयोगात्मक व नियंत्रित प्रत्येक समूह में क्रमश 40-40 छात्र व छात्राएं रखे गए। प्रत्येक समूह में छात्र व छात्राओं को उनके बुद्धि स्तर, व्यक्तित्व प्रकार व सामाजिक-आर्थिक स्तर इन तीन चरों के आधार पर समतुल्य बनाया गया।

शोध उपकरण

इस शोध में दत्त संकलन हेतु सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण अन्तर्मुखी व बहिर्मुखी व्यक्तित्व मापनी व उपलब्धि परीक्षण कुल तीन मनोवैज्ञानिक परीक्षण व इन्वैन्ट्री का उपयोग किया। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हेतु रॉय व चौधरी द्वारा निर्मित परीक्षा का उपयोग किया। इस परीक्षण में कुल 112 प्रश्न दिए, जिसे हल करने में 40 मिनट का समय है। विद्यार्थियों को व्यक्तित्व आधार पर समरूप बनाने के लिए पी.एफ. अजीज व आर. अग्निहोत्री द्वारा निर्मित अन्तर्मुखी-बहिर्मुखी व्यक्तित्व अनसुनी का उपयोग किया गया। शोध में उपलब्धि परीक्षण स्वनिर्मित किया गया। जिसमें 50 बहुविकल्प प्रकार के प्रश्न बनाए। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक व गलत के लिए शून्य अंक निर्धारित किया गया। उत्तर जांच हेतु पूर्ण में ही उत्तर कुंजी तैयार कर ली गई।

आंकडों की संकलन विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में रॉय, चौधरी द्वारा निर्मित शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को उपयोग में लिया। प्रत्येक (अजमेर, बीकानेर, जयपुर) शिक्षा महाविद्यालय के एम.एड. प्रथम वर्ष के छात्र व छात्राओं पर इसे प्रशासित किया। विद्यार्थियों को उत्तर अंकित करने हेतु उत्तर पत्रक वितरित किए गए। शाखीय अभिक्रमित अनुदेश की निरपेक्ष प्रभावशीलता को परम्परागत विधि के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को व्यक्तित्व समतुल्य बनाने हेतु निर्मित अनुसूची का इन छात्र-छात्राओं के 1 घंटा पश्चात परीक्षण किया गया। जिसके 1 घंटा पश्चात स्व-निर्मित सामाजिक व आर्थिक स्तर मापनी को न्यायदर्शित महाविद्यालयों के छात्रों पर प्रशस्ति किया गया। इसका अंकन मापनी के हस्त पुस्तिका अंकन विधि की सहायता से किया गया। इस प्रकार इस अध्ययन हेतु वैध व विश्वसनीय आंकडों का संकलन किया गया।

आंकडों का सांख्यिकीय विश्लेषण

प्रस्तुत शोध में विभिन्न उपकरणों की सहायता से संकलित किए गए दत्तों का विशद् विश्लेषण तथा व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए समान्तर माध्य मानक विचलन की सार्थकता परीक्षण स्व-निर्मित उपकरण की विश्वसनीयता व वैधता ज्ञात करने हेतु सह-संबंध गुणांक तथा एकल व बहुमार्गीय प्रसरण विश्लेषण का प्रयोग किया गया।

आंकडों का सांख्यिकीय विश्लेषण

प्रस्तुत शोध में विभिन्न उपकरणों की सहायता से संकलित किए गए दत्तों का विशद् विश्लेषण तथा व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए समान्तर माध्य मानक विचलन की सार्थकता परीक्षण स्व-निर्मित उपकरण की विश्वसनीयता व वैधता ज्ञात करने हेतु सह-संबंध गुणांक तथा एकल व बहुमार्गीय प्रसरण विश्लेषण का प्रयोग किया गया।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य अधिस्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों पर पारम्परिक शिक्षण विधि व अधिक्रमित अनुदेशन द्वारा शैक्षिक उपलब्धि पर व्यक्तित्व बुद्धि सामाजिक-आर्थिक स्तर के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना था। जिस हेतु दो स्व-निर्मित व एक रॉय चौधरी द्वारा निर्मित मापनी का प्रयोग किया गया। इस परीक्षण में कुल प्रश्न थे। जिनके प्रांप्ताकों के विश्लेषण हेतु समान्तर माध्य मानक विचलन ही मूल्य सह-संबंध गुणांक आदि का प्रयोग किया गया। इन तालिकाओं के विभिन्न अधिगम परिस्थितियों में अध्ययन करने पर विभिन्न निष्कर्ष सामने आते हैं।

1. शिक्षण विधि का शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। जो यह सिद्ध करता है कि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन स्व-अध्ययन विधि, परम्परागत शिक्षण विधि की तुलना में सार्थक रूप से अधिक प्रभावशाली है जो कि छात्र-छात्राओं दोनों के समान हैं।

उच्च तथा निम्न बौद्धिक स्तर के छात्र-छात्राओं के उपलब्धि मध्यमान से पता चलता है कि उच्च बौद्धिक स्तर के छात्र-छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि निम्न बौद्धिक स्तर के छात्र-छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि से अधिक पाई जाती है।

अन्तर्मुखी व बहिर्मुखी छात्र व छात्राओं के उपलब्धियों मान में अन्तर्मुखी विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि बहिर्मुखी विद्यार्थियों से अधिक पाई जाती है।

शिक्षण विधि व बुद्धि के प्रथम अन्तर्क्रिया प्रभाव के विश्लेषण से शैक्षिक उपलब्धि के परिणामों में सार्थक मान नहीं आने के कारण यह मात्र एक संयोग पाया जाता है। इस प्रकार पूर्व निर्मित परिकल्पना की छात्र-छात्राओं की उपलब्धि पर शिक्षण व बुद्धि का सार्थकता स्तर पर कोई सार्थक नहीं है। इसे स्वीकृत किया जाता है।

व्यक्तित्त्व के मुख्य प्रभाव का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि छात्र-छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर व्यक्तित्व का मुख्य प्रभाव सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है।

अतः विभिन्न परिस्थितियों विभिन्न कारकों जैसे बुद्धि व्यक्तित्त्व सामाजिक-आर्थिक स्तरों का विद्यार्थियों पर मुख्य प्रथम अन्तःक्रिया व द्वितीय अन्तःक्रिया विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि पारम्परिक शिक्षण विधि से प्रत्येक परिस्थिति में बेहतर पाई गई है। जिससे प्रयोग के प्रारंभ की परिकल्पना को निरस्त किया जाता है। और निष्कर्ष निकलता है कि अभिक्रमित अनुदेशन सभी अधिगम परिस्थितियां में सार्थक रूप से प्रभावशाली पाया गया है। यदि पुस्तकें इस अनुदेशन प्रणाली पर लिखी जाए तो सभी व्यक्ति आसानी से नवीनतम ज्ञान को सीख सकते हैं।

सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची

कोठारी सी.पी., *रिसर्च मेथोडोलॉजी*

शर्मा, डॉ. आर.ए., *एज्यूकेशन रिसर्च*

शाह, एम.एस. (1964). *ए प्रोगाम्ड ऑन इस्वेशन सॉल्विंग*, डिपार्टमेन्ट ऑफ पे फाउण्डेशन, न्यू दिल्ली, NCERT

देसाई यू.आर. (1966). प्रोगाम्ड लर्निंग वर्सस ट्रेडिशनल अप्रोच इन टीचिंग ऑफ गुजराती, IAPL NEWS लेटर

डोटी एंड डोटी (1964) प्रोग्राम्ड इन्सट्रक्शन झैक्टीवनेस इन रिलेशन टू सरटेन स्टूडेन्ट कैरेक्टरस्टीटज ऑफ एडयू साइको Vol. 6, pp. 344-338

ISSN: 2456-4583
Indexed: SJIF & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

Global Multidisciplinary Research Journal
A Peer ReviewedèRefereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 2 March 2020, pp. 53-59

Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

आगरा जिले के परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का अध्ययन

पूजा शर्मा

सहायक अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय खेड़िया-1, विकास खण्ड अकोला, आगरा

प्राप्ति - 12 जनवरी, 2020; **संशोधन** - 15 फरवरी, 2020; **स्वीकृति** - 20 फरवरी, 2020

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य आगरा जिले के परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का अध्ययन करना था। अध्ययन के परिणामस्वरूप यह पाया गया कि विद्यार्थियों में सबसे निम्न स्थान सुखवादी एवं शक्तिवादी मूल्यों को दिया है, जो इस तथ्य की पुष्टि कर रहा है कि विद्यार्थियों में खुशवादी एवं शक्तिवादी मूल्यों के प्रति निम्न आकर्षण है। चूँकि भारतीय संस्कृति का एक गुण वसुधैव कुटुम्बकम की भावना है तथा प्रारम्भ से ही शक्ति प्रदर्शन एवं केवल इन्द्रियसुख इसका लक्ष्य नहीं रहा, और आज भी यह गुण भारतीयों में विद्यमान है। यही गुण हमारी संस्कृति के द्वारा परिवारों के माध्यम से आगे आने वाली पीढ़ियों में स्थानान्तरित हो रहे हैं।

प्रस्तावना

शिक्षा समाज में चलने वाली वह सतत् प्रक्रिया है, तो समाज की आर्थिक दशा, राजनैतिक विचारधारा और संस्कृति की मूल मान्यताओं, सामाजिक व शैक्षिक मूल्यों, सिद्धान्तों और दर्शन को प्रतिबिम्बित करती है। सामाजिक व्यवस्था में शैक्षिक मूल्य मानव जीवन में उचित मार्गदर्शन एवं दायित्वों व उद्देश्यों को परिलक्षित करते हैं। शिक्षा मानव के व्यक्तित्व एवं सामाजिक परिमार्जन हेतु आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से ही भावी नागरिकों में ज्ञान, अवबोध, कौशल तथा अभिवृत्तियों का विकास होता है, जिससे मानव अपने व्यक्तिगत, सामाजिक व राष्ट्रीय दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने में समर्थ होता है।

भारतीय धार्मिक ग्रन्थों में मूल्य शब्द का प्रयोग शील शब्द के रूप में लिया जाता है। शील शब्द का पर्यायवाची 'मूल्य' शब्द है। मूल्य शब्द को अंग्रेजी में Value कहा जाता है। जो लैटिन भाषा के Value शब्द से उत्पन्न हुआ है। जिसका अर्थ किसी वस्तु का मूल्य गुण और विशेषता से है। यह मूल्य ऐसे सदगुण का समुच्चय

है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करने में समर्थ होता है। मूल्य मानव के धारण विचार विश्वास मनोवृत्ति का समन्वित रूप है। जहाँ शील अर्थात् मूल्य होता है, वहीं धर्म, सत्य, तेज और बल का विकास होता है। नीतिशास्त्र के अनुसार सज्जन पुरुषों का आभूषण मूल्य है। सी.पी. गुड के अनुसार मूल्य वह चारित्रिक विशेषता है, जो मनोवैज्ञानिक सामाजिक, सौन्दर्यबोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है।

नैतिक मूल्यों से हमारा तात्पर्य उन मूल्यों से है, जिन्हें मानवीय व्यवहार से संबंधित करने पर जीवन उज्ज्वल तथा उच्च बनता है एवं इन व्यवहार को उस स्तर का बनाता है जिस स्तर को संस्कृति ने मान्य किया है या जो हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं, परम्पराओं और आदर्शों के अनुकूल हो। प्रत्येक देश अपने कल्याण, विकास व उन्नति के लिए निरन्तर प्रयासरत रहता है। आज वर्तमान वैज्ञानिक उन्नति के प्रभाव से कुछ देशों को तो जैसे जड़ी-बूटी मिल गई हो, ऐसा आनन्द और विश्वास वैज्ञानिक साधनों के प्रति वे व्यक्त भी करते हैं। लेकिन इस विश्वास के भुलावे अर्थात जाल में फंसकर तथा सत्ता और सम्पत्ति के लोभ में पड़कर कई देशों ने इन साधनों का दुरूपयोग भी किया है। आज सभी देश अणुशक्ति की भयावह कल्पना और अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से काँप उठते हैं। आज सभी देश चाहे पश्चिम जगत में हो या पूर्व जगत के विश्व में शान्ति और सुरक्षा के लिए अंतर्नाद करते दिखाई दे रहे, परन्तु इस विषय में गम्भीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस दिशा में गम्भीर चिन्तन करना विकास के लिए आवश्यक होगा। भारतीय संस्कृति सनातन एवं प्राचीन है। भारत को विश्व का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। हमारी संस्कृति, हमारा दर्शन एवं आध्यात्मिक चिन्तन जिन मूल्यों की पुनर्स्थापना की जरूरत है। भारतीय संस्कृति के मूल्य व्यक्ति को वास्तविकता का अनुभव कराते हैं, जबकि इसके विपरीत भौतिकवादी में भटकते हुए छोड़ देते हैं। आज पाश्चात्य संस्कृति की भौतिकवादी चकाचौंध से ग्रस्त भारतीय अपनी सनातन संस्कृति को छोड़कर उसके पीछे जो भागे जा रहे हैं। यह बालक के विकास में बाधक व हानिकारक है। अतः बालकों की शिक्षा में नैतिक पक्षों का समावेश कर, उसके व्यवहार व शिक्षण में भारतीय मूल्यों का आत्मसात् करने की प्रेरणा प्रदान करनी होगी।

अनुशासन हर देश और समाज के लिए अमूल्य निधि है, जिस प्रकार देश और समाज के लिए जीवन में अनुशासन बहुत मूल्यवान है, उसी प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व पर उसके व्यक्तिगत जीवन में भी यह महत्वपूर्ण है। बालक-बालिकाओं के लिए विद्यालयों को तैयार किया जाता है। अतः विद्यालयों में अनुशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। अनुशासन व्यक्तित्व विकास का प्रथम सोपान है। शिक्षा संस्कारों से संबंधित है। प्रत्येक शिशु जब जन्म लेता है तो वह साफ कागज के समान होता है। उसे सुसज्जित करने के लिए किन्हीं प्रौढ़ व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसी विकास की प्रक्रिया में वह संस्कारित होता जाता है। उसके संस्कार प्रदाता चाहते हैं कि उनका बच्चा सुशील और आचरणवान बने। उसमें अच्छी आदतें हो, वह कार्य करने में कुशल हो, शीलवान और चरित्रवान हो, वह बड़ों का आदर और छोटों को प्यार दे। ऐसे गुणों से युक्त बालक को चाहने वाले अभिभावक इसी हेतु अच्छे संस्कार देने की पूर्ण चेष्टा करते हैं। गुणों की विधिवत संस्कार प्रणाली को शिक्षा कहते हैं। अर्थात् माता-पिता अपने बच्चे में उत्तम शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहते हैं। संस्कार ग्रहण करने वाले बच्चे की शिक्षा अनायास संभव नहीं हो सकी। बालक की प्रारम्भिक अवस्था में तो संस्कार में तो संस्कार प्रदाता ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों को उचित आदेश एवं निर्देश देकर उसमें वांछित संस्कार निर्मित करने का प्रयास किया जा सकता है। बालक द्वारा उन आदेशों एवं निर्देशों अथवा आज्ञाओं का पालन या अनुकरण ही अनुशासन कहा जा सकता है। आज्ञा पालन ही अनुशासन का पर्याय है। कोई भी बालक बिना अनुशासन के वांछित संस्कार ग्रहण नहीं कर सकता। अतः शिक्षा में अनुशासन अपरिहार्य है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार अनुशासन का अर्थ व्यापक रूप में लिया जाता है। आज जहाँ शिक्षा का उद्देश्य बालक में सफल नागरिकता एवं सामाजिकता के गुणों का विकास करना समझा गया

है, वहाँ विद्यालय अनुशासन से तात्पर्य ऐसे आन्तरिक तथा बाह्य अनुशासन से लिया गया है, जो शारीरिक-बौद्धिक सामाजिक व नैतिक मूल्यों का विकास करें। अनुशासन से कौशल एवं मितव्ययता विकसित होती है तथा व्यवस्था सार्थक हो जाती है। टी.पी. नन के शब्दों में कहा जा सकता है कि "अनुशासन का अभिप्राय अपनी प्रवृत्तियों को रोककर उनका इस प्रकार नियन्त्रण करना है कि अपव्यय एवं अकुशलता के स्थान पर मितव्ययता एवं कुशलता प्राप्त की जा सके।"

अन्त में कह सकते हैं कि सर्वाधिक आधुनिक विचारधाराओं के अनुसार अनुशासन का अर्थ है लोकतंत्रीय समाज में बालकों एवं बालिकाओं को जीवन के लिए तैयार करना। इसका अभिप्राय व्यक्ति को ज्ञान शक्ति, आदतों, रुचियों तथा आदर्शों को प्राप्त करने में सहायता देना है जो कि स्वयं के व उनके साथियों के कल्पना के लिए एवं सम्पूर्ण समाज के लिए कल्पित किए जाते हैं।

अतः अनुशासन की विचारधारा के सन्दर्भ में हम कह सकते हैं कि यह बालकों में उच्च भावनाओं के विकास में सहायक होगा, जिससे वह अपने आवेगों, विचारों, इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण रखकर समाज स्वीकृत विधियों द्वारा समस्याओं का समाधान खोज सके, बालक विद्यालयों के नियमों का अनुसरण कर सके। विशेषतः शिक्षकों, अभिभावकों व प्रधानाचार्य तथा समाज के अन्य लोगों की आज्ञा का पालन करे। उनका सत्कार करे, उनसे अभद्र व्यवहार न करे। कक्षा-कक्ष छात्रावास खेल के मैदानों एवं अन्य सभी स्थलों पर संतुलित एवं शुद्ध आचरण युक्त व्यवहार करे तथा जीवन में सत्य एवं यथार्थता का अनुसरण करे, यही सच्चा अनुशासन आचरण है।

संबंधित साहित्य का अध्ययन

शर्मा, सरिता पीएच.डी. शिक्षा (2007) ने "उच्च प्राथमिक स्तर के अर्न्तमुखी एवं बाह्यमुखी विद्यार्थियों की संवेगात्मक स्थिरता, सृजनात्मकता, नैतिक मूल्य तथा जिज्ञासा का अध्ययन" पर शोध किया और निष्कर्ष रूप में पाया। अर्न्तमुखी व बाह्यमुखी छात्रों की नैतिकता का स्तर लगभग समान पाया गया। अर्न्तमुखी व बाह्यमुखी छात्राओं में सार्थक अन्तर पाया गया। अर्न्तमुखी छात्राओं की अपेक्षा बाह्यमुखी छात्राओं मे नैतिकता का स्तर अधिक पाया गया व अर्न्तमुखी विद्यार्थियों की सृजनात्मकता व नैतिकता ही थी, सार्थक सहसम्बन्ध पाया गया।

निगम, विभा पीएच.डी. शिक्षा (2008) ने "प्राथमिक स्तर पर बच्चों के नैतिक मूल्यों के विकास में माता-पिता की शिक्षा का प्रभाव शीर्षक पर अध्ययन" किया। इन्होंने निष्कर्ष में पाया कि प्राथमिक स्तर पर बालक एवं बालिकाओं के नैतिक मूल्यों में कोई अन्तर नहीं होता। उच्च शिक्षित माता-पिता के बच्चों के नैतिक मूल्यों एवं निम्न स्तर तक शिक्षा प्राप्त अभिभावकों के बच्चों के नैतिक मूल्यों की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक श्रेष्ठ होते हैं। साथ ही तीनों ही समूहों उच्च सामान्य तथा निम्न स्तर तक शिक्षित अभिभावक के बालक एवं बालिकाओं के नैतिक मूल्यों में अन्तर पाया गया। उच्च शिक्षित माता-पिता की बालिकाओं में नैतिक मूल्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ पाई गई।

देवगन, प्रवीन पीएच.डी. शिक्षा (2009) ने "बालिकाओं की धार्मिक प्रवृत्ति एवं नैतिकता के मध्य संबंध का अधययन" किया और निष्कर्ष रूप में पाया कि धार्मिकता एवं नैतिकता के मध्य सहसंबंध सभी धर्मों में अलग-अलग स्तर का है। नैतिकता एवं धार्मिकता का आपस में ऋणात्मक सहसंबंध बालिकाओं के घरों का वातावरण जाति, दशा, आर्थिक स्थिति आदि सभी पर निर्भर करता है।

यामाहा, रामली, कुरूप्पया पीएच.डी. शिक्षा (2009) ने "इफेक्टिंग फैक्टर इन्फ्लेनसिंग द डिटरीरेशन ऑफ स्टूडेन्ट्स डिसिप्लिन इन सैकण्डरी स्कूल्स इन जौहर" पर शोध किया। निष्कर्ष रूप में पाया कि लिंग विभिन्नता का अनुशासन सम्बन्धी समस्याओं के प्रबन्ध में अनुशासित शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता और उनके अनुभवों में सार्थक अन्तर पाया गया। साथ ही अनुशासन गिरावट पर सबसे अधिक प्रभाव उनके मित्रों पर पाया गया। लिंग विभिन्नता का अनुशासन गिरावट पर उनके परिवारों का सार्थक प्रभाव पड़ता है व स्कूल वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है।

समुअल, जोसफ, ऐलेक्लेन्टर एण्ड स्केगस पीएच.डी. शिक्षा (2011) ने "द इम्पेक्ट ऑफ स्कूल डिसिप्लिन ऑन सोशल बॉन्ड" पर अध्ययन किया और निष्कर्ष रूप में पाया कि स्कूल द्वारा संचालित अपराध रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रमों हेतु ज्यादा सावधानी के उपयोग से स्कूल सामाजिक बन्धन व सामाजिक बन्धन व सामाजिक-आर्थिक स्तर के मध्य धनात्मक सह-सम्बन्ध पाया गया।

पासवान, सुबाला पीएच.डी. शिक्षा (2012) ने "पर्सनेलिटी ट्रेटस मोरल वैल्यूज एण्ड नेशनल अवेकैनिंग अमंग स्कूल ऑफ वायरिंग कल्चर्स आईडियोलॉजी पर अध्ययन" किया और निष्कर्ष रूप में पाया कि विद्यार्थियों पर सांस्कृतिक आधारित शिक्षा का उनके व्यक्तित्व आकार नैतिक व राष्ट्रीय जागृति का सार्थक प्रभाव पड़ता है। अन्य सांस्कृतिक के अपेक्षा हिन्दू संस्कृति से चलाए जाने वाली डी.ए.वी. स्कूल के विद्यार्थियों में नैतिकता व राष्ट्रीय जागृति अधिक पायी गई। हिन्दू व मुस्लिम संस्कृति के विद्यालयों के विद्यार्थियों की तुलना करने पर हिन्दू संस्कृति द्वारा संचालित विद्यालय के विद्यार्थियों का नैतिक मूल्य उच्च पाया गया।

चावला एण्ड सिसोदिया पीएच.डी. शिक्षा (2013) ने "ए स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज ऑफ क्लास स्टूडेन्ट्स इन रिलेशन टू फैमली क्लाइमेट एण्ड मीडिया पर अध्ययन" किया। निष्कर्ष रूप में पाया कि आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य पारिवारिक वातावरण और मिडीया के मध्य सार्थक सम्बन्ध पाया गया। विद्यार्थियों में पारिवारिक वातावरण व नैतिक मूल्यों के मध्य सार्थक सम्बन्ध पाया गया व कक्षा 8 के छात्रों में नैतिक मूल्य एवं मीडिया के मध्य सार्थक सम्बन्ध पाया गया।

शर्मा, रेखा पीएच.डी. शिक्षा (2015) ने "किशोरों के समायोजन, नैतिक मूल्य और शैक्षिक उपलब्धि के विकास में पंचतंत्र की कहानी के प्रभाव का अध्ययन" पर शोध किया और निष्कर्ष रूप में पाया कि विधा भारती मे अध्ययनरत विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य सबसे ज्यादा पाए गए। छात्रों एवं छात्राओं की अपेक्षा छात्रों में नैतिक मूल्य उच्च पाए गए। संस्कृत विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों में मानवता के गुण सबसे ज्यादा पाए गए। निजी विद्यालय एवं सरकारी विद्यालय में अधययनरत छात्राओं में निजी विद्यालय की छात्राओं में विनम्रता अधिक पायी गई। पंचतंत्र की कहानियों को आधुनिक तकनीकी से पढ़ाए जाने पर विद्यार्थियों में नैतिकता अधिक पायी गई।

समस्या का औचित्य

मानव को अपनी सफलता प्राप्ति हेतु एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ नियमों, संयम, दया, करूणा आदि नैतिक मूल्य का पालन करना चाहिए। मूल्यों के साथ ही साथ अनुशासन सफलता की कुंजी वर्तमान में आधुनिक समाज का एक बड़ा भाग नैतिक अराजकता में जी रहा मूल्यों का ह्रास नीति एवं सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में हो रहा है। आज भी इससे अछूती नहीं रही है। आज का विद्यार्थी भी स्वार्थ हित सह विघटनकारी प्रवृत्तियों में डूबता जा रहा है। स्वार्थपरता एवं अनैतिकता का है। मानव प्रेम, आस्था एवं विश्वास

के अभाव में तिरोहित होता जा रहा है। मानव जीवन में नैतिक मूल्य लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे अनुशासनहीनता रही है। आज का विद्यार्थी मुख्य लक्ष्य ज्ञानोपार्जन न लेकर मात्र डिग्री प्राप्त करने पर विश्वास करता है। इसके लिए किसी भी प्रकार का तरीका क्यों न अपनाया जाए। इन सबके पीछे मूल कारण नैतिकता का अभाव ही है। नैतिकता के दृष्टिकोण से वातावरण पर प्रकाश डाला जाए, तो यह स्पष्ट नजर आता है कि विद्यार्थी पर अनैतिकता का आचरण करते हैं। इसमें माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर अधिक झूठ बोलने की प्रवृत्ति पैदा होती जा रही है। गृहकार्य न करना, विद्यालय में आना, सहपाठी से झगड़ा करना, दीवारों पर या श्यामपट्ट पर शब्द लिखने, अध्यापकों से असभ्य तरीके से बात करने आदि बिन्दुओं के लिए अध्यापक जब-जब विद्यार्थियों से पूछते हैं, तो इसे झूठ बोलकर छिपाने का प्रयास करता है। विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति भी छात्रों में दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। विद्यार्थी घर से तो विद्यालय के लिए प्रस्थान करते हैं, लेकिन विद्यालय पहुँचते ही नहीं हैं और अभिभावकों को गुमराह करते हैं। आज का विद्यार्थी विभिन्न विरोधों व भ्रमों में खोया हुआ है। वे शाब्दिक रूप से जो बात करते हैं, व्यवहार में अलग कार्य करते हैं। वे स्व-केन्द्रित हो गए हैं और उच्च संस्कारों व मानवीय गुणों से दूर हो गए हैं। इन सबके मूल कारणों के कारण नैतिक मूल्यों का अभाव पाया जा रहा है, जिससे अनुशासनहीनतापूर्वक आचरण करने हेतु आज का विद्यार्थी प्रेरित होता जा रहा है। साथ ही आधुनिक सभ्यता के विकास के साथ-साथ विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति और बढ़ रही है। आए दिन विद्यार्थी कॉलेजों, स्कूलों में तुच्छ मांगों के लिए हड़तालें, दंगा-फसाद, अपने गुरुजनों का अपमान, गिरते हुए नैतिक मूल्य और बढ़ती हुई अनुशासनहीनता की समस्या भारत में ही नहीं, अपितु विश्वभर में बढ़ रही है। अतः शोधार्थी ने उक्त समस्या को अपने शोध का विषय बनाकर इनके कारणों को जानने की जिज्ञासा को जन्म दिया।

उद्देश्य

1. आगरा जिले के परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का अध्ययन

अध्ययन विधि - सर्वेक्षण विधि

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध के अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा न्यादर्श के चयन की विभिन्न विधियों मे संभाव्यत न्यादर्श से यादृच्छिक न्यादर्श विधि वे असंभाव्यता न्यादर्श से सोदेश्य न्यादर्श विधि का चयन किया है। प्रस्तुत शोध में आगरा जिले में परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत 500 छात्र-छात्राओं का न्यादर्श के रूप में लिया गया है।

उपकरण

अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा निम्न उपकरणों का उपयोग तथ्य संकलन हेतु किया जाएगा -

1. नैतिक मूल्य मापनी - व्यक्तिगत मूल्यमापनी, डॉ. श्रीमती जी.पी. शैरी एवं डॉ. आर.पी. शर्मा का प्रयोग किया गया।

प्रदत्तों का विश्लेषण

आगरा जिले के परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का अध्ययन करने हेतु प्रत्येक मूल्य से प्राप्त प्राप्तांकों का मध्यमान व मानक विचलन ज्ञात किया, जो निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1: आगरा जिले के परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों के मध्यमान व मानक विचलन का अध्ययन

क्रम संख्या	*व्यक्तिगत मूल्य*	*मध्यमान*	*मानक विचलन*
1.	धार्मिक मूल्य	12.57	3.441
2.	सामाजिक मूल्य	15.13	3.066
3.	प्रजातांत्रिक मूल्य	17.34	3.462
4.	सौन्दर्यात्मक मूल्य	10.66	3.736
5.	आर्थिक मूल्य	10.43	3.494
6.	ज्ञानात्मक मूल्य	14.85	3.297
7.	खुशवादी मूल्य	9.52	3.437
8.	शक्तिवादी मूल्य	8.2	3.045
9.	परिवार प्रतिष्ठा मूल्य	10.2	3.171
10.	स्वास्थ्य मूल्य	10.92	3.405

तालिका 1 में प्रदर्शित सभी मूल्यों के मध्यमानों का अवलोकन करने पर प्रजातान्त्रिक मूल्य को उच्च स्थान प्राप्त हुआ अर्थात् छात्र सभी मूल्यों में से प्रजातान्त्रिक मूल्य को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि भारत प्रजातान्त्रिक देश है तथा शिक्षा के द्वारा छात्रों में प्रजातान्त्रिक मूल्य विकसित करने का प्रयास किया जाता है, वहीं किशोर अवस्था होने के कारण छात्र इस समय सामाजिक परम्पराओं व रूढ़ियों के प्रति विद्रोही होते हैं तथा समान अधिकार एवं न्याय के पक्षधार होते हैं।

विद्यार्थियों ने द्वितीय स्थान सामाजिक मूल्य को दिया, जिससे यह परिलक्षित होता है कि विद्यार्थी सामाजिक मूल्य को अपने विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं अर्थात् आज बालकों में यह दया, दान, प्रेम, भाईचारे को प्रदर्शित करती है। निःस्वार्थ रूप से मानव की सेवा के माध्यम से उनमें कष्टों तथा संघर्षों के प्रति जूझने तथा सर्वस्व न्योछावर करने की सच्ची सेवा को प्रदर्शित कर सामाजिक मूल्यों को अपने में समाए हुए है।

विद्यार्थियों ने तीसरा स्थान ज्ञानवादी मूल्य को दिया। एक ज्ञानात्मक पक्ष का व्यक्ति सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ-साथ उस पर किए गए क्रियात्मक पक्ष द्वारा सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है। वह तभी अध्ययन को महत्व देता है जब वह स्वयं में सक्षमता तथा नवीन तथ्यों की खोज की अभिलाषा रखता है। जिसके लिए ज्ञानात्मक पक्ष महत्वपूर्ण है। साथ ही वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र में प्रतियोगिता होने के कारण वह अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि विद्यार्थी समर्थ की विजय के सिद्धान्त से भलीभाँति परिचित हैं, इसलिए ज्ञान प्राप्त कर सामर्थ्य प्राप्त करने के कारण ज्ञानवादी मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं।

विद्यार्थियों ने चौथा स्थान धार्मिक मूल्यों को दिया। प्राप्त मानों से दृष्टिगोचर होता है कि विद्यार्थियों में धर्म के प्रति दृष्टिकोण सामान्य से उच्च स्तर का है अर्थात् आज भी हमारा युवा वर्ग धर्म से विमुख नहीं है, आज भी धार्मिक मान्यताओं एवं परम्पराओं में आस्था रखता है।

विद्यार्थियों ने पाँचवाँ स्थान स्वास्थ्य मूल्यों को दिया। परिवारों में बढ़ते उच्च खान-पान तथा प्रत्येक विद्यालय में शारीरिक शिक्षा तथा नियमित व्यायाम, योग साधना पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिसके कारण विद्यार्थियों का रुझान स्वास्थ्य मूल्य की ओर अधिक देखा गया।

विद्यार्थियों ने छटवाँ स्थान सौन्दर्यात्मक, आर्थिक एवं परिवार-प्रतिष्ठा मूल्यों को दिया, जो इस तथ्य को प्रदर्शित कर रहा है कि बालक सौन्दर्यात्मक, आर्थिक एवं परिवार-प्रतिष्ठा मूल्यों को भी जीवन में स्थान देते हैं क्योंकि जीविकोपार्जन एवं भविष्य हेतु अर्थ का महत्व है, जिससे विद्यार्थी परिचित हैं। यही सकारात्मक दृष्टिकोण बालकों का परिवार प्रतिष्ठा में भी है, जो यह दर्शाता है कि बालक अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा एवं मूल्यों को महत्व देते हैं। भारतीय परिवार प्रारम्भ से ही अपने बालकों में पारिवारिक मूल्यों को स्थापित करते हैं। जिसके परिणामस्वरूप वह परिवार-प्रतिष्ठा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं।

परिणाम

तालिका में मध्यमानों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों में सबसे निम्न स्थान सुखवादी एवं शक्तिवादी मूल्यों को दिया है, जो इस तथ्य की पुष्टि कर रहा है कि विद्यार्थियों में खुशवादी एवं शक्तिवादी मूल्यों के प्रति निम्न आकर्षण है। चूँकि भारतीय संस्कृति का एक गुण वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना है तथा प्रारम्भ से ही शक्ति प्रदर्शन एवं केवल इन्द्रियसुख इसका लक्ष्य नहीं रहा, और आज भी यह गुण भारतीयों में विद्यमान है। और यही गुण हमारी संस्कृति के द्वारा परिवारों के माध्यम से आगे आने वाली पीढ़ियों में स्थानान्तरित हो रहे हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

आर्य, सुमित्र (2002). *किशोरावस्था में नैतिक मूल्य*, जयपुर, क्लासिक पब्लिकेशन

बीवर पी.जे. (1971). *स्टेटिकल प्रिन्सीपल*, लन्दन, इन एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन, मैग्राहिल कम्पनी

बेंकेटस एण्ड संध्या, एस.वी. नागिया (2004). *रिसर्च इन वैल्यू एज्यूकेशन*, नई दिल्ली, ए.वी.एच. पब्लिकेशन

भटनागर, आर.पी. व अन्य (2004). *शिक्षा अनुसंधान*, मेरठ, लॉयल बुक डिपो

भटनागर, सुरेश व कुमार, संजय (2005). *भारत में शिक्षा का विकास*, मेरठ, आर. लाल बुक डिपो, सूर्या पब्लिकेशन

चौबे, एस.पी. चौबे अखिलेश (2007), *फिलोसॉफिकल एण्ड सोशियोलोजिकल, फॉउंडेशन आफ एज्यूकेशन*, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर

चौधरी, संतोष, माथुर, सावित्री (2012). *शिक्षा सिद्धान्त एवं आधुनिक भारत में शिक्षा*, अयपुर, आस्था प्रकाशन

दास, आर.सी. (1995). *इन इन्ट्रोडक्शन टू वैल्यू एज्यूकेशन*, नीपा, वैल्यू हैण्ड बुक

गुप्त, नाथुलाल (2006). *मूल्य परख शिक्षण सिद्धान्त प्रयोग एवं प्रविधि*, अजमेर, कष्णा बदर्स

गुड, कार्टर, वी. एण्ड स्केट्स, डगलस बी. (1954). *मेथड्स ऑफ रिसर्च : एज्यूकेशनल, सॉइकोलोजिकल, सोशियोलोजिकल*, न्यूयार्क

गैरेट, हैनरी ई. (1989). शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग, नई दिल्ली, ग्यारहवाँ संस्करण

ISSN: 2456-4583
Indexed: SJIF & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

Global Multidisciplinary Research Journal
A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 2 March 2020 pp. 60-63

Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

MAHASWETA DEVI'S DRAUPADI: VOICE OF THE VOICELESS

Dr. Neelam Srivastava
Assistant Professor, Department of English, D.S. College, Aligarh

Received: 05 February 2020, **Revised:** 16 February 2020, **Accepted:** 27 February 2020

Abstract

Mahasweta Devi, an eminent Indian, Bengali writer is a long- time champion for the upliftment of the tribals of Bihar, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Devi, a social activist has a deep concern for the plight and sufferings of the under-privileged class, the subalterns. The interplay of activism and literary writing in Devi's fiction can be invaluable in current discourses and practices. The present article is a sincere effort on the part of the researcher to analyze the author's narrative art so as to bring forth the subversion of power and the transition brought not through words but through action. This is the powerful voice of the unarmed target, Dopdi who rejects the conventional societal norms.

Keywords: *Activism, Subaltern, Narrative art, Societal norms.*

A deeply political social activist Mahasweta Devi is a prolific Bengali writer of short stories and fiction. She has made invaluable contributions to literary and cultural studies in India. Mahasweta Devi is a social activist who has wholly immersed to work for the struggles of the tribals of Bihar, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. She has written, worked and fought for the marginalized tirelessly for decades. A prolific writer and an activist, she stands with few equals among today's Asian writers in the dedication and directness with which she has turned her writing into the voice of the subaltern:

> My India still lives behind a curtain of darkness, a curtain that separates the mainstream society from poor and the deprived. But then why my India alone(?) as the century comes to an end, it is important that we all make an attempt to tear the curtain of darkness, see the reality that lies beyond and see our own true faces in the process.' (Mahasweta Devi, Ramon Magsaysay award acceptance speech, 1997)

Originally written in Bengali, Mahasweta devi's *BREAST STORIES* is a compilation of three stories: 'Draupadi', 'Breast-giver' and 'Behind the Bodice' which have been translated into English by Gayatri Chakravorty Spivak and she calls it 'The Breast Trilogy'. As Gayatri points out in her introduction, the breast is far more than a symbol in these stories – it is the means of harshly indicting an exploitative social system. This essay is a sincere effort to bring on surface the concept of the subaltern, the voiceless finding voice through the short story *Draupadi*.

In *Draupadi*, the author writes about the persecution of the members of the tribal community who continue to face the trauma of being chased and tortured. The story is set against the backdrop of the Naxalite revolt. It was a major peasant rebellion that started in the Naxalbari region of West Bengal. It was a rebellion by the lower caste cultivators against the upper caste feudal land owners. Several generations of feudal exploitation in the form of low wages, excessive rates of interest charged by the land owners and sexual exploitation of the tribal women were major causes that led to the revolution. This is the broad web in which the story has been intricately woven. Dopdi Mehjen or Draupadi and her husband Dulna considered chief instigators in the Naxalite revolt have become prime targets of the state wherein the Special Forces of the Indian Army having joined hands with the upper caste landlords are chasing the revolutionaries with a vengeance, with an objective of bringing the revolution to an end. Dulna is hunted and shot to death while Draupadi manages to escape. After a long search, Draupadi is finally apprehended and brought to Senanayak, the army commandant and "a specialist in combat and extreme Left politics." His cryptic command to his men results in the brutal sexual torture of Draupadi. The single command uttered by the Senanayak was: "Make her. Do the needful." Senanayak's men carry out his order by stripping off Draupadi, she is a very timid and easy prey for them. It is the culmination of her political punishment by the representatives of the law. The brutal punishment seems unending and the hours that pass by seem like ages to her:

> Then a billion moons pass. A billion lunar years. Opening her eyes after a million light years….She senses her vagina is bleeding. She thinks, "How many came to make her?" Shaming her, a tear trickles out of the corner of her eye. (31)

In the concluding part of the story, the gang raped Draupadi challenges the state agents and their masculinity. The soldiers come to summon her before Senanayak and throw a cloth at her to cover herself up. But Draupadi tears the cloth, she refuses to follow their order and cover herself. She does not want to put a veil on the tormentous torture borne not only by her injured body but also by her wounded soul. Instead, she comes face to face with the Senanayak who had sanctioned the brutality but did not want to encounter it.

> The commotion is as if the alarm had sounded in a prison. Senanayak walks out surprised and sees Draupdi, naked, walking towards him in the bright sunlight with her head high. (32)

The nervous guards follow her. Senanayak at once taken aback and frightened asks where her clothes are. Draupadi, in a terrifying and sky splitting voice retorts:

> What's the use of clothes? You can strip me, but how can you clothe me again? Are you a man? (33)

Although Draupadi is victimized, she is given a voice at the end of the story. This voice isrepresented in her bare body when she finally confronts her tormentor, She comes closer and though she has been terribly raped and tortured by the soldiers, she utters, "Come on, *kounter* me—come on, *kounter* me?" Though Draupadi does not understand the actual meaning of the word, nevertheless, she knows as Spivak explains, the code behind the word and that it means torture. In the climax, however, she suddenly seems to use the word in the right manner as she "chooses the front of Senanayak's white bush shirt to spit a bloody gob at" thus confronting him both verbally and physically. As Rajeswari Sunder Rajan points out, "Dopdi does not let her nakedness shame her, her tortures intimidate her, or her rape diminish her." But Rajan cautions us that this should not be read as a "transcendence of suffering, over even simply as heroism." It is instead "a deliberate refusal of shared sign system (the meanings assigned to nakedness, and rape: shame, fear, loss)" By refusing to share the sign system, she also becomes unpredictable. Thus, Senanayak despite all his theoretical knowledge of the tribals, fails to anticipate Draupadi's move. The last metamorphosis when Draupadi challenges Senanayak and his armed men to *kounter* her baffles him and "for the first time Senanayak is afraid to stand before an unarmed target, terribly afraid."In the words of Spivak, "Dopdi subverts the physicality of her body from powerlessness into powerful resistance." Dopdi's body becomes a medium of the exertion of authoritarian power and of gendered resistance. However, the male authority's voice through the attack on her body degenerates with her candid reaction to the police. Her denial to cover herself goes against the phallocentric power, and the brutality exercised on her body become the agent of deviating from the hegemonic patriarchy of the policemen.

Through the bold, unusual way of narration the text *Draupadi* suggests that the female protagonist Dopdi is in the social and cultural position of the subaltern. We strictly feel that the major role in Mahasweta Devi's narrative is played by language. When the concept of the subaltern is applied to the story, it is observed that though we are dealing with substantial power relations between Senanayak and Dopdi, the two main characters, the dichotomy begins to deplete. A modulation of power takes place in the end when Draupadi challenges Senanayak and counters him. Eventually the subaltern woman gets a voice which is articulated through her body, she confronts Senanayak and the gap between theory and practicality is ruptured.

Mahasweta Devi presents before the readers how any war or conflicts leads to the women's body being the prime targets of attack by men. Though in any war or conflict, both men and women are tortured but women are the worse sufferers as they have to bear the pain of sexual abuse too. Keeping in view Spivak's concept on the subaltern, through Dopdi, Mahasweta Devi represents the *gendered subaltern* subject who exists at the periphery of society and dares to go against the existing patriarchal structures. She has not allowed her female protagonist to be submissive and conquered by the male dominated society. At the end of the story, Senanayak as well as his men are confronted by Dopdi with her naked, bare body, the body that was tortured is used as a weapon.

Despite being physically tortured and abused, she refuses to be emotionally shattered and wounded. Thus, here is presented a strong woman who though marginalized and exploited transgresses the norms laid down by the conventional society, she refuses to follow the conventional sexual and societal standards. There is a reversal from helplessness, powerlessness to powerful resistance.

The re-presentation of Dopdi undeniably proves that the subaltern woman can be re-presented as an "agent" in imaginative writing. This story of Dopdi by Mahasweta Devi certainly wrecks off the argument by Spivak in her essay "Can the Subaltern Speak?" that the "subaltern as female cannot be heard or read." In Dopdi, we have a subaltern woman woman who speaks, speaks loudly – literally and metaphorically for her 'voice… is as terrifying, sky splitting and sharp as her ululation'– and makes herself heard. (D. Karunanayake) When Spivak's argument in her essay "Can the Subaltern Speak" is analyzed, there is a probability she wants to express that in order to make them heard or understood by others, someone has to speak, someone has to give them voice and here in this short story though, Mahasweta Devi, the author and social activist has given her voice, she speaks for them, yet the major question remains whether the subaltern themselves can have their say, a voice that can be acknowledged by the society? (*The International Herald Tribune*, 12 September 2008)

REFERENCES

Devi, Mahasweta. *Draupadi in Breast Stories*. Translated by Gayatri Chakravorty Spivak (Calcutta, India: Seagull Books, 2018)

Spivak, Gayatri Chakravorty. *A Critique of Postcolonial Reason: Towards History of the Vanishing Present* (Cambridge Harvard UP; Calcutta: Seagull, 1999)

Rajan, Rajeshwari Sunder. *Real and Imagined Women: Gender, Culture and Postcolonialism* (New York: Routledge, 1993)

Spivak, Gayatri Chakravorty. *Can the Subaltern Speak*? (1983)

Spivak, Gayatri Chakravorty. *The Trajectory of Subaltern in my Work*. (2003)

GMRJ
ISSN: 2456-4583
Indexed: SJIR & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

Global Multidisciplinary Research Journal
A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 2 March 2020 pp. 64-69

Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में समावेशी शिक्षा - महत्व एवं चुनौतियाँ

डॉ. सरोज यादव
एसोसिएट प्रोफसर, शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, चौ. चरण सिंह पी.जी. कॉलेज हेवरा, इटावा (उ.प्र.)

प्राप्ति - 10 जनवरी, 2020; **स्वीकृति** - 02 फरवरी, 2020; **संशोधन** - 21 फरवरी, 2020

प्रस्तावना

शिक्षा का संबंध मनुष्य की संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं सामाजिकता के गुणों के उन्नयन से हैं। जीवन में शिक्षा की इतनी अधिक उपयोगिता है कि कहा गया है - "बिना शिक्षा का ज्ञान के मनुष्य पशु के समान है।" वर्तमान समय में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ समावेशी शिक्षा पर अधिक जोर दिया जा रहा है। समावेशी शिक्षा, शिक्षण की ऐसी प्रणाली है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मुख्यधारा के स्कूलों में पठन-पाठन और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है, जिससे वह समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सके। इसके तहत स्कूल में पठन-पाठन के अलावा विकलांग बच्चों के लिए बाधारहित वातावरण का निर्माण कार्य भी शामिल है। शिक्षण की इस नवीन प्रणाली से हाशिए पर के वे बच्चे लाभान्वित होते हैं, जिन्हें अपनी दिनचर्या से लेकर पढ़ाई पूरी करने तक विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्यत: दृष्टि, श्रवण एवं अधिगम अक्षमता के साथ-साथ मानसिक मंदता और बाधिरता से ग्रस्त होते हैं। इन्हें सामान्य बच्चों के साथ समायोजित होने में काफी कठिनाई होती है। माता-पिता या अभिभावकों की सोच भी इन बच्चों के प्रति सकारात्मक नहीं होती है, जिसके कारण वे अपने आपको समाज से कटा हुआ महसूस करते हैं। परिणामस्वरूप वे स्कूली शिक्षा से बाहर ही रह जाते हैं। समाज में ऐसे बच्चों की आबादी 5 से 10 फीसदी है। इसलिए ऐसे बच्चों का शिक्षा में समावेशन किया जाना अति आवश्यक है।

समावेशी शिक्षा में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है, जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं अर्थात समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक, प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है। यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति है, जो तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और इसमें उनकी योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा-संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी प्रकार का अवरोध पैदा न कर सके। आज ब्रिटेन तथा अमेरिका जैसे कुछ विकसित देशों में इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएं आवासीय विद्यालयों के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन हमारा देश भारत विकासशील होते हुए भी इस प्रकार की संस्थाओं से अभावग्रस्त है।

अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य – समावेशी शब्द का प्रचलन 1990 के दशक के मध्य से बढ़ा, जब 1994 में सलमान का (स्पेन) में यूनेस्को द्वारा विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष विश्व सम्मेलन सुलभता और समता (स्पेशल नीड्स एजुकेशन एसेस एंड क्वालिटी) का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में 92 सरकारों और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का समापन इस उद्घोषणा के साथ हुआ कि "प्रत्येक बच्चे की चरित्रगत रुचियां, योग्यता और सीखने की आवश्यकताएं अनोखी होती हैं।" इसीलिए शिक्षा प्रणाली में इन विशेषताओं और आवश्यकताओं की व्यापक विविधता का ध्यान रखा जाना चाहिए। सलमान का वक्तव्य हमें इस बात पर बल दिया गया कि हर शिशु को शिक्षा की बुनियादी अधिकार है और उसे अधिगम का एक भी स्वीकार्य स्तर प्राप्त करने और बनाए रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। डाकर सेनेगाल 2000 में आयोजित विश्व शिक्षा मंच (वर्ल्ड एजुकेशन फोरम) पर भी शिक्षा में समावेश की बात दोहराई गई। डाकर सम्मेलन में स्पष्ट किया गया कि किसी व्यक्ति या बच्चों को उच्च कोटि की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के अवसर से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वह सामर्थ्य से परे है।

विशेष आवश्यकता वाले अभावग्रस्त उपजाति अल्पसंख्यकों के दूर-दराज और अलग-अलग समुदायों के तथा शिक्षा से वंचित नगरीय व दूसरे लोगों का समावेश वर्ष 2015 तक सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति की रणनीतियों का अभिन्न अंग होना चाहिए। (यूनेस्को 2000) अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस विकास कार्यक्रमों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि कोई भी देश समावेशी शिक्षा को कार्य रूप दिए बगैर अपनी तरक्की कर ही नहीं सकता है।

समावेशी शिक्षा, शिक्षा के संबंध में नीति और अभ्यास दोनों स्तरों पर एक वास्तविक परिवर्तन को दर्शाता है। शिक्षार्थियों को इस प्रणाली के केन्द्र में रखा जाता है कि जिससे उसकी सीखने की विविधता को पहचानने, स्वीकार करने और जवाब देने में सफलता हासिल की जाए। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है। इसलिए इस शिक्षा को नीति स्तर पर समर्थित करने, लक्ष्य रखने एवं कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मुख्य धारा परिस्थिति में सभी शिक्षार्थियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना तथा पूरे विद्यालय दृष्टिकोण को सुरक्षित करने, स्कूलों को अधिक समावेशी बनाने के लिए आवश्यक उपायों को प्रदान करना है। समस्त शिक्षार्थियों की शिक्षा के लिए विद्यालयों को आवंटित सामान्य वित्तपोषण को समावेशी शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए। इसमें शिक्षार्थियों की विफलता की स्थिति में विद्यालयों के लिए अतिरिक्त धन की सहायता भी शामिल है। इसके अलावा इसमें अधिक गहन समर्थन की आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर अधिक धन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। समावेशी शिक्षा प्रणाली के अंतिम दृष्टि से यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी उम्र के सभी शिक्षार्थियों को उनके स्थानीय समुदाय में अपने दोस्तों एवं सहपाठियों के साथ सार्थक उच्च गुणवत्ता वाले अवसर प्रदान किए जाएं।

संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में कई अंतरराष्ट्रीय निकाय और एजेंसियां विकलांग छात्रों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने एवं उसमें सुधार करने के लिए विभिन्न तरीकों से काम कर रहे हैं। इसमें आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र सचिव वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनिसेफ इत्यादि शामिल है। इन सभी निकायों का काम विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मानक उपकरणों कार्यक्रमों एवं योजनाओं के साथ चल रहा है। शिक्षा के संबंध में इन सभी निकायों का कार्य सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसके अलावा सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना, समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता की शिक्षा को सुनिश्चित करना है। (यू.एन., 2015) ये समस्त निकाय समावेश का एक व्यापक दृष्टिकोण लेते हैं अर्थात विकलांग पुरुष एवं महिलाओं, अल्पसंख्यक स्वदेशी और ग्रामीण समुदाय के सदस्यों के लिए असमानताओं

को कम करने पर बल देते हैं। (मिजर, 2001) इस बात की पुष्टि समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विभिन्न शोध कार्यो से भी होती है। यूरोपियन एजेंसी ऑफ डेवलपमेंट इन स्पेशल नीड्स एजुकेशन 2001 ने इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस नामक शोधकार्य प्रकाशित किया, इसमें विभिन्न देशों के समावेशी शिक्षा से संबंधित शोधों को शामिल किया गया। मार्टसन एंड मैगनुसन (1991) ने को-ऑपरेटिव टीचिंग प्रोजेक्ट (सी.टी.पी.) पर कार्य करके यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि विद्यालयी रूप से असफल छात्रों को समान कक्षा के साथ ही सप्ताह में कुछ समय विशेष अनुदेशन देने से उनकी उपलब्धि पर सामान्य बच्चों की तरह ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। काम्पस, बारबेट लियोनार्ड एव डेल्क्वाद्री (1994) क्लास वाइज पीयर ट्यूटोरिंग (सी.डब्ल्यू.पी.टी.) विषय पर आत्मकेंद्रित एवं गैर-आत्मकेंद्रित छात्रों को लेकर अध्ययन कार्य करके यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि - आत्मकेंद्रित वाले वे छात्र जो पहले कम सामाजिक थे, सी.डब्ल्यू.पी.टी. के उपयोग बाद अत्यधिक सामाजिक हो गए। 'माथेस एवं साईं मनसुख (1997) नेपियर असिस्टेंट लर्निंग स्ट्रेटजी पी.ए.एल.एस. की प्रभावशीलता को अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी घर अधिगम अच्छा, लेकिन कम उपलब्धि नॉन-लर्निंग डिसेबिलिटी बट लो परफॉर्मेंस और सामान्य उपलब्धि एवरेज अचीवर पर देखा, जिसमें इन समस्त छात्रों को हर रोज सामान्य बच्चों के साथ जोड़ी बनाकर ऊंची आवाज में अध्ययन करना पड़ता था। निष्कर्ष से पता चला कि अधिगम अक्षमता गैर अधिगम अक्षम लेकिन कम उपलब्धि और समान उपलब्धि वाले छात्रों की उपलब्धि असिस्टेंट लर्निंग स्टार्ट इसी की वजह से सार्थक रूप से बढ़ गया। समावेशी शिक्षा समाज के लिए अपने सामाजिक संस्थानों और संरचनाओं को गंभीर रूप से जानने का एक अवसर प्रदान करती है।

समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व

वर्तमान में जनसंख्या बढ़ने से बालकों की संख्या के साथ-साथ उनकी बढ़ती हुई विभिन्नताएं भी समस्या का रूप ले रही है। इन सभी प्रकार के विभिन्नताओं को साथ लेकर सभी को समान शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। यह शिक्षा भाषा, धर्म, लिंग, संस्कृति तथा सामाजिक एवं शारीरिक, मानसिक गुणों की विविधता वाले बालकों को एक-दूसरे से सीखने, सामाजिक रूप से संबंधित होने तथा समायोजित होने के बहुमूल्य प्रदान करती है। वर्तमान में समावेशी शिक्षा अपरिहार्य आवश्यकता बन गई है। व्यक्तित्व, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व इस पकार हैं -

शिक्षा के स्तर को बढ़ाना

समावेशी शिक्षा सबके लिए शिक्षा की अवधारणा पर ही नहीं, बल्कि सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है। इस शिक्षा प्रणाली में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्थाओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इस पद्धति में शिक्षण पक्रिया ऐसे नियोजित की जाती है, जैसे कि हर बच्चा अपना संपूर्ण विकास कर सके और अपनी योग्यता व क्षमता का विकास कर सके।

संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वाह

भारत के संविधान में भी स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी बच्चे को जाति, धर्म, भाषा, शारीरिक अक्षमता, लिंग आदि के कारण शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसका निर्वहन करने तथा इसकी प्रगति के लिए शिक्षा

का अधिकार कानून में भी बना दिया गया है। जिसके अनुसार शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। उसे कोई भी शिक्षण संस्थान शिक्षा देने से इनकार नहीं कर सकता, समावेशी शिक्षा भी सभी को शिक्षा प्रदान करने का आह्वान करती है।

सामाजिक समानता

समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धांत का अनुसरण करती है। जेनेवा में हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कहा गया कि "स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ सभी बच्चे भागीदार होते हैं तथा सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है।" इसका अर्थ यह हुआ कि स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी बच्चों को अध्यापक द्वारा एक समान शिक्षण कराया जाता है। जहाँ जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, भाषा, मानसिक गुणों की विभिन्नता वाले बच्चों को एक साथ समान शिक्षण कराया जाता है।

व्यक्तिगत जीवन का विकास

यह शिक्षा व्यक्तिगत जीवन के विकास में लाभकारी होती है। बच्चों की मानसिकता व दृष्टिकोण में परिवर्तन करना समावेशी शिक्षा का पमुख उद्देश्य है। इस शिक्षा का केंद्र बालक है, बालकों के संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक व मानसिक विकास के लिए इसका विशेष महत्व है। समाज का विकास उसके सुयोग्य नागरिकों पर निर्भर करता है। वर्तमान समय की मांग है कि शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक बालक को सशक्त बनाए तथा ऐसे प्रयत्न किए जाएं कि जिससे पत्येक बच्चा अपनी योग्यता व कुशलता का विकास करें। समावेशी शिक्षा में समाज के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है, जिससे कि वह सभी शिक्षित होकर रोजगार प्राप्त कर सके। वह अच्छे समाज के निर्माण में सहायक हो सके।

लोकतांत्रिक गुणों का विकास

समावेशी शिक्षा बच्चों के लोकतांत्रिक गुणों के विकास में सहायक होती है। लोकतांत्रिक गुणों के अंतर्गत प्रेम, सद्‌भावना, सहयोग, सहनशीलता, एक-दूसरे का सम्मान आदि आते हैं। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षण करने से इन गुणों का विकास संभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह शिक्षा प्रणाली अपने पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों स्कूल तथा कक्षा में या कक्षा से बाहर प्रतिक्रिया तथा व्यवहार में गतिशीलता व समायोजन को बल देती है।

राष्ट्र की प्रगति

शिक्षा किसी भी देश के विकास व प्रगति के लिए आवश्यक है। यूनेस्को ने जेनेवा में सम्मेलन 2008 में एक रिपोर्ट दी और स्पष्ट किया कि प्राथमिक शिक्षा को इतने विस्तार के बावजूद भी अभी 72 मिलियन बच्चे निर्धनता या सामाजिक स्तर के कारण विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। राष्ट्र के विकास एवं प्रगति के लिए मानवीय संसाधन का कुशल होना आवश्यक है और यह कुशलता शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई असमर्थ बालक शिक्षा प्राप्त करता है, तो उसमें उन सभी गुणों का वांछित विकास होता है, जिनकी शिक्षा से अपेक्षा रहती है। यदि व्यक्ति या बालक शिक्षित है, तो वह किसी क्षेत्र में रोजगार व कार्य करेगा और अपनी क्षमताओं का

पूर्व प्रदर्शन करेगा। इसलिए समावेशी शिक्षा में सभी को शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे देश का प्रत्येक बालक शिक्षा पाप्त करें जो कि राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है।

आधुनिक तकनीकों का प्रयोग

वर्तमान में कंप्यूटर, पोजेक्टर, इंटरनेट आदि का प्रयोग साधारण सी बात हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका प्रयोग होने लगा है। शिक्षा के माध्यम से बच्चों को इन उपकरणों का ज्ञान कराया जाता है। इस ज्ञान का व्यक्ति अपने व्यक्तित्व जीवन में प्रयोग करके रोजगार प्राप्त कर सकता है तथा अपने ज्ञान का विकास करता है।

शिक्षा की सार्वभौमिकता

सरकार शिक्षा के सार्वभौमिक तक के लिए अनेक योजनाएं बनाती है। जब तक इन योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, तब तक इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा को तभी सार्वभौमिक बनाया जा सकता है, जब तक प्रत्येक बालक के गुणों, स्तर तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा का विस्तार किया जाए। समावेशी शिक्षा सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने तथा सहयोग करने पर बल देती है।

रोजगार के अवसरों में वृद्धि

शिक्षा को जीविकोपार्जन में सहायक यंत्र के रूप में माना जाता है। भारत जैसे देश में शिक्षा एक और ज्ञान संग्रहण में सहायक हो, तो दूसरी और रोजगार प्राप्त करने का साधन अशिक्षित व्यक्ति किसी भी रोजगार को कुशलता के साथ कर सकता है। वही अशिक्षित व्यक्ति अपनी असमर्थता के कारण लाचार होता है। परिणामस्वरूप निर्धनता का चक्कर चलता रहता है। शिक्षा का प्रसार करना हमारी आवश्यकता है और समावेशी शिक्षा की दिशा में प्रयास है।

समावेशी शिक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ

किसी बालक को शिक्षा प्रदान करने से पहले उसके व्यक्तित्व को समझना आवश्यक है। समावेशी शिक्षा में बालकों के लिए तो यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि विशिष्ट बालक की विशेषताएं, साधारण बालकों की तुलना में अधिक तीव्र और विचित्र होती है। कुछ देशों में कक्षा का बड़ा आकार एवं छात्र शिक्षक अनुपात का कम होना सभी छात्रों एवं शिक्षकों के लिए समस्या है और एक कक्षा में अत्यधिक विविधता भी शिक्षकों के उत्साह को कम कर देता है। यह उस स्थिति में अत्यधिक सत्य प्रतीत होता है, जब कक्षा में 100 या उससे अधिक छात्र हो जाते हैं। कुछ नकारात्मक प्रवृति के शिक्षक जब हताशा में अप्रसांगिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, तो यह समावेशी शिक्षा के लिए एक चुनौती बन जाती है। कुछ मामलों में छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार सीखने के लिए प्रोत्साहित न करना, उन्हें 'मंद अधिगम' की ओर ले जाता है। सबसे बुरी स्थिति तब हो जाती है, जब शिक्षकों द्वारा छात्रों को दंडित किया जाता है। इस तरह के व्यवहार से विकलांग बच्चे हाशिए पर जा सकते हैं। देश में शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा मंत्रालय भी जिम्मेदार है, जो शिक्षकों की भर्ती वित्तपोषण एवं संरचना में सुधार की अभिनय महती भूमिका निभाता है।

कई बच्चे स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। पर्याप्त परिवहन की कमी, मुश्किल इलाके, खराब सड़कें और परिवार के लिए संबंध लागत विकलांग लड़कों और लड़कियों के शिक्षा के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। लड़कियों के लिए स्कूल की यात्रा करते समय उनकी सुरक्षा के डर के कारण यदि उनके माता-पिता उन्हें घर पर बैठा देते हैं तो वे शिक्षा से बहिष्कृत हो जाती है। माता-पिता और छोटे भाई-बहनों की देखभाल के लिए भी कुछ छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। स्कूल में शौचालय तक विकलांग बच्चों के पहुँच का अभाव भी एक प्रमुख बाधा है। यदि कोई बालक स्कूल में सभी दिन शौचालय का प्रयोग नहीं कर सकता, तो उसे उपस्थित होने की संभावना कम ही है। यहाँ तक कि अगर शौचालयों को उनके लिए सुलभ बनाने के लिए अनुकूलित किया गया हो, तो उसे बनाए रखा जाना चाहिए। कुछ ऐसे मामलों में जहाँ स्कूलों में शौचालय को विकलांगों के लिए अनुकूलित नहीं किया जाता है, वह स्कूल विकलांग लड़के व लड़कियों को न रखने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे यह भी कहते हैं कि कोई भी सहायक स्टाफ नहीं है, जो बच्चों को बाथरूम तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा समावेशी शिक्षा में पानी व स्वच्छता संबंधी समस्याओं को भी शामिल किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

एजुकेशन फॉर ऑल टुवर्ड्स क्वालिटी विद इक्विटी (2016). एमएचआरडी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लैनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन।

एजुकेशनल स्टैटिसटिक्स एट ए ग्लांस (2016). एमएचआरडी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, न्यू दिल्ली।

एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया (2015). 16 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन यू डाइस डाटा, न्यू दिल्ली नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लैनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन।

आहूजा, आर. (2015). *सामाजिक समस्याएं*, द्वितीय संस्करण, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

अलफेडो जे.आर. टिल्स (2006). लर्निंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन रिसर्च रिमेडिएटिंग थ्योरी एंड मेथड विद ए ट्रांसफॉर्मर टीम एजेंडा, वॉल्यूम 30 अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन।

आइन्स्कोव मेल टोनी बुध एंड डायसन एलेन (2003). अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेज इन स्कूल मैनचेस्टर टीचिंग एंड लर्निंग रिसर्च प्रोग्राम।

कृष्णकांत (2001). *21वीं सदी की ओर*, प्रथम संस्करण, नई दिल्ली राजकमल प्रकाशन।

गौतम, कृपा (2010). *भारतीय स्त्री लिंग अनुपात एवं सशक्तिकरण*, मिश्रा पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, दिल्ली।

जोशी, प्रमोद (मार्च 2017). *कुरुक्षेत्र समावेशी शिक्षा की दिशा में प्रयास*।

ठाकुर, यतींद्र (2016-17). *समावेशी शिक्षा*, अग्रवाल पब्लिकेशन, मेरठ।

ISSN: 2456-4583
Indexed: SJIF & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

Global Multidisciplinary Research Journal
A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 2 March 2020 pp.70-73

Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

हृदय के स्वास्थ्य में योग का योगदान

डॉ. संगीता सिरोही
एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग (बी.एड.), सी.एस.एस.एस. कॉलेज, माछरा, मेरठ (उ.प्र.)

प्राप्ति – 19 जनवरी, 2020; **स्वीकृति** – 22 फरवरी, 2020; **संशोधन** – 26 फरवरी, 2020

स्वास्थ्य, हृदय एवं योग

स्वास्थ्य किसी भी मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संसार के सारे सुखों में 'निरोगी काया' को प्रथम स्थान दिया गया है। मनुष्य के पास चाहे कितनी भी धन-सम्पदा, सुविधाएँ और वैभव हो, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के अभाव में वह उन सबका उपयोग करने से वंचित रह जाता है।

स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं, तो हृदय का उसमें महत्वपूर्ण स्थान होता है। हृदय हमारे शरीर रूपी संस्थान का इंजन है, जो आवृत तालबद्ध संकुचन के द्वारा रक्त का प्रवाह शरीर के सभी अंगों तक पहुँचाता है। एक मानव हृदय एक मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। जो एक जीवन काल (66 वर्ष) में 2.5 बिलियन बार धड़कता है। यदि यह हृदय कुछ मिनटों के लिए भी धड़कना बन्द कर दे, तो मनुष्य का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। चरक संहिता में कहा गया है कि –

षडङ्गमङ्ग विज्ञान मिनिन्द्रियाव्यर्थपंचकम्

आत्म च सगुणश्चेतश्चिन्त्यंच्हीद संश्रितम ।1।

अर्थात् छहों अंगों से युक्त हमारा शरीर ज्ञान इन्द्रियों, आत्मा, मन और चिन्तन हृदय पर आधारित हैं।

माँ के गर्भ में जब भ्रूण मात्र 23 दिन का होता है, तब से लेकर जीवनभर यह दिल बगैर रूके काम करता रहता है। प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब ने कहा –

दिल ही तो है न संगो – खिश्त (ईंट-पत्थर)

दर्द से भर न आए क्यों

सच ही कहा है कि दिल ईंट-पत्थर का बना नहीं है। इसके भी अपने दर्द हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में हुए अध्ययन बताते हैं कि 1.2 अरब से अधिक जनसंख्या वाले इस देश में पूरे विश्व के 60 प्रतिशत हृदय रोगी हैं।

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) एवं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के अनुसार 25 से 69 आयु वर्ग में 25 प्रतिशत मृत्यु हृदय रोगों से होती है।

आज हृदय रोगों की असंख्य जाँच, दवाइयाँ ऑपरेशन उपलब्ध हैं। हृदय रोगों पर असंख्य रिसर्च हो रही है। विभिन्न सेमिनार, कार्यशाला, पत्र-पत्रिकाओं में विशेषज्ञों द्वारा लिखे लेखों की भरमार है। फिर भी हृदय से संबंधित विभिन्न समस्या की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जैसे –

1. कोरोनरी धमनी रोग
2. हृदय का विस्तार
3. हृदयाघात
4. अनियमित हृदय गति
5. हृदय-वाल्व रोग आदि।

उपरोक्त वर्णित हृदय रोगों के लिए उत्तरदायी कुछ कारक निम्न हैं –

1. उच्च रक्तचाप
2. कोलेस्ट्रोल का उच्च स्तर
3. मधुमेह
4. मोटापा
5. धुम्रपान
6. अल्कोहल
7. अनुवांशिकता
8. तनाव
9. हाइपरटेंशन
10. शारीरिक निष्क्रियता।

आज हम प्राचीन भारत पर नजर डालते हैं, तो पाते हैं कि उस समय हृदय रोगों ने इतना भयावह रूप धारण नहीं किया था, जितना आज। आज हृदय रोगों के लिए हमारी जीवनशैली भी उत्तरदायी है। प्राचीन जीवनशैली जिसमें योग का प्रमुख स्थान था। स्वस्थ जीवन का आधार थी।

आज फिर से हृदय रोगों के उपचार के लिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ योग को सम्मिलित किया जा रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (AIIMS) ने 4,000 हृदय रोगियों पर मल्टी स्टैण्डर्ड ट्रायल किया और पाया कि सभी हृदय रोगियों पर योग का सकारात्मक प्रभाव था।

डॉ. एस.सी. मनचन्दा (भूतपूर्व विभागाध्यक्ष कार्डियोलौजी डिपार्टमेंन्ट, वरिष्ठ परामर्श चिकित्सक, सर गंगा राम हॉस्पिटल, दिल्ली) ने अपना अनुसंधान Reversal of Heart Decrease by Yoga, Meditation and Diet के क्षेत्र में किया है। उनके अनुसार हृदय रोगों को योग द्वारा 20 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त पतंजलि योग पीठ के अनुसंधान विभाग द्वारा कुछ अध्ययन किए गए। यहाँ के रेजिडेन्शियल कैम्प में किए गए अनुसंधानों में देखा गया कि रक्तचाप स्तर, कोलेस्ट्रोकार्डियो ग्राम अनियमितता में कैम्प के बाद उल्लेखनीय सुधार आया। स्वामी रामदेव का कहना है कि किसी भी तरह की हृदय सम्बन्धी समस्या हृदय का विस्तार, घबराहट, चिन्ता, एंजाइना दर्द, कोलेस्ट्रोल, रक्तचाप आदि में प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है। जैसे - भरित्रका, कपाल भाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीथ, प्राणायाम धीरे-धीरे करने से हृदय रोगों में अद्भुत लाभ होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न योगासन हृदय रोगों में तो लाभ पहुँचाते ही हैं। इन्हें नियमित रूप से करते रहने से हृदय रोगों से वचाव भी हो सकता है।

पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के अतिरिक्त द आर्ट ऑफ लिविंग, शान्तिकुँज हरिद्वार आदि ने हृदय को पुष्ट बनाने के लिए कुछ आसनों पर प्रकाश डाला है, जो निम्न हैं -

1. **तड़ासन** - यह आसन हृदय में रक्त की उपयुक्त आपूर्ति करने में सहायक है। यह विशेष रूप से हृदय की कमजोरी को दूर करने में सहायक है।
2. **वृक्षासन** - यह आसन हृदय एवं फेफड़ों में पर्याप्त मात्रा में रक्त पहुँचाकर उनको स्वस्थ बनाता है।
3. **शषकासन** - यह आसन हृदय की स्वाभाविक मालिश करता है। इसलिए हृदय रोगियों के लिए लाभदायक है।
4. **शवासन** - मानसिक अवसाद (डिप्रैशन), उच्च रक्तचाप, हृदय रोग तथा अनिन्द्रा के लिए यह आसन लाभदायक है।
5. **सूर्य नमस्कार** - यह आसन हृदय सहित पूरे शरीर को आरोग्य प्रदान करता है। आसनों के अतिरिक्त प्राणायाम हृदय रोगों के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली है।

1. **भस्त्रिका प्राणायाम** - दो से पाँच मिनट तक किया जाने वाला यह प्राणायाम हृदय सम्बन्धी सभी समस्याओं को दूर रखता है। इसके अतिरिक्त यह हृदय रोगों के लिए उत्तरदायी तनाव अवसाद एवं मोटापे के लिए भी उपयोगी है।
2. **कपाल भाति प्राणायाम** - यह शरीर का वजन कम करने में सहायक है। मोटापा और हृदय रोगों का आपस में घनिष्ट सम्बन्ध है। यह आसन हृदय रोगियों को बहुत धीरे-धीरे करना चाहिए।
3. **अनुलोम विलोम प्राणायाम** - यह प्राणायाम हृदय रोगियों के लिए विशेष उपयोगी है। इसके द्वारा रक्त संचार बढ़ता है व धमनियों के अवरोध समाप्त होते हैं। अवसाद, तनाव एवं माइग्रेन में भी इससे लाभ प्राप्त होता है।
4. **भ्रामरी प्राणायाम** - इस प्राणायाम के द्वारा उच्च रक्तचाप, दूर होते हैं एवं मन में स्थिरता आती है। परन्तु इस आसन में हृदय रोगियों को श्वास अधिक देर तक रोकना नहीं चाहिए।
5. **उदगीर्थ प्राणायाम** - इस प्राणायाम में की ध्वनि की जाती है। यह प्राणायाम, तनाव, चिंता, क्रोध को दूर कर हृदय रोगों से बचाव करता है। इसके द्वारा रक्तचाप पर भी नियंत्रण रखा जा सकता है।

विभिन्न प्रयोगों, अनुसंधानों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि ये सभी आसन, प्राणायाम हृदय रोगों में प्रभावशाली है। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के 'डिपार्टमेंट ऑफ योगा रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट द्वारा किए अध्ययन से भी यही सिद्ध होता है कि हृदय रोगियों और योग के मध्य सकारात्मक सम्बन्ध है। भारत ही नहीं विदेशों में भी योग और हृदय रोगों

पर विभिन्न अनुसंधान हो रहे हैं। यूरोपियन जनरल ऑफ प्रिवेन्टिव कार्डियोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन "The effectiveness of yoga in modifying risk factors for cardiovascular disease and metabolic syndrome: A systematic review and meta analysis of randomized controlled trials" के अनुसार यह देखा गया है कि शरीर के भार, रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल, हृदय गति में योग द्वारा उल्लेखनीय परिवर्तन आया।

इस तरह हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि योग हृदय रोगों के उपचार एवं बचाव में प्रभावशाली हैं, किन्तु साथ ही यह भी ध्यान देना चाहिए कि योग को हम सहयोगी चिकित्सा के रूप में यह कितना उपयोगी है यह अभी प्रयोगों द्वारा नहीं हो सकता है। साथ यह भी ध्यान देने योग्य है कि योगासनों को सदैव प्रशिक्षित योग शिक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

अधीश्वरानंद, स्वामी (2004). *मेडिटेशन्स एण्ड इट्स प्रैक्टिस*, कलकत्ता: अद्वैत आश्रम, 5, देही इन्टैली शेड

ओशो (2012). *बुलाते हैं फिर तुम्हें पतंजलि योग सूत्र भाग - 1, 2, 3, 4, एवं 5*, नई दिल्ली: क्यूजन बुक्स, एक्स-30, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेस-II

कुमार, के. किरन (2002). *फिलोसोफी ऑफ मेडिटेशन्स*, नई दिल्ली: कन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी।

गुप्ता, एस.पी. (2005). *भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं*, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।

गुप्ता, शिखा (2005). *इफेक्ट ऑफ प्रज्ञा योग एण्ड सरस्वती स्त्रोत ऑन लर्निंग एण्ड कान्सेनटेशन*, लघु शोध, मानवीय चेतना एवं योग विज्ञान विभाग, हरिद्वार: देव संस्कृत विश्वविद्यालय।

परमहंस, स्वामी अड़गड़ानन्द, (2014). *महर्षि पतंजलि कृत योगदर्शन* (प्रत्यक्षानुभूत व्याख्या), मुम्बई : श्री परमहंस स्वामी अड़गड़ानन्द जी आश्रम ट्रस्ट गिरगाव चौपाटी।

मिश्र, विजय प्रकाश (2006). *प्राणायाम*, वाराणसी : यौगिक क्रिया केन्द्र, बी 1/150 जे. अस्सी।

विवेकानन्द, स्वामी, *राजयोग*, प्रकाशक स्वामी ब्रहस्थानंद अध्यक्ष, रामकृष्ण मठ, धन्तौली, नागपुर, पृ. 139, 140।

सुकन्या, ए.के. (2007). *ए स्टडी ऑफ मेमोरी अकार्डिंग टू योगा एण्ड सिप्रचएल लोर, डिसटेंशन इन एम.एस.सी.*, बंगलौर : योगा यूनिवर्सिटी

स्वामी विवेकानन्द (2014). *शिक्षा का आदर्श* (विवेकानन्द जी के शिक्षा-विषयक विभिन्न विचारों का संकलन), नागपुर : रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, धान्तोली।

श्री माताजी (2010). *शिक्षा (श्रीमातृवाणी शिक्षा का संक्षिप्त रूप)*, पाण्डिचेरी : श्री अरविन्द आश्रम प्रकाशन विभाग।

ISSN: 2456-4583
Indexed: SJIF & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

Global Multidisciplinary Research Journal
A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 2 March 2020 pp. 74-79

Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

NUTRITIONAL STATUS OF ADOLESCENT GIRLS OF RURAL AREAS OF MAINPURI DISTRICT

Dr. Anita Singh

Assistant Professor, Department of H.Sc, Kr. R.C.M.P.G. College, Mainpuri (U.P.)

Received: 05 February 2020, **Revised:** 21 February 2020, **Accepted:** 26 February 2020

Abstract

Adolescence is a period of rapid growth and maturation in human development. Therefore, the most crucial segment of population is today's young adolescent girls who are on the threshold of marriage and motherhood in India where early marriage rate are high. The adolescent girls faces serious nutritional challenges affecting their growth and development. The present study was undertaken to view the anthropometric measurement and to assess the nutritional status of the adolescent girls of rural areas of Mainpuri district. A cross sectional study was carried out with the sample size of 309 adolescent girls from fifteen to eighteen years of age group who were randomly selected. A tested questionnaire was used to collect the socio-economic information and anthropometric measurements such as weight and height. Body mass index (BMI) was used for the categorization of the adolescent girls into various nutritional grades and NCHS standards were also used for the comparison. Nearly half (47%) adolescent girls belonged to poor socio-economic status and backward castes (64%). Only 43.68% adolescent girls were found to be normal and majority 28 and 23% girls were mild to moderately undernourish. Five percent girls were severely undernourished. A positive significant association was found between the income, literacy level, caste and body mass index and nutritional status.

Keywords: *Adolescence, Body Mass Index, Nutritional Status*

INTRODUCTION

In India adolescence and young people aged 10-19 years, account for nearly one quarter of the total population.[1] According to census 2011, 20% of India's population are adolescents.[2]

Adolescence is a period of rapid growth & maturation in human development. Therefore, the most crucial segment of population is today's young adolescent girls who are in the threshold

of marriage and motherhood. The nutritional statuses of the adolescent girls, the future mothers are the determinants of the health and nutrition of the children of next generation. The adolescent population faces serious nutritional challenges not only affecting their growth and development but their later life. In India, the proportion of adolescent girls getting married is very high. If these young girls become mothers their growth ceases. There is little information regarding nutritional status of adolescent girls of the rural area of Mainpuri. Keeping this in mind the present study was undertaken.

MATERIALS AND METHODS

This cross sectional study was carried out in rural areas of Mainpuri district of Uttar Pradesh. The village choosen were Bhogaon and Lalupur. Three hundred and nine girls of the age group of fifteen years to eighteen were randomly selected. A pretested questionnaire containing information on family socio-economic profile was collected through personal interview with the adolescent girls. The data was collected during January 2016-March 2016. Anthropometric measurement's like weight (kg) and standing height (cm) were recorded using standard procedures of the selected three hundred and nine adolescent girls. The Body mass index (BMI) was calculated following ICMR standards formula BMI = weight (kg)/height^2(m) on the basis of BMI the adolescent were categorized into different nutritional grades as given below –

Classification	*BMI Values*
Normal	25-18.5
Mild	< 18.5-17
Moderate	< 17-16
Severe	< 16

The mean and S.D. were calculated for the anthropometric measurements and compared with NCHS standards and association of socio-economic, profile of the family like income, literacy status, type of family, caste and body mass index of the adolescents girls was determined by applying chi-square test.

RESULT AND DISCUSSION

On the basis of Socio-economic status the 309 adolescent girls were classified as shown in Table 1. This revealed that nearly half (46.6%) the adolescent girls belonged to families whose monthly income was less than ten thousand rupees. Nearly 65% girls belonged to nuclear and backward caste families.

Table 1. Classification of adolescent girls according to their socio-economic status of the family

Status of the family	*No. of Adolescent*	*% of Adolescent*
Monthly income of the family (in rupees) -		
Less than 10 thousands		
More than 10 thousands	144	46.60
	165	53.40
Literacy status of mothers -		
Less than class 8th	147	47.57
High school and above	162	52.43
Caste -		
General	111	35.92
Backward	198	64.08
Type of family -		
Joint	108	34.95
Nuclear	201	65.05

Table 2 and 3 showed the mean and standard deviations of the anthropometric measurements by the age groups of the adolescent girls. There was a positive linear increasing trend in mean height and weight. On comparison with the NCHS standards, the mean height and weight of the adolescent girls was much lower than NCHS reference values. Similar findings were reported by Parimalvalli et al. (2011)[3] and Rajkumar (2003).[4]

Table 2. Age wise height of the adolescent girls

Age in years	*NCHS Height (cm)*	*Mean ± S.D.*	*No. of Sample*
15	161	152.4 ± 3.54	51
16	162	154.5 ± 6.32	75
17	163	163 156.2 ± 5.12	108
18	164	157.5 ± 6.52	75

Table 3. Age wise weight of the adolescent girls

Age in years	*NCHS Height (cm)*	*Mean ± S.D.*	*No. of Sample*
15	51.14	41.43 ± 2.56	51
16	53	44.28 ± 5.14	75
17	54	46.60 ± 4.92	108
18	54.4	46.74 ± 6.31	75

The body mass index is a good indicator to assess the current form of the malnutrition. It is evident from the Table 4 that the 43.68% girls were normal and 28 and 23% were mild to

moderately undernourished and around 5% were severely undernourished. Sunitha Kumari and Sushila Singh (2003)[5] also reported that in Samastipur Bihar, 42.7 and 36.8% male and female were in normal category.

Table 4. Forms of malnutrition among adolescent girls

BMI	*Nutritional Status*	*No.*	*Percentage*
25 – 18.5	Normal	135	43.68
<18.5 – 17	Mild	87	28.16
<17 – 16	Moderate	72	23.30
<16	Severe	15	04.86

Table 5 indicates that there is a positive association between the monthly income and nutritional status of the adolescent girls on the basis of BMI. Only 25% girls were found to be normal in lower monthly income as in comparison to 60% normal in higher monthly income group. Severely malnourished girls (10%) were found only in lower monthly income group. Varsha Zanvar and Rohini Devi[6] also showed that family income had positive impact on nutritional status of adolescent girls of Marathwada region.

Table 5. Effect of family income on Nutritional status according to Body Mass Index

Nutritional Status (BMI)	*Monthly Income in Rupees*				*Chi-Square X^2*
	Less than 10 thousand		*More than 10 thousand*		
	No.	*%*	*No.*	*%*	
Normal	36	25	99	60	20.00
Mild	36	25	51	30.91	
Moderate	57	39.6	15	9.09	P<0.05*
Severe	15	10.14	–	–	
Total	144	100	165	100	

*Significant at 0.05 level.

Table 6 indicates that the literacy level of the mothers had significantly positive association (P<0.05) with the nutritional status. Adolescent Girls belonging to less educated mothers had poor nutritional status as mild 38%, moderate 23.8% and severely undernourished as 6% whereas, 19.14%, 22.84% and only 3.7% as mild moderate and severely undernourished in more educated mothers. Educational status of parent's strongly influence the nutritional status of Adolescent Girls. The current findings were similar to findings of Singh and Mishra (2001).[7]

Table 6. Effect of Literacy on Nutritional status according to BMI

Nutritional Status	*Mothers Educations*				*Chi-Square X^2*
	Up to Class 8th		*High School and above*		
	No.	%	No.	%	
Normal	47	31.97	88	54.32	8.24
Mild	56	38.10	31	19.14	
Moderate	35	23.81	37	22.84	P<0.05
Severe	09	6.12	06	3.70	
Total	147	100	162	100	

*Significant at 0.05 level.

The nutritional status based on BMI of adolescent girls belonging to backward caste was significantly poor than higher caste girls as shown in Table 7. Only around forty percent girls of backward caste were normal where as more than fifty percent girls of higher caste were normal. Venkaiah et al. (2002)[8] also reported that scheduled caste communities had higher level of stunting.

Table 7. Effect of caste on nutritional status based on BMI

Nutritional Status	*Caste*				*Chi-Square X^2*
	General		*Backward*		
	No.	*%*	*No.*	*%*	
Normal	57	51.35	78	39.40	
Mild	24	21.62	63	31.82	8.24
Moderate	24	21.62	48	24.24	
Severe	06	5.41	09	4.54	P<0.05*
Total	**111**	**100**	**198**	**100**	

*Significant at 0.05 level.

It is evident from the results that the rural adolescents girls were shorter in height and low in weight and their physical development was not optimum.

CONCLUSION

Majority of the adolescent girls were found to be suffering with one or another form of under nutrition and only 43.68% girls were normal. The percentage of under undernourished adolescent girls were significantly higher in low income groups, lower literacy levels and backward castes. Thus adolescent girls of rural India living in poverty suffer from nutritional deprivation. To improve the nutritional status of adolescent girls, nutritional intervention are needed.

REFERENCES

1. UNICEF India/Adolescent Nutrition.

   http://www.unicef.org

2. Office of Registrar General and Census Commissioner India. Population enumeration data (Final Population) 2015. Available from http://www.censusindia.gov.in/2011census/population_enumeration.html

3. R. Parimalavalli and M. Sanseetha (2011): Anthropometric measurements and nutrient intake of Adolescent Girls, Anthropologist, 13(2): 111-115.

4. Raj Kumar M. Kamble (2003): Nutritional status of adolescent girls in Western Konkan of Maharashtra. *The Indian J. Nutri. Dietetic* 40, 416.

5. Sunitha Kumari and Sushila Singh (2003): Nutritional Status of Scheduled Caste Adolescent from deprived section of Society. *The Ind. J. Nutr. Diet et*, 40, 147.

6. Varsha Zanvar & Rohini Devi (2007): Effect of family income on nutritional status of selected adolescent girls of Maharashtra Region.

7. Singh N and Mishra C.P. (2001): Nutritional status of adolescent girls of a slum community of Varanasi *Indian J. Public Health* 45, 128-134.

8. Venkaiah K, Damayanti K, Nayak Umar, Vijayaraghvan K. (2002): Diet and nutritional status of Rural adolescent in India, *European Journal of Clinical Nutrition* 56(11) : 1119-25.

ISSN: 2456-4583
Indexed: SJIF & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

Global Multidisciplinary Research Journal
A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 2 March 2020, pp. 80-85

Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

गांधी और स्वदेशी

डॉ. विभ्राट चन्द कौशिक
एसोसिएट प्रोफेसर, अध्यापक शिक्षा विभाग (बी.एड.), बुद्ध पी.जी. कॉलेज, कुशीनगर (उ.प्र.)

प्राप्ति - 19 जनवरी 2020, **संशोधन** - 22 फरवरी 2020, **स्वीकृति** - 26 फरवरी 2020

सारांश

प्रस्तुत आलेख में गाँधीजी के स्वदेशी विषय पर विचारों का संग्रहण कर विवेचन किया गया है जिसमें गाँधीजी, स्वदेशी, परदेशी, विदेशी इन शब्दों से निषेध और अपवर्जन की भावना ध्वनित होती है। "स्वदेशी" में जहाँ किसी विशेष आधार पर अपने-पराए में भेद मानकर व्यावहारिक जगत में कर्म निर्धारण का आग्रह व्यंजित होता है, वहीं पर देशी और विदेशी शब्द से अलगाव और दूरी की तीखी अभिव्यक्ति होती है। इस संदर्भ में आधुनिक सभ्यता के विकार पूर्ण तत्वों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के अमूल परिवर्तन के लिए महात्मा गाँधी द्वारा सुझाई गई विश्व दृष्टि में स्वदेशी की भावना पर बल भी बहुतों की दृष्टि में कुछ अजीब और अटपटा-सा लगता है। इन आलोचनाओं की यह मान्यता है कि स्वदेशी की भावना विभेद और अलगाव और सामाजिक व्यवधान का पोषक है। इसलिए यह संकीर्णता और अनुदारता और प्रांतीयता का द्योतक है।

प्रस्तावना

विश्व में जब आज सारी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदेश सीमा रेखाएं टूटकर मिल रही हैं, तो स्वदेशी की पुकार से इतिहास की धारा को मोड़ने जैसी बात इंगित होती है। आज मनुष्य विश्व मानव के रूप में उभर रहा है। औद्योगिक सभ्यता के प्रचंड झोंकों में सभी विशेषताएं तिरोहित हो रही हैं और विशिष्टतानुप्राणित विविधता विगलित होकर एकरूपता में स्वदेशी की भावना को प्रोत्साहित करना विभेद और अलगाव को प्रश्रय देना है। आज जब सदियों से सीमाओं भेदभावों और अन्य मान्यताओं से पीड़ित-प्रताड़ित विश्व भूमंडलीय गाँव में रूपांतरित हो रहा है, और क्षेत्रीयता और संकीर्ण सामुदायिकता के प्रति आस्था व्यक्त करना दोषहित माना जाएगा और इसी आधार पर कई आलोचकों ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि महात्मा गाँधी जैसे महामना, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए सब कुछ होम कर दिया, भी स्वदेशी को आज के युग में प्रश्रय देते हैं। इस संबंध में वृहत्तर

समुदाय में सहभागिता के परिणामस्वरूप उसमें मानव उचित गुणों का पल्लवन-प्रस्फुटन होता है। इसी अनुभूति के सहारे समाज के सदस्य समानचेति और सुबुध होते हैं। यही वह व्यक्ति को अपने संकीर्ण हितों का नेतृत्व किया जबकि अफ्रीका के अश्वेत मूलनिवासी भी श्वेत शासन के अत्याचारों से उतने ही पीड़ित थे, जितने कि भारतीय, आखिर शोषित-प्रताड़ित पीड़ित मानवता में यह विभेद कैसा? भेदभाव कैसा? और अभी हाल ही में अटलांटा में काले अमेरिकन ने वहाँ के भारतीय निवासियों के एक सड़क को महात्मा गाँधी के नाम से जोड़ने के प्रस्ताव का इसलिए विरोध किया, क्योंकि उनकी दृष्टि में गाँधी जातिगत भावना से ग्रस्त थे।

ऐसी स्थिति में स्वदेशी की अवधारणा का मूल्यांकन अत्यावश्यक हो जाता है, क्योंकि सचमुच ही स्वदेशी की भावना संकीर्णता और अन्यताभाव और प्रांतीयता की संवाहक है? या क्या यह कहा जा सकता है कि यह आलोचक स्वदेशी की अवधारणा में सन्निहित गंभीर आशय को समझने में अक्षम रहे हैं? और उनकी अक्षमता का मूल कारण शायद यह है कि वे राजनीतिक जीवन की कतिपय प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रभावशाली व्यक्तियों के कुतर्क को पहचानने में असमर्थ हैं। इसलिए इन व्यक्तियों के रमणीयता से विमोहित होकर स्वदेशी की वास्तविक निहितार्थ को हृदयंगम करने में असमर्थ हो जाते हैं। इन्हें प्रश्नों के समुचित उत्तर के आधार पर आधुनिक राजनीतिक के संदर्भ में स्वदेशी की अवधारणा का सार्थक विवेचन मूल्यांकन संभव है।

इस संदर्भ में दो कठिनाइयों का उल्लेख आवश्यक है। प्रथम परम सत्य का अन्वेषण और उद्घाटन सभी के लिए संभव नहीं है और दूसरे के लिए भी मानव प्रकृति विविध है। प्लेटो की दृष्टि में मनुष्य बुद्धि, स्फूर्ति और वासना जो मनुष्य में अधिष्ठित नैसर्गिक प्रवृत्तियों के द्योतक हैं, का सम्मिश्रण है। इन प्रवृत्तियों का अनगिनत रूप से सम्मिश्रण संभव है और मिश्रण की एक विशिष्टता है, जिसमें एक खास प्रवृत्ति का प्रावल्य होता है। इस कारण से मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि विविधता तो होती है। किसके साथ और इसके परिणामस्वरूप अपने को पहचानने की जिज्ञासा और पहचान कर उसके अनुसार जीवन को व्यवस्थित करने के तत्परता सभी में समान रूप से वर्तमान नहीं रहती। इन दोनों कारणों से इस पूर्ति और वासना पर विधि का शासन आवश्यक तो है, परंतु यह संभव नहीं हो पाता। इसके परिणामस्वरूप व्यक्तिवादिता या स्वहितसाधन की प्रवृत्ति प्रबल होकर सामुदायिक हित साधन का मार्ग कांतकच्छादित साबित कर देती है। इस स्थिति में व्यक्ति के अंतरभूत बुद्धि जो उसकी आत्मा अभिन्न अंग है और जो उसे अपने जीवन की अनन्य और संभाव्यता से ऊपर उठकर वैश्विक संरचना में सहभागी होने को प्रेरित करती है, व्यक्ति सदस्यों के जीवन रक्षण की व्यवस्था के जीविकोपार्जन के भिन्न-भिन्न तरीके होने के कारण भिन्न-भिन्न जीवनशैलियों का उद्भव और विकास होता है। जीवनशैली विविधता के कारण हित की परिकल्पना में भिन्नता आती है। परिवार का क्षेत्र और उसका संबंध जीविकोपार्जन के विशिष्ट तरीके हैं। इसलिए पारिवारिक हित की परिकल्पना में सर्वमान्य हित की धारणा समाहित नहीं और न ही विभिन्न परिवारों का यांत्रिक योग सर्वमान्य कहला सकता है। वासना और स्त्री पर नियंत्रण रखने में सक्षम नहीं होती, तो किसी बाह्य स्रोत सेवा नियंत्रण अत्यावश्यक हो जाता है। पोलिस इसी आवश्यकता की पूर्ति का एक मानवीय उपक्रम है। इस उपक्रम में राजनीतिक में प्रधानता है, परंतु उसके अतिरिक्त प्लेटो और खासकर अरस्तु की दृष्टि में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। व्यक्ति स्वयं आत्मा सिद्धि के द्वारा आत्मानुशासन में सक्षम नहीं है और अरस्तू के मतानुसार परिवार भी इसमें अक्षम है।

अरस्तु की दृष्टि में व्यक्ति स्वयं पर्याप्त होता है। इस अपर्याप्तता को दूर करने के लिए समुदाय का जन्म होता है। अतः भिन्न-भिन्न लक्ष्य होते हैं। विभिन्न विभिन्न हितों का संरक्षण संवर्धन करते हैं। इसलिए ऐसे सभी

समुदाय आंशिक होते हैं। मात्र पुलिस ही पूर्ण समुदाय होता है, क्योंकि अगर दूसरे समुदाय जीवन रक्षण की प्रक्रिया से संबद्ध हैं, तो पोलिस उत्तम जीवन का व्यवस्थापक है। परिवार का गठन, उत्पादन और पुनर उत्पादन की प्रक्रिया से संगलन है। इसका मुख्य उद्देश्य परिवार के परिवार दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है, जिनका सतत पुनरावर्तन होता रहता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति से परिवार को एक तरफ प्रकृति की उदारता पर निर्भर होना पड़ता है और दूसरी तरफ दूसरे परिवारों के सहयोग की सदा अपेक्षा करनी पड़ती है। साथ ही पारिवारिक संबंध और समानता पर आधारित होते हैं, क्योंकि परिवार मुखिया और अन्य सदस्यों और दातों सेवकों के बीच शासक-शासित का संबंध होता है। इन कारणों से मुख्य लक्षण प्रकृति की दासता अपर्याप्तता, असमता और हित संकीर्णता है। सुखी परिवार आवश्यकता का क्षेत्र है और इसमें नैमित्तिक बौद्धिकता का शासन होता है। इसलिए परिवार उत्तम जीवन के व्यवस्थापन में अक्षम है। परिवार के इस अक्षमता के कारण ही सार्वजनिक क्षेत्र जो राजनीति का क्षेत्र है, उत्तम जीवन के व्यवस्थापन के लिए समुचित क्षेत्र होने के साथ ही उत्तरदायी भी है। इसलिए कि राजनैतिक क्षेत्र का ईस्ट सर्वहित है और सर्वहित न्याय से संपादित होता है।

न्याय के व्यवस्थापन के लिए लेटर कैसे राजतंत्र की अनुशंसा करता है, जो व्यक्ति का ही परिवर्तित रूप होगा। इसमें भी बुद्धि, स्फूर्ति और बुभुक्षा के प्रत्येक स्वरूप विभिन्न वर्ग होंगे, जिनमें बुद्धि का प्रतिनिधि दार्शनिक अधिपति शासन की बागडोर संभालेगा। विभिन्न वर्गों द्वारा अपने-अपने उत्तरदायित्व संभालने के साथ ही एक ऐसी संस्थानिक व्यवस्था भी होगी, जो शिक्षा दंड विधान आदि के द्वारा सभी वर्गों को अपने-अपने दायित्वों को वहन करने के लिए प्रशिक्षण भी देगी और जब सभी वर्ग अपने-अपने नियत दायित्व का वहन करते रहेंगे, तो न्याय का पालन होगा। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में स्वहित के साथ सर्वहित का भी संपादन होगा।

स्पष्ट है कि ग्रीक शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का उद्देश्य मानवीय उत्कृष्टता की तलाश है। इसमें यह विश्वास भी परिलक्षित है कि मानव प्रकृति में विद्वान क्षमताओं की सहायता से इसकी उपलब्धि संभव है, परंतु इसके लिए एक तरफ तो व्यक्ति की आत्म पर्याप्तता की धारणा को तिलांजलि देना और दूसरी तरफ व्यक्तिवाद की अतिशयता को और स्वीकार करना आवश्यक है। साथ ही इस व्यक्तिवाद की धारणा को भी त्यागने की जरूरत है, जिसके अनुसार संगठित राज्य व्यक्तियों स्वग्रह के नैसर्गिक अधिकार में हस्तक्षेप का प्रतीक मात्र है। अतः ऐसी धारणा को भी अमान्य मान्य होगा, जो पूर्णत्व को भ्रम मानकर इंद्रिय लोलुपता की व्यग्रता को स्वीकार करने में मानवता की पूर्ण परिणति समझती है। इनके अपवर्जन के बाद जो शासन तंत्र स्थापित होता है, उसमें शायद न्याय तो होगा परंतु दार्शनिकों के अतिरिक्त सभी को आत्मानुशासन के बदले ब्रह्मा अनुशासन के आधार पर ही अपने कर्त्तव्यों का भान होगा और उनके संपादन की प्रेरणा मिलेगी। इस तंत्र में व्यक्ति यानी दार्शनिक को छोड़कर स्वतः ही अपने नैसर्गिक परिवेश परिवार में तात्विक ज्ञान की सिद्धि कर पाने में अक्षम है। इसलिए व्यक्तियों का नागरिक अर्थात सार्वजनिक हित के प्रतिबद्ध व्यक्ति में रूपांतरित करने की अहम भूमिका निभाने का उत्तरदायित्व सार्वजनिक जीवन अर्थात राजनीति पर आता है। इस अर्थ में नागर समाज और राजनीतिक व्यवस्था के विभेदन के बीज इसी परिप्रेक्ष्य में समाहित है।

आधुनिक राज्य व्यवस्था के मूल यह मान्यता है कि इच्छाओं की पूर्ति से ही सुख की उपलब्धि और सामाजिक प्रगति एवं कल्याण संभव है। यह सच है कि वैयक्तिक सुख की प्राप्ति के कारण सामाजिक शांति के भंग होने का खतरा है, परंतु राज्य की स्थापना ही इसलिए होती है जिससे की व्यवस्था ढंग का खतरा टले। वैयक्तिक सुख की उपलब्धि के प्रयास तब तक सफल नहीं होंगे, जब तक यांत्रिकी द्वारा समर्थित और संपोषित औद्योगीकरण के द्वारा प्रकृति का शोषण-दोहन कर भौतिक सुख-सुविधा के अधिक से अधिक अनवरत होड़ बनी रहती है। इस होड़

से आर्थिक और राजनैतिक जीवन तथा संबंध आक्रांत होते रहते हैं। अपनी इच्छा की पूर्ति में व्यक्ति प्रतिरोध की अपेक्षा करता है, जिसको पराभूत करने पर ही उसका सुख निर्भर करता है। यह भी माना जाता है कि कलह के बिना मनुष्य की अंतरस्थ सुषुप्त क्षमताओं का विकास असंभव है और जब इन क्षमताओं का विकास नहीं होगा, तो सभ्यता का रथ भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यह सच है कि इसके परिणामस्वरूप कांत के शब्दों में और सामाजिक सामाजिकता ही पनपते रहती है, परंतु इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि कलह भौतिक समृद्धि और वैज्ञानिक विज्ञान का स्रोत भी है।

बौद्धिकता धारित नैतिकता का स्रोत सहानुभूति है। आधुनिक दृष्टि में मनुष्य किसी जन्मजात प्रवृत्ति के साथ जन्म नहीं लेता है। सामाजिकता और दूसरी प्रवृत्तियां समाज में अनुभव के द्वारा अर्जित की जाती हैं। सामाजिकता का प्रादुर्भाव कुछ इस तरह होना बताया जाता है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति स्वयं अपनी ही हित कामना अपने ही लाभ की बात खुद अपनी पसंद–नापसंद के आधार पर सोचता है। आवश्यकता पूर्ति में अपने और क्षमताओं पर विजय पाने या अपने सामर्थ्य बढ़ाने के लिए वह दूसरों के साथ सहयोग करता है। पारस्परिक आवश्यकता पारस्परिक सहयोग को जन्म देती है और शक्ति की प्राकृतिक अवस्था अधिकार की नैतिक व्यवस्था में रूपांतरित हो जाती है। मनुष्य में नैसर्गिक रूप से सामाजिक व्यवस्था के अंकुश सहन करने का धौर्य नहीं होता, परंतु संकट सहयोग को जन्म देता है, जो धीरे–धीरे सहकारिता की सामाजिक प्रवृत्ति को संपोषित और संबलित करता है। अतः स्पिनोजा की एक तिहाई की व्यक्ति नागरिक के रूप में जन्म नहीं लेता, अपितु इसके योग्य बनाया जाता है। इसमें काफी सार है। सहयोग की प्रक्रिया में लोग यह अनुभव करते हैं कि वे सभी एक समान ही हैं अर्थात उसमें कोई भी नेता नहीं और इस अनुभव से सहानुभूति का समुद्भव होता है और यही सहानुभूति कालक्रम में सदविवेक में परिवर्तित हो जाती है। सदविवेक व्यक्ति के अंतर में समुदाय के नैतिक परंपरा के बीजारोपण का प्रतीक है। इस तरह समाज अपने शत्रु प्राकृतिक व्यक्ति के हृदय में और सहायक बिठा देता है। इस संबंध में यह कहना पर्याप्त होगा कि जो व्यक्ति अपने हित साधना में नैतिकतानुमोदित कार्य की अभिज्ञा प्राप्त नहीं कर पाता या प्राप्त कर भी लेता है, तो ऐसे कार्य संपादन में सक्षम नहीं होता तो फिर सामुदायिक नेतृत्व का प्रस्फुटन कैसे होगा। साथ ही जब समाज की परिकल्पना ही आत्म परिभाषा व्यक्तियों के यंत्रवत समुच्चय के रूप में की जाती है, तो समाज की नैतिक सार्थकता विवादास्पद ही है।

इसी पृष्ठभूमि में हम महात्मा गाँधी के स्वदेशी की अवधारणा के महत्व को आंक सकते हैं। गाँधी सत्य की खोज को आत्म–विकास का आधार मानते हैं। सत्य की खोज की प्रक्रिया में ही व्यक्ति के अन्दर समत्व की भावना उत्पन्न होती है और सर्वभूतात्मा की अनुभूति होती है। इस आधार पर मनुष्य की एकात्मकता की अनुभूति तो जरूर होती है, परंतु इसके अस्तित्व के लिए उपयुक्त संस्था विन्यास का भी आवश्यकता है, जो एक आत्मकथा की भावना को दृढ़ आधार प्रस्तुत करें, किसको संवलित करें। एकात्मकता की भावना के कुछ सहवर्ती मूल्य हैं इनकी विश्वजनीन सार्थकता है, परंतु इस संबंध में मुख्य प्रश्न यह नहीं कि इन मूल्यों को सार्वजनिक माना जाए अपितु मुख्य प्रश्न यह है कि मूल्यों की सर्वत्र अभिव्यंजना कैसे हो।

गाँधी के विचार में इन मूल्यों को एक ठोस व व्यवहारिक आधार देने की जरूरत है। उनकी मान्यता है कि कुछ अड़चनें हैं, जिनके कारण सभी के लिए अपने निकटवर्ती परिवेश से ऊपर उठकर निराकार मानवता के प्रति एकात्मकता भाव अभिव्यक्त करना दुष्कर है। उदाहरण के तौर पर मनुष्य की शारीरिक बनावट ऐसी है कि व्यक्ति अपनी सहानुभूति और बंधु भावना कुछ हद तक ठोस रूप से अभिव्यक्त कर सकता है, पर अपूर्व मूल्यों के

सार्वजनीनीकरण प्रबल देने का अर्थ मानवीय वास्तविकता की उपेक्षा करना है। यह उस संदर्भ की उपेक्षा करने के तुल्य है जिसमें एक खास आदर्श की सिद्धि उद्दिष्ट है। व्यक्ति के विराट मानवता के साथ एकीकरण और समन्वयक की प्रक्रिया क्रमिक है। इन्हीं कारणों से गाँधी स्वदेशी पर इतना बल देते हैं। उनके कथनानुसार स्वदेशी का महत्व एवं अवधारणा हमारे अंदर वह भावना है जो हमें दूरस्थ परिवेश को छोड़कर निकटतम परिवेश के व्यवहार और उसकी सेवा के लिए प्रेरित करती है। इस तरह जहाँ तक धर्म का प्रश्न है, इस परिभाषा के अनुसार मुझे अपने पूर्वजों से दाय में प्राप्त धर्म तक ही अपने को सीमित रखना चाहिए। यह अपने निकटतम धार्मिक परिवेश का उपयोग होगा। अगर हम इसे दोषपूर्ण पाते हैं, तो इसका सुधार करना चाहिए और उनमें विद्यमान दोषों को दूर कर उनकी सेवा करनी चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में हमें अपने निकटवर्ती पड़ोसियों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए और उनमें अगर कोई कमी हो, तो उनको दूर कर उन्हें कार्यकुशल पूर्ण बनाना चाहिए।

इस तरह स्वदेशी की भावना को संपोषित और संबोधित करने से सामुदायिक भावना गड़बड़ होती और सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति को नैतिक पथ प्रदर्शन करने में सक्षम होती है। स्वदेशी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है स्वतंत्रता को संदर्भ संयुक्त बनाना। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में स्वाधीनता का अर्थ कर्म पर लगे सभी अवरोधों को हटाना है, परंतु अवरोधों का पूर्णरूपेण हट जाना संभव नहीं। अगर संभव हुआ भी, तो यह निरर्थक है, क्योंकि व्यक्ति के किसी तात्विक परिभाषा के अभाव में यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि किस चीज की उपलब्धि श्रेयस्कर है। इस पृष्ठभूमि में नकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर विशेष बल डालने का अर्थ टेलर के शब्दों में – कर्म को संदर्भहीन मानना है अर्थात कर्म को उन सभी विषम स्थितियों से व्यक्त करना है जिसका सफलतापूर्वक सामना करना अपनी स्वतंत्रता को अतुल रखना है। मात्र एक की स्थिति जो निर्बाध कर्म के मार्ग से सभी अवरोधों, यथा – ब्रह्म दमन समाज द्वारा आरोपित अप्रमाणिक आकांक्षाएं विरसता नैसर्गिकता आदि से परिभाषित होती है, उसको ही मान्यता मिलती है जिसको दूर करना आवश्यक माना जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में कोई ऐसी स्थिति नहीं, जिसके प्रति उत्तरदायित्व की भावना मात्र अवरोध हटाने की तुलना में सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता होगी। पूर्ण स्वतंत्रता संदर्भ वहीं होगी और इसी कारण यह शून्य वर्ष होगी न कुछ कार्य और न ही कुछ अर्थपूर्ण होगा। वह तो सभी अवरोधों को हटाकर स्वतंत्र हो गया है। यह स्वरूपविहीन हो जाता है भले ही क्यों न हम इसे बौद्धिकता और सृजनशीलता जैसे सतही तौर से अर्थपूर्ण शब्दों से ढकने की कोशिश करें।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि स्वदेशी की भावना स्वतंत्रता को संदर्भ वहीं होने से बचाती है और इस तरह स्वतंत्रता अर्थपूर्ण बनती है। स्वतंत्रता के अर्थपूर्ण बनने पर ही निजी और सार्वजनिक का अंतराल मिटता है और वैयक्तिक और सामुदायिक जीवन सौहार्द्रपूर्ण होता है। स्वदेशी हमारे अंदर वह भावना है जो हमें दूरस्थ परिवेश को छोड़कर निकटतम परिवेश के व्यवहार और उसकी सेवा के लिए प्रेरित करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. गाँधी, एम.के. (2008). *सत्य के प्रयोग*, दिल्ली : राजपाल एन्ड सन्स
2. प्यारेलाल, (2012). *आधुनिक दुनिया में गांधी के काम करने के तरीके*, अहमदाबाद : नवजीवन प्रकाशन मंदिर
3. भट्टाचार्य, प्रभात (1988). *गांधी दर्शन*, नई दिल्ली : भार्गव भूषण प्रेस
4. *सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय*, (1967) खंड-21, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, संस्करण, पृष्ठ 489

5. *सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय*, (1996) खंड-39 (आत्मकथा), प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, संस्करण, पृष्ठ 109

6. गुप्त, मानिक लाल, *आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास*, साहित्य रत्नालय, गिलिश बाजार कानपुर, 2007

7. कक्कड़, सुधीर, मीरा और महात्मा, (अनु.-अशोक कुमार), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005

8. राजेन्द्र प्रसाद, *गांधीजी की देन*, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2009

9. विनोबा और महात्मा गांधी, *स्वदेशी : अर्थ और आशय* (संपादक - पराग चोलकर), सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, 2001

10. सेठी, अनिल एवं बांठिया, कुसुम, *शिक्षा के गांधीवादी प्रतिमान*, भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली, 4 अप्रैल 2009

ISSN: 2456-4583
Indexed: SJIF & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

Global Multidisciplinary Research Journal
A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 2 March 2020, pp. 86-92

Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

बिजनौर जनपद के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों का अध्ययन

डॉ. सरोज बाला* **एवं ओम प्रकाश सिंह****
*एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा संकाय, डी.एस. कॉलेज अलीगढ़ (उ.प्र.)
**शोधार्थी, शिक्षक शिक्षा संकाय, डी.एस. कॉलेज अलीगढ़ (उ.प्र.)

प्राप्ति - 07 फरवरी 2020, **संशोधन** - 22 फरवरी 2020, **स्वीकृति** - 26 फरवरी 2020

सारांश

प्रस्तुत शोधपत्र बिजनौर जनपद के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों का अध्ययन पर आधारित है। शोधपत्र में शैक्षिक रुचियों का अध्ययन करने के लिए डॉ. डी.एन. श्रीवास्तव एवं प्रो. वी.पी. बंसल द्वारा निर्मित शैक्षिक रुचि रिकॉर्ड का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध में बिजनौर जनपद के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् 100 विद्यार्थियों का यादृच्छिकी न्यादर्शन विधि द्वारा न्यादर्श के रूप में चयन कर एकत्रित आँकडों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन, टी-परीक्षण सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। शोध क्षेत्र में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों लिंग एवं निवास स्थान के आधार पर सार्थक अन्तर पाया गया है।

मूल शब्द: माध्यमिक स्तर, विद्यार्थी, शैक्षिक रुचि।

प्रस्तावना

शिक्षा एक महत्वपूर्ण मानवीय सृजन एवं परिवर्तन का साधन है। मनुष्य शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य बनता है। वर्तमान समय में बच्चे वैसे तो बहुत समझदार होते हैं, परन्तु आज की भागदौड़ भरी जिन्दगी में अपने शैक्षिक जीवन से सन्तुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उनकी रुचि और कार्य में सामंजस्य नहीं है।

विदेशों में व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाने के लिए मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है। अमेरिका एवं इंग्लैण्ड में अधिकांश व्यक्ति अपने व्यवसाय से पूर्ण सन्तुष्ट हैं, क्योंकि उनकी रुचियों और कार्यों में पूर्ण सामंजस्य होता है। इसका एकमात्र रहस्य यह है कि प्रारम्भ से ही उनकी रुचियों का अध्ययन करके उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता है।

मनुष्य का जीवन सुखमय बनाने के लिए विद्यार्थीकाल से ही उनकी रुचियों का अध्ययन होना आवश्यक है और उनकी रुचि के अनुसार ही उसे शिक्षा दी जानी चाहिए और जब वह अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर तत्संबंधी व्यवसाय में प्रतिष्ठ होगा, तो निसन्देह उसका जीवन अपेक्षाकृत सुख और शान्ति का जीवन होगा। माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों को ज्ञात करने के लिए शोधार्थी द्वारा शोध विषय के रूप में चुना गया है।

आज के वैज्ञानिक युग में शिक्षा और व्यवसाय दोनों ही रुचि को महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं, जिससे एक कुशल समायोजन के लिए व्यक्ति का पथप्रदर्शन किया जा सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही क्षे्त्रों में रुचि का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तुत शोधकार्य विद्यार्थियों एवं जनकल्याण के लिए अवश्य लाभकारी होगा।

अध्ययन की आवश्यकता

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि जानकर उन्हें उनके भावी व्यवसाय के विषय में निर्देशित किया जाए, तो वह उसमें अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं तथा स्वयं समाज एवं राष्ट्र के लिए अधिक उपयोगी व्यक्ति बन सकते हैं। पूर्णरूप से समायोजित विद्यार्थी प्रगतिशील राष्ट्र की नींव रखते हैं। अध्ययन क्षेत्र में माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों के अध्ययन की समीक्षा की जाएगी तथा इन्हें सशक्त बनाने हेतु शोधकार्य की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कर सशक्त प्रभावी सुझाव प्रस्तुत कर सकेगा, जिसका उपयोग न केवल शोध क्षेत्र अपितु सम्पूर्ण देश में शिक्षा के विकास हेतु किया जा सकेगा। इन गहन विचारों की अवस्था हमें उद्देलित करती है कि आज माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों के अध्ययन करने की आवश्यकता है।

संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण

सिंह एवं श्रीवास्तव (2017) द्वारा "माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं की रुचि का तुलनात्मक अध्ययन" विषय पर शोधकार्य करने पर यह निष्कर्ष पाया कि माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं की रुचि में सार्थक अन्तर पाया गया।

रानी (2019) द्वारा "माध्यमिक स्तर के विज्ञान एवं कला संकाय के अध्यापकों की व्यावसायिक रुचि का लिंग, क्षेत्र और विद्यालय प्रकार के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन" विषय पर शोधकार्य करने पर यह निष्कर्ष पाया कि माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों का व्यावसायिक रुचि में सार्थक अन्तर पाया गया।

तिवारी एवं सिंह (2016) द्वारा "माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि का अध्ययन" विषय पर शोधकार्य करने पर यह निष्कर्ष पाया कि माध्यमिक स्तर पर विद्याथियों की शैक्षिक रुचि में अन्तर पाया गया तथा शैक्षिक रुचि पर लिंग-भेद एवं पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है।

गाँधी (2017) "विद्यालय वातावरण के संबंधों शैक्षिक रुचियों का अध्ययन" विषय पर शोधकार्य करने पर यह निष्कर्ष पाया कि विद्यालय वातावरण और शैक्षिक रुचियों मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

नारंग एवं नारंग (2015) "तहसील अबोहर के कक्षा 10 के विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों का अध्ययन" विषय पर शोधकार्य करने पर यह निष्कर्ष पाया कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों, लिंग एवं स्थान के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

समस्या कथन

"बिजनौर जनपद के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों का अध्ययन।"

शोध में प्रयुक्त शब्दों की संक्रियात्मक परिभाषा

माध्यमिक स्तर

प्रस्तुत शोध में माध्यमिक स्तर से तात्पर्य उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त कक्षा 9 से 10वीं तक विद्यालयों से है।

शैक्षिक रुचि

डब्लू वी.डी. बिंघम (1937) के अनुसार – "रुचि वह प्रवृत्ति है, जो किसी अनुभव में लग जाती है तथा उसमें निरन्तर होती है।" इस प्रकार रुचि वह प्रेरणाशक्ति है, जो किसी भी मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों का लिंग भेद (छात्र एवं छात्राओं) के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन।

2. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों का निवास स्थान (ग्रामीण एवं शहरी) के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ

1. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों में लिंग भेद (छात्र एवं छात्राओं) के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

2. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों में निवास स्थान (ग्रामीण एवं शहरी) के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध समस्या का सीमांकन

1. प्रस्तुत शोध बिजनौर जनपद के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् 100 विद्यार्थियों तक सीमित रहेगा।

2. प्रस्तुत शोध बिजनौर जनपद के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् 50 छात्र एवं 50 छात्राओं तक सीमित रहेगा।

3. प्रस्तुत शोध बिजनौर जनपद के माध्यमिक स्तर के 10 विद्यालयों तक सीमित रहेगा।

शोध का अभिकल्प

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है इस विधि द्वारा प्राप्त प्रदत्त प्रमाणिक एवं विश्वसनीय होते हैं।

जनसंख्या

प्रस्तुत शोध में जनसंख्या से तात्पर्य बिजनौर जनपद के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् सभी विद्यार्थियों से है।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध में यादृच्छिकी न्यादर्शन विधि का प्रयोग किया गया है। न्यादर्श प्रक्रिया में उ.प्र. के बिजनौर जनपद के माध्यमिक विद्यालयों से 50 छात्र एवं 50 छात्राओं का चयन किया गया है, इस प्रकार न्यादर्श के रूप में 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

शोध उपकरण

प्रस्तुत शोधकार्य में माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों का अध्ययन करने के लिए डॉ. डी.एन. श्रीवास्तव एवं प्रो. वी.पी. बंसल द्वारा निर्मित शैक्षिक रुचि रिकार्ड का प्रयोग किया गया है।

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी विधियाँ

प्रस्तुत शोधकार्य में अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एकत्रित आँकडों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन, टी परीक्षण सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग किया गया है।

शोध के चर

स्वतंत्र चर - विद्यार्थी

आश्रित चर - शैक्षिक रुचि

प्रदत्त विश्लेषण एवं विवेचन

1. परिकल्पना

माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों में लिंग भेद (छात्र एवं छात्राओं) के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका 1. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों का लिंग भेद (छात्र एवं छात्राओं) के आधार पर विवरण

शैक्षिक रुचि के क्षेत्र	*छात्र (n = 50)*		*छात्राएँ (n = 50)*		*df*	*t-मान*
	मध्यमान (M)	*मानक विचलन (SD)*	*मध्यमान (M)*	*मानक विचलन (SD)*		
विज्ञान	7.71	1.22	6.75	1.53	98	346**
इंजीनियरिंग	8.76	1.73	7.72	1.50	98	3.21**
चिकित्सा	7.86	1.83	6.51	1.52	98	4.01**
कृषि	7.95	1.89	6.86	1.72	98	3.01**
मानवतावादी एवं कलात्मक	6.16	1.86	5.83	1.65	98	0.93
गृह विज्ञान	7.23	1.51	6.45	1.61	98	2.49*
ललित कला	6.69	1.98	6.45	1.86	98	3.93**
वाणिज्य	6.38	1.64	5.23	1.98	98	3.16**

*0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है

**0.01सार्थकता स्तर पर सार्थक है

लेखाचित्र सं.– 1 माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों का लिंग भेद (छात्र एवं छात्राओं) के आधार पर विवरण।

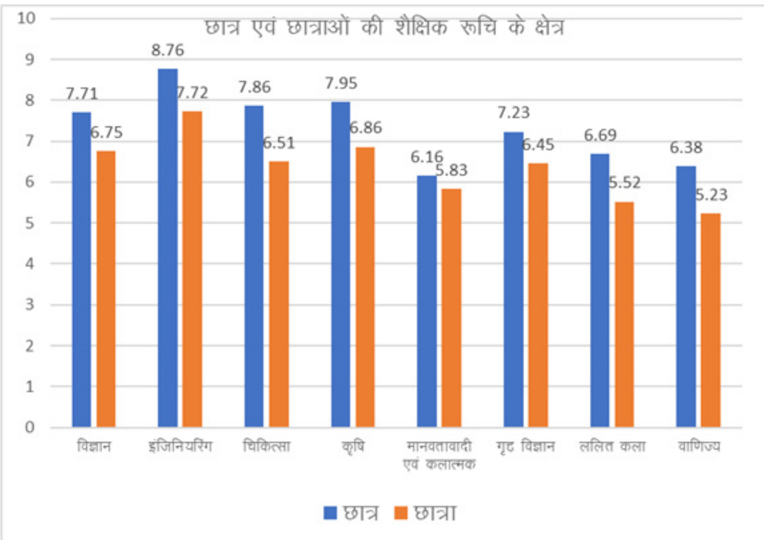

तालिका सं.–1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों के क्षेत्र विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि, ललित कला एवं वाणिज्य में 98 स्वतंत्रता के अंशों पर टी के सारणी मान 2.63 से अधिक पाया गया। यह 0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक है, जो कि स्पष्ट करता है कि शैक्षिक रुचियों के उपर्युक्त क्षेत्र सार्थक अन्तर पाया गया, जबकि मानवतावादी एवं कलात्मक में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

2. परिकल्पना

माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों में निवास स्थान (ग्रामीण एवं शहरी) के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका 2. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों का निवास स्थान (ग्रामीण एवं शहरी) के आधार पर विवरण

शैक्षिक रुचि के क्षेत्र	*छात्र (n = 50)*		*छात्राएँ (n = 50)*		*df*	*t-मान*
	मध्यमान (M)	*मानक विचलन (SD)*	*मध्यमान (M)*	*मानक विचलन (SD)*		
विज्ञान	7.25	1.56	6.19	1.86	98	3.08**
इंजीनियरिंग	7.56	1.37	6.80	1.75	98	2.29*
चिकित्सा	7.13	1.67	6.35	1.87	98	2.19*
कृषि	6.67	1.53	5.13	1.93	98	4.42**
मानवतावादी एवं कलात्मक	6.85	1.63	6.12	1.97	98	2.01*
गृह विज्ञान	7.17	1.35	6.36	1.87	98	3.21**
ललित कला	6.03	1.23	5.63	1.67	98	2.28*
वाणिज्य	6.53	1.46	5.35	1.83	98	3.56**

*0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है

**0.01सार्थकता स्तर पर सार्थक है

लेखाचित्र सं.- 2 माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों का निवास स्थान (ग्रामीण एवं शहरी) के आधार पर विवरण।

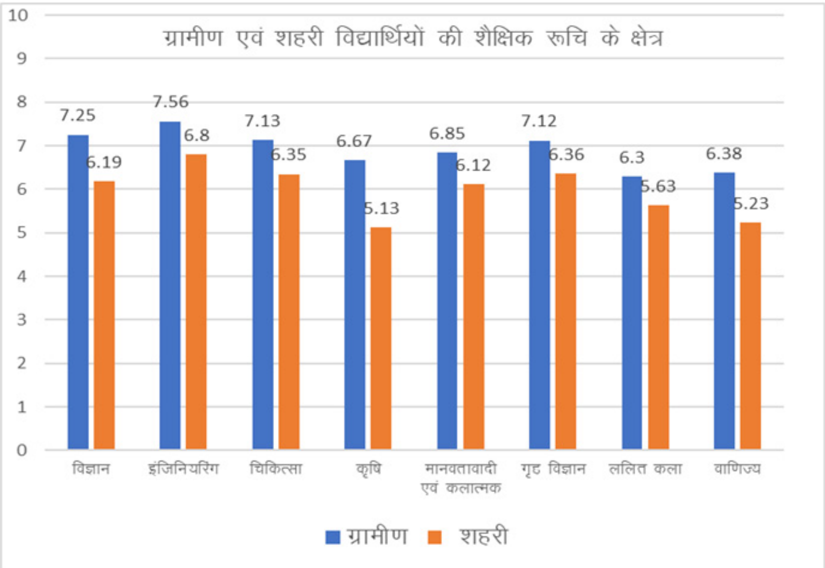

तालिका सं.-2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों का निवास स्थान (ग्रामीण एवं शहरी) के आधार पर शैक्षिक रुचियों के क्षेत्र विज्ञान, कृषि, गृह विज्ञान एवं वाणिज्य में 98 स्वतंत्रता के अंशों पर टी के सारणी मान 2.63 से अधिक पाया गया। यह 0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक है, जो कि स्पष्ट करता है कि शैक्षिक रुचियों के उपर्युक्त क्षेत्रों सार्थक अन्तर पाया गया, जबकि इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मानवतावादी एवं कलात्मक और ललित कला में 0.05 सार्थकता स्तर पर टी के मान 1.98 से अधिक पाया गया है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों के निवास स्थान (ग्रामीण एवं शहरी) के आधार पर शैक्षिक रुचियों में सार्थक अन्तर पाया गया है।

परिणाम निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध में पकिल्पनाओं के अनुसार एकत्रित आँकडों के विश्लेषण के आधार पर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों के क्षेत्र विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि, ललित कला एवं वाणिज्य में लिंग के आधार पर सार्थक अन्तर पाया गया है, तथा निवास स्थान के आधार भी सार्थक अन्तर पाया गया है।

शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोध वर्तमान जगत में शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा। स्कूल प्रशासकों तथा पाठ्यक्रम निर्माताओं को दिशा प्रदान करेगा। माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों को देखा जाए, तो प्रत्येक क्षेत्र में यह औचित्यपूर्ण परिणाम देने में सहायक है। विद्यार्थियों का शिक्षा की ओर उन्मुख होना एवं शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में यह महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

सिंह, पूनम एवं श्रीवास्तव, छाया (2017). माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं की रुचि का तुलनात्मक अध्ययन, *इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिस्प्लीनरी एजुकेशन एण्ड रिसर्च*, 2(1), 47-48।

रानी, रजनी (2019). माध्यमिक स्तर के विज्ञान एवं कला संकाय के अध्यापकों की व्यावसायिक रुचि का लिंग, क्षेत्र और विद्यालय प्रकार के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन. *इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड एजुकेशनल रिसर्च*, 4(3), 10-14। www.educationjournal.org

तिवारी, पी.के. एवं सिंह एस.के. (2016). माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि का अध्ययन, *इन्टरनेशनल ऑफ मल्टीडिस्प्लीनरी रिसर्च जर्नल गोल्डन रिसर्च थोट्स*, 6(6), 1-5।.isrj.in

गाँधी, एन.डी. (2017). विद्यालय वातावरण के संबंध में शैक्षिक रुचियों का अध्ययन. *नेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिस्प्लीनरी रिसर्च एण्ड डेवपलपमेंट*, 2(3), 381-383। www.nationaljournal.com

नारंग, डी.वी. एवं नारंग, डी. सुशीला (2015). तहसील अबोहर के कक्षा 10 के विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचियों का अध्ययन, इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एण्ड इफॉर्मेशन स्टडीज, 5(1), 51-57। https://republication .com

ISSN: 2456-4583
Indexed: SJIF & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

Global Multidisciplinary Research Journal
A Peer Reviewed Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 2 March 2020, pp. 93-99

Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. कौशलेन्द्र कुमार

एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, आदर्श कृष्ण महाविद्यालय, शिकोहाबाद (उ.प्र.)

प्राप्ति – 12 जनवरी, 2020; **संशोधन** – 04 फरवरी, 2020; **स्वीकृति** – 21 फरवरी, 2020

प्रस्तावना

शिक्षक शिक्षा की नींव है। शिक्षक ही पाठ्यक्रम को जीवन आधार देता है। वह सामाजिक, सांस्कृतिक, सभ्यता, रीति और परम्पराओं की अभिव्यक्ति, रक्षा एवं उनका विस्तार करता है। शिक्षक ही शिक्षा के द्वारा शासन, सत्ता तथा समाज के बीच सामंजस्य बनाए रखता है। शिक्षक का किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। वह यथार्थ में शिक्षा प्रणाली का पुंज होता है। वह समाज में ज्ञान के प्रकाश का विकीर्णन करता हुआ कोटि-कोटि चिरागों को प्रज्जवलित करता है। व्यक्ति तथा समाज के निर्माण के सन्दर्भ में शिक्षक द्वारा किए गए अनुपम योगदान एवं सेवा के कारण ही समाज शिक्षक की प्रतिभा के सामने सदैव शर्म से झुकता रहता है।

शिक्षक को समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाए रखने के लिए तथा राष्ट्र को योग्य व चरित्रवान नागरिक दे सकने तथा देश की सभ्यता एवं संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपना कार्य सफल ढ़ंग से सम्पादित कर सके। विचारकों एवं चिन्तकों की दृष्टि में यह प्रश्न अभी बना हुआ है कि शिक्षक अपने कार्य को सरल ढंग से कैसे निष्पादित कर सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में दो मत सामने आते हैं – प्रथम मतानुसार शिक्षक बनाए नहीं जाते, शिक्षक पैदा होते हैं, अर्थात जो अध्ययन में मेधावी होते हैं, वे अच्छा शिक्षण कर सकते हैं। उदाहरणार्थ – स्वामी विवेकानन्द, चाणक्य, समर्थ, समर्थ गुरु रामदास, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गाँधी, विरजानन्द, दयानन्द सरस्वती, अरविन्द घोष आदि का नाम लिया जा सकता है। किन्तु अन्य अनन्य लोगों का विचार है कि विषय ज्ञान ही एक दक्ष अध्यापक के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि विषय के ज्ञान के साथ-साथ उसे शिक्षण कला में भी दक्ष होना चाहिए। क्योंकि शिक्षण कला में कुशल अध्यापक बालकों की रुचि, उनके मानसिक स्तर तथा उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विषय का प्रतिपादन सम्यक रूप से कर सकता है। ऐसी विचारधारा वाले लोगों ने ही अध्यापन व्यवसाय के लिए शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था को जन्म दिया और सफल अध्यापन के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया।

प्राय: यह देखा गया है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों की अपेक्षा प्रशिक्षित शिक्षकों में कार्यकुशलता अधिक पायी जाती है, किन्तु केवल तर्कसम्मत विचारों को ही किसी तथ्य की सत्यता की कसौटी नहीं माना जा सकता। यदि इस तथ्य को प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया जा सके और प्रयोग के आधाार पर वही तथ्य सिद्ध हो, जो उपर्युक्त अनुभव के आधार पर व्यक्त किए गए हैं। तभी इन तथ्यों की विश्वसनीयता कही जा सकती है। इसी दृष्टिकोण द्वारा प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध इस तथ्य को जानने व समझने की एक लालसा है कि क्या प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई अन्तर होता है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

सनातन भारत में वशिष्ठ, व्यास, कौटिल्य, विश्वामित्र एवं सन्दीपन आदि सफल शिक्षक हुए हैं, जिनके बारे में प्रशिक्षण का कहीं वर्णन नहीं मिलता। फिर भी अपने ज्ञान और प्रतिभा से ये सभी अत्यन्त कुशल शिक्षक रहे। वर्तमान युग में भी स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महर्षि अरविन्द घोष एवं महात्मा गाँधी आदि अच्छे विचारक हुए हैं। जिन्होंने अपने ढ़ंग से उपयुक्त शिक्षा की सजीव झाँकी खींची है। परन्तु ये लोग कहीं भी प्रशिक्षित नहीं थे। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि अच्छा शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता है। परन्तु जब हम दूसरी ओर देखते हैं, तो इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आज के वैज्ञानिक युग में कम परिश्रम से अल्प काल में अधिक लाभ प्राप्त करना जीवन का सिद्धान्त बन गया है। इस दृष्टि से आज के शिक्षकों को विभिन्न ऐसी विधियों में कुशल होना चाहिए जिससे कि वह थोड़े प्रयत्न से सामूहिक शिक्षण विधि द्वारा विद्यार्थियों को अधिकतम ज्ञान करा सकें।

यह तभी संभव होगा जबकि वह आज की नवीनतम शिक्षण विधियों का ज्ञान प्राप्त किए हों, एवं नवीनतम शैक्षिक उपकरणों के प्रयोग में दक्ष हों। यह दक्षता तभी सम्भव है, जबकि शिक्षक प्रशिक्षित हों। अध्यापकों के प्रशिक्षण की महत्ता का वर्णन करते हुए शिक्षा आयोग 1964-66 ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि, "शिक्षकों के प्रशिक्षण पर किए गए व्यय का प्रतिफल सचमुच काफी मूल्यवान होगा, क्योंकि उसके फलस्वरूप लाखों विद्यार्थियों की शिक्षा में जितना सुधार होगा, उसकी अपेक्षा में व्यय की मात्रा बहुत कम होगी। इसलिए स्पष्ट है कि शिक्षा के विकास में उच्च कोटि के शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय बहुत बड़ा सहयोग दे सकते हैं।" क्या वास्तव में शिक्षा आयोग की उक्त कल्पना सही है? यदि ऐसा है, तो इसका सत्यापन तभी किया जा सकता है जब वैज्ञानिक आधार पर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के विभिन्न आयामों की तुलना की जाए।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

1. प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता को ज्ञात करना।
2. शहरी क्षेत्र के प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता को ज्ञात करना।
3. ग्रामीण क्षेत्र के प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता को ज्ञात करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएं

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाएं निर्धारित की गई हैं -

1. प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
2. बाहरी क्षेत्रों के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
3. ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

जनसंख्या

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन करना है। प्रस्तुत अध्ययन में शिकोहाबाद तहसील के अन्तर्गत आने वाले समस्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक प्रस्तुत अध्ययन की जनसंख्या हैं।

न्यादर्श

समय, साधन, ध्यान तथा श्रम की सीमितता को ध्यान में रखते हुए इस अध्ययन को शिकोहाबाद तहसील के अन्तर्गत आने वाले माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से मात्र 160 शिक्षकों का ही चयन न्यादर्श के रूप में किया गया है।

शोध विधि

शोध समस्या की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी द्वारा अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। यह विधि वर्तमान के तथ्यों को एकत्र ही नहीं करती, वरन् उनकी व्याख्या, विभाजन, निष्कर्ष प्राप्ति तथा उसका सामान्यीकरण भी करती है।

शोध उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन में अध्यापकों की शिक्षण दक्षता मापने के लिए डी.एन. मूथा द्वारा निर्मित एवं प्रमापीकृत मापनी का प्रयोग किया गया है।

प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियाँ

प्रस्तुत अध्ययन में प्रदत्तों के विश्लेषण एवं विवेचन हेतु सांख्यिकीय प्रविधि के रूप में मध्यमान, मानक विचलन तथा टी-टेस्ट का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका 1. प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण दक्षता के मध्यमान, मानक विचलन तथा 'टी' का मान

अध्यापक वर्ग	*संख्या*	*मध्यमान*	*मानक विचलन*	*स्वतंत्रता का अंश*	*"t"*
प्रशिक्षित अध्यापक	80	284.8	29.61	–	–
अप्रशिक्षित अध्यापक	80	289.05	27.68	158	1.82

उपरोक्त तालिका 1 से स्पष्ट है कि दोनों प्रकार के शिक्षकों की शिक्षण दक्षता धनात्मक है, क्योंकि प्रशिक्षित अध्यापकों का मध्यमान 284.8 तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्राप्तांक मध्यमान 289.05 प्राप्त हुआ है तथा प्रशिक्षित अध्यापकों का मानक विचलन 29.61 तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों का मानक विचलन 27.68 है, जो इस बात का संकेत करता है कि अप्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण दक्षता प्रशिक्षित अध्यापकों की तुलना में अधिक है अर्थात शिक्षण के प्रारम्भिक वर्षो में शिक्षकों की शिक्षण दक्षता अधिक होती है, जो समय बीतने के साथ कम हो जाती है। इस तथ्य की विश्वसनीयता की जाँच के लिए 'टी' परीक्षण का प्रयोग किया गया, जो उक्त मध्यमान एवं मानक विचलन पर 1.82 प्राप्त हुआ। यह 'टी' अनुपात मान विश्वास स्तर 0.01 स्तर पर सार्थक नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षण के प्रारम्भिक वर्षो में शिक्षण दक्षता कुछ अधिक होती है। जो अनुभव के साथ या तो स्थिर हो जाती है या इसमें ह्रास होने लगता है।

तालिका 2. शहरी क्षेत्र के प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण दक्षता के मध्यमान, मानक विचलन तथा 'टी' का मान

अध्यापक वर्ग	*संख्या*	*मध्यमान*	*मानक विचलन*	*स्वतंत्रता का अंश*	*"t"*
प्रशिक्षित अध्यापक	40	290.426	28.113	–	–
अप्रशिक्षित अध्यापक	40	289.033	27.699	78	0.421

उपर्युक्त तालिका संख्या 2 के आँकड़ों के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि बाहरी क्षेत्र के प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण दक्षता सामान्य से अधिक है, क्योंकि उनके प्राप्तांक मध्यमान क्रमशः 290.426 तथा 289.033 हैं, परन्तु इनके मध्यमान के अन्तर 1.393 प्राप्त हुए हैं। वे विश्वास के योग्य नहीं हैं क्योंकि उक्त प्राप्तांकों के जब 'टी' परीक्षण मान ज्ञात किए गए, तो 'टी' परीक्षण का मान 0.421 प्राप्त हुआ। यह 'टी' परीक्षण मान 0.05 तथा 0.01 विश्वास स्तर पर सार्थक नहीं है। इसलिए यह परिणाम प्राप्त हुआ कि बाहरी क्षेत्र के प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण दक्षता अधिक होने के साथ-साथ दोनों वर्ग की दक्षता में कोई अन्तर नहीं होता है अर्थात् बाहरी क्षेत्र के प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण दक्षता लगभग समान होती है।

तालिका 3. ग्रामीण क्षेत्र के प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण दक्षता के मध्यमान, मानक विचलन तथा 'टी' का मान

अध्यापक वर्ग	*संख्या*	*मध्यमान*	*मानक विचलन*	*स्वतंत्रता का अंश*	*"t"*
प्रशिक्षित अध्यापक	40	291.29	27.79		
अप्रशिक्षित अध्यापक	40	286.10	27.79	78	1.655

उपर्युक्त तालिका संख्या 3 में ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों की शिक्षण दक्षता का मध्यमान 291.29 तथा उक्त क्षेत्र के ही अप्रशिक्षित अध्यापकों के शिक्षण दक्षता प्राप्तांक का मध्यमान 266.10 है। इस प्रकार प्रशिक्षित अध्यापकों के प्राप्तांक मध्यमान अप्रशिक्षित अध्यापकों के प्राप्तांक मध्यमान से 5.19 अधिक है। इससे यह संभावना बनती है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण दक्षता ग्रामीण क्षेत्र के अप्रशिक्षित अध्यापकों की तुलना में अधिक होगी। परन्तु जब इस मध्यमान अन्तर की विश्वसनीयता की परख की गई, तो 'टी' परीक्षण का मान 1.655 प्राप्त हुआ। यह 'टी' परीक्षण मान 0.01 तथा 0.05 विश्वास स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण दक्षता में कोई अन्तर नहीं है, बल्कि दोनों वर्ग के अध्यापक शिक्षण दक्षता में लगभग समान होते हैं।

निष्कर्ष

शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि प्रशिक्षित अध्यापकों एवं अप्रशिक्षित या प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अध्यापकों की शिक्षण दक्षता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि वर्तमान शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अध्यापन और शिक्षण दक्षता के उन्नयन में सहायक नहीं है अर्थात वर्तमान शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थिर सीमाओं में बन्द और नवीन राष्ट्रीय उद्देश्यों से अछूता नहीं है। यह छात्रध्यापकों का बहुत कम दिशानिर्देश कर पाता है। जैसा कि शिक्षा आयोग (1964-66) ने संकेत किया है कि शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में चेतनत्व और वास्तविकता नहीं है तथा कार्यक्रम परम्परागत है, यहाँ तक कि एक सीमित क्षेत्र शिक्षण विधियों को ही देखा जाए तो छात्राध्यापकों के समक्ष शायद ही शिक्षण विधियों के लाभ एवं उपयोगिता का उल्लेख किया जाता है और इसके स्थान पर केवल 'टाक और चाक' विधि का प्रयोग किया जाता है। छात्रध्यापक भी पाठ्यवस्तु के स्वभाव एवं व्यावहारिक पक्ष के उद्देश्यों को ध्यान में न रखकर परम्परागत ढ़ंग से शिक्षण अभ्यास करते हैं। यह स्थिति आज भी बनी हुई है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभावी न होने के कुछ अन्य कारण और हैं जो निम्न हैं -

शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि

वर्तमान समय में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया इस प्रकार अवस्थित है कि पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया इतने विलम्ब से पूरी होती है कि पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए पर्याप्त एवं उचित समय नहीं मिलता, जिसके कारण शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अपना प्रभाव शिक्षकों पर डालने में असफल होता जा रहा है।

शिक्षक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम

इस वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में भी शिक्षक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम परम्परागत बना हुआ है। इस पाठ्यक्रम में व्यावहारिक ज्ञान का अभाव है। वर्तमान पाठ्यक्रम में सैद्धान्तिक ज्ञान को ही महत्व दिया जाता है, जबकि शिक्षक को शिक्षण के व्यावहारिक प्रशिक्षण की अधिक आवश्यकता होती है।

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जो भी कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं, उनका सही रूपों में क्रियान्वयन ही नहीं हो पाता। सभी लघु मार्ग से चलना चाह रहे हैं। इसका कारण है कि प्रशिक्षित अध्यापकों को कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल पा रहा है।

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु जो सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, उनका सही रूपों में मूल्यांकन न हो पाना भी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभाविकता को कम कर रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को छात्रों की वास्तविक आवश्यकताओं से जोड़कर और अधिक रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाने का प्रयास होना चाहिए।

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का व्यावहारिक महत्व कम

जिस स्तर के लिए शिक्षकों को जिन रूपों में प्रशिक्षित किया जाता है, उनका व्यावहारिक जीवन में कहीं प्रयोग ही नहीं हो रहा है। इस कारण से भी प्रशिक्षणार्थी एवं प्रशिक्षक, प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विशेष ध्यान नहीं देते। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार लाने का प्रयास करेंगे।

शिक्षा की चुनौती में यह महसूस किया गया है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनियोजित एवं संगठित रूप से बनाए गए हैं, जिससे जिज्ञासा, पहल, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, शारीरिक दक्षता, वैचारिक स्पष्टता, भाषाई कौशल का विकास नहीं हो पा रहा है। यह भी स्पष्ट है कि शिक्षक शिक्षा को एक कृत्रिम व्यवसाय के रूप में ग्रहण किया जा रहा है, जो प्रयोग एवं अनुसंधान के बजाय अनुभव पर आधारित है।

शिक्षक शिक्षा की यह कमी है कि छात्राध्यापकों को अपना सम्पूर्ण प्रशिक्षण काल स्वतंत्रता विहीन वातावरण में व्यतीत करना होता है। अर्थात उन्हें नई शिक्षा में निहित नेतृत्व, स्वतंत्रता चहल कदमी, सामुदायिक जीवन एवं सामाजिक प्रेरणा आदि विचारों की तो शिक्षा दी जाती है, पर उनको इन विचारों का वास्तविक अनुभव प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं दिया जाता है।

प्रशिक्षण काल में शिक्षण के प्राविधिक पक्ष पर इतना अधिक बल दिया जाता है कि मानवीय पक्ष की पूर्ण उपेक्षा हो जाती है यानी सैद्धान्तिक विषयों, अध्यापन विषयों एवं शिक्षण अभ्यास को इतना अधिक महत्व दिया जाता है कि छात्राध्यापकों को शिक्षा के लक्ष्यों, मूल्यों एवं प्रयोजनों पर आलोचनात्मक ढ़ंग से विचार करने का कोई अवसर नहीं प्राप्त होता है।

प्रशिक्षण काल में छात्राध्यापकों को जिन सिद्धान्तों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। उनका विद्यालय में कार्य करने की वास्तविक परिस्थितियों से कोई सम्बन्ध नहीं है अर्थात जिन परिस्थितियों में वे अपने विद्यालयों में कार्य करते हैं, उनमें वे प्रशिक्षण संस्थाओं में सीखे जाने वाले शैक्षणिक सिद्धान्तों को व्यवहार में कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं।

शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम का सार तत्व उसका गुण या श्रेष्ठता है। यदि उसमें श्रेष्ठता का अभाव है, तो वह न केवल आर्थिक अपव्यय का वरन् विद्यालय शिक्षा के सब स्तरों के पतन का कारण बन जाती है। यदि हम

अपने देश की शिक्षक शिक्षा की स्थिति का अवलोकन करें, तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। यद्यपि उसका हाल के वर्षों में यथेष्ठ विस्तार हुआ है पर उसके स्तर का अनिवार्य रूप से पतन हुआ है।

उक्त कारणों के अलावा भी अन्य कई कारण हो सकते हैं, जिनके प्रभाव से शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम बिल्कुल ही अप्रभावी है। इनकी कोई उपयोगिता ही नहीं रह गई है। वरन् वास्तविकता यही है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा सुयोग्य एवं सफल प्रभावशाली शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं बशर्ते इस पाठ्यक्रम में वर्तमान परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक संशोधन, परिमार्जन एवं शिक्षण के व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष बल दिया जाए। अतः कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

भार्गव, महेश *आधुनिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मापन*, आगरा : एच.पी. भार्गव बुक हाउस, 2001

तिवारी, गोविन्द, *शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के मूलाधार*, आगरा : अग्रवाल पब्लिकेशन्स, प्रथम संस्करण, 2008-09

राय पारसनाथ (2003), *अनुसंधान परिचय*, लक्ष्मी नारायन अग्रवाल शिक्षा सम्बन्धी प्रकाशन, आगरा, पृष्ठ 205

पाण्डेय राम शकल, *शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार*, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ

त्यागी गुरूशरन दास, *भारतीय शिक्षा का परिदृश्य*, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा

मालवीय डॉ. राजीव एवं जोशी, *शैक्षिक संगठन, स्वास्थ्य शिक्षा एवं शिक्षण तकनीकी*, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 2011

लाल, प्रो. रमन बिहारी एवं पलौड, सुनीता, *शिक्षा दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार*, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, 25001, संस्करण, 2010

अग्रवाल, जे.सी. (2001). *शिक्षा अनुसंधान.* आर्य बुक डिपो, नई दिल्ली

बेस्ट, जॉन डब्ल्यू, *रिसर्च इन एजूकेशन*, नई दिल्ली : प्रेंटिस हॉल, 1963

अरोड़ा, रीता, मारवाह, सुदेश (2008). *शिक्षण एवं अधिगम के मनोसामाजिक आधार*, शिक्षा प्रकाशन, जयपुर

अस्थाना, विपिन एवं अस्थाना, श्वेता (2007). *मनोविज्ञान एवं शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन*, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा

ISSN: 2456-4583
Indexed: SJIF & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

Global Multidisciplinary Research Journal
A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 2 March 2020, pp. 100-106

Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के फलस्वरूप शिक्षण कौशल पर प्रभाव का समीक्षात्मक अध्ययन (इटावा जिला के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. फतेह बहादुर सिंह यादव
एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, चौ. चरण सिंह पी.जी. कॉलेज हेवरा, इटावा (उ.प्र.)

प्राप्ति - 09 जनवरी 2020, **संशोधन** - 01 फरवरी 2020, **स्वीकृति** - 16 फरवरी 2020

सारांश

वर्तमान जाँच में "माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के फलस्वरूप शिक्षण कौशल पर प्रभाव का समीक्षात्मक अध्ययन (इटावा जिला के विशेष सन्दर्भ में)" को खोजने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध में अध्ययन हेतु न्यादर्श के अंतर्गत माध्यमिक स्तर के शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत् कुल 120 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को लिया गया है, जिसमें 60 शासकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं एवं 60 अशासकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्श विधि से किया गया है। इस अध्ययन हेतु इटावा जिला को आकस्मिक नमूना विधि से लिया गया है।

मूल शब्द: सर्वांगीण विकास, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण कौशल

सम्प्रत्यात्मक पृष्ठभूमि

शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सामाजिक व राष्ट्रीय प्रगति तथा सभ्यता और संस्कृति के उत्थान के लिए अनिवार्य है। हमारे मनीषियों ने अतीत में शिक्षा के इस गहन महत्व को समझ लिया था। इसी कारण प्राचीन भारत में भी शिक्षा की सुन्दर व्याख्या की गई है। अत: शिक्षा समाज की आवश्यकतानुसार परिवर्तित भी होती रहती है। मानव इतिहास में आदिकाल से शिक्षा का विविध भाँति विकास एवं प्रचार हो रहा है। आधुनिक शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि जो समाज की व्यवस्था को दृढ़ बनाकर, बालकों को अपने विकास के लिए समुचित अवसर देकर समाज के मूल्यों की सुरक्षा करें। इसलिए शिक्षा की पुनर्रचना का प्रयत्न इसी उद्देश्य को लेकर चल रहा है। मनोविज्ञान बालक के समन्वित विकास पर बल देता है। वस्तुत: शिक्षा किसी भी राष्ट्र का मेरुदण्ड होती है, वह अतीत की उपलब्धियों, वर्तमान का यथार्थ एवं भविष्य की आलोकमय चेतना की संवाहक होती है।

शोध अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

किसी भी समस्या का शैक्षणिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि शिक्षा का क्या महत्व है? विभिन्न दार्शनिकों एवं शिक्षा कि अध्येताओं ने अधिगमन के महत्व को इस प्रकार उल्लेखित किया है कि शिक्षा हमें अपने सम्पूर्ण परिवेश के प्रति सजग बनाती है। आज सम्पूर्ण विश्व तथा विशेष रूप से हमारे देश में विविधा संस्कृति, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आर्थिक मूल्यों में क्रान्ति हो रही है। इस भीषण संक्रमण काल में बालक को सांस्कृतिक, राष्ट्रीय संकल्पनाओं के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप व्यक्तित्व सम्पन्न बन सके, यही अध्यापकों का लक्ष्य है। अध्ययन करने से शारीरिक, मानसिक, स्वाभाविक, समायोजन शक्तियों का समन्वित विकास होता है। इनके समन्वय के अभाव में शिक्षा अधूरी व अपंग रहती है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना प्रथम आवश्यकता है।

संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालीदास का कथन है –

"शरीर मांध खलु धर्म साधनम्।"

कलाओं द्वारा मन की अन्तर्वत्तियों का सामंजस्य होता है। सौन्दर्य से चेतना मुखर होती है। राग से चेतना का विकास होता है। इसके साथ ही शिक्षा से आत्मिक शक्तियों का विकास होता है। उच्च स्तरीय मानव मूल्यों की प्राप्ति होती है, विश्व मानवता को स्वीकार करता है। शिक्षा द्वारा आदर्शपूर्ण समाज का निर्माण होता है, मानव क्षमता की स्थापना होती है।

दैनिक जीवन में अध्ययन अधिगमन प्रक्रिया का महत्व सरलता से देखा जा सकता है। हमारा अधिकांश काम शिक्षा के अध्ययन प्रक्रिया के बल पर ही संचालित होता है। यदि किसी व्यक्ति में अध्यापकों के अधिगमन प्रक्रिया न होती, तो उस व्यक्ति का जीवन बड़ा दुष्कर हो जाता। वह अपने माता-पिता को भी न पहचान सकता। मित्रों को अपरिचित समझता। स्थान एवं काल का उसे तनिक भी ज्ञान न हो पाता। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का उपयोग हम पग-पग पर करते रहते हैं। कुछ अंग-विकल बालकों में अथवा व्यक्तियों में शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया का लोप हो जाता है। ऐसे व्यक्ति किसी को पहचान नहीं पाते। यह मन की असामान्य अवस्था होती है।

यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के फलस्वरूप शिक्षण कौशल, अधिगम स्तर पर प्रभाव की सफलता के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों तथा उक्त संवर्ग के विद्यार्थियों में शैक्षिक स्थिति के सुधार के लिए वास्तविक स्थिति का अध्ययन तथा उसमें वांछित सुधार हेतु सुझाव देने के लिए शैक्षिक शोध करने की आवश्यकता है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता, वस्तुस्थिति, उपयोग की जानकारी, शिक्षकों के शिक्षण कौशल पर प्रभाव, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव, शिक्षण कौशल में वृद्धि हेतु प्रशिक्षण, शिक्षण अधिगम सामग्री के क्रियान्वयन व शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता व उनके उपयोग सम्बन्धी मॉनीटरिंग के कारण शैक्षणिक कार्य की वर्तमान स्थिति ज्ञात करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध समस्या का चयन किया है।

शोध शीर्षक

"माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के फलस्वरूप शिक्षण कौशल पर प्रभाव का समीक्षात्मक अध्ययन" (इटावा जिला के विशेष सन्दर्भ में)

प्रस्तुत लघु शोध में प्रयुक्त विधि

प्रस्तुत अध्ययन हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध में प्रयुक्त उपकरण

किसी समस्या के अध्ययनार्थ नवीन तथा अज्ञात तथ्यों को संकलन करने में सहायक साधनों को शोध उपकरण कहते हैं। प्रत्येक अनुसंधान में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के उपकरण प्रयुक्त होते हैं। शिक्षण कौशल मापनी परीक्षण का निर्माण शोधक द्वारा स्वयं निर्देशक के परामर्श के द्वारा तैयार किया गया है। इस परीक्षण में शिक्षण कौशल से संबंधित कुल 25 कथनों को रखा गया है।

चर

चर के प्रकार - चर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं -

1. स्वतंत्र चर - साधारणतः प्रयोगकर्ता जिस कारक के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है और प्रयोग में जिस पर उसका नियंत्रण रहता है, उसे स्वतंत्र चर करते हैं। प्रस्तुत शोध में शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक स्तर के विद्यालय स्वतंत्र चर हैं।
2. आश्रित चर - स्वतंत्र चर के प्रभाव के कारण जो व्यवहार परिवर्तित होता है और जिसका अध्ययन तथा अध्यापन किया जाता है, उसे आश्रित चर कहते हैं। प्रस्तुत शोध में शिक्षण कौशल आश्रित चर है।

प्रस्तुत शोध के अध्ययन में शोध द्वारा संभाव्यतः न्यादर्श से यादृच्छिक न्यादर्श विधि का चयन किया गया है।

जनसंख्या

प्रस्तुत शोध में इटावा जनपद के माध्यमिक विद्यालयों को ही सम्मिलित किया गया है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध कार्य निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है -

1. शोध क्षेत्र में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के फलस्वरूप शिक्षकों के शिक्षण कौशल पर प्रभाव की जानकारी प्राप्त करना।
2. माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षण अधिगम सामग्री के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं व अवरोधों का पता लगाना।
3. इन समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध परिकल्पना

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोध का पूर्वानुमान परिकल्पनाओं के रूप में निम्नवत् है -

1. शोध क्षेत्र के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. शोध क्षेत्र के शासकीय विद्यालयों के पुरुष एवं महिला शिक्षकों में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. शोध क्षेत्र के अशासकीय विद्यालयों के पुरुष एवं महिला शिक्षकों में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध अध्ययन का न्यादर्श

प्रस्तुत शोध में अध्ययन हेतु न्यादर्श के अंतर्गत माध्यमिक स्तर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में सेवारत् कुल 120 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को लिया गया है, जिसमें 60 शासकीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं एवं 60 अशासकीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को सम्मिलित किया गया हैं।

न्यादर्श निम्न प्रवाह संचित्र (Flowchart) में प्रस्तुत किया गया है।

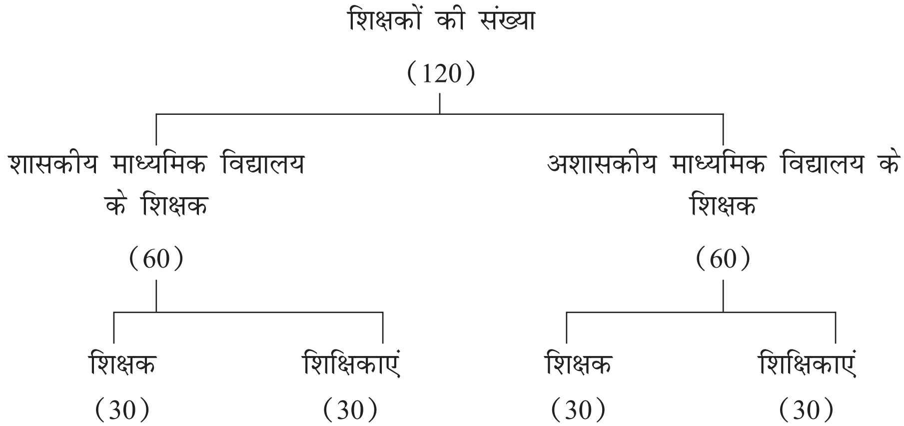

प्रस्तुत अध्ययन के प्रदत्तों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या

1. शोध क्षेत्र के शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. शोध क्षेत्र के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के पुरूष एवं महिला शिक्षकों में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. शोध क्षेत्र के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के पुरुष एवं महिला शिक्षकों में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिकल्पना-1

शोध क्षेत्र के शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री

तालिका

विद्यालय का प्रकार	*संख्या*	*मध्यमान*	*मानक विचलन*	*क्रान्तिक अनुपात*	*सार्थकता स्तर*
शासकीय शिक्षक	60	41.25	3.75	1.13	NS
अशासकीय शिक्षक	60	40.25	5.75		

विवेचना

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक का मध्यमान क्रमशः 41.25 तथा 40.25 एवं मानक विचलन क्रमशः 3.75 तथा 5.75 प्राप्त हुआ। शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई जिसका मान 1.13 प्राप्त हुआ। अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि परिकल्पना शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के सन्दर्भ में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षण अधिगम सामग्री में कोई अन्तर नहीं है, को स्वीकृत किया जाता है।

परिकल्पना-2

शोध क्षेत्र के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के पुरुष एवं महिला शिक्षकों में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के पुरुष एवं महिला शिक्षक में उपलब्ध शिक्षण अधिागम सामग्री

तालिका

शासकीय माध्यमिक विद्यालय	*संख्या*	*मध्यमान*	*मानक विचलन*	*क्रान्तिक अनुपात*	*सार्थकता स्तर*
पुरुष शिक्षक	30	40.25	3.60	0.66	NS
महिला शिक्षक	30	39.54	4.75		

विवेचना

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के पुरुष शिक्षकों एवं महिला शिक्षकों का मध्यमान क्रमशः 40.25 तथा 39.54 एवं मानक विचलन क्रमशः 3.60 तथा 4.75 प्राप्त हुआ। शिक्षण

अधिगम सामग्री के उपयोग के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई जिसका मान 0.66 प्राप्त हुआ। अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि परिकल्पना शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के सन्दर्भ में शासकीय विद्यालयों के पुरुष शिक्षकों एवं महिला शिक्षकों की शिक्षण अधिगम सामग्री में कोई अन्तर नहीं है, को स्वीकृत किया जाता है।

परिकल्पना-3

शोध क्षेत्र के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के पुरुष एवं महिला शिक्षकों में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के पुरुष एवं महिला शिक्षक में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री

तालिका

विद्यालय का प्रकार	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
पुरूष शिक्षक	30	40.75	3.12	1.19	NS
महिला शिक्षक	30	39.64	4.05		

विवेचना

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के पुरूष शिक्षकों एवं महिला शिक्षकों का मध्यमान क्रमशः 40.75 तथा 39.64 एवं मानक विचलन क्रमशः 3.12 तथा 4.05 प्राप्त हुआ। शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई जिसका मान 1.19 प्राप्त हुआ। अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि परिकल्पना शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के सन्दर्भ में अशासकीय विद्यालयों के पुरुष शिक्षकों एवं महिला शिक्षकों की शिक्षण अधिगम सामग्री में कोई अन्तर नहीं है, को स्वीकृत किया जाता है।

शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोध कार्य को जब तक उपयोगी व सार्थक नहीं माना जा सकता है जब तक कि वह शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उपयोगिता प्रस्तुत नहीं करता हो। कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की सफलता शिक्षक पर निर्भर करती है। वह शिक्षण हेतु क्या आव्यूह रचना निर्मित करता है। यह तो महत्वपूर्ण है, साथ ही वह संवेगात्मक रूप से कितना सबल है, यह भी आवश्यक है। जब शिक्षक अपने व दूसरों के प्रति जागरूक हो, व्यवसायिक उन्मुखीकरण, अन्तरावैयक्तिक प्रबन्धन, अन्तः वैयक्तिक प्रबन्धन के प्रति संवेगात्मक बुद्धि रखते हैं, तब वे अपने शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बना पाते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में जो निष्कर्ष उभकर सामने आए हैं, इसके आधार पर यह शोध अध्ययन विद्यालय शिक्षकों, प्रबन्धकर्ता, प्रशासकों, विद्यार्थी, अध्यापक शिक्षकों हेतु अपनी शैक्षिक उपादेयता रखता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

गुप्ता, एस.पी. तथा गुप्ता, अल्का (2007). *सांख्यिकीय विधियाँ*, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन

गुप्ता, एस.पी. तथा गुप्ता, अल्का (2008). *उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान*, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन

गुप्ता, एस.पी. (2011). *उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान में सांख्यिकी*, पृ. 485-534

कौल लोकेश (1998). *शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली*, विकास पब्लिसिंग हाउस प्रा.लि., नई दिल्ली

कपिल, एच.के. (1996). *सांख्यिकी के मूल तत्व*, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा

भटनागर सुरेश (2006). *शिक्षा मनोविज्ञान*, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, पृ. 464-466

वरिष्ठ, विजेन्द्र कुमार (2008). *बाल मनोविज्ञान*, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, पृ. 90.

सिंह, अरूण कुमार (2000). *उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान*, द्वितीय संस्करण, पृ. 603, 604, मोतीलाल बनारसी दास पब्लिकेशन, नई दिल्ली

सिंह, डॉ. रामपाल, शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकीय

सारस्वत, मालती (2010). *शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा*, पृ. 639, आलोक प्रकाशन, लखनऊ

त्यागी, नीता (2013-14). *नवीन शिक्षा मनोविज्ञान*, अग्रवाल पब्लिकेशन

विस्ट, एच.बी. (2013-14). *बाल विकास*, अग्रवाल पब्लिकेशन, मेरठ

वेस्ट, जे. डब्ल्यू, (1983). रिसर्च इन एजूकेशन, प्रैन्टिस हॉल, ऑफ इण्डिया, न्यू दिल्ली

GMRJ
ISSN: 2456-4583
Indexed: SJIR & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

Global Multidisciplinary Research Journal
A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 2 March 2020 pp. 107-111

Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

श्रीरामचरितमानस में निहित शैक्षिक विचारों का अध्ययन तथा वर्तमान शिक्षा में उसकी प्रासंगिकता

डॉ. सरोज बाला* **एवं मनोज कुमार****

*एसोसिएट प्रोफसर, शिक्षा संकाय डी.एस. कॉलेज, अलीगढ़ (उ.प्र.)

**शोधार्थी, शिक्षा संकाय डी.एस. कॉलेज, अलीगढ़ (उ.प्र.)

प्राप्ति – 12 जनवरी, 2020; **स्वीकृति** – 04 फरवरी, 2020; **संशोधन** – 21 फरवरी, 2020

प्रस्तावना

शिक्षा वास्तव में एक प्रक्रिया है। जिसके द्वारा एक मानव की छिपी हुई शक्तियों को विकसित किया जाता है। मानव का विकास और उन्नयन शिक्षा पर ही निर्भर है। संसार में ज्ञान की ज्योति सर्वप्रथम भारत में प्रज्जवलित हुई थी। हमने शिक्षा के विषय में भी बहुत सोचा-विचारा और निश्चित किया था। हमारे प्राचीन भारतीय धर्म दर्शन ने केवल अपने राष्ट्र अपितु विश्व के सभी राष्ट्रों को ज्ञान की सम्पूर्ण धाराओं से अवगत कराया है।

राम नाम की महिमा अपरम्पार है, इसे उल्टा जपकर भी एक व्यक्ति साधारण मानव से महर्षि बन गया। जब वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, तो वाल्मीकि बने आदि कवि और उनकी रचना बनी आदि काव्य। इसी आदि काव्य से प्रेरित होकर सम्पूर्ण संसार में रामचरित की अनेक भाषाओं एवं विधाओं में रचना हुई। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रणीत रामचरितमानस का मूलाधार भी यही है। रामचरितमानस द्वारा समाज में जो आदर्श स्थापित हुए हैं वह आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितना अपनी रचना के समय थे।

श्रीरामचरितमानस एक सार्वभौमिक सत्य के विश्लेषण को उजागर करती है जो हर परिस्थिति, देशकाल के लिए आवश्यक समाज, शिक्षा, धर्म व राजनीति के स्वरूप को प्रतिपादित करती है। श्रीरामचरितमानस उनको सही संदर्भों में परिभाषित कर नए प्रतिमान स्थापित कर अग्रसरित करने में सक्षम है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए शोधार्थी ने श्रीरामचरितमानस में निरूपित विभिन्न शैक्षिक मूल्यों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने का प्रयास किया है। श्रीरामचरितमानस ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिन्होंने दर्शन, तत्व विद्या, नीतिशास्त्र तथा मानवीय आदर्श को अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया है। भारत जिस गौरवशाली सम्पदा का उत्तराधिकारी रहा है, वह कितनी समृद्ध है, यह आज अधिकांश भारतीय भूल चुके हैं। हमें राह दिखाने वाला कोई पथप्रदर्शक प्रकाश स्तम्भ दिखाई नहीं देता।

श्रीराम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि उनकी कार्यप्रणाली का दूसरा नाम प्रजातंत्र है। श्रीराम यानि संस्कृति, धर्म, राष्ट्रीयता और पराक्रम। तत्व, आदर्श, नियम और धारणा का दूसरा नाम श्रीराम है। नर

से नारायण कैसे बना जाए यह उनके जीवन से सीखा जा सकता है। एक तरफ उनका आदर्श हमारे मन को जीवन की ऊँचाईयों पर पहुँचाता है, वहीं दूसरी तरफ उनकी नैतिकता मानव मन को सकारात्मक ऊर्जा देती है। उनका हर कार्य हमारे विवेक को जगाता है।

रामचरितमानस की एक बड़ी सीख है विविधता में एकता। इस महाकाव्य में राजा दशरथ की तीनों रानियों और चारों पुत्रों का चरित्र अलग-अलग होता है। लेकिन विविधता के बावजूद उनमें एकजुटता होती है। यह हर परिवार के लिए दु:ख के समय से बाहर निकलने की सीख है। रामचरितमानस से हमें अच्छी संगति का महत्व पता चलता है। कैकेयी राम को अपने पुत्र भरत से ज्यादा चाहती थी, लेकिन दासी मंथरा की बातों में और गलत सोच में आकर वह राम के लिए 14 वर्षों का वनवास माँग लेती है। जिससे हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए ताकि नकारात्मकता हम पर हावी न हो।

आधुनिक शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य सर्व समाज की उन्नति करना है। आज सर्व समाज के विकास के साथ भूमण्डलीकरण पर भी बल दिया जा रहा है। आज ज्ञान का उद्देश्य संकुचित विकास नहीं है, सर्वत्र व सभी का विकास करना है। वर्तमान युग अन्तर्राष्ट्रीय सोच तथा विकास पर आधारित है। आज का नागरिक हर तथ्य को अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर रखकर सोचता है। इसलिए वर्तमान समय में भी श्रीरामचरितमानस एक अत्यधिक प्रभावशाली साधन है जो सम्पूर्ण विकास के लिए सफल है।

शोध समस्या की उत्पत्ति

आधुनिक युग में हमने बहुत लम्बी विकास यात्रा कर ली है। घर बैठे-बैठे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अनेक आणविक एवं आग्नेय अस्त्रों की खोज कर ली है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सके। अत्यंत सुख-सुविधाओं एवं भोग-विलास की सामग्री उपलब्ध हो जाने पर भी तृष्णा एवं लोभ के कारण मनुष्य अध्यात्मिक शान्ति के लिए भटक रहा है।

आज विश्व में सर्वत्र समस्याएं व्याप्त हैं। शिक्षा किसी भी समकालीन चिन्तन की गत्यात्मक पहलू होती है। इसके साथ ही वह तत्कालीन समाज की जो आवश्यकताएं एवं लोकाचार होते हैं, उसका भी अनुसरण करती है। अत: आज की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव होने लगा है। विभिन्न विचारकों ने शिक्षा के विभिन्न, अंग जैसे - अनुशासन, पाठ्यक्रम, शिक्षक और अभिभावकों के कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को सही रूप से विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। अत: यदि श्रीरामचरितमानस में निहित शैक्षिक विचारों, मूल्यों तथा सिद्धान्तों का सम्यक अनुशीलन तथा परिशीलन किया जाए, तो आज के इस भौतिकवादी संसार को विभिन्न दुखों तथा असंतोषों से मुक्त कराने का प्रयास किया जा सकता है। अत: वर्तमान शोध को श्रीरामचरितमानस में निहित शैक्षिक विचारों मूल्यों तथा सिद्धान्तों पर केन्द्रित करते हुए उनके द्वारा शिक्षा में सुधार की संभावनाओं को तलाशने का प्रयास किया गया है।

समस्या का चयन

"श्रीरामचरितमानस में निहित शैक्षिक विचारों का अध्ययन तथा वर्तमान शिक्षा में उसकी प्रासंगिकता"

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध कार्य को अधोलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है –

1. श्री रामचरितमानस् की सामान्य परिचय प्रस्तुत करना।
2. श्री रामचरितमानस् में निहित शैक्षिक विचारों एवं तथ्यों का विवेचनात्मक प्रस्तुतीकरण करना।
3. श्री रामचरितमानस् की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में प्रासंगिकता को उजागर करना।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन में ऐतिहासिक एवं दार्शनिक शोध विधि द्वारा महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मूल टीकायें, श्रीरामचरितमानस पर आधारित अन्य प्रकार के समस्त साहित्य तथा धर्म ग्रन्थ एवं श्री रामचन्द्र जी के जीवन से सम्बन्धित साहित्य एवं प्रमाणिक पाठ्यपुस्तकों के आधार पर उनके शिक्षा दर्शन को सुव्यवस्थित करने तथा आधुनिक परिदृश्य में प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया जाएगा। श्री रामचरितमानस में निहित शैक्षिक विचारों एवं तथ्यों के शिक्षा सम्बन्धी विचारों के वर्णन के लिए वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया जाएगा। अतः प्रस्तुत अध्ययन में ऐतिहासिक, दार्शनिक एवं वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया जाएगा।

शोध का परिसीमन

किसी भी शोध का विश्वसनीय, व्यवहारिक एवं वास्तविक बनाने के लिए उसकी परिसीमाओं का निर्धारित करना आवश्यक होता है। समय, श्रम एवं धन तीन बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत शोध का सीमांकन निम्नलिखित है।

1. प्रस्तुत शोध में मात्र श्रीरामचरितमानस में निहित शैक्षिक विचारों का विवेचनात्मक अध्ययन किया गया है।
2. श्रीरामचरितमानस के सम्पूर्ण दर्शन का अध्ययन करना भी एक कठिन कार्य है। अतः शिक्षा से सम्बन्धित एवं कुछ अन्य सामाजिक विचारों का ही अधययन प्रस्तुत शोध में किया गया है।

3 प्रस्तुत शोध में श्रीरामचरितमानस में निहित शैक्षिक विचारों के बारे में अन्य ग्रन्थों के विचारों का समाकलन नहीं किया गया है।

शोध के शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोध अध्ययन – "रामचरितमानस के शैक्षिक मूल्यों का विवेचन तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता" से अनेक ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनका यदि वर्तमान में अनुसरण किया जाए तो, समाज तथा शिक्षा में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो सकते हैं। यथा –

1. मनुष्य को श्रीरामचरितमानस् के प्रमुख पात्र श्री रामचन्द्र जी के सगुण व निर्गुण स्वरूप को समझने का निरन्तर प्रयास करना चाहिए।
2. श्रीरामचरितमानस की शिक्षाओं की वर्तमान समय में अत्यन्त आवश्यकता एवं उपयोगिता है।

3. ज्ञान से ही मुक्ति संभव है अतः मनुष्य को ज्ञानी पुरुषों की संगति में रहना चाहिए। सांसारिक बंधनों से छूटने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर से जोड़ता है।

4. मनुष्य को अहंकार त्याग देना चाहिए क्योंकि अहंकार से ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। तन, मन को शुद्ध रखना और वाणी पर संयम रखना चाहिए। सांसारिक सुखों के पीछे दौड़ना व्यर्थ है, क्योंकि ये क्षणिक होते है। प्रभु की कृपा से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और अज्ञानता का नाश होता है। काम, क्रोध, लोभ व मोह का त्याग सफल जीवन के लिए आवश्यक है।

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्रुवं जन्म मृतस्य च।

तस्माद परिहार्येखर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि।।

पैदा हुए की मृत्यु अवश्य होगी और मृत्यु हुए का जन्म जरूर होगा। अतः इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति जीवित अवस्था में ही पाप और पुण्य का त्याग कर देता है।

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृह।

निर्ममो निरहंकारः स शान्ति मधि गच्छति।।

जो मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहारहित, ममतारहित और अहंतारहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। ईश्वर के तीन स्वरूप होते हैं – निराकार, साकार और अवतार। लोक मंगल के लिए प्रादुर्भूत महान अभियानों एवं आदर्शवादी क्रियाकलाप द्वारा जन साधारण का मार्गदर्शन करने हेतु ईश्वर विभिन्न अवतार लेते हैं।

"जग मंगल गुन-ग्राम राम के, दानि मुकुल धान धारम धाम के"

भगवान राम के गुण समूह संसार में सब प्रकार मंगल देने वाले हैं। उनसे मुक्ति, धन, धर्म और सद्गति प्राप्त हो सकती है। ईश्वर भक्ति द्वारा मन की मलीनता जिस मात्र में घटती जाती है, उसी अनुपात में विवेकशीलता दूरदर्शिता बढ़ती जाती है।

5. श्रीरामचरितमानस् की शैक्षिक उपादेयता तथा सार्थकता का अध्ययन करने के उपरान्त अवगत होता है कि यह दर्शन जीव के भौतिक स्वरूप के साथ उसकी आध्यात्मिक पूर्णता पर बल देता है। यह दर्शन भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को महत्व प्रदान करता है। इस दर्शन में आध्यात्मिक जगत को महत्वपूर्ण माना गया है। यह दर्शन परा व अपरा जगत के मध्य एक कड़ी के रूप में अपनी भूमिका को अदा करता है। इस दर्शन ने आध्यात्मिक जगत को महत्वपूर्ण माना है, परन्तु इस दर्शन में आध्यात्मिक जगत तक पहुँचने के लिए भौतिक जगत को भी महत्वपूर्ण माना गया है। जब तक मनुष्य इस सांसारिक जगत की पूर्णता को नहीं प्राप्त करेगा, तब तक वह आध्यात्मिक जगत की पूर्णता को कदापि नहीं प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह दर्शन भौतिक पूर्णता के साथ-साथ सामाजिक समन्वय स्थापित करने पर बल देता है। यह समाज को सामाजिक समन्वय स्थापित करने में अत्यधिक सहायता प्रदान करता है।

6. रामचरितमानस में निहित शिक्षक व शिक्षार्थी के गुणों, पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियों को ही अपनाना चाहिए जिससे सम्पूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति सरलता से हो सके। रामचरितमानस में निहित सामाजिक व नैतिक मूल्यों के आधार पर ही जीवन को विकसित करना चाहिए। मानवीय मूल्यों आज्ञापालन, त्याग, बलिदान, धर्म का पालन, वचन का पालन, बड़ों की आज्ञा का पालन आदि कर्तव्यों का निर्वतन करना चाहिए।

श्रीरामचरितमानस में बताए गए जीवन आदर्शों, जीवन मूल्यों को हम अपने जीवन में अपना ले तो सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। परिवार, समाज और देश में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक समस्याओं का समाधान हमें रामचरितमानस का अध्ययन करके प्राप्त हो सकता है। आज अत्यन्त आवश्यकता है इनके शैक्षिक मूल्यों को पाठ्यक्रम में जोड़ने की। विद्यार्थी ही देश का भावी कर्णधार होता है। वह शिक्षा के माध्यम से इन आदर्शों व सिद्धान्तों से लाभान्वित होकर अपने परिवार, समाज व देश को खुशहाल बना सकता है। अत: निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि रामचरितमानस के शैक्षिक मूल्यों की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता है, क्योंकि इन मूल्यों द्वारा आधुनिक जीवन की तनावपूर्ण स्थिति, व्यस्तता और प्रतिकूल समस्याओं से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक चिंतन तथा निर्णय क्षमता विकसित की जा सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

गोयनका जयदयाल (1930). *रामायण में आदर्श भ्रातृप्रेम*, कल्याण श्रीमद्भगवद्गीता प्रेस, गोरखपुर

गोस्वामी चिमनलाल (1972). *रामांक*, कल्याण श्रीमद्भगवद् गीता प्रेस, गोरखपुर

मिश्रा, महेन्द्र कुमार (2007). *शैक्षिक एवं उदीयमान भारतीय समाज*, यूनिवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर

वर्मा पद्मिनी (1997). *श्रीमद्भगवद्गीता के शिक्षा दर्शन का आधुनिक भारतीय शिक्षा के संदर्भ में एक समीक्षात्मक अध्ययन*

पाण्डेय, रामशकल (1999). *शिक्षा की दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि*, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा

ओड, लक्ष्मी लाल (1973). *शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि*, प्रथम संस्करण, हिन्दी ग्रन्थ एकादमी, जयपुर

गोस्वामी तुलसीदास (1965). *श्रीरामचरितमानस*, गीता प्रेस गोरखपुर

उपाध्याय, बलदेव (1971). *भारतीय दर्शन*, शारदा मन्दिर, वाराणसी

शर्मा, आर.ए. (1998). *शिक्षा अनुसंधान*, इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस, मेरठ

सिंह, आर.पी. (1978). *शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक सिद्धान्त*, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ

त्यागी, एस.डी. (2007). *शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार*, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा

तिवारी, रामानन्द (2006). *श्री शंकराचार्य का आचार्य दर्शन*, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

देवराज (1950). *भारतीय दर्शनशास्त्र का इतिहास*, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, इलाहाबाद

Global Multidisciplinary Research Journal
A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 2 March 2020 pp. 113-117

ISSN: 2456-4583
Indexed: SJIF & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

WOMEN EDUCATION

Dr. Saroj Kumari

Associate Professor, Department of Teacher Education (B.Ed.), C.S.S.S (PG) College, Machhra, Meerut

Received: 04 February 2020, **Revised:** 22 February 2020, **Accepted:** 25 February 2020

Abstract

Education has been recognised as a crucial and necessary component of everyone's life, regardless of gender. Historically, men's education has been promoted throughout all cultures, whereas women's education has not been valued or required. Indian women's history is littered with pioneers who broke down gender barriers and fought for their rights. As a result, women have achieved enormous strides in fields such as politics, the arts, science, and law, among others.

PIONEERS IN WOMEN'S EDUCATION IN INDIA

Savitribai Phule was the first woman to push for this transformation in society. Fatima Sheikh was the first Muslim woman educator in India, and she taught Dalit children at the Phule couple's school. She assisted Savitribai Phule in establishing the first "Indigenous Library" school in her own home, confronting both upper-caste Hindus and Orthodox Muslims. She also spent a lot of time counselling parents who didn't want their daughters to go to school. Swarna Kumari Devi, the poet Rabindranath Tagore's elder sister, was one of Bengali literature's first significant female writers. Her writings were centred on Indian women. She was a strong advocate for women's rights and formed the 'Sakhi Samiti,' an organisation that provides education and shelter to women. Her work represented her progressive beliefs, which advocated for women's education and financial freedom while challenging conventional Hindu patriarchy in India. Anne Besant, an educator, made a significant contribution to improving women's standing and providing them with educational possibilities. She was the founder of the Theosophical Society in India and along with Madan Mohan Malviya, she founded the Benares Hindu University in 1916. On the one hand, we have Bengali woman Chandramukhi Basu, who was one of the first two female graduates of the British

Empire in 1883; on the other hand, we have Kamini Roy, who disregarded all cultural standards and continued her study after her marriage. Chandramukhi Basu had placed first in the 1876 university entrance exam, but she was denied admission until 1878. In 1884, she became the first woman in the British Empire to pass the Masters Examination. In 1888, she was appointed Principal of Bethune College, making her the first female leader of a South Asian undergraduate academic institution. In 1883, Kamini Roy was one of the first girls to attend Bethune School in British India. She was also the first woman in India to receive an honours degree and begin teaching at the same college. She became well-known for her social work in women's education and for her contributions to the advancement of feminism in the Indian subcontinent. In 1926, she also assisted Bengali women in gaining the right to vote. When it came to Ashapurna Devi, she was Bengal's first female feminist writer, and she came from an ultra-orthodox family in north Kolkata. She was not allowed to attend school, so she lived in seclusion, devoted solely to reading. She depicted the evolution of classic middle-class Bengali women – their suppression, angst, growing awareness, awakening of conscience, and final insurrection – via her stories and novels. As a result, male chauvinists were taken aback and astonished by the manifestation. Women's rights, education, and health are critical aspects in the general waking of society, and Ramabai Ranade dedicated 25 years of her life to achieving them. She worked against societal injustices against women and founded the Seva Sadan, a women's institution in Bombay and Pune. This has grown into an institution with a variety of services, including a dormitory, training colleges, vocational centres, and more. She founded an Arya Mahila Samaj chapter in Bombay, as well as the Hindu Ladies Social and Literary Club. She was illiterate at first, but with the help of her husband, she was able to learn everything. In both English and Marathi, she mastered the art of public speaking. Rukhma Bai (born in a Marathi family) made history by becoming the first Indian woman to practise medicine in an era when women had little freedom to pursue their dreams. She not only led by example, but she also cleared the door for many young women to pursue careers in medicine. The Age of Consent Act was passed in 1891 as a result of her activities and protests against the sexual abuse of young girls. She fought the 'Purdah System,' and via her writings, she attempted to persuade the public why it should be abolished. Importantly, many men also acted as advocates for women's education. Throughout the history of women's education, men and women have fought side by side for the benefit of society.

FEMALE LITERACY AND EDUCATION

According to the 2011 Census, India's overall literacy rate is 74.00 percent, with women's literacy at 65.46 per cent. In 2001, the percentage of women who were literate in the country was 54.16 percent. According to the 2011 census, the country's literacy rate has improved from 18.33% in 1951 to 74.00%. Female literacy has similarly risen from 8.86% in 1951 to 65.46% in 2011. Between 1991 and 2001, the female literacy rate increased by 14.87 percent, while the male literacy rate increased by 11.72 per cent. In comparison to male literacy rates, female literacy rates increased by 3.15 per cent. Mizoram had the highest literacy rate (89.40%) and Rajasthan had the lowest literacy rate (52.66%).

A variety of factors are responsible for the poor female literacy rate, viz.

- Gender-based inequality.
- Social discrimination and economic exploitation
- Occupation of girl child in domestic chores
- Low enrolment of girls in schools
- Low retention rate and high dropout rate

GOVERNMENT SCHEMES FOR IMPROVEMENT IN GIRL'S EDUCATION

Education for girls and women has always been a priority in educational policies and programmes. The Ministry of Human Resource Development has implemented a variety of steps to expand girls' schooling and higher education, with the following details:

(a) School Education

- **Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya:** This programme began in July of 2004 to provide primary education to girls. It is aimed particularly at the disadvantaged and rural areas, where girls' literacy is extremely low. The schools that were established have a 100% reservation policy: 75% for backward class girls and 25% for BPL (below poverty line) girls.
- **Beti Bachao, Beti Padhao:** This scheme was launched in 2007 by the Govt. of India for enhancing girls' education in India.
- **UDAAN:** Giving wings to Girl Students: The Scheme is committed to the advancement of girl child education to increase the number of female students admitted. The goal is to bridge the gap between school education and engineering entrance exams in terms of teaching. It aims to increase the number of female students enrolled in top technical education institutes by providing financial incentives and academic support.
- **Mahila Samakhya:** A long-running plan for women's empowerment that began in 1989 to translate the ideals of the National Policy on Education into a tangible programme for the education and empowerment of rural women, particularly those from socially and economically underprivileged groups.
- **Saakshar Bharat:** The National Literacy Mission was recast in 2009 with the launch of Saakshar Bharat, a new variation. It attempts to expedite adult education, particularly for women (aged 15 and up) who do not have access to formal education, and it focuses on female literacy as a crucial tool for women's empowerment.
- **Mid-Day Meal Scheme:** As the Mid-Day Meal Scheme serves to eliminate the hurdles that prevent 7 girls from attending school, the gender gap in school participation is narrowing. The Mid-Day Meal Scheme also provides women with a valuable source of employment and relieves them of the strain of cooking at home throughout the day. Women and female children have a specific stake in the Mid-Day Meal Scheme in these and other ways.

(b) Higher Education

- Higher education of women through Open and Distance Learning (ODL) Mode
- Post School Diploma (Polytechnics etc.): To provide financial assistance for the construction of women's hostel in the existing polytechnics.
- The University Grants Commission (UGC) has launched several schemes to encourage the enrolment and promotion of girls in Higher Education.
- Day Care Centres in Universities and Colleges
- Post Graduate Indira Gandhi Scholarship for Single Girl Child for Pursuing
- Higher and Technical Education. Construction of Women's Hostels for Colleges
- Development of Women's Studies in Universities and Colleges
- Scheme of Capacity Building of Women Managers in Higher Education
- Post-Doctoral Fellowships for Women

(c) Vocational Education

Vocational education is a distinct branch of higher education that allows students to pick from a variety of study programmes that lead to gainful employment. Approximately 1.4 million people are enrolled in over 8000 institutions across the country that provide technical vocational skill-building, such as Industrial Training Institutes (ITIs) and Arts and Crafts schools, with women accounting for less than 28% of the total (UNESCO report, 1991). 104 ITIs, both government and private, were set up specifically for women, providing training in areas such as receptionists, electronics, bookbinding, and other related fields.Even when it comes to technical education provided by polytechnics, 35 of the 450 recognised ones have been set up specifically for women, offering training in areas such as pharmacy, culinary technology, textile design, commercial art, and so on. Women make up just around 10% of overall enrolment in technical and vocational education at the postsecondary level, and about 28% at the secondary and post-secondary levels combined, although participation is gradually increasing.

CONCLUSION

Women play an imperative role in making a nation progressive and guide it towards development. They are essential possessions of a lively humanity required for national improvement, so if we have to see a bright future of women in our country. Education is one of the most powerful tools for empowering individuals, communities, and especially women and girls. Educational attainment and literacy rates are both markers of a society's overall growth. Gender equality and women's empowerment are critical to achieving prosperity and long-term development.

The 86th Amendment to the Indian Constitution guarantees free and compulsory education to all children between the ages of six and fourteen. However, in India, women's education is far from "free" or as comprehensive and all-encompassing as the right claims to ensure. Although

the government attempts to improve women's education through various initiatives such as the Sarva Shiksha Abhiyan (aimed at providing primary education, particularly to girl children from disadvantaged rural areas), the barrier to women's education is not always monetary or within the state's purview.

Following independence, India's populace has made a deliberate effort to raise their literacy levels. Many programmes have been implemented to boost access, broaden coverage, and improve educational quality. The universalization of basic education, retention incentive schemes, and adult non-formal education are all significant for their scope and goal. In all of the initiatives, women's education has received special focus. Despite the government's and other NGOs' efforts in the sphere of education, statistics on women's education leave much to be desired.

REFERENCES

1. Census 2011(https://www.census2011.co.in/)
2. Nair, N. (2010). Women's education in India: A situational analysis
3. Lohia A., A short history of education for women in India
4. Shindu J. (2012). Women's Empowerment through Education. *Abhinav Journal*: Vol. 1. Issue- 11. p. 3.
5. K. Mahalinga. (2014). Women's Empowerment through Panchayat Raj Institutions. *Indian Journal of Research*: Vol. 3. Issue 3.
6. Chibber B. (2010). Women and the Indian Political Process. *Mainstream Weekly Journal*: Vol. XLVIII. Issue 18.
7. Bhat T. (2014) Women Education in India Need of the Ever. *Human Rights International Research Journal*: Vol. 1 p. 3.
8. Suguna M. (2011). Education and Women Empowerment in India. *International Journal of Multidisciplinary Research*: Vol. 1. Issue 8.
9. Agarwal, S.P. (2001). *Women's Education in India*. Vol-III, Concept Publications Co. New Delhi.
10. Gupta, N.L. (2003). *Women's Education through Ages*. Concept Publications Co., New Delhi.

GMRJ
ISSN: 2456-4583
Indexed: SJIF & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

Global Multidisciplinary Research Journal
A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 2 March 2020, pp. 117-124

Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

हाईस्कूल स्तर की छात्राओं की गणित के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

डॉ. सरोज बाला* एवं धर्मपाल सिंह**
*एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग, डी.एस. कॉलेज, अलीगढ़ (उ.प्र.)
**शोधार्थी, शिक्षक शिक्षा विभाग, डी.एस. कॉलेज, अलीगढ़ (उ.प्र.)

प्राप्ति - 18 जनवरी 2020, **संशोधन** - 04 फरवरी 2020, **स्वीकृति** - 26 फरवरी 2020

सारांश

गणित विषय का अध्ययन करने वाले बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या बहुत कम है। छात्राओं का एक छोटा वर्ग ही गणित विषय का चयन करता है व प्राथमिक से उच्च कक्षा स्तर तक गणित का अध्ययन करता है और अधिकांश छात्राएँ गणित विषय के प्रति निरुत्साहित रहती हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य छात्राओं के गणित के प्रति अभिवृत्ति को शोध के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के दो माध्यमिक विद्यालयों के 200 छात्राओं (100 कला वर्ग और 100 विज्ञान वर्ग) पर किया गया। यह अध्ययन सर्वेक्षण विधि पर आधारित है। इस शोध कार्य में स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया है। आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय विधि द्वारा किया गया। अध्ययन में पाया गया कि कला वर्ग की 80 प्रतिशत छात्राएँ गणित विषय के प्रति दिए गए सकारात्मक कथनों से असहमत हैं, जबकि नकारात्मक कथनों से अधिकांश छात्राएँ सहमत हैं। परंतु विज्ञान वर्ग की छात्राओं द्वारा कला वर्ग की छात्राओं से पूर्णत: विपरीत मत प्राप्त हुए हैं। विज्ञान वर्ग की लगभग 96 प्रतिशत छात्राएँ सकारात्मक कथनों से सहमत हैं तथा मात्र 4 प्रतिशत छात्राएँ नकारात्मक कथनों से सहमत हैं। इस प्रकार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही क्षेत्रों में कला वर्ग और विज्ञान वर्ग की छात्राओं के विचार सर्वथा भिन्न हैं।

मूल शब्द: हाई स्कूल स्तर, सकारात्मक एवं नकारात्मक कथन, अभिवृत्ति

प्रस्तावना

विश्व के सभी विकसित देशों की प्रगति का मुख्य कारण उन्नत प्रौद्योगिकी है। इन देशों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अधिक जोर दिया। इन देशों में अधिकांश छात्र-छात्राएँ माध्यमिक स्तर से ही तकनीकी शिक्षा ग्रहण करते हैं और राष्ट्रीय उत्पादन में सहयोग करते हैं। किसी भी देश की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी शिक्षा व्यवस्था में विज्ञान तकनीकी आदि विषयों पर विशेष जोर दें। इन विषयों के अध्ययन के लिए गणित विषय का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। अत: इन विषयों के साथ-साथ ही गणित विषय का प्रशिक्षण भी आवश्यक है।

गणित के बढ़ते महत्व को देखते हुए विभिन्न शिक्षा बोर्डो ने अपने पाठ्यक्रम में गणित विषय को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। माध्यमिक स्तर तक छात्रों के लिए गणित विषय का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया है, परंतु छात्राएँ मात्र जूनियर हाई स्कूल तक ही गणित विषय का अध्ययन अनिवार्य रूप से करती हैं। माध्यमिक स्तर पर गणित विषय अनिवार्य न होने के कारण अधिकांश छात्राएँ गणित विषय का चयन नहीं करती हैं। वे गणित के स्थान पर अन्य वैकल्पिक विषयों को महत्व प्रदान करती हैं।

गणित विषय का अध्ययन करने वाले बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या बहुत कम है। छात्राओं का एक छोटा वर्ग ही गणित विषय का चयन करता है। वह प्राथमिक से उच्च कक्षा स्तर तक गणित का अध्ययन करता है और अधिकांश छात्राएँ गणित विषय के प्रति निरुत्साहित रहती हैं। वे क्या विशेषताएँ हैं, जो छात्राओं के एक वर्ग को गणित की ओर आकर्षित करती है व दूसरे वर्ग को निरुत्साहित। दोनों वर्गों की छात्राओं के गणित के प्रति अभिवृत्ति को प्रस्तुत शोध के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है।

संबंधित शोध साहित्य की समीक्षा

ऐनी वासिके (2013) यह अध्ययन केन्या के टेसो जिले में विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों में गणित में प्रदर्शन पर महिला छात्रों के दृष्टिकोण के प्रभाव को निर्धारित करने का प्रयास करता है। इस अध्ययन से पता चलता है कि गणित के प्रति छात्राओं के दृष्टिकोण में सार्थक अंतर पाया गया। 58.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण नकारात्मक तथा 33.5 प्रतिशत का दृष्टिकोण सकारात्मक था, जबकि 10 प्रतिशत से कम छात्राओं का दृष्टिकोण तटस्थ था। यह भी स्थापित किया गया था कि दृष्टिकोण ने छात्रों के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, जिसमें सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

आर. लामार (2014) इस अध्ययन के आधार पर उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के गणित के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। अधिकांश छात्रों का रवैया उच्च था। यह इस तथ्य के कारण हो सकता है कि छात्र अब वर्तमान संदर्भ में गणित के महत्व से अवगत हैं। इसके अलावा, शिक्षकों और माता–पिता की जिम्मेदारी अपने बच्चों को उनके दृष्टिकोण के अनुसार मार्गदर्शन करने के लिए काफी हद तक सुधार हुआ है। आधुनिक शिक्षा को स्वयं को अधिक रटकर सीखने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि छात्रों को अपने कक्षा–कक्ष के अनुभवों के लिए प्रासंगिक नए अर्थ उत्पन्न करने की क्षमता का पोषण भी करना चाहिए।

निजामुद्दीन अली एवं अन्य (2016) इस अध्ययन के परिणाम हमें एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर ले जाते हैं। बर्दवान जिले के माध्यमिक विद्यालयों के 10वीं स्तर के पुरुष और महिला छात्रों का गणित के प्रति समान दृष्टिकोण है। इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल में गणित के प्रति छात्रों के रवैये पर लिंग अंतर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

कमाऊ मैरी वम्बुइ (2018) KENYA KNEC की रिपोर्ट (2015, 2016) के अनुसार, केन्या में माध्यमिक विद्यालयों में गणित में लड़कियों का प्रदर्शन अभी भी सामान्य रूप से कम है। यह दर्शाता है कि 38 प्रतिशत लड़कियों ने गणित में ग्रेड डी से नीचे प्राप्त किया है। इस अध्ययन का उद्देश्य उन कारकों पर विचार करना है, जो केन्या के नैरोबी काउंटी के वेस्टलैंड्स जिले में गणित में लड़कियों के प्रदर्शन पर प्रभाव डालने वाली धारणाओं और दृष्टिकोणों को प्रभावित करते हैं।

धाना कुमारी थापा एवं तारा पौडेली (2020) इस अध्ययन के अनुसार माता–पिता का प्रोत्साहन और मार्गदर्शन छात्रों के नामांकन और कक्षा 12 में विज्ञान और गणित विषयों की पसंद को प्रभावित करते हैं। अधिकांश लड़कियों और लड़कों के स्नातक स्तर पर गणित को प्रमुख विषय के रूप में चुनने की संभावना कम होती है क्योंकि उन्हें अवसरों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं होती है। यदि छात्रों को गणित के क्षेत्र में भविष्य के करियर के बारे में सूचित और परामर्श दिया जाए, तो कई छात्र उच्च शिक्षा में गणित के अध्ययन के क्षेत्र की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

समस्या कथन

छात्रों की अपेक्षा कम छात्राएँ गणित विषय लेती हैं, जिसके कारण वे प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संबंधी शिक्षा में छात्रों की तुलना में पिछड़ जाती हैं। छात्राओं द्वारा तुलनात्मक रूप से गणित में कम रुचि के कारणों का अध्ययन कर उनका निवारण करना ही अध्ययन की समस्या है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. हाईस्कूल स्तर पर गणित का चयन करने वाली छात्राओं के गणित विषय के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन।
2. हाईस्कूल स्कूल स्तर पर गणित का चयन न करने वाली छात्राओं के गणित विषय के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन।
3. हाईस्कूल स्तर पर गणित का चयन करने वाली व चयन न करने वाली छात्राओं के गणित विषय के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।

अध्ययन की परिकल्पनाएं

1. हाईस्कूल स्तर पर गणित का चयन करने वाली छात्राओं में गणित के प्रति कोई अभिवृत्ति नहीं है।
2. हाईस्कूल स्तर पर गणित का चयन न करने वाली छात्राओं में गणित के प्रति कोई अभिवृत्ति नहीं है।
3. हाईस्कूल, स्कूल स्तर पर गणित का चयन करने वाली छात्राओं तथा गणित का चयन न करने वाली छात्राओं की गणित के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

अध्ययन का सीमांकन

1. शोध न्यादर्श माध्यमिक शिक्षा परिषद् (यू.पी. बोर्ड) प्रयागराज से संबंध अलीगढ़ शहर के दो माध्यमिक विद्यालयों में से ही इकाइयों का चयन किया गया है।
2. प्रस्तुत शोध में 100 कला वर्ग की छात्राओं तथा 100 विज्ञान वर्ग की छात्राओं के गणित के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया है।
3. प्रस्तुत शोध के अंतर्गत हाईस्कूल स्तर की कक्षा 10वीं की छात्राओं के ही गणित के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया है।

शोध का अभिकल्प

शोध विधि

वर्तमान अध्ययन सर्वेक्षण विधि पर आधारित है। यह विधि वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करती है तथा व्यावहारिक समस्याओं का निराकरण करती है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर शोधार्थी ने इस विधि का चयन किया है।

समग्र

प्रस्तुत शोध में समग्र से तात्पर्य अलीगढ़ शहर के दो माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं से है।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध में समूह न्यादर्श विधि का प्रयोग किया गया है। न्यादर्श प्रक्रिया में अलीगढ़ शहर के दो माध्यमिक विद्यालयों (आर. बी. पब्लिक हाईस्कूल, अलीगढ़ एवं बाबू सिंह इन्टर कॉलेज, अलीगढ़) के 100 कला वर्ग तथा 100 विज्ञान वर्ग की छात्राओं का चयन किया गया है। इस प्रकार न्यादर्श के रूप में 200 छात्राओं का चयन किया गया है।

शोध उपकरण

प्रस्तुत शोध कार्य में स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया है। प्रश्नावली तैयार करने हेतु अनुसंधानकर्ता ने अपने मार्गदर्शक, छात्राओं तथा गणित विषय की अध्यापिकाओं से विचार-विमर्श किया और गणित विषय के पक्ष में तथा विपक्ष में प्रश्नों को एकत्रित कर प्रश्नावली के प्रथम प्रारूप का निर्माण किया। प्रथम प्रारूप में 40 कथन थे, इनको विज्ञान तथा कला वर्ग की 30-30 छात्राओं पर परीक्षण किया गया तथा कथन विश्लेषण के बाद मात्र कथन 30 शेष रहे। इसके पश्चात इन प्रश्नों को एक प्रपत्र में लिखकर विभिन्न शिक्षाविदों की राय लेकर भाषाशैली में सुधार किया। अंत में इन प्रश्नों को प्रश्नावली के अंतिम प्रारूप में स्थान दिया। इन प्रपत्रों को विज्ञान वर्ग (गणित विषय का अध्ययन करने वाली छात्राएँ) तथा कला वर्ग (गणित विषय का अध्ययन न करने वाली छात्राएँ) की छात्राओं पर प्रयुक्त किया तथा उन्हें निर्देश दिया गया कि वे जिस कथन से सहमत हैं, उसके सम्मुख हाँ पर हाँ (✓) तथा जिससे असहमत हैं, उसके सम्मुख नहीं पर (×) नहीं का चिह्न लगा दें। प्रपत्रों का अंकीकरण करने के लिए हाँ वाले कथनों को एक (1) अंक तथा नहीं वाले कथनों को शून्य (0) अंक प्रदान किया। तत्पश्चात् दोनों वर्गों की छात्राओं के सकारात्मक कथनों के अंकों तथा नकारात्मक कथनों के अंकों का योग निकाला। अंकीकरण के पश्चात् दोनों वर्गों के सकारात्मक विचारों व नकारात्मक विचारों का मध्यमान निकाला। तत्पश्चात् इनकी सहायता से दोनों वर्गों के सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के मध्यमानों में अंतर की सार्थकता का पता लगाया गया।

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकीय गणना

प्रस्तुत शोध कार्य में अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण हेतु अध्ययन, मानक विचलन, सह-संबंध की गणना की गई है।

प्रदत्तों की व्याख्या एवं विश्लेषण

कला वर्ग की छात्राओं के गणित के प्रति सकारात्मक विचारों का विवरण।

तालिका 1.1

कथन संख्या	*कथन*	*छात्राओं की संख्या*
9	गणित के प्रश्नों में पूरे-पूरे अंक मिलते हैं, अतः गणित में अधिक अंक प्राप्त किए जा सकते हैं।	2
8	कठिन प्रश्नों को धैर्य के साथ हल करना होता है, जिससे छात्राओं में धैर्यपूर्वक कार्य करने की क्षमता का विकास होता है।	22
7	गणित में अस्पष्टता का कोई स्थान नहीं होता है। इसके अध्ययन से निश्चितता के गुणों का विकास होता है।	46
6	गणित के अध्ययन में क्रमबद्धता आवश्यक है। अतः इसके अध्ययन से क्रमबद्धता का विकास होता है।	23
5	गणित के अध्ययन से तर्कशक्ति का विकास होता है।	7
		योग = 100

तालिका 1.1 से स्पष्ट है कि कला वर्ग की मात्र 2 प्रतिशत छात्राएँ कथन संख्या 9 से सहमत हैं तथा 91 प्रतिशत छात्राएँ कथन संख्या 6–8 से सहमत हैं। इस तालिका से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कला वर्ग में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाली छात्राओं की संख्या बहुत कम है और अधिकांश छात्राएँ 6–8 सकारात्मक कथनों से ही सहमत हैं।

विज्ञान वर्ग की छात्राओं के गणित विषय के प्रति सकारात्मक विचारों का विवरण।

तालिका 1.2

कथन संख्या	*कथन*	*छात्राओं की संख्या*
17	गणित में सफलता का आधार अभ्यास है, जिसमें बहुत समय देना पड़ता है।	32
16	गणित का प्रश्न-पत्र हल करने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है।	35
15	दैनिक जीवन में आय-व्यय का लेखा-जोखा रखने में गणितीय ज्ञान सहायता प्रदान करता है।	29
14	गणित के ज्ञान से महंगाई के इस युग में उचित बजट बनाने में सहायता मिलती है।	4
		योग = 100

तालिका 1.2 से स्पष्ट है कि विज्ञान वर्ग की अधिकांश छात्राएँ गणित विषय के प्रति सकारात्मक विचारों से सहमत हैं। 67 प्रतिशत छात्राएँ 16-17 कथनों से सहमत हैं, 29 प्रतिशत छात्राएँ कथन संख्या 15 से सहमत हैं तथा मात्र 4 प्रतिशत छात्राएँ ही ऐसी हैं जो सिर्फ कथन संख्या 14 से सहमत हैं।

कला वर्ग तथा विज्ञान वर्ग की छात्राओं के सकारात्मक कथनों के प्रति विचारों में स्पष्ट अंतर प्राप्त हुआ है तथापि शोधकर्ता ने अपनी परिकल्पना के परीक्षण हेतु दोनों वर्गों के मध्यमानों में अंतर की सार्थकता की गणना की है।

कला एवं विज्ञान वर्ग की छात्राओं के सकारात्मक विचारों के मानों का तुलनात्मक अध्ययन।

तालिका 1.3

समूह	*(N)*	*(M)*	*(S.D.)*	*(D)*	*SEd*	*C.R.*	*निष्कर्ष*
कला वर्ग	100	6.89	0.89	9.06	0.12	75.5	0.01 तथा 0.05 विश्वास स्तर पर सार्थक
विज्ञान वर्ग	100	15.95	0.88				

तालिका 1.3 के अनुसार, C.R. का मान 75.5 प्राप्त हुआ जो Degree of Freedom (100 - 1 + 100 - 1) = 198 पर 0.01 विश्वास स्तर पर आवश्यक मान 2.60 से बहुत अधिक है और 0.05 विश्वास स्तर पर भी आवश्यक मान 1.97 से अधिक है। अतः इन दोनों विश्वास स्तरों पर C.R. का मान सार्थक है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि कला तथा विज्ञान वर्ग की छात्राओं के गणित विषय के प्रति सकारात्मक विचारों में अंतर सार्थक है।

कला वर्ग की छात्राओं के गणित के प्रति नकारात्मक विचारों का विवरण।

तालिका संख्या 1.4

कथन संख्या	*कथन*	*छात्रों की संख्या*
10	रटने की प्रवृत्ति कम होने के कारण गणित का अध्ययन करने से मानसिक विकास में सहायता मिलती है।	36
9	गणित के प्रश्नों में पूरे-पूरे अंक मिलते हैं, अतः गणित में अधिक अंक प्राप्त किए जा सकते हैं।	24
8	कठिन प्रश्नों को धैर्य के साथ हल करना होता है, जिससे छात्राओं में धैर्यपूर्वक कार्य करने की क्षमता का विकास होता है।	38
7	गणित में अस्पष्टता का कोई स्थान नहीं होता है। इसके अध्ययन से निश्चितता के गुणों का विकास होता है।	2
		योग = 100

तालिका 1.4 से स्पष्ट है कि कला वर्ग की 98 प्रतिशत छात्राएँ 8–10 नकारात्मक तथ्यों से असहमत हैं तथा 2 प्रतिशत छात्राएँ मात्र 7 कथनों से सहमत हैं। संभवत: अपने इन्हीं नकारात्मक विचारों के कारण कला वर्ग की छात्राओं ने गणित विषय के चयन में रुचि नहीं ली है।

विज्ञान वर्ग की छात्राओं के गणित विषय के प्रति नकारात्मक विचारों का विवरण।

तालिका 1.5

कथन संख्या	*कथनों की संख्या*	*छात्राओं की संख्या*
5	गणित के अध्ययन से तर्कशक्ति का विकास होता है।	2
4	गणित के अध्ययन में एकाग्रता की आवश्यकता होती है। अत: गणित के अधययन से एकाग्रता का गुण विकसित होता है।	0
3	गणित के अध्ययन से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है।	2
2	गणित के अध्ययन से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है।	25
1	गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ होती हैं। अत: इसके अध्ययन से ज्ञानेन्द्रियों का विकास होता है।	71

तालिका 1.5 से विदित होता है कि विज्ञान वर्ग के अधिकांश छात्राएँ गणित विषय से सम्बंधित नकारात्मक कथनों से असहमत हैं। मात्र 4 प्रतिशत छात्राएँ ही 3–5 नकारात्मक कथनों से सहमत हैं तथा 96 प्रतिशत छात्राएँ 1–2 नकारात्मक कथनों से ही सहमत हैं।

कला वर्ग तथा विज्ञान वर्ग की छात्राओं के नकारात्मक कथनों के प्रति विचारों में अंतर की सार्थकता का पता लगाने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया गया है।

कला एवं विज्ञान वर्ग की छात्रओं के नकारात्मक विचारों के मानों का तुलनात्मक अध्ययन।

तालिका 1.6

समूह	*(N)*	*(M)*	*(S.D.)*	*(D)*	*SEd*	*C.R.*	*निष्कर्ष*
कला वर्ग	100	8.94	0.90	7.57	0.12	63.08	0.01 तथा 0.05 विश्वास स्तर पर सार्थक
विज्ञान वर्ग	100	1.37	0.72				

तालिका 1.6 के अनुसार, C.R. का मान 63.08 प्राप्त हुआ जो Degree of Freedom (100 – 1 + 100 –1) = 198 पर 0.01 विश्वास स्तर पर C.R. आवश्यक मान 2.60 से बहुत अधिक है और 0.05 विश्वास स्तर पर भी आवश्यक मान 1.97 से अधिक है। अत: इन दोनों विश्वास स्तरों पर C.R. का मान सार्थक है। अत: निष्कर्ष निकलता है कि कला तथा विज्ञान वर्ग की छात्राओं के गणित विषय के प्रति नकारात्मक विचारों में अंतर सार्थक है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कला वर्ग की अधिकांश छात्राएँ गणित विषय के प्रति दिए गए सकारात्मक कथनों से असहमत हैं, जबकि नकारात्मक कथनों से अधिकांश छात्राएँ सहमत हैं। परंतु विज्ञान वर्ग की छात्राओं द्वारा कला वर्ग की छात्राओं से पूर्णतः विपरीत मत प्राप्त हुए हैं। विज्ञान वर्ग की लगभग 96 प्रतिशत छात्राएँ 15-17 सकारात्मक, कथनों से सहमत है तथा मात्र 4 प्रतिशत छात्राएँ 3-5 नकारात्मक कथनों से सहमत हैं। इस प्रकार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही क्षेत्रों में कला वर्ग और विज्ञान वर्ग की छात्राओं के विचार सर्वथा भिन्न हैं।

निष्कर्ष

विज्ञान वर्ग की अधिकांश छात्राएँ गणित विषय से सम्बंधित सकारात्मक कथनों से सहमत हैं और गणित के प्रति नकारात्मक कथनों से असहमत हैं। कला वर्ग की अधिकांश छात्राएँ गणित के प्रति सकारात्मक विचारों से असहमत हैं और गणित से संबंधित नकारात्मक कथनों से सहमत हैं। विज्ञान वर्ग की छात्राएँ मानती हैं कि गणित विषय के अध्ययन से उनमें धैर्यपूर्वक कार्य करने के गुणों तथा तर्क शक्ति का विकास होता है। वह गणित विषय को भविष्य की शिक्षा की दृष्टि से उपयोगी मानती हैं। कला वर्ग की छात्राएँ मानती हैं कि गणित विषय के अध्ययन से मानसिक तनाव उत्पन्न होता है तथा जटिल प्रश्नों को समझना कठिन होता है।

दैनिक जीवन में गणित विषय की उपयोगिता को दोनों वर्गों की छात्राओं द्वारा स्वीकार किया गया है।

शोध के शैक्षिक निहितार्थ

इस अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर शोधकर्ता द्वारा निम्न सुझाव दिए हैं -

सहायक सामग्रियों का उपयोग करके गणित विषय को अधिक रोचक ढंग से पढ़ाने के साथ-साथ उसके व्यावहारिक उपयोग छात्राओं को बताए जाने चाहिए। कमजोर छात्राओं हेतु अतिरिक्त अध्यापन की व्यवस्था की जानी चाहिए। अध्यापिकाओं द्वारा प्रत्येक छात्र की तरफ व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। अन्य विषयों के अध्यापन के समय उनमें गणित ज्ञान के उपयोग को छात्राओं को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए तथा बालिकाओं को दैनिक जीवन में गणित ज्ञान का प्रयोग करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Wasike, A. (2013). Effects of Attitudes of Female Students on the Performance in Mathematics in Various Types of Secondary Schools in Teso District, Kenya. *Journal of Education and Practice*, 4, 119-130.
2. Lamar, R. (2014). Attitude of Higher Secondary Students in Shillong towards Mathematics. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 19, 42-45.
3. Ali, Nijamuddin. (2016). A Study on Attitude Towards Mathematics of Secondary Students in the District of Burdwan. *Golden Research Thoughts*, 6.
4. Mary Wambui, Kamau. (2018). Factors Influencing Girls' Perceptions and Attitudes Towards Mathematics in Secondary Schools of Westlands District, Nairobi County. Kenya School of Education, Kenyatta University.
5. Thapa, D.K., & Paudel, T. (2020). Secondary School Students' Attitude towards Mathematics. Mathematics Education Forum Chitwan, 5, 34-39.

ISSN: 2456-4583
Indexed: SJIF & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

Global Multidisciplinary Research Journal
A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 2 March 2020, pp. 125-132

Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

सार्वभौमिक शिक्षा के सन्दर्भ में बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा की स्थिति

डॉ. नीति
एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, चौधरी चरण सिंह पी.जी. कॉलेज, हेवरा, इटावा (उ.प्र.)

प्राप्ति – 09 जनवरी 2020, **संशोधन** – 02 फरवरी 2020, **स्वीकृति** – 22 फरवरी 2020

सारांश

शिक्षा मानव के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। प्राचीन भारतीयों ने शिक्षा के महत्व को बताते हुए कहा था कि शिक्षा से विकसित और परिष्कृत बुद्धि ही सच्चा बल है। किसी भी देश की प्रगति वहाँ के जनसाधारण की शिक्षा की प्रगति पर निर्भर करती है। किसी भी देश की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था – "आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं। वर्ष 2011 के साक्षरता आँकड़ों के अनुसार महिलाओं की साक्षरता 65.46 प्रतिशत है, जो अपने आप में दर्शाता है कि महिलाओं की शैक्षिक स्थिति अच्छी नहीं है। कोई भी देश विकास के पथ पर तभी अग्रसर हो सकता है, जब उस देश की महिलाएँ शिक्षित हों और वे पुरुषों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें।

मूल शब्द: सार्वभौमिक शिक्षा, लैंगिक भेदभाव,

प्रस्तावना

सामान्यत: किसी भी राज्य की प्रगति एवं प्रोन्नति में वहाँ निवास करने वाली जनसंख्या का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थात् जनसंख्या ही वह माध्यम है, जो किसी राष्ट्र की प्रगति का आधार तय करती है। अत: ऐसी स्थिति में निवास करने वाली जनसंख्या में अपने राष्ट्र के प्रति आदर एवं सम्मान होना चाहिए और निश्चित रूप से ये गुण उन्हीं में विद्यमान होंगे, जो सुशिक्षित होंगे। क्योंकि शिक्षा ही वह आधार प्रदान करती है, जो मानव को मानवतापूर्ण व्यवहार करने योग्य बनाती है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रन्थ भी बताते हैं कि भारत में सदैव ही शिक्षा को महत्व दिया गया, जो कि संस्कृत के निम्न श्लोक से स्पष्ट होता है –

माता शत्रु: पिता बैरी येनि बालो न पाठित:।
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा।।

अर्थात् जो माता–पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, ऐसे माता–पिता शत्रु के समान हैं। क्योंकि जिस प्रकार हंसों के बीच बगुला शोभा नहीं देता। उसी प्रकार अशिक्षित मनुष्य विद्वानों की सभा में शोभा नहीं देता। प्राचीन भारत में शिक्षा निःशुल्क थी, जिससे गरीब से गरीब छात्र भी शिक्षा प्राप्त कर सकता था। प्राचीन भारत में शिक्षा के महत्व को बताते हुए विद्वानों ने कहा था कि शिक्षा से विकसित और परिष्कृत बुद्धि ही सच्चा बल है। अतः ऐसी स्थिति में शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण प्रगति स्तम्भ को अनदेखा नहीं किया जा सकता। शायद यही कारण है कि समय–समय पर शिक्षाविदों तथा समाज के कर्णधारों ने इसके विकास में अपने–अपने विचार रखे हैं और उनके इन्हीं विचारों का परिणाम है कि वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षा का एक व्यवस्थित ढाँचा विद्यमान है। यदि हम स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बात करें, तो बहुत से ऐसे प्रयास सरकार द्वारा किए गए हैं, जो शिक्षा को जनसाधारण तक पहुँचाने में सफल रहे हैं। दूसरी ओर यदि हम जनसाधारण की बात करें, तो देश की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, जो किसी भी परिवार की आधारशिला को मजबूत करने, समाज और देश को प्रगति के पथ पर बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वाहन करती है। अतः महिलाओं को शिक्षित किए बिना कोई भी समाज और देश प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। इस सम्बन्ध में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था – "आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं।" इसी सम्बन्ध में महात्मा गाँधी ने कहा था – "एक आदमी को पढ़ाओगे, तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा। एक स्त्री को पढ़ाओगे, तो पूरा परिवार शिक्षित होगा।" कोई भी देश विकास के पथ पर तभी अग्रसर हो सकता है, जब उस देश की महिलाएँ शिक्षित हों और वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। तब ऐसी स्थिति में केवल लैंगिक भेदभाव के आधार पर समाज के बड़े भाग अर्थात् महिलाओं को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। शिक्षा के महत्व को समझते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही देश में शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना सरकार की प्रमुखता रही। संविधान के अनुच्छेद–45 से यह विदित होता है कि संविधान के प्रारम्भिक 10 वर्षों की कालावधि के अन्दर सभी बालक एवं बालिकाओं को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए सरकार कटिबद्ध है, जो निश्चित रूप से शिक्षा के सार्वभौमीकरण से सम्बद्ध है। उपर्युक्त सभी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए शोध समस्या सार्वभौमिक शिक्षा के संदर्भ में बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का चयन किया गया है। उक्त शोध के माध्यम से न केवल शिक्षा के सार्वभौमीकरण के पश्चात आए परिवर्तन का अध्ययन किया गया है, बल्कि इसी परिक्रम में बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का भी चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. सार्वभौमीकरण के पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में आए परिवर्तनों का अध्ययन करना।
2. सार्वभौमिक शिक्षा के सन्दर्भ में बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करना।

सार्वभौमिक शिक्षा

शिक्षा के सार्वभौमीकरण से तात्पर्य है कि 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की सुलभता उपलब्ध कराना। स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय संविधान में शिक्षा को मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया। संविधान के अनुच्छेद 45 में घोषणा की गई कि "राज्य संविधान के प्रारम्भ से 10 वर्ष की कालावधि के

अन्दर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबन्ध का प्रयास करेगा।" शिक्षा के सार्वभौमीकरण कार्यक्रम में तीन बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है –

* सुलभता का सार्वभौमीकरण
* सहभागिता का सार्वभौमीकरण
* सम्प्राप्ति का सार्वभौमीकरण

सुलभता के सार्वभौमीकरण से तात्पर्य है कि 14 वर्ष आयु तक के सभी बच्चों को अपने घर से 1 कि.मी. की दूरी के भीतर विद्यालय उपलब्ध हों तथा विद्यालयों में आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध हों।

सहभागिता के सार्वभौमीकरण से आशय है कि प्रत्येक विद्यार्थी जिसने प्राथमिक शिक्षा के लिए नामांकन कराया है, वह अपनी पाँच वर्षीय प्राथमिक शिक्षा को अवश्य पूरा करे।

सम्प्राप्ति के सार्वभौमीकरण का अर्थ है कि प्रत्येक विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अधिगम स्तर की योग्यता को अनिवार्य रूप से प्राप्त करे।

शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करने के उद्देश्य से 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21ए जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करे।

भारत में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति

प्राचीन भारत में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार थे। 200 ई.पू. वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं। परन्तु उत्तर वैदिक काल से ही स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति में निरन्तर गिरावट आई। मध्यकाल और ब्रिटिशकाल में तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक कारणों से स्त्रियाँ घरों में कैद हो गईं, जिसके चलते उनकी शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध हो गया। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से उन्हें पर्दे के पीछे कर दिया गया। स्वतन्त्रता के समय 1946-47 तक भारत में कुल 28,196 बालिका शिक्षा संस्थाएँ थीं, इनमें 21,479 प्राथमिक विद्यालय, 2,370 माध्यमिक, 59 महाविद्यालय थे। इन संस्थाओं में पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या लगभग 42 लाख थी। स्वतन्त्रता के समय देश में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम थी। स्वतन्त्रता के बाद भारत में स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए समय-समय पर भारतीय संविधान में प्रावधान किए गए एवं विभिन्न आयोगों, समिति, शिक्षा नीतियों ने अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जो निम्नवत हैं –

आयोग/समिति/नीतियाँ

राधाकृष्णनन कमीशन	1948-49	स्त्रियों की शिक्षा के विकास, उच्च शिक्षा स्तर पर सहशिक्षा की व्यवस्था एवं पाठ्यक्रम में गृह प्रबन्धन, गृह अर्थशास्त्र और पोषण की शिक्षा को सम्मिलित किया जाए।
मुदालियर आयोग	1952	बालिकाओं को बालकों के समान अवसर प्रदान करना, बालिका विद्यालय खोलने एवं सहशिक्षा की सिफारिश की तथा माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षा का सुझाव दिया।

दुर्गाबाई देशमुख समिति	1957–59	इस समिति का गठन लड़कियों की शिक्षा पर विचार करने के लिए किया गया था। समिति ने सिफारिश की कि स्त्री शिक्षा को एक विशिष्ट समस्या के रूप में देखा जाए और कन्या व महिला शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाए।
राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद	1955–60	इस परिषद का गठन महिला शिक्षा में सुधार एवं प्रसार के लिए सुझाव देना था।
हंसा मेहता समिति	1964	बालिकाओं की शिक्षा के पाठ्यक्रम पर सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया गया। बालक एवं बालिकाओं के पाठ्यक्रम में कोई भेद नहीं होना चाहिए।
कोठारी आयोग	1964–66	सभी बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करायी जाए। स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति	1986	स्त्री पुरुषों की शिक्षा में समानता, बालिकाओं को विज्ञान, व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति	2021	इस नीति में समतामूलक और समावेशी शिक्षा की बात की गई है तथा बालिकाओं के लिए सुरक्षित छात्रावासों का निर्माण करवाया जाएगा।

इन सभी आयोगों/समितियों एवं नीतियों के सुझावों के क्रियान्वयन द्वारा बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा तो है, परन्तु संतोषजनक स्थिति में नहीं है। आज भी महिलाओं की आधी आबादी से थोड़ा कम शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं।

स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति

सारणी 1 के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि सन् 1951 में महिला साक्षरता 8.86 थी, जो कि 2011 में बढ़कर 64.83 हो गई। जबकि 1951 में पुरुषों की साक्षरता दर 27.16 थी और 2011 में 82.14 हो गई। आँकड़े बताते हैं कि जिस तेजी से पुरुषों की साक्षरता दर में वृद्धि हुई उतनी तीव्र गति से महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि नहीं हुई। 2011 में महिला–पुरुष साक्षरता दर का अन्तराल 16.68 है, जिसे कम करना अभी भी एक चुनौती है।

सारणी 1. भारत में साक्षरता दर : 1951–2011

जनगणना वर्ष	*कुल साक्षरता वर्ष*	*पुरुष साक्षरता*	*महिला साक्षरता*	*महिला–पुरुष साक्षरता दर में अंतर*
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.30	40.40	15.35	25.05
1971	34.45	45.96	21.97	23.98
1981	43.57	56.38	29.76	26.62
1991	52.21	64.13	39.29	24.84
2001	64.83	75.26	53.67	21.59
2011	74.04	82.14	65.46	16.68

Source: Female Literacy Rate-Census of India, https://censusindia.gov.in

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति

सारणी 2. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता दर (1951-2011) प्रतिशत

क्षेत्र	*जनगणना वर्ष*						
	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
ग्रामीण	4.87	10.1	15.5	21.7	30.17	46.7	57.93
शहरी	22.33	40.5	48.8	56.3	64.05	73.2	79.11

Source: Census of India, office of Registrar General, India, http://mospi.nic.in

सारणी 2 के आँकड़े बताते हैं कि 2011 में ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर 57.93 प्रतिशत थी जबकि शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की साक्षरता दर 79.11 प्रतिशत थी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की साक्षरता दर में अन्तर 21.18 प्रतिशत है। यह अन्तर स्पष्ट करता है कि ग्रामीण इलाकों की महिलाओं की शैक्षिक स्थिति और भी अधिक दयनीय है। किन्तु दशक 2001-2011 में ग्रामीण महिला साक्षरता दर में बढ़ोत्तरी 11.23 प्रतिशत है, जबकि शहरी महिला साक्षरता दर में बढ़ोत्तरी 5.91 प्रतिशत है। यह आँकड़े बताते हैं कि निश्चित रूप से ग्रामीण इलाकों में भी बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

विभिन्न वर्गों के आधार पर बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति

सारणी 3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता दर (7+ आयु वर्ग) प्रतिशत में

2001				*2011*		
लिंग	योग	अनु. जाति	अनु. जनजाति	योग	अनु. जाति	अनु. जनजाति
पुरुष	75.3	67.0	59.0	80.9	75.2	68.5
महिला	53.7	82.0	35.0	64.6	56.5	49.4

स्रोत: एजूकेशनल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस, गवर्मेंट आर्फ इण्डिया, मिनिस्ट्री आर्फ ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट, ब्यूरो आर्फ प्लानिंग

सारणी-4. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता दर (15+ आयु वर्ग) प्रतिशत में

2001				*2011*		
लिंग	योग	अनु. जाति	अनु. जनजाति	योग	अनु. जाति	अनु. जनजाति
पुरुष	75.4	59.3	54.8	78.8	71.6	63.7
महिला	47.8	28.5	26.7	59.3	48.6	40.2

स्रोत: एजूकेशनल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस, गवर्मेंट आर्फ इण्डिया, मिनिस्ट्री आर्फ ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट

सारणी 3 और 4 के आँकड़े दर्शाते हैं कि 2001 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साक्षरता दर (+7 आयु वर्ग) क्रमशः 42.20 प्रतिशत तथा 35.0 प्रतिशत है, जो कि 2011 में बढ़कर क्रमशः 56.5 प्रतिशत तथा 49.4 प्रतिशत हो गई। सारणी से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की बालिकाओं की बहुत बड़ी

Indexed: SJIR & I2OR, SJIF Impact Factor: 5.982

आबादी आज भी शिक्षा के अधिकार से वंचित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पन्द्रह वर्ष से ऊपर की आयु की बालिकाओं की 2011 में साक्षरता दर क्रमशः 48.6 प्रतिशत और 40.2 प्रतिशत है, जो कि सात वर्ष से ऊपर आयु वर्ग से काफी कम है। अतः आवश्यकता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को शिक्षित करने हेतु सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जाएं और समाज के लोगों को जागरूक किया जाए।

विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर बालिकाओं का नामांकन

सारणी 5. स्तरों के आधार पर नामांकन (लाख में)

वर्ष	*प्राथमिक*			*उच्च प्राथमिक*		
	पुरुष	*महिला*	*योग*	*पुरुष*	*महिला*	*योग*
1950-51	138	54	192	26	5	31
1960-61	236	114	350	51	16	67
1970-71	357	213	570	94	39	133
1980-81	453	285	738	139	68	207
2000-01	640	498	1138	253	175	428
2005-06	705	616	1321	289	233	522
2006-07	711	626	1337	299	246	545
2007-08	711	644	1355	311	262	573
2008-09	706	647	1353	314	270	584
2009-10	697	639	1336	317	278	595
2010-11	701	646	1347	327	292	619
2011-12	726	672	1398	331	299	630
2012-13	696	652	1348	333	317	650
2013-14	686	638	1324	341	323	664
2014-15	676	629	1305	345	327	672

स्रोतः

(i) 1950-51 से 2011-12 के आँकड़े : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (website : http://mhrd.gov.in/statistic)

(ii) 2012-13 से 2014-15 : राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (website : http://disc.in)

***स्कूल शिक्षा से सम्बन्धित आँकड़े अस्थाई।**

सारणी–5 के आँकड़े दर्शाते हैं कि 1950–51 से 2014–15 तक बच्चों का नामांकन प्रतिवर्ष बढ़ा है। किन्तु उच्च प्राथमिक विद्यालयों का नामांकन प्राथमिक स्तर के नामांकन की तुलना में बहुत कम है। इसका सीधा अर्थ है कि विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत अधिक है।

विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर औसत वार्षिक ड्रॉप आउट दर

वर्ष	*प्राथमिक*		*उच्च प्राथमिक*		*माध्यमिक*	
	पुरुष	*महिला*	*पुरुष*	*महिला*	*पुरुष*	*महिला*
2000–01	41.9	39.7	57.7	50.3	71.5	66.4
2005–06	21.8	28.7	49.0	48.7	63.6	50.1
2006–07	26.8	24.6	45.2	46.4	61.5	58.6
2007–08	24.4	25.7	41.3	43.7	57.3.	56.6
2008–09	25.8	29.6	36.9	41.1	54.4	54.0
2009–10	28.5	31.8	44.2	41.1	51.8	53.3
2010–11	25.4	29.0	41.2	40.6	47.7	50.2
2011–12	21.0	23.4	40.0	41.5	52.2	48.6
2012–13	4.7	4.7	4.0	2.3	14.5	14.5
2013–14	4.1	4.5	4.5	3.1	17.8	17.9

Figures related to school Education are provisional.

Source: Educational Statistics at a Glance 2016.

सारणी 6 के आँकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2005–06 से 2013–14 तक शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या में कमी आई है। लेकिन स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं है कि खुश हुआ जाए।

लड़कियों के स्कूल छोड़ने के कई कारण हैं, इनमें मुख्य रूप से परिवार–सम्बन्धी, स्कूल सम्बन्धी और बच्चों से सम्बन्धी। लड़कियों का घरेलू कामों में ध्यान देना एक महत्वपूर्ण कारण है, लगभग 30 प्रतिशत लड़कियाँ शिक्षा बन्द कर देती हैं क्योंकि वे माता–पिता के साथ घरेलू कार्यों में हाथ बँटाती हैं। अपने छोटे भाई–बहनों की देखरेख करती हैं। साथ ही परिवार को आर्थिक तंगी के कारण 15 प्रतिशत लड़कियाँ स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं। कम उम्र में शादी, स्कूलों का पहुँच से दूर होना भी एक कारण है।

निष्कर्ष

बालिकाओं के व्यक्तिगत विकास, समाज एवं देश के विकास के लिए हमें बालिकाओं की शिक्षा के प्रति कटिबद्ध होना होगा। शिक्षा किसी भी व्यक्ति, समाज और देश को सशक्त बनाने का एक मुख्य साधन हैं। भारतीय संविधान में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं, जिनकी सहायता से भारतीय महिलाओं की शैक्षिक स्थिति को सुधारा जा सके। समय–समय पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाएँ चलाई गईं, जैसे – महिला समाख्या (1989), मध्याह्न भोजन योजना (1995), सर्वशिक्षा अभियान (2001), कस्तूरबा गाँधी योजना (जुलाई 2004), बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ (2015), सुकन्या समृद्धि योजना 2015, साक्षर भारत। किन्तु 2011 की जनगणना के अनुसार

भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 82 प्रतिशत और महिलाओं की 65 प्रतिशत है और 2013-14 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का नामांकन 48.7 प्रतिशत है। 2013-14 के आँकड़े बताते हैं कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने का प्रतिशत क्रमशः 4.1, 4.5 एवं 17.8 था। ये आँकड़े महिला शिक्षा की कटु सच्चाई बयाँ करते हैं।

देश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के बाद भी बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा की स्थिति और भी अधिक दयनीय है। बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा पर और अधिक ध्यान देना होगा और उनकी समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। बालिका शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ-साथ समाज की भागीदारी भी आवश्यक है। दोनों के साझे प्रयास के द्वारा ही सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। समाज के वे लोग जो बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, उन्हें आगे बढ़कर समाज के बाकी लोगों को जागरूक करना होगा समाज को बालिकाओं की शिक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा और उस बीमार रूढ़िवादी मानसिकता को बदलना होगा जो सोचती है कि महिलाओं का स्थान घरों में है, वे पढ़-लिख कर क्या करेंगी, लड़कियाँ तो पराया धन हैं, शादी के बाद दूसरों के घर चली जाएगी। हम इनकी शिक्षा पर धन क्यों व्यय करें। आवश्यकता है लड़कियों की शिक्षा के लिए भयमुक्त वातावरण और समाज की जिसमें लड़कियाँ स्वच्छन्द होकर साँस ले सकें। बालिका शिक्षा पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है जो कि शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

नई शिक्षा नीति 2020 आशान्वित करती है कि समतामूलक और समावेशी नीति के द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य को निकट भविष्य में प्राप्त कर सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

अल्तेकर, ए.स. (2014). *प्राचीन भारतीय शिक्षण-पद्धति,* अनुराग प्रकाशन, वाराणसी।

मालवीय, राजीव (2016). *शिक्षा का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य,* शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।

गुप्ता, एस.पी' (2004). भारतीय शिक्षा का इतिहास, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।

https : //jansankhya.itshindi.com/

*Female Literacy Rate – Census of India. https://censusijdia.gov.in

*Educational Statistics at a Glance: Government of India Ministry of Human
Resource Development Department of School Education & Literacy New Delhi (2016)

*Census of India Office of Registrar Generate, India, http://mesofindia.nic.in

ISSN: 2456-4583
Indexed: SJIF & I2OR
SJIF Impact Factor: 5.982

Global Multidisciplinary Research Journal
A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 4 Issue 1 September 2019, pp. 133-140

Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

COGNITION VS. COGNITION ABOUT COGNITION

***Dr. Sasmita Kar and **Sukirti Kar**

*Department of Teachers Training, Faculty of Education, Rama Devi Women's University Bhubaneswar

**Research Scholar, School of Pedagogical Sciences, Rama Devi Women's University Bhubaneswar

Received: 02 February 2020, **Revised:** 25 February 2020, **Accepted:** 28 February 2020

Abstract

Cognition deals with basic mental functions like learning, memory, problem solving, attention and decision-making whereas metacognition deals with higher order cognitive processes. This paper purports to discuss primarily about metacognition and explores its relation with cognition. The paper analyses how metacognition is different from cognition of a person. Though these two concepts are related very closely and sometimes seen to be overlapping on each other from some aspects, still a thin line difference can be observed between these two concepts. An attempt has been made to study the difference between the two on the basis of their strategies used in different subjects of learning like Mathematics, Science/ Social Studies, Reading and Writing.

Keywords: *Metacognition, Cognition, Learning Process*

INTRODUCTION

Metacognition is an emerging construct in the field of Educational Psychology. Metacognition is defined as "thinking about thinking", "cognition about cognition", "knowing about knowing" and "a critical self-reflection on one's own learning process." It includes knowledge of using a strategy for learning or problem solving (Flavell, 1979). Metacognition not only enables one to use appropriate strategies but helps someone to decide when and how to use that strategy. Metacognition consists of three components viz. metacognitive knowledge, metacognitive regulation, and metacognitive experiences (Flavell, 1979). Metacognition is actually a form of cognition and it takes active control over the cognitive processes (Devine, 1993). Cognition and metacognition are two very closely related concepts. Metacognition is considered more important than cognition as it controls

and monitors the cognitive processes. Therefore, metacognition is referred to as the seventh sense of human beings (Nisbet & Smith, 1986).

Metacognition is given importance in students' learning because; it helps in regulating and supporting their learning. It is also an essential forecaster of learning (Wang, Haertel and Walberg, 1990). On the other hand, cognition affects almost everything in our life. Starting from acquiring new information to decision making and managing relationships, cognition plays an important role in everyone's life.

In 21st century, self-directed learning has been identified as one of the major life skills as well as career skills among students. It helps the students especially the post-secondary pupils to get prepared for education and workforce. Self-directed learning depends on the metacognition skills to a large extent. So, today's teachers are being trained to develop metacognition skills and awareness within the students with a view that this will surely help them in their career development process.

Teachers are trained to employ various methods of teaching and improvement of cognitive process and metacognition assessment strategies with an aim to develop their cognition and metacognition skills. Cognition helps a student to learn whereas metacognition makes the students successful learners. In the words of Hennessey (1999), "Metacognition is the awareness of one's own thinking, awareness of the content of one's conceptions, an active monitoring of one's cognitive processes, an attempt to regulate one's cognitive processes in relationship to further learning, and an application of the set of heuristics as an effective device for helping people organize their methods of attacks on problems in general."

HISTORY DEVELOPMENT OF COGNITION

The study of cognition was first carried out by Greek philosopher Plato and Aristotle. Plato studied on human mind and believed that people understand the world by the fundamental principles that are buried deep within themselves. Then they use rationality in their thoughts to create new knowledge. Later, Rene Descartes and Chomsky supported this approach of cognition. This approach of cognition is alternatively known as "Rationalism" (Marton, Ference, and Shirley, 2013).

Aristotle discarded this approach. He believed that people learn and gain knowledge through observing the world around them. Later on, some other thinkers like John Locke and B. F. Skinner accepted this point of view. This approach of cognition is also called as "Empiricism" (Sgarbi, Marco, 2012).

The first half of twentieth century was largely dominated by psychoanalysis, behaviouristic and humanistic theories. Eventually, studies related solely to cognition emerged during 1960's which was named as "Cognitive Psychology". The field of Psychology that deals with cognition is known as "Cognitive Psychology" (Lachman, 2015). The first definition of "cognition" was published in the first book of cognitive psychology published back in 1967. Later on, psychologists like Pavlov, Skinner, Neisser, Bruner and some others studied about "cognition" extensively for which they are known as cognitive psychologists.

Various cognitive psychologists proposed theories on cognition and cognitive development. Out of all those, Jean Piaget's cognitive development theory is known to be the most important and influential theory in cognitive area. He conducted a study on the intellectual development of his own three children and thus developed the theory on cognition. He described the cognition development process starting from infancy to adulthood through this theory. A person's cognition is developed through four major developmental stages, viz. Sensory-motor (0-2 years), Pre-operational (2-7 years), Concrete Operational (7-12 years) and Formal Operational (12 years and on) (Piaget, 1936). On the other hand, Jerome Bruner (1961) identified three stages through which a person's cognition process is represented. Those are Enactive (gaining of knowledge through concrete actions), Iconic (visual summarization of images), and Symbolic (describing experiences through symbols and words).

HISTORY DEVELOPMENT OF METACOGNITION

The history of Metacognition is not that much old like cognition. When cognition concept was coined back in the time of Plato and Aristotle, Metacognition term was first coined only before few decades by John F. Flavell in 1976. Later on, many other psychologists conducted studies on metacognition to know more about it. Metacognition was referred to as the seventh sense of human beings by Nisbet and Smith (1986).

After Flavell, A.L. Brown (1987) was the second person who studied metacognition extensively (Nazarieh, 2016). Falvell and Brown proposed models on metacognition which are known as "Flavell's Model on Cognitive Monitoring" and "Brown's Model of Metacognition" respectively. Flavell explained metacognition as cognitive monitoring of a person. He mentioned four parts of cognition in his model, namely Metacognitive Knowledge, Metacognitive Experiences, Goals and Strategies. Brown suggested two components of Metacognition namely, Knowledge about Cognition and Regulation of Cognition in his model.

Other than them, some other psychologists put forward many other components of metacognition. The component wise detailed history of metacognition is mentioned below:

Components of Metacognition	*Type*	*Sub-Components*
Knowledge about Cognition	Knowledge someone possesses about himself/herself as a learner and factors affecting his/her cognition	• Person and Task Knowledge (Flavell, 1979) • Self-appraisal (Paris & Winograd, 1990) • Epistemological Understanding (Kuhn & Dean, 2004) • Declarative Knowledge (Cross & Paris, 1988; Schraw et al., 2006; Schraw & Moshman, 1995)
	The awareness and management of one self's cognition knowledge about strategies	• Procedural Knowledge (Cross & Paris, 1988; Kuhn & Dean, 2004; Schraw et al., 2006) • Knowledge about Strategy (Flavell, 1979)
	The knowledge of why and when to use a particular strategy	• Conditional Knowledge (Schraw et al., 2006)
Regulation of Cognition	Identifying and selecting appropriate strategy and allocating resources	• Planning (Cross & Paris, 1988; Paris & Winograd, 1990; Schraw et al., 2006; Schraw & Moshman, 1995; Whitebread et al., 2009)
	Attention and awareness of comprehension and task performance	• Monitoring or regulation (Cross & Paris, 1988; Paris & Winograd, 1990; Schraw et al., 2006; Schraw & Moshman, 1995; Whitebread et al., 2009) • Cognitive Experiences (Flavell, 1979)
	Evaluating the process and product of one's learning and ensuring learning goals by revisiting and revising	• Evaluating (Cross & Paris, 1988; Paris & Winograd, 1990; Schraw et al., 2006; Schraw & Moshman, 1995; Whitebread et al., 2009)

COGNITION VS. METACOGNITION

Cognition and metacognition are very closely connected terms. Most often, these two seem to be same, but there exist a thin line difference between cognition and metacognition. When cognition deals with various mental processes like attention, memory, problem-solving, decision-making etc., metacognition is a higher level cognition which makes us aware of our cognitive processes and has control over these processes (Hendrick, 2014). While thinking belongs to cognition, thinking about thinking belongs to metacognition. Suppose a child is solving a problem. In that case, he will use his cognition to complete that task. But metacognition will let him double check his solution and monitoring and evaluating the process of solution. So metacognition is a tougher and more complex than cognition process. In a nutshell, it can be said that cognition helps in learning while metacognition makes the learning successful. Metacognition verifies the learning and thus increases students' confidence. Metacognition usually precedes a cognitive process (Hendrick, 2014).

Most of the Metacognition definitions are associated with knowledge and strategy component. But these two components create a lot of confusions between cognition and Metacognition. It is quite a tough task two differentiate between cognitive and metacognitive strategies. Declarative knowledge has a lot to do with this confusion. For example, it creates a major doubt that "being aware that I have problem in understanding a statistics problem" is a cognitive or metacognitive knowledge. Even Flavell was of the view that metacognitive knowledge may not be different from cognitive knowledge (Flavell. 1979). The distinction actually lies in how the information is used or processed by the individual.

Cognition is the regular working of one's everyday brain as defined by Dautrich (2021). It includes learning, treading, problem solving, decision-making, planning, studying, thinking etc. cognition is something which focuses primarily on the practical things that you do spontaneously. The individual often is not aware of his own acts. He/she is just busy in doing, creating and thinking whereas, metacognition refers to being attentive and aware of one's own actions. While cognition is a regular mental experience, metacognition is an occasional mental experience. It lets the individuals observe them in action. It is a critical self-reflection on your own practical approach of your mental activities. When you exchange dialogues like "why am I doing/ thinking/ feeling/ behaving like this?", "what could I do to make this action/ experience better?", "how am I doing with this task/ activity/project?", "Am I approaching towards my goal?" etc., with yourself, you are boosting up your cognition to another level which is called metacognition. When an individual becomes aware and attentive towards his/her cognitive processes, he is actually using his/her metacognition for doing a particular task/activity. The self-awareness is how you keep adjusting yourself as you go on with your cognitive processes.

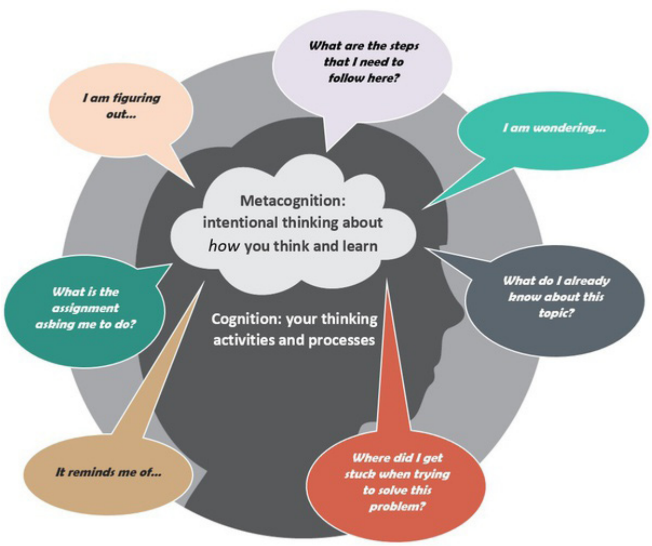

[Cognition vs. Metacognition]

(*Source:* https://images.app.goo.gl/HW65dNrWdHGp3gvH6)

The key differences between cognitive and metacognitive strategies on the basis of various tasks of performances are mentioned below:

Cognitive Strategies (What to learn and how to learn)	*Metacognitive Strategies (How to learn and how to make learning effective)*
It helps us to understand a task	It is the awareness that whether we understood a task or not
It includes the mental processes or abilities that people use on daily basis such as memory, attention, decision-making etc.	It includes completion of a task with planning, regular monitoring, evaluating and comprehending.
It involves processes of thinking.	It involves control of cognitive processes.
There are various levels of Cognition as mentioned below: • Level-1: Recall and Reproduction (Identify, answer what, who, when, how, why etc.) • Level-2: Skill and Concept (Compare and contrast, summarize, infer, use etc.) • Level-3: Strategies Thinking and Reasoning (argue, criticize, conclude, develop and idea, solve a problem etc.) • Level-4: Extended Thinking (Design, collaborate, elaborate, synthesize, initiate etc.)	There are various components of Metacognition as mentioned below: • Planning: What am I supposed to learn? What is my goal? etc. • Monitoring: How well am I doing a task? If I am understanding what I am learning? etc. • Evaluating: How well did I do and understand something? Did I reach my pre-decided goal? etc. • Self-Regulating: Can I use the same strategy to some other context? How this particular strategy is similar or different from others?
Mathematics : • What is a rational number? • How can I identify the greater rational numbers out of the two given rational numbers? • How can I subtract one rational number from the other?	• I need to know the meaning of rational number before going for the task. • Am I following the correct steps to identify, compare and subtract the rational numbers? Did the method worked to reach to the solution? • Is that the correct answer? • Can I solve this by some other way?
Science: • What is reflection? • What are the laws of reflection? • Which experiment can be conducted to know the angle of reflection is equal to angle of reflection? • How that experiment can be conducted?	• Why am I studying about reflection? • What do I already know about reflection? • Can I relate the laws of reflection to the phenomena I see in my day to day life? • Can I conduct the experiment precisely and flawlessly? • Can I prove the laws of reflection by some other experiments or using any alternate way?

Reading Comprehension: • Who is the author and what is his key message? • What was the gist? • What are the key points?	• Why am I reading it? • Am I getting the meaning of each and every word? • Could I comprehend the key message? • Was I able to maintain my focus throughout the reading? • Did I remember the key points? • How can I improve my reading?
Writing: • On which topic I will write? • What would be the title of my writing? • What would be the key points? • What steps should I follow to organise my writing? • How do I use graphic organizer?	• What is the goal? • Why am I writing this? • Am I following the steps properly? • Are the key points relevant? • Did graphic organiser really work? If not, what alternatives can I use? • Did my writing fulfil its purpose?

CONCLUSION

Metacognition and cognition both are equally important for learning. Metacognition controls and monitors our cognition to make our cognitive processes efficient thus make learning effective. On the other hand, without cognition, we cannot even think of having metacognition. Though these two concepts sound very much similar they have their own significance in the acquisition of knowledge. So it is always advisable to all teachers to employ such strategies during teaching-learning process which can strengthen metacognition of students. It will sharpen their cognitive processes and ease their tasks of learning as well.

REFERENCES

Balcikanli, C. (2011). Metacognitive Awareness Inventory for Teachers (MAIT). *Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 9*(3), 1309-1332.

Berger, K. S. (2008). *The developing person through the life span* (7th ed.). Worth. p. 43. ISBN 9780716760801

Cherry, K. (2020). What is Cognition?. Retrieved from https://www.verywellmind.com/what-is-cognition-2794982 on 12.10.2021.

"Cognition". *Lexico*. Oxford University Press and Dictionary.com. Retrieved from https://www.lexico.com/definition/cognition on 11. 10.2021.

Dawn, H. (2008). Critical Thinking: Cognitive vs. Metacognitive. Retrieved from https://kyskillsu.ky.gov/Educators/resources/RLA%20Social%20Studies%20Science%20Instructional%20Framework/CriticalThinkingCognitivevsMetacognitveStrategies.pdf on 18.10.2021.

Desoete, A. & Ozsoy, G. (2009). Introduction: Metacognition, more than the lognes monster?. *International Electronic Journal of Elementary Education, 2*(1), 1-6.

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and Cognitive Monitoring. *American Psychological Association, 34*(10), 906-911.

Lai, E.R. (2011). Metacognition: A Literature Review. *Pearson's Pubication.*

Marton, Ference, and Shirle, B. (2013). *Learning and awareness*. Routledge, doi:10.4324/978020305369. *Psychology Press*.

Matlin, M.W. (2013). *Cognition (8th ed.)*, John Wiley & Sons, United States

Nazarieh, M. (2016). A Brief History of Metacognition and Principles of Metacognitive Instructions in Learning. *Best Journals, 2*(2), 61-64.

Schraw, G. & Dennison, R.S. (1994). Metacognition Awareness Inventory. *Contemporary Educational Psychology, 19*, 460-475.

Sgarbi, M. (2012). The Aristotelian Tradition and the Rise of British Empiricism: Logic and Epistemology in the British Isles, *Springer Science & Business Media*, 32*,* 1570–1689.

Soughnessy, M. F., Veenman, M.V.J. & Kennedy, C.K. (2008). *Metacognition: A Recent Review of Research, Theory and Perspectives*. Nova Science Publishers, New York

Walia, J.S. (2014), *Understanding the Learner and Learning Process*, Ahim Paul Publishers, Jalandhar

Walia, J.S. (2014-15), *Development of the Learner and Teaching- Learning Process*, Ahim Paul Publishers, Jalandhar

GLOBAL DEVELOPMENT SOCIETY

(Reg. No. 347/2011-12, Registration under Society Registration Act 21, 1860).
6, New Tilak Nagar, Firozabad - 283203 (UP)
Contact: 09412883495: 08077700262
Website: www.gdsfzd.org
E-mail: journal@ gdsfzd.org; dr.mishrapkgds@gmail.com

SUBSCRIPTION FORM

GLOBAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL

A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches

Rate of Subscription	*Annual*	*3 Years*	*5 Years*	*10 Years*
Institutional (India)	Rs. 1000	Rs. 2000	Rs. 3000	Rs. 6000
Institutional (Foreign)	US $16	US $32	US $46	US $92
Individual (India)	Rs. 1000	Rs. 1500	Rs. 2500	Rs. 5000
Individual (Foreign)	US $16	US $24	US $38	US $77

You can deposit the Subscription amount in VIJAYA BANK, Tilak Nagar, Bypass Road, Firozabad, UP - 283203: The **Account No. is**: 711701011004322 & "IFSC CODE": VIJB0007117 OR You can also send the DD in favour of The president, of GLOBAL DEVELOPMENT SOCIETY, 6, New Tilak Nagar, Firozabad - 283203 (UP), payable at Vijaya Bank, Firozabad.

DD No. ....**Name of Bank:** ....

Type of Subscription : Institution/Individual ( )/( )

Name of Subscriber : ....

Qualification : ....

Designation : ....

Areas of interest/specialization : ....

Name of Organization : ....

Address (with Pin Code) : ....

....

Past Passport Size Photograph of Individual/ Head of the Institution here

Date of Birth : ....

Email Address : ....

Contact No. : ....

Amount & Mode of Payment : ....

Date : ....

(Signature)

Note: The Life member of Global Development Society, Firozabad, U.P., India will be given 20 percent concession on each publication.

RNI No. UPBIL/04790

Publisher

GLOBAL DEVELOPMENT SOCIETY

(Reg. No. 347/2011-12, Registration Under Society Registration Act 21, 1860)

Owned & Published By :

Dr. Pankaj Kumar Mishra

President

Global Development Society

6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203(UP)

Mob. 09412883495/08077700262

Website: www.gdsfzd.org

E-mail: dr.mishrapkgds@gmail.com

Printed by: Victorious Publishers (India)

D-5 G/F, Ground Floor, Pandav Nagar, Near Shanti Nursing Home (Opposite Mother Dairy), Delhi-110092

E-mail: victoriouspublishers13@gmail.com Mo.: +91-8826941497